सत्यमेव जयते

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

विधि और न्याय मंत्रालय

Ministry of Law and Justice

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

विधि और न्याय मंत्रालय
Ministry of Law and Justice

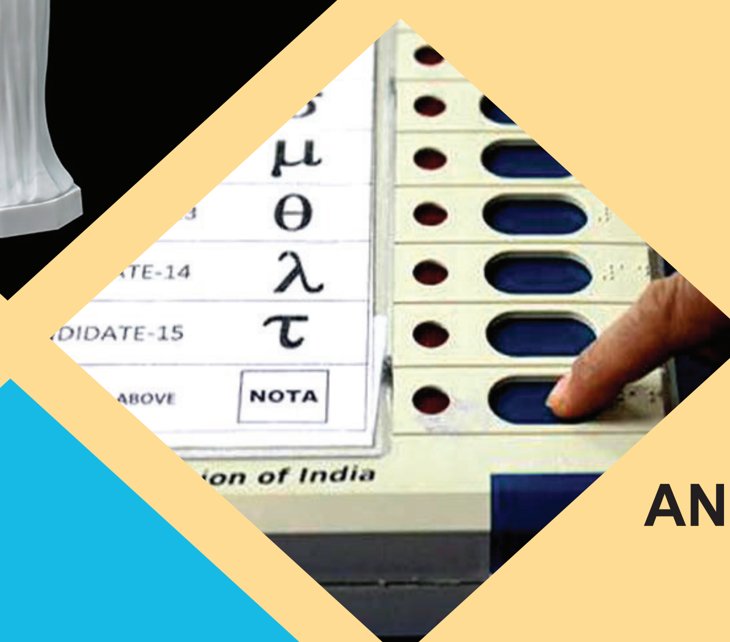

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT 2017-18

विषय सूची

क्र.सं.	अध्याय	विषय	पृष्ठ सं.
1.		प्रस्तावना और विधि एवं न्याय मंत्रालय का संगठन	(i-ii)
2.	अध्याय – 1	विधि कार्य विभाग	1-48
3.	अध्याय – 2	विधायी विभाग	49-104
4.	अध्याय – 3	न्याय विभाग	105-139
5.	उपाबंध – I	विधि कार्य विभाग का संगठन चार्ट	140
6.	उपाबंध – II, III & IV	विधि कार्य विभाग में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग का ब्योरा	141-143
7.	उपाबंध – V	आई.टी.ए.टी. में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछडे वर्ग के सदस्यों/ भूतपूर्वसैनिकों/ शारीरिक विकलांग सहित कर्मचारियों की कुल संख्या	144
8.	उपाबंध – VI	विधि कार्य विभाग में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछडे वर्ग के सदस्यों/ भूतपूर्वसैनिकों/ शारीरिक विकलांग व्यक्तियों की संख्या	145-148
9.	उपाबंध – VII	विधि कार्य विभाग में महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व	149
10.	उपाबंध – VIII	स्वच्छ भारत अभियान	150
11.	उपाबंध – IX	भारतीय योग दिवस का आयोजन	151-152
12.	उपाबंध – X	विधायी विभाग का संगठन चार्ट	153
13.	उपाबंध – XI	विधायी विभाग में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछडे वर्ग के सदस्यों/ भूतपूर्वसैनिकों/ शारीरिक विकलांग व्यक्तियों की संख्या	154
14.	उपाबंध – XII	विधायी विभाग में महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व	155
15.	उपाबंध – XIII	न्याय विभाग का संगठन चार्ट	156

प्रस्तावना

विधि और न्याय मंत्रालय भारत सरकार का सबसे पुराना अंग है। इसकी स्थापना वर्ष 1833 में उस समय हुई थी जब ब्रिटिश संसद द्वारा चार्टर अधिनियम, 1833 अधिनियमित किया गया था। उक्त अधिनियम ने पहली बार विधायी शक्ति को किसी एकल प्राधिकारी, अर्थात गवर्नर जनरल की काउंसिल में निहित किया था। इस प्राधिकार के नाते और इंडियन काउंसिल अधिनियम, 1861 की धारा 22 के अधीन उसमें निहित प्राधिकार के द्वारा गवर्नर जनरल की काउंसिल ने सन् 1834 से 1920 तक देश के लिए कानून बनाए। भारत सरकार अधिनियम, 1919 के लागू होने के बाद विधायी शक्ति का प्रयोग उसके अधीन गठित भारत के विधानमंडल द्वारा किया गया। भारत सरकार अधिनियम, 1919 के बाद भारत सरकार अधिनियम, 1935 आया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के पारित होने के साथ भारत एक डोमिनियन बन गया और डोमिनियन विधानमंडल ने भारत (अनंतिम संविधान) आदेश, 1947 द्वारा यथा अंगीकृत भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 100 के उपबंधों के अधीन वर्ष 1947 से 1949 तक कानून बनाए। 26 जनवरी, 1950 से भारत का संविधान लागू होने के बाद विधायी शक्ति संसद में निहित है।

मंत्रालय का संगठन

विधि और न्याय मंत्रालय में विधायी विभाग, विधि कार्य विभाग और न्याय विभाग सम्मिलित हैं। जहां तक न्याय विभाग का संबंध है, उसका विवरण एक पृथक अध्याय (अध्याय–।।।) में दिया गया है।

विधि कार्य विभाग केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को विधिक सलाह देता है जबकि विधायी विभाग केन्द्रीय सरकार के प्रधान विधान के प्रारूपण का कार्य करता है।

मिशन

सरकार को दक्ष और उत्तरदायी वादकारी बनानाः

विधि शिक्षा, विधि व्यवसाय और भारतीय विधि सेवा सहित विधिक सेवाओं में विस्तार, समावेशन और उत्कृष्टिता लाने के लिए भारतीय विधि व्यवस्था में सुधार करना। विधिक पेशेवरों के सृजन की एक प्रणाली विकसित करना ताकि वे न केवल भारत के बल्कि विश्व के मुकदमा और गैर–मुकदमा क्षेत्रों की भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकें, तथा उनके सामाजिक उत्तरदायित्व और एक दृढ़ व्यायवसायिक आचार नीति पर ध्यान केंद्रित करें। बारहवीं पंचवर्षीय योजना की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मुकदमों की भारी तादाद (3.3 करोड़), उसके फलस्वरूप राजकोष पर और मानवशक्ति सहित संसाधनों पर बढ़ते हुए बोझ जैसी बाधाओं को देखते हुए तथा सरकारी प्राधिकारियों को व्यापक विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करने की आवश्यकता को महसूस करते हुए हमारे मिशन का लक्ष्य प्रशासनिक शक्ति के सुव्यवस्थित प्रवाह, विरोध के प्रबंधन, विधि का शासन लागू करने और सरकार के विभिन्न स्कंधों द्वारा निर्धारित किए गए उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद देने के लिए एक उचित विधिक ढांचा तैयार करना है।

उद्देश्य

- मंत्रालयों और विभागों द्वारा भेजे गए मामलों पर विधिक सलाह/राय देकर और उनके विधायी प्रस्तावों की जांच करके उनके कार्य संचालन में सहायता देना और सुशासन को बढ़ाना।
- भारतीय विधि सेवा में सुधार करके उसे अधिक दक्ष, अनुक्रियाशील और वैश्विकक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाना।
- केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग के लिए एक वृहद ई–शासन प्रणाली विकसित करना और सूचना प्रौद्योगिकी के आधार पर विधि कार्य विभाग को नया रूप देना।
- मुकदमों को कम करना और विवाद समाधान के वैकल्पिक तरीकों द्वारा विवादों के समाधान को प्रोत्साहित करना।
- विधि व्यवसाय में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना और विधि शिक्षा के क्षेत्र में नवीन युग के प्रवर्तन की रूपरेखा तैयार करना।
- विधिक सुधार करना।
- इस विभाग के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अधिनियमों, अर्थात अधिवक्ता अधिनियम, 1961, नोटरी अधिनियम, 1952, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 और अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001 को प्रभावी रूप से लागू करना।

अध्याय–1

विधि कार्य विभाग

1. कृत्य और संगठन

1.1 भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अनुसार इस विभाग को निम्नलिखित कार्य– मदों का आबंटन किया गया है :–

1. विधिक मामलों में मंत्रालयों/विभागों को सलाह देना, जिसके अंतर्गत संविधान और विधियों का निर्वचन, हस्तांतरण–लेखन और उच्च न्यायालयों तथा अधीनस्थ न्यायालयों में उन मामलों में, जिनमें भारत संघ एक पक्षकार है, भारत संघ की ओर से उपसंजात होने के लिए काउंसेल नियोजित करना।

2. भारत के महान्यायवादी, भारत के महासालिसिटर और राज्यों की बाबत केन्द्रीय सरकार के अन्य विधि अधिकारी, जिनकी सेवाओं का उपयोग भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा समान रूप से किया जाता है।

3. केन्द्रीय सरकार की ओर से और केन्द्रीय अभिकरण स्कीम में भाग लेने वाली राज्य सरकारों की ओर से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में मामलों का संचालन करना।

4. सिविल वादों में समनों की तामील, सिविल न्यायालयों की डिक्री के निष्पादन, भरण–पोषण के आदेशों के प्रवर्तन और भारत में मृत विदेशी व्यक्तियों की संपदाओं के प्रशासन के लिए विदेशों के साथ पारस्परिक प्रबंध।

5. भारत के संविधान के अनुच्छेद 299(1) के अधीन राष्ट्रपति की ओर से संविदाओं और संपत्ति के हस्तांतरण–पत्रों के निष्पादन के लिए अधिकारियों को प्राधिकृत करना तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके विरूद्ध किए गए वादों में वाद – पत्रों या लिखित कथनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए अधिकारियों को प्राधिकृत करना।

6. भारतीय विधि सेवा।

7. सिविल विधि के मामलों में विदेशों के साथ संधि और करार करना।

8. विधि आयोग।

9. अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) सहित विधि व्यवसाय और उच्च न्यायालयों के समक्ष विधि व्यवसाय करने के हकदार व्यक्ति।

10. उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को बढ़ाना और उसे और अधिक शक्तियां प्रदान करना; उच्चतम न्यायालय के समक्ष विधि व्यवसाय करने के हकदार व्यक्ति; भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश।

11. नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) का प्रशासन।

12. आयकर अपीलीय अधिकरण।

विभाग को निम्नलिखित अधिनियमों के प्रशासन का कार्य भी आबंटित किया गया है:–

(क) अधिवक्ता अधिनियम, 1961

(ख) नोटरी अधिनियम, 1952

(ग) अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001;

1.2. यह विभाग आयकर अपीलीय अधिकरण और भारत के विधि आयोग का प्रशासनिक प्रभारी भी है। यह विभाग भारतीय विधि सेवा से संबंधित सभी विषयों से भी प्रशासनिक रूप से संबद्ध है। इसके अतिरिक्त, यह विधि अधिकारियों अर्थात भारत के महान्यायवादी, भारत के महासालिसिटर और भारत के अपर महासालिसिटरों की नियुक्तियों से भी संबद्ध है। विधि के क्षेत्र में अध्ययन और शोध को बढ़ावा देने और विधि व्यवसाय में सुधार करने के लिए यह विभाग इन क्षेत्रों से जुड़े संगठनों जैसे कि भारतीय विधि संस्थान और भारतीय बार काउंसिल को सहायता अनुदान देता है।

2. संगठनात्मक ढांचा

विधि कार्य विभाग की व्यवस्था दो सोपानों में है, अर्थात् नई दिल्ली स्थित मुख्य सचिवालय और मुम्बई, कोलकाता, चेन्नै और बंगलूरु स्थित शाखा सचिवालय। कार्य की प्रकृति के हिसाब से इसके कार्यों को मोटे तौर पर दो क्षेत्रों में बांटा जा सकता है– सलाह कार्य और मुकदमा कार्य। विधि कार्य विभाग का संगठनात्मक चार्ट उपाबंध–1 में दिया गया है।

मुख्य सचिवालयः

(i) मुख्य सचिवालय में अधिकारियों की जो व्यवस्था है, उसके अन्तर्गत विधि सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार तथा विभिन्न स्तरों पर अन्य विधि सलाहकार हैं। विधिक सलाह देने और हस्तांतरण–लेखन से संबंधित कार्य को अधिकारियों के समूहों में विभाजित किया गया है। साधारणतः प्रत्येक समूह का प्रधान एक अपर सचिव या संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार होता है, जिसकी सहायता के लिए विभिन्न स्तरों पर अन्य विधि सलाहकार होते हैं।

(ii) उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और कुछ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की ओर से मुकदमा–कार्य का संचालन केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग करता है, जिसके प्रधान इस समय संयुक्त सचिव रैंक के एक आई.आर.पी.एस.अधिकारी हैं और उनकी सहायता के लिए तीन अपर सरकारी अधिवक्ता, दो उप सरकारी अधिवक्ता, दो सहायक सरकारी अधिवक्ता, एक अनुभाग अधिकारी और अन्य कर्मचारी हैं।

(iii) दिल्ली उच्च न्यायालय में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों की ओर से मुकदमों के संबंध में कार्रवाई मुकदमा (उच्च न्यायालय) अनुभाग करता है, जिसके प्रधान इस समय एक उप विधि सलाहकार हैं।

(iv) दिल्ली में अधीनस्थ न्यायालयों में मुकदमा संबंधी कार्य की देखभाल मुकदमा (निचला न्यायालय) अनुभाग करता है, जिसके प्रधान इस समय एक सहायक विधि सलाहकार हैं।

(v) विभाग में एक विशेष प्रकोष्ठ अर्थात कार्यान्वयन प्रकोष्ठ है, जिसका कार्य विधि आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन तथा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के प्रशासन से संबंधित कार्य करना है। यह विधि व्यवसाय से संबंधित कार्य भी देखता है। इस प्रकोष्ठ को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन समन्वय का कार्य भी सौंपा गया है।

(vi) संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार का एक–एक पद क्रमशः रेलवे बोर्ड और दूर–संचार विभाग में है और इन पदों के धारक उक्त कार्यालयों में ही बैठते हैं। वर्तमान में, एक उप विधि सलाहकार रेलवे बोर्ड में कार्य कर रहे हैं। संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार का एक पद लोक उद्यम विभाग के लिए भी स्वीकृत है और पदधारी उक्त विभाग में माध्यस्थम् के स्थायी तंत्र की स्कीम के अधीन मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। एक उप विधि सलाहकार रक्षा मंत्रालय के अधीन सेना क्रय संगठन में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, रक्षा मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, एस0एफ0आई0ओ0, एन0टी0आर0ओ0 और केंद्रीय जांच ब्यूरो में विभिन्न स्तरों के कुछ पद, जैसे कि उप विधि सलाहकार और सहायक विधि सलाहकार भी हैं।

भारतीय विधि सेवा का सृजन

समाज के विकास के साथ–साथ विधि व्यवसाय में भी भारी बदलाव हुआ है। समाज की कानूनी जरूरतों को पूरा करने के लिए तथा न्याय की समुचित व्यवस्था के लिए कई प्रयास किए गए हैं। सरकार की आवश्यकताओं को गुणात्मक रूप से पूरा करने के लिए वर्ष 1956 में केंद्रीय विधि सेवा (वर्तमान भारतीय विधि सेवा की पूर्ववर्ती सेवा) का गठन करना एक ऐसा ही प्रयास था। भारत सरकार ने भारतीय विधि सेवा नियम, 1957 के अधीन विधि और न्याय मंत्रालय में भारतीय विधि सेवा का सृजन किया। ये नियम दिनांक 1 अक्तूबर, 1957 से लागू हुए हैं। अपनी स्थापना के समय से ही भारतीय विधि सेवा के अधिकारी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को महत्वपूर्ण मामलों में विधिक सलाह देने तथा संसद में पेश किए जाने वाले विधेयकों और अध्यादेशों के मसौदों को तैयार करने के कार्य में पूर्ण समर्पित भाव से राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। इस सेवा ने कई राज्यों को राज्यपाल, संसद के दोनों सदनों को महासचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त, उच्च न्यायालयों को न्यायाधीश और विभिन्न अधिकरणों जैसे कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, आयकर अपीलीय अधिकरण तथा ऋण वसूली अधिकरण आदि को कई न्यायिक अधिकारी दिए हैं।

भारतीय विधि सेवा की भूमिका

भारत सरकार का प्रधान विधिक अंग होने के नाते भारतीय विधि सेवा के अधिकारियों ने सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया है और अपने कर्तव्य का बखूबी पालन किया है। डिजिटल क्रांति ने सूचना की साझेदारी की प्रक्रिया में परिवर्तन किया है और अर्थव्यवस्था में संपदा के सृजन के नए क्षेत्रों को उत्पन्न किया है। इससे यह आवश्यक हो गया है कि भारतीय विधि सेवा के अधिकारी बढ़ती विधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने विधिक कौशल को अद्यतन करें। सरकार के प्रधान विधि सलाहकार होने के नाते इस सेवा के अधिकारी सरकार के विभिन्न अंगों द्वारा की गई मांगों की पूर्ति के लिए शीघ्रता से कारगर ढंग से आगे आए हैं और वे सलाहकारी तथा प्रारूपण दोनों ही कार्यों में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं।

सलाह 'क' अनुभाग

सलाह "क" अनुभाग में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से विभिन्न मुद्दों पर विधिक सलाह और दस्तावेजों की विधीक्षा के लिए कुल 3760 निर्देश (विधि सचिव, अपर सचिवों और संयुक्त सचिवों के कार्यालयों से सलाह के लिए प्राप्त निर्देशों सहित) प्राप्त हुए,जिन पर तत्परतापूर्वक कार्रवाई की गई और इस विभाग के अधिकारियों द्वारा दी गई विधिक सलाह को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेजा गया। इसके अतिरिक्त, इस विभाग के अधिकारियों ने विभिन्न राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय बैठकों और सम्मेलनों में भी भाग लिया।

2. विधिक सलाह देने के अलावा, इस अनुभाग ने माननीय मंत्री जी और इस विभाग के अधिकारियों को प्राप्त हुए निर्देशों और अन्य संसूचनाओं पर भी कार्रवाई की।

3. सलाह 'क' और 'ख' अनुभागों के सूचना का अधिकार आवेदनों से संबंधित 53 मामलों पर भी कार्रवाई की गई।

4. हस्तांतरण–लेखन से संबंधित 166 निर्देशों पर भी कार्रवाई की गई। इनमें कई मामले अंतरराष्ट्रीय करारों से संबंधित थे।

5. उपर्युक्त अवधि के दौरान, राज्य विधेयकों और अध्यादेशों से संबंधित मंत्रिमंडल के लिए 88 नोट और 95 निर्देश भी जांच के लिए प्राप्त हुए।

सलाह 'ख' अनुभाग

सलाह 'ख' अनुभाग को वर्ष 2017 के दौरान, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से विभिन्न मुद्दों पर विधिक राय और दस्तावेजों की विधीक्षा के लिए कुल 3896 निर्देश (विधि सचिव, अपर सचिवों और संयुक्त सचिवों के कार्यालयों से सलाह के लिए प्राप्त निर्देशों सहित) प्राप्त हुए, जिन पर तत्परतापूर्वक कार्रवाई की गई और इस विभाग के अधिकारियों द्वारा दी गई राय संबंधित मंत्रालयों/विभागों को आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित की गई।

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, इस विभाग के अधिकारियों ने 195 राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय बैठकों और सम्मेलनों में भी भाग लिया।

3. विधिक सलाह देने के अलावा, इस अनुभाग ने माननीय मंत्री जी और इस विभाग के अधिकारियों को प्राप्त हुए निर्देशों और अन्य संसूचनाओं पर भी कार्रवाई की।

4. उपर्युक्त अवधि के दौरान, विधिक तथा संवैधानिक दृष्टि से समीक्षा किए जाने के लिए 161 मंत्रिमंडल–नोट/विधायी प्रस्ताव, एस.एल.पी./एजी/एसजी/एएसजी की राय से संबंधित 1173 मामले प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त, सलाह 'क' और 'ख' अनुभागों से संबंधित संसद–प्रश्नों और आश्वासनों से संबंधित मामलों पर भी कार्रवाई की गई।

सलाह 'ग' अनुभाग

वर्ष 2017 में, विभिन्न विषयों पर भारत के महान्यायवादी, भारत के महासालिसिटर और भारत के अपर महासालिसिटरों की राय प्राप्त करने के लिए 28 नए मामले भेजे गए। सभी मामलों पर राय प्राप्त कर ली गई और उसे विधि सचिव और माननीय विधि और न्याय मंत्री के अनुमोदन के पश्चात भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/ विभागों को अग्रेषित कर दिया गया।

2. इस अनुभाग ने विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग के अधिकारियों को सामान्य और सचिवीय सहायता प्रदान की और विभिन्न विषयों पर 533 मामलों की नजीरों को ढूंढने में उनकी सहायता की है।

केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग

केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग की स्थापना वर्ष 1950 में की गई थी। यह अनुभाग केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों की ओर से तथा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के कार्यालय तथा उसके अधीन सभी क्षेत्रीय कार्यालयों की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुकदमा कार्य के संचालन के लिए जिम्मेदार है। उच्चतम न्यायालय में भारत संघ की ओर से सभी विशेष अनुमति याचिकाएं, उन्हें फाइल करने की व्यवहार्यता के बारे में विधि अधिकारियों की राय प्राप्त करने के पश्चात केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग के माध्यम से फाइल की जाती हैं। इस समय इस कार्यालय का कार्य एक संयुक्त सचिव देखते हैं; जिन्हें कार्यालय का प्रभारी घोषित किया गया है और विभागाध्यक्ष की शक्तियां प्रदान की गई हैं। उनकी सहायता के लिए 8 सरकारी अधिवक्ता और अन्य राजपत्रित अधिकारी और अराजपत्रित कर्मचारी हैं। विधि अधिकारियों की सहायता के लिए 584 सरकारी पैनल काउंसेल भी हैं।

2. केंद्रीय अभिकरण अनुभाग के कार्य निम्नलिखित से संबंधित हैं:–

- भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों से महान्यायवादी, महासॉलिसिटर और अपर महॉसालिसिटरों की राय के लिए विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के माध्यम से प्राप्त निर्देश।
- विभिन्न मामलों के लिए विधि अधिकारियों /पैनल काउंसेलों को नियोजित करना।
- भारत संघ/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा संघ राज्य क्षेत्रों की ओर से भारत के उच्चतम न्यायालय में मुकदमों का संचालन और पर्यवेक्षण।
- रिकार्ड का पर्यवेक्षण, विधि अधिकारियों, पैनल काउंसेलों, कंप्यूटर टाइपिस्टों और फोटोकॉपी मशीन ऑपरेटरों के फीस बिलों का भुगतान करना।

3. वर्तमान में, केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग के चार सरकारी अधिवक्ता उच्चतम न्यायालय के अभिलेख–अधिवक्ता हैं। एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिवक्ता को, जो अभिलेख–अधिवक्ता हैं, परामर्शदाता के तौर पर नियोजित किया गया है। ये अधिवक्ता भारत संघ, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित मामलों में उच्चतम न्यायालय के नियमों के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपसंजात होते हैं।

4. केंद्रीय अभिकरण अनुभाग के कंप्यूटरीकृत रिकार्ड के अनुसार, वर्ष 2017 के दौरान, केंद्रीय अभिकरण अनुभाग को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से 4199 नए मामले और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ राज्य क्षेत्रों से 327 नए मामले प्राप्त हुए। अधिकतर मुकदमे वित्त मंत्रालय, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयकर, रेलवे, रक्षा, केंद्रीय जांच ब्यूरो आदि से संबंधित हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा – कार्य

भारत सरकार के रेल और आय–कर विभागों को छोड़कर, सभी मंत्रालयों/विभागों की ओर से दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा संबंधी कार्य मुकदमा (उच्च न्यायालय) अनुभाग द्वारा किया जाता है। मुकदमा कार्य की देखरेख एक भारसाधक अधिकारी द्वारा अधीक्षक (विधि) और अन्य कर्मचारियों की सहायता से की जाती है, जिसका विवरण निम्नलिखित हैः–

(क) दिल्ली उच्च न्यायालय में संचालित मुकदमे सामान्यतः निम्नलिखित से संबंद्ध होते हैंः–

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन सिविल और दांडिक रिट याचिकाएं, विविध सिविल आवेदन, खंडपीठ अपीलें, कंपनी आवेदन, निष्पादन आवेदन और विविध दांडिक आवेदन।

(ख) दिल्ली उच्च न्यायालय के अलावा अन्य न्यायालयों में संचालित मुकदमे सामान्यतः निम्नलिखित से संबंधित होते हैंः–

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, औद्योगिक अधिकरण व श्रम न्यायालय, एन0सी0एल0टी0, एन0सी0एल0ए0टी0, अवैध गतिविधि (निवारण) अधिकरण, ऋण वसूली अधिकरण, ऋण वसूली अपील अधिकरण, आप्रवासी अपील समिति, विद्युत अपील अधिकरण, केन्द्रीय सूचना आयोग, जिला उपभोक्ता फोरम, राष्ट्रीय हरित अधिकरण आदि।

2. मुकदमा कार्य दो अनुभागों – मुकदमा (उ0न्या0) अनुभाग 'ए' और 'बी' द्वारा किया जाता है, जिनका पर्यवेक्षण अधीक्षक (विधि) द्वारा किया जाता है। अनुभाग 'ए' भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन रिट याचिकाओं, लेटर पेटेंट अपीलों और विविध याचिकाओं से संबंधित अग्रिम नोटिसों, जिनमें सामान्य प्रकृति के मामले भी शामिल हैं, के संबंध में कार्रवाई करता है। अनुभाग 'बी' माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में भारत संघ की ओर से दायर की गई रिट याचिकाओं और मूल/पुनरीक्षण याचिकाओं आदि के संबंध में कार्रवाई करता है। यह अनुभाग उपर्युक्त पैरा 1(ख) में उल्लिखित अन्य न्यायालयों/अधिकरणों से संबंधित मामलों में भी कार्रवाई करता है।

3. केन्द्रीय सरकार के मुकदमों का संचालन करने के लिए भारत के एक अपर महा–सालिसिटर, सत्ताईस स्थायी केंद्रीय सरकारी काउंसेल,ज्येष्ठ काउंसेलों और सरकारी प्लीडरों के पैनल हैं। सार्वजनिक महत्व के और विधि के जटिल प्रश्न वाले मामलों में विधि अधिकारियों में से किसी एक विधि अधिकारी, अर्थात् भारत के महान्यायवादी/भारत के महा–सालिसिटर/भारत के अपर महा–सालिसिटर को नियोजित किया जाता है। दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमों में सरकार के हितों की रक्षा करने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों और काउंसेलों से निकट संपर्क बनाए रखा जाता है। उप विधि सलाहकार और अन्य अधिकारी मामलों की प्रगति के प्रत्येक प्रक्रम पर कड़ी निगरानी रखते हैं।

4. वित्त वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान में इस एकक को 5 करोड़ रु. आबंटित किए गए थे। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, विधि अधिकारियों और सरकारी काउंसेलों के वृत्तिक फीस के लगभग 6500 बिल संदाय के लिए प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 2018 तक 2500 फीस बिल और प्राप्त होने की संभावना है। दिनांक 11 दिसम्बर, 2017 तक, 4.73 करोड़ रुपये के लगभग 4800 फीस बिल निपटाए गए हैं और संबंधित विधि अधिकारियों और काउंसेलों को उनका भुगतान किया गया है।

5. दिनांक 1.4.2017 से 11.12.2017 की अवधि के दौरान, मुकदमा (उच्च न्यायालय) अनुभाग ने दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमों के संचालन के लिए 4436 मामलों में विधि अधिकारी और सरकारी काउंसेल नियोजित किए। मामलों की प्राप्ति और सरकारी काउंसेलों के नियोजन का अनुभागवार ब्यौरा निम्नलिखित है:–

मुकदमा उच्च न्यायालय अनुभाग

अनुभाग	1.4.2017 से 11.12.2017 तक प्राप्त मामलों की संख्या	12.12.2017 से 31.3.2018 तक प्रत्याशित मामले	योग
ए	4015	1500	5515
बी	421	120	541
कुल	**4436**	**1620**	**6056**

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ), दिल्ली में मुकदमा –कार्य

6. मुकदमा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ) प्रकोष्ठ भारत संघ के मंत्रालयों और विभागों से संबंधित मामलों / मुकदमों की देखरेख करता है और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ), नई दिल्ली में भारत संघ के मंत्रालयों/विभागों के हितों का बचाव करने के लिए अनुमोदित पैनल में से काउंसेल नामनिर्दिष्ट करता है।

7. दिनांक 1.4.2017 से 11.12.2017 तक की अवधि के दौरान, मुकदमा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ) प्रकोष्ठ ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ) में मुकदमों के संचालन के लिए 1413 मामलों में सरकारी काउंसेल नियोजित किए। मामलों की प्राप्ति का ब्यौरा निम्नलिखित है:–

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ), दिल्ली में मुकदमा–कार्य

अनुभाग	1.4.2017 से 11.12.2017 तक प्राप्त मामले	12.12.2017 से 31.3.2018 तक प्रत्याशित मामले	योग
केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ) प्रकोष्ठ	1413	650	2063

मुकदमा (निचला न्यायालय) अनुभाग, तीस हजारी

दिल्ली/ नई दिल्ली में रेल और आय–कर विभाग को छोड़कर भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों की ओर से जिला न्यायालयों/उपभोक्ता फोरमों/अधिकरणों में मुकदमा कार्य का संचालन मुकदमा (निचला न्यायालय) अनुभाग द्वारा किया जाता है। उपर्युक्त न्यायालयों/अधिकरणों में मुकदमा कार्य की देखभाल इस अनुभाग के प्रभारी सहायक विधि सलाहकार द्वारा अधीक्षक (विधि) (इस समय यह पद रिक्त है) / सहायक (विधि) की सहायता से की जाती है।

2. यहां अपर स्थायी सरकारी काउंसेलों का एक पैनल बनाया गया है, जिसमें से मुकदमा लड़ने के लिए काउंसेलों को नामनिर्दिष्ट किया जाता है। संबद्ध मंत्रालय/विभाग से अनुरोध प्राप्त होने पर मामले में न्यायालय में उनकी ओर से पेश होने के लिए उपयुक्त काउंसेल नियोजित किए जाने के लिए कार्रवाई की जाती है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान इस अनुभाग ने 618 मामलों में काउंसेल नियोजित किए। जिला न्यायालयों/उपभोक्ता फोरमों/अधिकरणों में सरकार के हित की रक्षा के लिए विभिन्न विभागों/काउंसेलों के साथ हर समय निकट संपर्क बनाए रखा जाता है। दिनांक 22.12.2017 को जिला न्यायालयों/अधिकरणों/उपभोक्ता फोरमों में कुल 8549 मामले लंबित थे।

3. काउंसेलों से प्राप्त फीस के बिलों को प्रमाणित करने और विहित दरों पर संदाय करने से पूर्व, उनकी नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों को ध्यान में रखते हुए संवीक्षा की जाती है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान काउंसेलों के वृत्तिक फीस के 510 बिल प्राप्त हुए और इस मद में रुपये 61,62,710/– का भुगतान किया गया।

4. न्यायपालिका में, विशेष तौर पर जिला न्यायालयों / अधीनस्थ न्यायालयों में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के साथ सामंजस्य रखने के लिए और मुकदमा (निचला न्यायालय) अनुभाग के प्रभावी कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए इस अनुभाग के कम्प्यूटरीकरण का प्रस्ताव राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (रा0सू0के0) द्वारा किए गए प्रणाली अध्ययन की रिपोर्ट के साथ सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया गया है।

5. इस अनुभाग के प्रभारी शाखा अधिकारी सहायक विधि सलाहकार को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में भी पदाभिहित किया गया है।

न्यायिक अनुभाग

विभिन्न न्यायालयों के समक्ष विधि अधिकारियों/पैनल काउंसेलों के माध्यम से केन्द्र सरकार के मुकदमों का संचालन :–

(क) उक्त अवधि के दौरान भारत के दस (10) नए सहायक महासालिसिटर विभिन्न उच्च न्यायालयों/ उच्च न्यायालयों के पीठों में नियोजित किए गए हैं। इसके अलावा, उच्चतम न्यायालय में 34 नए पैनल काउंसेल (21 समूह 'क'; 7 समूह 'ख' और 6 समूह 'ग') नियुक्त किए गए। उसी अवधि के दौरान राज्यों में विभिन्न न्यायालयों में निम्नलिखित काउंसेल नियोजित किए गए हैं :–

क्र.सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नियोजित किए गए पैनल काउंसेलों की संख्या
1.	बिहार	66
2.	दिल्ली	17
3.	हिमाचल प्रदेश	02
4.	जम्मू और कश्मीर	02
5.	केरल	01
6.	ओडीशा	02
7.	पंजाब व हरियाणा	11
8.	राजस्थान	37
9.	तमिलनाडु	01
10.	त्रिपुरा	39
11.	उत्तराखंड	01
12.	उत्तर प्रदेश	70
13.	प० बंगाल	74
14.	महाराष्ट्र	04
15.	तेलंगाना	01
	कुल	328

अधिकरणों का विलयः

वित्त अधिनियम, 2017 के जरिए संबंधित विधियों में संशोधन करके 15 अधिकरणों, अपील अधिकरणों और अन्य प्राधिकरणों का विलय करके उनकी संख्या 7 कर दी गई है। वित्त अधिनियम, 2017 में 7 विलयित अधिकरणों/ अपील अधिकरणों सहित 19 अधिकरणों और अपील अधिकरणों और अन्य प्राधिकरणों के अध्यक्षों, सदस्यों आदि की एकसमान सेवा–शर्तों के भी उपबंध किए गए हैं।

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना का०आ० 1696(अ०) के तहत दिनांक 26.05.2017 से वित्त अधिनियम, 2017 के अध्याय–VI के भाग XIV के उपबंधों को, जो अधिकरणों और अन्य प्राधिकरणों के विलय तथा उनके अध्यक्ष, सदस्यों आदि की सेवा–शर्तों से संबंधित हैं, लागू किया गया है। वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 184 के अधीन, एक समान सेवा–शर्तें उपलब्ध कराने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 01.06.2017 की

अधिसूचना सा0का0नि0 514(अ.) के तहत अधिकरण, अपील अधिकरण तथा अन्य प्राधिकरण (सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव तथा अन्य सेवा–शर्तें) नियम, 2017 अधिसूचित किए गए हैं।

ऐसे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक विवादों में मध्यस्थों और माध्यस्थम पैनल काउंसेलों की नियुक्ति/नामांकन करना, जिनमें एक पक्ष सरकार /सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम और दूसरा पक्ष सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम/ निजी पक्षकार होता है :

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों इत्यादि से प्राप्त प्रस्तावों पर कार्रवाई की गई और मध्यस्थ/माध्यस्थम पैनल काउंसेल नियुक्त किए गए। उक्त अवधि के दौरान 16 (सोलह) माध्यस्थम मामलों में मध्यस्थ नियुक्त किए गए और प्राप्त हुए 72 (बहत्तर) मामलों में माध्यस्थम पैनल काउंसेल नियुक्त किए गए।

सिविल विधि के मामलों में विदेशों के साथ संधियां/करार करना

विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग सिविल और वाणिज्यिक मामलों में विदेशों के साथ पारस्परिक करार करने के लिए नोडल मंत्रालय है। इस संबंध में ओमान के साथ सिविल और वाणिज्यिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता संधि किए जाने की प्रक्रिया चल रही है।

समनों की तामील इत्यादि के संबंध में द्विपक्षीय संधियों (पारस्परिक विधिक सहायता संधियों/पारस्परिक प्रबंधों) और बहुपक्षीय संधियों (1965/1971 का हेग कन्वेंशन) से उद्भूत होने वाले अनुरोधों की जांच और उन पर कार्रवाई करनाः–

विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग हेग कन्वेंशन,1965 के अधीन सिविल और वाणिज्यिक मामलों में न्यायिक और न्यायिकेतर दस्तावेजों की विदेशों में तामील के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण है। उक्त समयावधि के दौरान इस दायित्व के अधीन, 1700 अनुरोधों पर सफलतापूर्वक कार्रवाई की गई और लगभग 800 अनुरोधों को विभिन्न कारणों/ कमियों के कारण लौटा दिया गया।

सूचना का अधिकार संबंधी कार्य

उक्त अवधि के दौरान, डाक से प्राप्त हुए कुल 92 सूचना के अधिकार आवेदनों/अपीलों पर कार्रवाई की गई। इसके अलावा, उक्त अवधि के दौरान 132 सूचना के अधिकार आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए, जिनमें से 100 आवेदनों पर कार्रवाई की गई है।

उपर्युक्त कार्य के अलावा, राष्ट्रीय वाद नीति पर भी कार्य चल रहा है।

नोटरी सेल

नोटरी सेल नोटरी अधिनियम, 1952 और नोटरी नियम, 1956 का प्रशासन करता है। नोटरी सेल देश में नोटरियों की नियुक्ति के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त निवेदनों/आवेदनों की जांच/संवीक्षा करने और नोटरियों की नियुक्ति से संबंधित कार्य करता है। यह सेल नोटरियों द्वारा किए गए वृत्तिक और अन्य अवचारों के आरोपों की जांच भी करता है। नोटरी सेल केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए नोटरी के व्यवसाय के प्रमाणपत्रों का नवीकरण भी करता है। यह सेल नोटरी से आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर और पर्याप्त कारण होने पर, उपयुक्त मामलों में, व्यवसाय के क्षेत्र में विस्तार भी प्रदान करता है।

जनवरी 2017 से दिसम्बर, 2017 तक की अवधि के दौरान 224 अधिवक्ताओं /आवेदकों को नोटरी नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा अब तक देश के विभिन्न भागों में 13502 नोटरी नियुक्त किए जा चुके हैं। इसके अलावा, समीक्षाधीन अवधि के दौरान नोटरियों के 2249 प्रमाण–पत्रों का नवीकरण भी किया गया है।

कार्यान्वयन प्रकोष्ठ

विधि आयोग की रिपोर्टें – प्रकाशन :– कार्यान्वयन सेल विधि आयोग की रिपोटों पर कार्रवाई करने, उन्हें संसद के समक्ष प्रस्तुत करने और रिपोर्टों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों को जांच/कार्यान्वयन के लिए अग्रेषित करने तथा उन पर त्वरित कार्रवाई करवाने के लिए जिम्मेदार है। 20वें विधि आयोग के विचारार्थ विषयों के अनुसार आयोग अपनी रिपोर्ट हिंदी और अंग्रेजी में संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त प्रतियों में प्रस्तुत करता है। जैसे ही रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की जाती है, आयोग अपनी रिपोर्ट वेबसाइट के माध्यम से या अन्यथा भी उपलब्ध कराता है इसलिए विधि आयोग की रिपोर्टें प्रकाशित नहीं की जाती हैं। दिनांक 31.12.2017 तक भारत के विधि आयोग ने कुल 273 रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं जिनमें से 270 रिपोर्टें संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जा चुकी हैं। शेष रिपोर्टें उचित समय में संसद में रखी जाएंगी। दिनांक 31.12.2017 तक प्राप्त सभी रिपोर्टों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों को जांच/कार्यान्वयन अथवा उनकी ओर से अगली कार्रवाई के लिए उन्हें अग्रेषित किया गया है। कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय की विभाग संबंधित स्थायी संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, कार्यान्वयन प्रकोष्ठ वर्ष 2005 से संसद के दोनों सदनों के समक्ष विधि आयोग की लंबित रिपोर्टों की स्थिति दर्शाने वाला एक वार्षिक विवरण रखता आ रहा है। वर्ष 2017 का विवरण (13वां विवरण) संसद के दोनों सदनों के पटल पर दिनांक 03.01.2018 को लोक सभा में और दिनांक 05.01.2018 को राज्य सभा में रखा गया है।

विधिक शिक्षाः यह प्रकोष्ठ विधि शिक्षा में सुधार के लिए उत्तरदायी है। यह प्रकोष्ठ निम्नलिखित अधिनियमों के प्रशासन से भी संबंधित हैः–

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 :– अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (''अधिनियम'') विधि व्यवसायियों से संबंधित कानून को संशोधित और समेकित करने तथा राज्य स्तर पर बार काउंसिलों और एक अखिल भारतीय बार के गठन की व्यवस्था के लिए अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम अपनी धारा 29 के तहत केवल एक श्रेणी के व्यक्तियों की पहचान करता है जो भारत में विधि व्यवसाय करने के हकदार हैं अर्थात् ''अधिवक्ता''। अधिनियम की धारा 30 को, जो प्रवृत्त नहीं थी, दिनांक 09.06.2011 की अधिसूचना का.आ. 1349(अ०) के तहत दिनांक 15 जून, 2011 से लागू किया गया है।

अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001:–

कनिष्ठ वकीलों के लिए वित्तीय सहायता और निर्धन अथवा विकलांग अधिवक्ताओं के लिए कल्याण योजनाओं के रूप में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना सदैव विधिक बिरादरी का विचार का विषय रहा है। कुछ राज्यों ने इस विषय पर अपने विधान अधिनियमित किए हैं। संसद ने उन संघ राज्य क्षेत्रों और राज्यों के लिए, जिनके पास उक्त विषय में अपनी अधिनियमितियां नहीं हैं, समुचित सरकार द्वारा 'अधिवक्ता कल्याण निधि' के सृजन के लिए 'अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001' अधिनियमित किया है। यह अधिनियम प्रत्येक अधिवक्ता के लिए किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण में दायर वकालतनामे पर अपेक्षित मूल्य के स्टाम्प लगाने को अनिवार्य करता है। 'अधिवक्ता कल्याण निधि स्टाम्पों' के विक्रय के माध्यम से एकत्रित धनराशि 'अधिवक्ता

कल्याण कोष' का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रैक्टिस करने वाला कोई भी अधिवक्ता आवेदन शुल्क और वार्षिक शुल्क का भुगतान कर के अधिवक्ता कल्याण निधि' का सदस्य बन सकता है। यह निधि समुचित सरकार द्वारा स्थापित न्यासी समिति में निहित और उसके द्वारा संघटित और उसके द्वारा प्रयुक्त रहेगी। इस निधि का प्रयोग अन्य बातों के साथ सदस्य की गंभीर स्वास्थ्य समस्या, प्रैक्टिस के बंद होने या किसी सदस्य की मृत्यु की दशा में उसके नामिती या कानूनी वारिस को एक नियत धनराशि के भुगतान करने, सदस्य और उसके आश्रितों की चिकित्सा और शैक्षिक सुविधाओं, अधिवक्ताओं के लिए पुस्तकों की खरीद और सामान्य सुविधाओं के लिए उपयोग में लाई जाएगी।

सूचना का अधिकार (आरटीआई) सेल

आरटीआई सेल विधि कार्य विभाग से संबंधित आरटीआई आवेदनों, प्रथम अपीलों और द्वितीय अपीलों पर कार्रवाई करता है।

क्र.सं.	आरटीआई मामले	कुल (1.4.2017 से 31.12.2017)
1.	प्राप्त कुल आर.टी.आई. आवेदन	1515
2.	प्रथम अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रथम अपीलें	30
3.	माननीय केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपीलें	34
4.	ऑनलाइन प्राप्त हुए कुल आवेदन	255

पुस्तकालय और अनुसंधान अनुभाग

पुस्तकालय और अनुसंधान अनुभाग एक विशेषीकृत अनुसंधान एकक है जो विधि और न्याय मंत्रालय की विधि की पुस्तकों/जर्नलों/ऑनलाइन आईपी बेस सॉफ्टवेयर और अन्य अनुसंधान सामग्री की आवश्यकता की देखरेख करता है। यह अनुभाग माननीय विधि और न्याय मंत्री, विधि और न्याय राज्य मंत्री, विधि अधिकारियों और विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग के भारतीय विधि सेवा अधिकारियों को संदर्भ और विधिक अनुसंधान की सेवाएं प्रदान करता है।

2. इस वर्ष के दौरान, पुस्तकालय और अनुसंधान अनुभाग ने 577 पुस्तकें प्राप्त कीं।

3. पुस्तकालय और अनुसंधान अनुभाग 19 भारतीय विधि जर्नलों, 3 विदेशी विधि जर्नलों को मंगाता है।

4. पुस्तकालय और अनुसंधान अनुभाग ने इस मंत्रालय के अधिकारियों के प्रयोग के लिए निम्नलिखित ऑनलाइन सेवाएं/ निर्णयज विधि, निर्णयों और आलेखों आदि की सीडी रॉम प्राप्त की हैः—

    (क) एआईआर कॉमप्रिहेनसिव सॉफ्टवेयर/डाटाबेस

    (ख) एससीसी ऑनलाइन केसफाइंडर

    (ग) एससीसी ऑनलाइन (आई.पी.) सर्विसेज

(घ) मनुपात्र ऑनलाइन (आई.पी.) सर्विसेज

(ड़) वेस्ट लॉ इंडिया ऑनलाइन (आई.पी.) सर्विसेज

(च) सी.एल.ए. ऑनलाइन(आई0पी0)सर्विसेज

विधि कार्य विभाग के सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रगामी प्रयोग

विधि कार्य विभाग ने राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 में यथा अंतर्विष्ट संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा जारी विभिन्न अनुदेशों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं: –

(क) राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10(4) के अधीन अधिसूचनाः

इस विभाग को राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अधीन 21.3.1980 को अधिसूचित किया गया था। हिन्दी में प्रवीणता रखने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा "क" क्षेत्र और "ख" क्षेत्र में स्थित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों और गैर सरकारी व्यक्तियों तथा केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को भेजी जाने वाली सभी संसूचनाओं तथा हिन्दी में लिखित या हिन्दी में हस्ताक्षरित पत्रों आदि के उत्तर में, जिसके अंतर्गत कर्मचारियों से प्राप्त अपीलें और अभ्यावेदन आदि भी हैं, सभी संसूचनाओं के प्रारूप केवल हिन्दी में प्रस्तुत किए जाने के आदेश दिनांक 25.7.1989 को जारी किए गए थे। इस बाबत अनुदेशों का कड़ाई से पालन किए जाने के लिए प्रतिवर्ष पुनः जोर दिया जाता है।

(ख) हिन्दी दिवस/हिन्दी माह का आयोजनः

राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने और राजभाषा नीति के प्रति कर्मचारियों में चेतना जगाने और शासकीय कार्य में हिन्दी का प्रयोग करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं की दृष्टि से विधि कार्य विभाग में दिनांक 14.9.2017 को ''हिन्दी दिवस'' मनाया गया। माननीय विधि और न्याय मंत्री, माननीय विधि और न्याय राज्य मंत्री, विधि सचिव और राजभाषा अधिकारी ने अपने–अपने संदेशों में विधि कार्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से उनके रोजमर्रा के सरकारी कामकाज में हिंदी को अपनाने की अपील की। माननीय गृह मंत्री जी के संदेश को भी विभाग और उसके अधीनस्थ कार्यालयों में परिचालित किया गया। इस संबंध में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए विभाग में 1.9.2017 से 30.9.2017 तक ''हिन्दी माह'' का आयोजन किया गया। इसे दो उद्देश्यों, अर्थात् (क) विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं को व्यापक रूप से प्रचारित करने, और (ख) हिन्दी में अधिकतम कार्य करने की दृष्टि से किया गया था। इस वर्ष हिन्दी माह के दौरान 6 प्रतियोगिताओं अर्थात् ''हिन्दी निबंध प्रतियोगिता,'' ''हिन्दी टंकण प्रतियोगिता'', "हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण प्रतियोगिता," ''अनुवाद प्रतियोगिता'', "श्रुतलेख प्रतियोगिता" (समूह 'घ' कर्मचारियों और अवर श्रेणी लिपिकों व कोर्ट क्लर्कों के लिए) और "हिन्दी कामकाज प्रतियोगिता'' का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में विभाग के 90 अधिकारियों/ कर्मचारियों ने भाग लिया, जिनमें से 86 सफल प्रतियोगियों को दिनांक 6 दिसम्बर, 2017 को आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में विधि सचिव द्वारा कुल 91,200/–रु0 के नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस पुरस्कार वितरण समारोह के चित्र उपाबंध–।। में दिए

गए हैं। विभाग के शाखा सचिवालयों और प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यालयों में भी हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और सफल प्रतियोगियों को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए।

(घ) राजभाषा से संबंधित आदेशों के कार्यान्वयन के लिए जांच–बिंदुओं का सृजनः

राजभाषा से संबंधित आदेशों के कार्यान्वयन के लिए जांच–बिंदुओं का पुनर्विलोकन किया गया था और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार पर्याप्त संख्या में जांच–बिंदु (आठ) सृजित करने के लिए दिनांक 16.11.1994 को आदेश जारी किए गए थे। अनुभागों/कार्यालयों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से इन जांच–बिन्दुओं की प्रभावकारिता को नियमित रूप से मानीटर किया जा रहा है।

(1) ऐसे अनुभागों/एककों में जहां कर्मचारिवृन्द हिन्दी में प्रवीण हैं, उनके दिन–प्रतिदिन के कार्य में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार के अवकाश दिए जाने से संबंधित कार्य हिंदी में किया जा रहा है। गृह निर्माण अग्रिम, सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम और प्रत्याहरण आदि से संबंधित कार्य हिंदी में किया जा रहा है और आदेश भी हिंदी में जारी किए जा रहे हैं।

(2) सभी सामान्य आदेश, अधिसूचनाएं, संकल्प और प्रशासनिक रिपोर्टें आदि अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में जारी की जाती हैं। हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर भी केवल हिंदी में दिया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस संबंध में सुसंगत नियमों का उल्लंघन न हो, कड़ी सतर्कता बरती जाती है। प्रत्येक तिमाही में आयोजित विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में स्थिति को मानीटर किया जा रहा है।

(3) विभिन्न अनुभागों द्वारा बार–बार प्रयोग में लाए जाने वाले पत्रों के मानक प्रारूपों के नमूनों को एकत्रित किया गया है और उनका हिंदी में अनुवाद किया जा रहा है। ताकि कर्मचारिवृन्द बिना किसी कठिनाई के उनका उपयोग कर सकें। विभाग के सभी फार्मों का भी हिंदी में अनुवाद किया जा रहा है। सेवा–पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां भी हिंदी में की जा रही हैं। सभी रबर स्टाम्पों, नाम पट्टिकाओं, संकेत पट्टों आदि को भी द्विभाषी रूप में तैयार किया जाता है।

(4) विभाग के सभी 300 कम्प्यूटर द्विभाषी हैं। विभाग के अनुभागों तथा अधिकारियों को दिए गए कम्प्यूटरों में हिन्दी में कार्य करने की सुविधा उपलब्ध है।

(5) विभाग और उसके अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों को हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन हिंदी/ हिंदी आशुलिपि/ हिंदी टंकण का प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है और प्रशिक्षण के उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उन्हें राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार, नकद पुरस्कार, वैयक्तिक वेतन/अग्रिम वेतनवृद्धि आदि प्रदान की जा रही है।

(6) गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के अनुदेशों तथा संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप समिति को दिए गए आश्वासनों के अनुसरण में, राजभाषा से संबंधित सांविधिक उपबंधों के अनुपालन की समीक्षा करने तथा इस संबंध में आ रही कठिनाइयों के संबंध में विचार–विमर्श करने के लिए विभाग के अनुभागों, शाखा सचिवालयों और आयकर अपीलीय अधिकरण के पीठ आदि विभाग के प्रशासनिक नियत्रंणाधीन कार्यालयों के निरीक्षण के लिए विभाग में राजभाषा अधिकारी की अध्यक्षता में एक निरीक्षण दल गठित किया गया है।

(7) संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट के 9 भागों में की गई सिफारिशों पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए राष्ट्रपति के आदेश विभाग तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यान्वित किए जा रहे हैं और इस बारे में प्रत्येक तिमाही में आयोजित होने वाली विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में स्थिति की समीक्षा की जा रही है।

(8) विभाग में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रुप से आयोजित की जाती हैं। विभाग के राजभाषा अधिकारी इसके अध्यक्ष हैं और उप सचिव (प्रशा0), सभी अवर सचिव और सभी अनुभाग प्रभारी तथा शाखा अधिकारी समिति के सदस्य हैं जबकि उप निदेशक(राजभाषा)/सहायक निदेशक (राजभाषा) इस समिति के सदस्य–सचिव हैं। समिति की बैठकों में तिमाही प्रगति रिपोर्ट और राजभाषा संबंधी आदेशों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की जाती है। बैठक का कार्यवृत्त आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए परिचालित किया जाता है। समिति की पिछली बैठक दिनांक 20 दिसम्बर, 2017 को हुई थी।

दिनांक 1 जनवरी, 2017 से 31 दिसंबर, 2017 तक की अवधि के दौरान, हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित ब्यौरा, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण पहलू भी है, उपाबंध–III और उपाबंध–IV में दिया गया है।

शाखा सचिवालय, कोलकाता

वर्ष 2017–18 के दौरान, शाखा सचिवालय, कोलकाता के प्रमुख/समग्र प्रभारी एक अपर सरकारी अधिवक्ता हैं। इस शाखा सचिवालय में आठ खंड हैं, अर्थात् सलाह, प्रशासन, रोकड़ और लेखा, हिंदी, काउंसेल फीस बिल, मुकदमा, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण/ निचला न्यायालय और प्राप्ति व निर्गम अनुभाग। इसके अतिरिक्त, इस शाखा सचिवालय में एक पुस्तकालय है, जिसमें 9800 से अधिक पुस्तकें हैं। यह पुस्तकालय अगस्त, 2017 तक एक अनुभाग अधिकारी के पर्यवेक्षण में था और उसके बाद यह सहायक विधि सलाहकार के पर्यवेक्षण में है।

2. शाखा सचिवालय, कोलकाता का मुकदमा खंड कलकत्ता उच्च न्यायालय में आरंभिक और अपीलीय, दोनों शाखाओं में सभी मुकदमों की देखरेख करता है। यह शाखा सचिवालय 12 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र के उच्च न्यायालयों, पोर्ट ब्लेयर स्थित सर्किट बेंच और अधिकरणों, जिला फोरमों और निम्न न्यायालयों में भारत संघ के मुकदमा कार्य की देखरेख कर रहा है। यह शाखा सचिवालय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, कोलकाता पीठ और उसके कटक, गुवाहाटी, पटना के अन्य पीठों तथा अंदमान निकोबार द्वीप समूह के सर्किट पीठों, सीजीआईटी, माध्यस्थम, एनजीटी,एनसीएलटी में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों को भी देखता है। संबंधित मंत्रालयों / विभागों से विशेष अनुरोध प्राप्त होने पर विभिन्न अधिकरणों जैसे कि एनजीटी, सीईएसटीएटी,आईटीएटी, राज्य उपभोक्ता फोरम और डीआरएटी, डीआरटी, उपभोक्ता फोरम, निम्न न्यायालय आदि के समक्ष तथा मध्यस्थों के समक्ष माध्यस्थम मामलों में पैनल काउंसेल भी नियुक्त किए जाते हैं।

3. इस शाखा सचिवालय का सलाह खंड आय–कर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय सहित केंद्रीय सरकार के अन्य सभी मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों को, जिनके कार्यालय पश्चिम बंगाल, असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, बिहार, झारखंड, ओडिशा, त्रिपुरा, मिजोरम और सिक्किम तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्यक्षेत्र में स्थित हैं और पूर्वी क्षेत्र से बाहर के उन स्वायत्त निकायों जिनके मुख्यालय कोलकाता में हैं (अर्थात आर्डिनेंस

फैक्टरी बोर्ड) को भी संबंधित विभागों/मंत्रालयों से निर्देश प्राप्त होने पर विधिक सलाह देता है और उनके मुकदमा कार्य का संचालन करता है।

4. वर्ष 2017–18 के दौरान, सलाह खंड के प्रमुख अपर सरकारी अधिवक्ता हैं। वर्ष 2017–18 के दौरान, सलाह खंड में दिसम्बर, 2017 तक केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से सलाह के लिए कुल 1012 निर्देश प्राप्त हुए। इसके अलावा, अनुमान है कि वर्ष 2017–18 के अंत तक (मार्च, 2017–18 तक) सलाह के लिए प्राप्त निर्देशों और निपटाए गए निर्देशों की कुल संख्या लगभग 1350 होगी। यह शाखा सचिवालय विभिन्न न्यायालयों और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में दाखिल किए जाने वाले करारों/संविदाओं की विधीक्षा भी करता है।

5. मुकदमा खंड में, सरकारी अधिवक्ता, जो नियमित कर्मचारी होते हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश XXVII के नियम 8 ख (क) के अर्थ में अभिलेख–अधिवक्ता और सरकारी अभिवक्ता के तौर पर कार्य करते हैं और इस उद्देश्य के लिए नियोजित किए गए पैनल काउंसेल के माध्यम से मामले पर सुनवाई/बहस करवाते हैं।

6. वर्ष 2017–18 के दौरान, एक अपर सरकारी अधिवक्ता और तीन कनिष्ठ केंद्रीय सरकारी अधिवक्ताओं ने भारत संघ की ओर से कलकत्ता उच्च न्यायालय में अभिलेख अधिवक्ता के तौर पर कार्य किया और वे न्यायालय में सरकारी प्लीडर के तौर पर भी उपस्थित हुए। सलाह और मुकदमा कार्य की देखरेख के लिए तीन सहायक विधि सलाहकारों को भी तैनात किया गया है।

7. वर्ष 2017–18 के दौरान, दिसंबर, 2017 तक शाखा सचिवालय, कोलकाता के मुकदमा प्रभाग द्वारा प्राप्त और संचालित उच्च न्यायालय के मामलों की कुल संख्या 1999 है और उक्त अवधि के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या 1365 है। संपूर्ण 2017–18 के दौरान निपटाए जाने वाले मामलों की संख्या लगभग 2685 होने की संभावना है। इसी प्रकार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, कलकत्ता में वर्ष 2017–18 के दौरान (दिसम्बर, 2017 तक) सेवा संबंधी मामलों में काउंसेलों के नियोजन हेतु प्राप्त मामलों की संख्या 402 है और वर्ष 2017–18 के दौरान ऐसे मामलों की कुल संख्या (मार्च, 2018 तक) लगभग 550 होने का अनुमान है। वर्ष 2017–18 में (दिसंबर, 2017 तक) माध्यस्थम मामलों सहित निपटाए गए निचले न्यायालयों के मामलों की संख्या 298 है और यह अनुमान है कि वर्ष 2017–18 की शेष अवधि के दौरान (मार्च, 2018 तक) लगभग 90 और मामले प्राप्त हो सकते हैं।

8. शाखा सचिवालय, कोलकाता में आरटीआई मामलों को देखने के लिए अपील प्राधिकारी (अपर सरकारी अधिवक्ता), केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी हैं। वर्ष 2017–18 के दौरान, दिसम्बर, 2017 तक कुल 13 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए, जिन्हें निर्धारित समय के भीतर विधिवत निपटा दिया गया।

9. वर्ष 2017–18 के दौरान, पैनल काउंसेलों द्वारा प्रस्तुत किए गए वृत्तिक फीस बिल के दावों पर शीघ्रता से कार्रवाई की गई और काउंसेलों की वृत्तिक फीस के संदाय के लिए 4,00,00,000/– रुपए (चार करोड़ रु0) के स्वीकृत बजट प्राक्कलन में से दिसम्बर 2017 तक कलकत्ता उच्च न्यायालय से संबंधित मामलों के लिए 2,41,92,228/– रुपए (दो करोड़ इकतालीस लाख बयानवे हजार दो सौ अट्ठाईस रूपये केवल) का भुगतान किया गया है। बजट की शेष धनराशि का भुगतान 2017–18 के अगले तीन महीनों में किया जाएगा।

10. इस शाखा सचिवालय में राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हिंदी अनुभाग है, जो अगस्त, 2017 तक अनुभाग अधिकारी के पर्यवेक्षण में रहा और तत्पश्चात सहायक विधि सलाहकार के अधीन एक कनिष्ठ हिदी अनुवादक की सहायता से कार्य कर रहा है। प्रत्येक शुक्रवार को 'हिंदी 'दिवस' के रूप में मनाए जाने का निश्चय किया गया है। अप्रैल, 2017 से दिसंबर, 2017 के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों और हिंदी कार्यशालाओं का नियमित रूप से आयोजन किया गया है। केन्द्रीय हिंदी शिक्षण योजना के अधीन कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण के लिए नियमित रूप से नामित किया जाता है। संदर्भ सामग्री तैयार की गई है और इसे हिंदी में कार्य करने के लिए अनुभागों में वितरित किया गया है। इस शाखा सचिवालय में सितंबर, 2017 में पूरे उत्साह के साथ 'हिंदी दिवस' मनाया गया, जिसके दौरान अन्य प्रतियोगिताओं के साथ–साथ 'मुहावरे और वाक्यांशों' पर एक नई प्रतियोगिता आयोजित की गई। अपेक्षित रिपोर्टें नियमित आधार पर निर्धारित प्रपत्र में मुख्य सचिवालय को भेजी जाती है। इसके अलावा, अधिकारियों ने कोलकाता में केंद्र सरकार के अन्य कार्यालयों में आयोजित विविध कार्यक्रमों में भाग लिया। अब तक कुल अधिकारियों/कर्मचारियों में से 65% ने हिंदी शिक्षण योजना के अधीन हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अनुमान है कि वर्ष 2019 तक सभी कर्मचारी ऐसे पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण को पूरा कर लेंगे।

11. शाखा सचिवालय, कोलकाता में एन.आई.सी. द्वारा उपलब्ध विभिन्न सॉफ्टवेयरों का प्रयोग कर विभिन्न लेखा और बजट संबंधी कार्य ऑनलाइन किया जा रहा है। साथ ही, यहां एन.आई.सी. द्वारा विकसित पी.एफ.एम.एस. पोर्टल आधारित भुगतान प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है। कर्मचारियों, सरकारी काउंसेलों और अन्य सेवा प्रदाताओं को ऑनलाइन भुगतान किया जा रहा है। इसके साथ–साथ, स्रोत पर काटे गए आयकर के तिमाही रिटर्न को इलैक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में तैयार किया जा रहा है और फ्लॉपियों/सीडी के रूप में टी.आई.एन. सूचना सुविधा केंद्र के द्वारा आयकर विभाग को प्रस्तुत किया जा रहा है। आयकर प्राधिकरण द्वारा एक नए फॉर्मेट अर्थात् फॉर्म 24–जी शुरु किया गया है जिसे स्रोत पर कर काटे जाने के अगले महीने की 10 तारीख तक इस कार्यालय द्वारा भर कर इलैक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जमा किया जाना होता है। वेतन और लेखा कार्यालय को आवधिक रिपोर्ट सीधे ऑनलाइन भेजी जाती है। इसके अतिरिक्त सरकारी क्वार्टरों की लाइसेंस फीस के भुगतान की जानकारी भी सम्पदा निदेशालय को ऑनलाइन भेजनी होती है। वस्तुओं और स्टेशनरी की प्राप्ति के लिए सरकार की ई–प्रोक्योरमेंट वेबसाइट https://gem-gov-in का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है। पेंशन के नए मामलों को 'भविष्य' ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से निपटाया जा रहा है।

12. शाखा सचिवालय, कोलकाता के प्रत्येक अनुभाग अधिकारी के कक्ष में लोकल एरिया नेटवर्क मुहैया कराया गया है। अब लगभग सभी कंप्यूटरों में इंटरनेट सुविधा है। भारत संचार निगम लिमिटेड से एक 'लीज़्ड लाइन' ई–ऑफिस के कार्यान्वयन के लिए प्राप्त की जा रही है।

13. सहायक विधि सलाहकार के पर्यवेक्षण में, शाखा सचिवालय, कोलकाता पुस्तकालय में 9800 से ज्यादा पुस्तकें और जर्नल हैं। यह मुकदमा कार्य और सलाह के लिए बहुत मददगार है। काउंसेलों द्वारा मुकदमों के संचालन के लिए इन जर्नलों/ पुस्तकों का उपयोग किया जा रहा है। इस शाखा सचिवालय द्वारा ऑनलाइन विधि पुस्तकालय 'मनुपात्र' और सीडीजे लॉ जर्नल की सुविधा भी मुहैया कराई गई है।

14. शाखा सचिवालय, कोलकाता के कर्मचारियों के लिए एक बायोमीट्रिक हाजिरी व्यवस्था दिनांक 12 अप्रैल, 2011 से शुरु है। इसके अलावा, आधार आधारित बायोमीट्रिक हाजिरी व्यवस्था भी इस शाखा सचिवालय में सफलतापूर्वक शुरु की गई है।

15. शाखा सचिवालय कोलकाता में एन.आई.सी. द्वारा विकसित 'लिम्ब्स' सॉफ्टवेयर को भी प्रयोग में लाया जा रहा है। मुकदमा अनुभाग द्वारा विधि मंत्रालय से संबंधित मामलों को विधिवत अद्यतन किया जाता है। यह साफ्टवेयर मुकदमों को मॉनीटर करने में और मुकदमेबाजी की लागत कम करने में बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहा है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि कागजी कार्य को कम करने व मुकदमों के संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए शाखा सचिवालय, कोलकाता ने उच्च न्यायालयों से संबंधित वर्ष 2005 के और उसके बाद के मामलों की सूची को विभिन्न अनुभागों में उपलब्ध कंप्यूटरों में डाला है।

16. शाखा सचिवालय, कोलकाता में दिनांक 21 जून, 2017 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया।

17. शाखा सचिवालय, कोलकाता की पिछली लेखा–परीक्षा लेखा परीक्षा महानिदेशकः केन्द्रीय, कोलकाता के कार्यालय के लेखा–परीक्षा दल द्वारा दिनांक 13.05.2015 से 21.05.2015 तक की गई थी।लेखा–परीक्षा दल द्वारा लेखों के आवधिक निरीक्षण के क्रम में तीन लेखा आपत्तियां की गई थीं। इस संबंध में कार्रवाई की जा चुकी है और ऐसी दो आपत्तियों को लेखा कार्यालय द्वारा छोड़ दिया गया है और एकमात्र आपत्ति की स्थिति का सत्यापन अगली लेखा–परीक्षा द्वारा किया जाएगा।

18. शाखा सचिवालय, कोलकाता में 'स्वच्छ भारत अभियान' के तहत स्वच्छता अभियान एक नियमित प्रकिया के तौर पर चल रहा है। 'स्वच्छता अभियान के पर्यवेक्षण तथा पुराने अभिलेखों की छटाई करने के लिए सहायक विधि सलाहकार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। दिनांक 1 से 15 अप्रैल, 2017 तक 'स्वच्छता पखवाड़ा' मनाया गया। सफाई कर्मचारी के ग्रेड में रिक्ति होने के कारण साफ–सफाई बनाए रखने और कार्यालय परिसरों की स्वच्छता के लिए मै0 सुलभ इंटरनेशनल के जरिए प्रबंध किया गया है। इस शाखा सचिवालय ने पणधारकों को इष्टतम प्रभावी सेवाएं प्रदान करने पर तथा स्वच्छता पर जन जागरूकता के लिए सेमिनार आयोजित किए। शाखा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के सतत प्रयासों के कारण इस शाखा सचिवालय को स्वच्छ और सुंदर रूप मिला है।

शाखा सचिवालय, मुंबई

वर्तमान में, विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग के मुंबई स्थित शाखा सचिवालय के प्रधान एक वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता हैं। उनके साथ वहां दो अपर सरकारी अधिवक्ता, दो सहायक विधि सलाहकार, एक अधीक्षक (विधि), और अन्य कर्मचारी हैं। शाखा सचिवालय के कामकाज, कर्तव्यों, संगठन आदि के बारे में निम्न पैरा में दर्शाया गया हैः–

संगठनः– जहां तक मुंबई शाखा सचिवालय के कार्य का संबंध है, इसमें विधिक सलाह देना, बंबई उच्च न्यायालय से संबंधित मुकदमा कार्य की देखरेख, संपूर्ण पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों जिनमें महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश,

राजस्थान, गुजरात और गोवा के अंतर्गत आने वाले अन्य अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित मुकदमा कार्य की देखरेख और शाखा सचिवालय का प्रशासनिक कार्य शामिल है।

शाखा सचिवालय, मुंबई के प्रभारी अधिकारी वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता हैं। वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता को शाखा सचिवालय के प्रशासनिक, मुकदमा और सलाह के मामलों की देखरेख करने में दो अपर सरकारी अधिवक्ता, दो सहायक विधि सलाहकार(तदर्थ) और एक अधीक्षक (विधि) सहायता देते हैं। सहायक अनुभाग अधिकारी प्रशासनिक मामलों और लेखा के काम की देखरेख में वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता की मदद करते हैं।

इसके अतिरिक्त, शाखा सचिवालय, मुम्बई के कार्य के सुचारू संचालन के लिए उसे अलग–अलग अनुभागों में विभाजित किया गया है अर्थात सलाह अनुभाग, विविध आरंभिक शाखा मुकदमा अनुभाग, जिसमें विविध आरंभिक शाखा मुकदमा, माध्यस्थम, वाद, भूमि अधिग्रहण संबंधी निर्देश, कंपनी मामले और फेरा/फेमा/डीजीएफटी से संबंधित मामलों के आरंभिक शाखा व शाखा के मुकदमे शामिल हैं तथा अपीलीय शाखा मुकदमा अनुभाग, जिसमें दंड विधि से संबंधित मामलों पर कार्रवाई की जाती है। इस शाखा सचिवालय में प्रत्येक अनुभाग के प्रमुख एक वरिष्ठ अधिकारी हैं और उनकी सहायता एक अन्य अधिकारी करते हैं।

कर्तव्यों का निर्वहन करने में अधिकारियों की सहायता के लिए दो सहायक (विधि), तीन सहायक अनुभाग अधिकारी(सीसीएस), एक प्रधान निजी सचिव, पांच वैयक्तिक सहायक, पांच वरिष्ठ कोर्ट क्लर्क ग्रेड–।, तीन वरिष्ठ कोर्ट क्लर्क ग्रेड–।। और दो कोर्ट क्लर्क हैं।

कृत्य और कर्तव्यः– विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, शाखा सचिवालय, मुंबई केंद्रीय सरकार के विभिन्न विभागों/मंत्रालयों से निर्देश प्राप्त होने पर विभिन्न विधिक मामलों पर विधिक सलाह देता है और बंबई उच्च न्यायालय, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, अन्य अधिकरणों और संपूर्ण पश्चिमी क्षेत्र के सभी अधीनस्थ न्यायालयों में केंद्रीय सरकार के मुकदमा कार्य का संचालन करता है। यह संपूर्ण कार्य प्रभारी/वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता के मार्ग–निर्देशन में इस शाखा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। शाखा सचिवालय विधि सचिव से मार्गदर्शन प्राप्त करता है।

विधिक सलाहः भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से विधिक सलाह के लिए प्राप्त निर्देशों की सबसे पहले अधीक्षक (विधि) द्वारा जांच की जाती है और तत्पश्चात उन्हें वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता/ प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है जो इन मामलों को कार्य के वितरण/आबंटन के अनुसार वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता ,अपर सरकारी अधिवक्ता, सहायक विधि सलाहकार को कार्रवाई के लिए देते हैं। यदि जरूरी हुआ तो, सलाह के मामले भारत के अपर महासालिसिटर की विशेषज्ञ राय प्राप्त करने के लिए भी भेजे जाते हैं।

जहां तक चालू वर्ष का संबंध है, इस शाखा सचिवालय को सलाह के लिए 2513 मामले प्राप्त हुए हैं और शाखा सचिवालय ने लगभग सभी मामलों का निपटान कर दिया है और आज की तारीख में कोई भी मामला लंबित नहीं है।

मुकदमाः इस शाखा सचिवालय के मुकदमा कार्य के प्रधान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता हैं। उनकी सहायता के लिए अपर सरकारी अधिवक्ता, सहायक विधि सलाहकार और अधीक्षक (विधि) हैं, जो बंबई उच्च न्यायालय में भारत सरकार द्वारा या उसके विरूद्ध दायर मुकदमों की देखरेख करने के काम में उनकी मदद करते हैं। इसके साथ ही, इस शाखा सचिवालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में मुकदमा कार्य की देखरेख भी की जाती है। जहां भी आवश्यक होता है, मुकदमा कार्य का संचालन बम्बई उच्च न्यायालय के लिए उसकी साधारण

प्रारंभिक सिविल अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता और दांडिक अधिकारिता में भारत सरकार के पैनल पर रखे गए/नियुक्त अधिवक्ताओं/काउंसेलों के और विभिन्न न्यायालयों के समक्ष उपसंजात होने के लिए विभिन्न पैनलों पर रखे गए अन्य काउंसेलों के माध्यम से किया जाता है।

जहां तक चालू वर्ष का संबंध है, इस शाखा सचिवालय में विभिन्न मुकदमों से संबंधित लगभग 1135 मामले प्राप्त हुए हैं। भारत सरकार के हितों की रक्षा करने के लिए विभिन्न केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से काउंसेल नियुक्त किए गए और उच्च न्यायालय के समक्ष मुकदमों के लगभग 696 मामले निपटाए गए हैं।

प्रशासनः शाखा सचिवालय, मुम्बई के प्रशासन के प्रमुख/प्रभारी वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता हैं। शाखा सचिवालय के दिन–प्रतिदिन के प्रशासनिक मामलों की देखरेख हेतु उनकी सहायता के लिए एक सहायक अनुभाग अधिकारी और आहरण एवं संवितरण अधिकारी है। तथापि, दिनांक 27.1.2017 से अनुभाग अधिकारी का पद रिक्त है।

राजभाषाः इस शाखा सचिवालय के प्रभारी अधिकारी वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता 'विभागीय राजभाषा अधिकारी' के रूप में भी कार्य करते हैं और उनके द्वारा नामित अन्य अधिकारी शाखा सचिवालय में राजभाषा की उन्नति और अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए कार्य करते हैं।शाखा सचिवालय में गठित राजभाषा समिति के सदस्यों के नाम निम्नलिखित हैंः–

1.	श्री पंकज कपूर, वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता	अध्यक्ष
2.	श्री ए.ए.अंसारी, अपर सरकारी अधिवक्ता	कार्यकारी अध्यक्ष
3.	श्री विनय कुमार मिश्र, सहायक विधि	समन्वयक
4.	श्री अनूप कुमार, सहायक (विधि)	कार्यकारी सदस्य
5.	श्रीमती उषा वी.सैलिअन, वैयक्तिक सहायक	कार्यकारी सदस्य
6.	श्रीमती वैशाली कर्माले, एमटीएस	कार्यकारी सदस्य

उपर्युक्त समिति प्रभारी अधिकारी को आवधिक रिपोर्टें प्रस्तुत करती है।

शाखा सचिवालय, चेन्नै

चेन्नै स्थित शाखा सचिवालय के प्रधान एक उप विधि सलाहकार हैं।

सलाहः यह शाखा सचिवालय, तमिलनाडु, केरल राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी में स्थित केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों को विधिक सलाह देता है। दिनांक 1–4–2017 से 31–12–2017 तक की अवधि के दौरान, सलाह के लिए लगभग 884 निर्देश प्राप्त हुए और निपटाए गए। चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 की शेष अवधि के दौरान सलाह के लिए लगभग 350 निर्देश और प्राप्त होने की संभावना है।

मुकदमा कार्य : – शाखा सचिवालय, चेन्नै मद्रास उच्च न्यायालय और उसके मदुरै पीठ और केरल उच्च न्यायालय में केंद्रीय सरकार के सम्पूर्ण मुकदमा कार्य (रेल, दूरसंचार, आयकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और

सीमा शुल्क आदि के मामलों को छोड़कर) की देखरेख करता है। यह तमिलनाडु और केरल में नगर सिविल न्यायालयों, लघु वाद प्रेसिडेंसी न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालयों, अधिकरणों, उपभोक्ता फोरमों आदि में भी केंद्रीय सरकार के मुकदमा कार्य की देखरेख करता है। इसके अलावा, शाखा सचिवालय, चेन्नै को चेन्नै स्थित केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के मद्रास पीठ और केरल में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के एर्नाकुलम पीठ के समक्ष केंद्रीय सरकार का मुकदमा कार्य भी सौंपा गया है।

दिनांक 1.4.2017 से 31.12.2017 की अवधि के दौरान मुकदमों के लगभग 7777 मामले प्राप्त हुए और उनका निपटान किया गया, जिनके अंतर्गत उच्च न्यायालय/सीएटी/एलसी आदि की आवतियां, फीस बिल और खोली गई फाइलें भी शामिल हैं तथा चालू वित्त वर्ष 2017–2018 की शेष अवधि के दौरान मुकदमों से संबंधित लगभग 1500 और मामले प्राप्त होने का अनुमान है।

शाखा सचिवालय केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों को उनके मामलों की महत्वपूर्ण गतिविधियों और मुकदमों के परिणामों से अवगत रखता है और यदि आवश्यक हुआ तो आगे के लिए उपयुक्त सलाह भी देता है। तमिलनाडु और केरल में न्यायालयों/अधिकरणों/उपभोक्ता मंचों/माध्यस्थम मामलों में फाइल किए जाने वाले अभिवचनों, शपथ पत्रों आदि की जांच की जाती है और मसौदे के चरण में उनकी विधीक्षा की जाती है। शाखा सचिवालय, चेन्नै के कार्यों में, काउंसेलों का नामांकन/नियोजन करना और केंद्रीय सरकार के संबंधित विभागों से मामले से संबंधित सामग्री एकत्र करना तथा उसे काउंसेल को सौंपने से पूर्व दस्तावेजों की कानूनी दृष्टि से आवश्यक जांच करना भी शामिल है।

काउंसेलों के फीस बिल : यह शाखा सचिवालय मद्रास उच्च न्यायालय और उसके मदुरै पीठ के मामलों में भारत के अपर महासालिसिटर, सहायक महासालिसिटर, ज्येष्ठ पैनल काउंसेल और केन्द्रीय सरकार के स्थायी काउंसेलों को सीधे अपनी केन्द्रीयकृत निधि में से स्वयं फीस का संदाय करता है। विभिन्न जिलों के स्थायी सरकारी काउंसेल के लिए प्रतिधारण शुल्क का भुगतान शाखा सचिवालय द्वारा किया जाता है (जून, 2016 से जनवरी, 2017 की अवधि के लिए वास्तविक भुगतान फरवरी, 2017 में किया गया था)। केन्द्रीय सरकार के काउंसेलों के केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष उपसंजात होने के फीस के बिलों की जांच की जाती है और उन्हें प्रमाणित करने के पश्चात संदाय के लिए संबंधित विभागों को भेज दिया जाता है।

प्रकीर्ण : रिपोर्ट की अवधि के दौरान, सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन विभिन्न आवेदन, अपीलें और मुकदमों के संबंध में अन्य पत्र/निर्देश आदि भी प्राप्त हुए और उनका निपटान किया गया।

शाखा सचिवालय में कर्मचारी की संख्या निम्नलिखित है:–

शाखा सचिवालय, चेन्नै में 06 महिला कर्मचारी और 11 पुरूष कर्मचारी कार्यरत हैं।

निम्नलिखित प्रवर्गों के कर्मचारियों के आंकड़े:–

सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों के अलावा विभिन्न प्रवर्गों के 08 कर्मचारी हैं, अर्थात अनुसूचित जाति–04, अनुसूचित जनजाति– 01, पूर्व सैनिक/अन्य पिछड़ा वर्ग–03।

शाखा सचिवालय, बंगलूरू

शाखा सचिवालय, बंगलूरू की अधिकारिता के अंतर्गत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में स्थित केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के मुकदमों का संचालन करना और उन्हें सलाह देना है। शाखा सचिवालय, बंगलूरू के प्रधान एक उप विधि सलाहकार हैं।

सलाह : शाखा सचिवालय, बंगलूरू, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में स्थित केंद्रीय सरकार के सभी विभागों और कार्यालयों को विधिक सलाह देता है। चालू वर्ष अर्थात् 2017–2018 के दौरान सलाह के लिए लगभग 665 निर्देश प्राप्त हुए और उन सभी का निपटान दिनांक 12.12.2017 तक कर दिया गया। सलाह कार्य में, उच्च न्यायालयों, अर्थात् कर्नाटक उच्च न्यायालय, बंगलूरू तथा कर्नाटक उच्च न्यायालय के धारवाड़ और गुलबर्ग स्थित सर्किट पीठों तथा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल किए जाने वाले अभिवचनों, अर्थात् आक्षेपों के विवरणों, प्रति शपथपत्रों, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष फाइल किए जाने वाले उत्तर के विवरणों, जिला न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों तथा विभिन्न अन्य अधिकरणों के समक्ष फाइल किए जाने वाले लिखित विवरणों, प्रति–शपथपत्रों, प्रति–विवरणों और उनके विभिन्न पाठों की जांच और उनकी विधीक्षा करना शामिल है।

इसके अतिरिक्त, विशेष अनुमति याचिका, अपील, पुनर्विलोकन आदि फाइल करने की व्यवहार्यता की जांच करना, विभागों को, उनकी कार्रवाइयों की कानूनी मजबूती के संबंध में मार्गदर्शन करते हुए विधियों का निर्वचन करना और जब कभी आवश्यक हो, प्रशासनिक विभागों के साथ विचार–विमर्श करना आदि कार्य किए जाते हैं।

मुकदमा कार्यः यह शाखा सचिवालय, कर्नाटक उच्च न्यायालय, बंगलूरु में और उसके धारवाड़ व गुलबर्ग स्थित सर्किट पीठों में और आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में तथा बंगलूरू नगर, हैदराबाद व सिकन्दराबाद में अधीनस्थ न्यायालयों और दोनों राज्यों के केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में केंद्रीय सरकार के विभागों और कार्यालयों के संपूर्ण मुकदमा संबंधी कार्य का पर्यवेक्षण करता है। यह शाखा सचिवालय दोनों राज्यों के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरमों और राज्य उपभोक्ता प्रतितोष आयोगों, केंद्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण और ऋण वसूली अधिकरण में सरकारी मुकदमों का कार्य भी देखता है। चालू वर्ष 2017–18 के दौरान (दिनांक 12.12.2017 तक), मुकदमों से संबंधित लगभग 8797 मामले प्राप्त हुए, जिनमें काउंसेलों के नामनिर्देशन, काउंसेलों के फीस बिल और मुकदमों से संबंधित सामान्य पत्राचार शामिल है। इस संबंध में शाखा सचिवालय द्वारा किए गए कार्यों में काउंसेलों की नियुक्ति/नामनिर्देशन करना तथा उनके बीच मुकदमों का वितरण करना शामिल है।

काउंसेलों के फीस के बिलः यह शाखा सचिवालय काउंसेलों के फीस के बिलों पर स्वयं कार्रवाई करता है और कर्नाटक उच्च न्यायालय, बंगलूरु में भारत के सहायक महासालिसिटर और केंद्रीय सरकारी काउंसेल को अपनी केंद्रीकृत निधि से सीधे फीस का भुगतान करता है। जहां तक कर्नाटक उच्च न्यायालय के धारवाड़ और गुलबर्ग के सर्किट पीठों का संबंध है, काउंसेल की फीस शाखा सचिवालय, बंगलूरू द्वारा नहीं बल्कि उस विभाग द्वारा वहन की जाती है, जिसकी ओर से मुकदमे का संचालन किया जाता है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में केंद्रीय सरकारी पैनल कांउसेलों की फीस का भुगतान संबंधित विभाग करते हैं। अतः यह शाखा सचिवालय काउंसेलों की फीस के बिलों को प्रमाणित नहीं कर रहा है। तथापि, इस संबंध में जब भी कोई संदेह उठता है, तो इस मंत्रालय द्वारा उसका स्पष्टीकरण किया जाता है।

भारत के अपर महासालिसिटर के कार्यालय की स्थापनाः

भारत सरकार ने श्री के.एम. नटराज, वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री प्रभुलिंग के. नवादगी, वरिष्ठ अधिवक्ता को दिनांक 8 अप्रैल, 2015 से तीन वर्ष की अवधि के लिए क्रमशः दक्षिणी जोन के लिए और कर्नाटक उच्च न्यायालय में भारत के अपर महासालिसिटर के पद पर नियुक्त किया है, जिनका मुख्यालय बंगलूरू है।

लेखा–परीक्षा पैराः शाखा सचिवालय, बंगलूरू के संबंध में कोई लेखा–परीक्षा पैरा लंबित नहीं है।

भारत का विधि आयोग

भारत के विधि आयोग का गठन हर तीन साल में होता है। वर्तमान 21वें विधि आयोग का गठन दिनांक 1 सितंबर, 2015 को हुआ था और यह दिनांक 31 अगस्त, 2018 तक रहेगा। 21वें विधि आयोग में एक अध्यक्ष, दो पूर्णकालिक सदस्य, एक सदस्य–सचिव, दो पदेन सदस्य और तीन अंशकालिक सदस्य हैं। विधि आयोग में भारतीय विधि सेवा के विधि अधिकारी शामिल हैं, कुछ सलाहकार हैं, जो विधि शोध का अनुभव रखते हैं। प्रशासन की देखरेख के लिए एक छोटा सचिवीय स्टाफ है।

विचारार्थ विषय

2. 21वें विधि आयोग को सौंपे गए विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं–

क. अप्रचलित विधियों का पुनर्विलोकन/निरसन :

(i) ऐसी विधियों की पहचान करना जो अब आवश्यक या प्रासंगिक नहीं रह गई हैं और जिन्हें तत्काल निरसित किया जा सकता है।

(ii) ऐसी विधियों की पहचान करना जो आर्थिक उदारीकरण के विद्यमान परिवेश के सामंजस्य में नहीं हैं और जिनमें परिवर्तन की आवश्यकता है।

(iii) ऐसी विधियों की पहचान करना जिनमें परिवर्तन या संशोधन अपेक्षित हैं और उनके संशोधन के लिए सुझाव देना।

(iv) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के विशेषज्ञ समूहों द्वारा दिए गए पुनरीक्षण/ संशोधन के सुझावों पर, उनके समन्वयन और सामंजस्यकरण की दृष्टि से व्यापक परिप्रेक्ष्य में विचार करना।

(v) एक से अधिक मंत्रालयों/ विभागों के कार्यकरण पर प्रभाव डालने वाले विधान की बाबत मंत्रालयों/विभागों द्वारा विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के माध्यम से किए गए निर्देशों पर विचार करना।

(vi) विधि के क्षेत्र में नागरिकों की शिकायतों को शीघ्र दूर करने के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव देना।

ख. विधि और निर्धनता :

(i) ऐसी विधियों की जांच करना जो निर्धनों पर प्रभाव डालती हैं और सामाजिक – आर्थिक विधानों के लिए पश्च–संपरीक्षा करना।

(ii) ऐसे सभी उपाय करना जो निर्धनों की सेवा में विधि और विधिक प्रक्रिया को उपयोग में लाने के लिए आवश्यक हों।

ग. यह सुनिश्चित करने के लिए न्याय प्रशासन की पद्धति का पुनर्विलोकन करते रहना कि वह समय की उचित मांगों के लिए प्रभावी बनी रहे और विशेष रूप से, निम्नलिखित को सुनिश्चित करना :–

(i) विलंब को दूर करना, बकाया मामलों का शीघ्र निपटान करना और खर्च में कमी करना ताकि इस आधारभूत सिद्धांत कि विनिश्चय न्यायपूर्ण और निष्पक्ष होने चाहिए पर प्रभाव डाले बिना, मामलों का शीघ्र और मितव्ययी निपटान सुनिश्चित किया जा सके।

(ii) विलंबकारी युक्तियों और तकनीकी जटिलताओं को दूर करने या कम करने के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण करना, जिससे वह स्वयं में साध्य बनकर न रह जाए बल्कि न्याय की प्राप्ति में एक साधन के रूप में प्रयुक्त हो।

(iii) न्याय प्रशासन से संबद्ध सभी मानदंडों में सुधार।

घ. विद्यमान विधियों की राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के आलोक में परीक्षा करना और उनमें सुधार तथा उन्नति के तरीकों का सुझाव देना और ऐसे विधानों का सुझाव भी देना जो निदेशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए और संविधान की उद्देशिका में वर्णित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हों।

ङ लैंगिक समानता के संवर्धन की दृष्टि से विद्यमान विधियों की परीक्षा करना और उनमें संशोधनों के लिए सुझाव देना।

च. सार्वजनिक महत्व के केन्द्रीय अधिनियमों का पुनरीक्षण करना जिससे उन्हें सरल बनाया जा सके और उनकी विसंगतियों, संदिग्धताओं तथा असमानताओं को दूर किया जा सके।

छ. अप्रचलित विधियों और ऐसी अधिनियमितियों या उनके ऐसे भागों को, जिनकी उपयोगिता नहीं रह गई है, निरसित करके कानून को अद्यतन करने के उपायों की सरकार को सिफारिश करना।

ज. विधि और न्याय प्रशासन से संबंधित ऐसे किसी भी विषय पर, जो विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) के माध्यम से सरकार द्वारा उसे निर्देशित किया जाए, विचार करना और अपने अभिमत से सरकार को अवगत कराना।

झ. अनुसंधान प्रदान करने के लिए विदेशों से प्राप्त अनुरोधों पर, जो उसे सरकार द्वारा विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) के माध्यम से भजे गए हों, पर विचार करना।

ञ. खाद्य सुरक्षा, बेरोजगारी पर वैश्वीकरण के प्रभाव की जांच करना और गरीबों के हितों की रक्षा के लिए उपायों की सिफारिश करना।

छात्रों को प्रोत्साहन

3. विधि के शासन की स्थापना और उसके लिए विधि की बेहतर समझ हेतु विधि के छात्रों में विधि के अनुसंधान और विधि में सुधार की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिए विधि आयोग द्वारा इंटर्नशिप कार्यक्रम संचालित किया जाता है।

4. विधि आयोग स्वैच्छिक इंटर्नशिप कार्यक्रम, ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम, शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम और मध्यावधि इंटर्नशिप कार्यक्रम संचालित करता है। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम सेमेस्टर ब्रेक के दौरान संचालित किए जाते हैं जबकि मध्यावधि इंटर्नशिप कार्यक्रम एक खुला कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से इच्छुक छात्रों को वर्ष के दौरान किसी भी समय आयोग के साथ इंटर्नशिप करने का अवसर दिया जाता है।

उद्देश्य और उपलब्धियां :–

5. भारत के विधि आयोग ने अब तक विभिन्न विषयों पर 273 रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। भारत के 21वें विधि आयोग ने विधि कार्य विभाग, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्देश पर विभिन्न विषयों का अध्ययन किया है और अब तक राष्ट्रीय वाद नीति, 2016 के मसौदे पर रिपोर्ट सहित 12 रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं।

6. 21वें विधि आयोग ने अब तक निम्नलिखित रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं :– बाल संरक्षण (अंतर–देशीय अपसारण और प्रतिधारण) विधेयक, 2016, दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2017 (खाद्य अपमिश्रण संबंधी उपबंध), 'अवयस्क' के भरण–पोषण धन से उद्भूत आय को छूट देने की प्रत्याशाएं, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (विधिक वृतति का विनियमन), घृणापूर्ण भाषण, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में संशोधन (जमानत संबंधी उपबंध), अंडे देने वाली मुर्गियों (लेयरों) और ब्रोयलर चिकन का परिवहन और रखरखाव, विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण, मानव डी.एन.ए. प्रोफाइल– डी.एन.ए आधारित तकनीक के उपयोग और विनियमन के लिए प्रारूप विधेयक, राष्ट्रीय वाद नीति, 2016 की जांच, भारत में अधिकरणों के सांविधिक ढांचे का मूल्यांकन, विधान के जरिए 'यंत्रणा और अन्य क्रूर, अमानवीय और अवमानजनक व्यवहार या दंड के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र के कंवेंशन' का कार्यान्वयन।

7. विधि आयोग ने नीति आयोग के साथ समन्वय से दिनांक 25–26 नवंबर, 2017 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राष्ट्रीय विधि दिवस समारोह का आयोजन किया। विधि दिवस समारोह, 2017 का केन्द्रीय विषय 'विकासशील राष्ट्र के लिए समावेशन और सबके विकास व सबको न्याय के आधार पर राज्य के तीनों स्कंधों, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच तालमेल' था।

8. विधि आयोग के विचाराधीन कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं इस प्रकार हैं, जिनमें 'सट्टे और जुए के नियमितीकरण' से संबंधित मुद्दे, बीसीसीआई को आर.टी.आई के अधीन लाना, एक समान सिविल कोड

से संबंधित मामलों की जांच संबंधी प्रस्ताव', आपराधिक न्याय प्रणाली की व्यापक समीक्षा' और 'मानव निर्मित आपदा' शामिल हैं।

भारतीय विधि संस्थान (आईएलआई)

प्रस्तावनाः भारतीय विधि संस्थान एक प्रमुख विधि अनुसंधान संस्थान है, जिसकी स्थापना दिनांक 27 दिसंबर, 1956 को हुई थी। संस्थान का मुख्य उद्देश्य विधि में उच्च अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देना और न्याय प्रशासन में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देना है ताकि विधि और उसके तंत्र के जरिए लोगों की सामाजिक–आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। इस संस्थान को वर्ष 2004 में मानित विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। संस्थान ने मार्च, 2017 में राष्ट्रीय आकलन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) से 4.00 अंकों के पैमाने पर 3.35 का सीजीपीए हासिल करके 'ए' ग्रेड सहित अपनी पहली मान्यता प्राप्त की। यह संस्थान विधि में मास्टर डिग्री और डॉक्टर के पाठ्यक्रमों सहित विधि के विभिन्न क्षेत्रों में, अर्थात वैकल्पिक विवाद समाधान, कारपोरेट विधि और प्रबंधन, साइबर विधि और बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार जैसे विषयों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहा है।

अकादमिक कार्यक्रमः वर्ष 2004 में मानित विश्वविद्यालय घोषित किए जाने के पश्चात, इस संस्थान ने शोधपरक एलएल.एम कार्यक्रम शुरू किया। इस एलएल.एम. कार्यक्रम में दाखिला पूर्णतः योग्यता के आधार पर होता है, जो प्रत्येक वर्ष आयोजित एक सामान्य प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार के जरिये होता है। वर्तमान में, संस्थान द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं:

कार्यक्रम	अकादमिक सत्र, 2017–2018 में दाखिल छात्रों की संख्या
एल.एल.एम.– 1 वर्ष (पूर्णकालिक)	28
स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (वैकलपिक विवाद समाधान, कारपोरेट विधि और प्रबंधन, साइबर विधि और बौद्धिक सम्पतति अधिकार विधि)	303
विधि में पीएच.डी.	07
छात्रों की कुल संख्या	338

संस्थान में एक पी.एच.डी. कार्यक्रम है, जिसमें इस समय 21 छात्र नामांकित हैं।

यह संस्थान बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार और साइबर विधि में तीन माह की अवधि के ऑन–लाइन ई–लर्निंग प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम भी चलाता है।

जारी किए गए शोध–प्रकाशनः रिपोर्ट की अवधि के दौरान संस्थान द्वारा निम्नलिखित शोध प्रकाशन जारी किए गए :

- **जर्नल ऑफ द इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट (जेआईएलआई):** यह भारतीय विधि संस्थान का त्रैमासिक जर्नल है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय महत्व के सामयिक विषयों पर शोध आलेख प्रकाशित किए जाते हैं।

- **भारतीय विधि का वार्षिक सर्वेक्षणः** भारतीय विधि संस्थान हर वर्ष एक बहुत प्रतिष्ठापूर्ण प्रकाशनः "भारतीय विधि का वार्षिक सर्वेक्षण" करता है जिसमें विधि की प्रत्येक शाखा की नवीनतम प्रवृतियां प्रस्तुत की जाती हैं।
- **आई0एल0आई0 न्यूजलैटरः** यह संस्थान का त्रैमासिक प्रकाशन है और इसमें संस्थान के सदस्यों/विधिक बिरादरी के लाभ के लिए संस्थान की सभी गतिविधियों की जानकारी और उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण फैसलों के नेल स्कैच नियमित रूप से प्रकाशित किए जाते हैं।
- **विधि की पत्रिकाओं की अनुक्रमणिकाः** यह संस्थान का वार्षिक प्रकाशन है, जिसमें आईएलआई पुस्तकालय को प्राप्त हो रही विधि और संबंधित क्षेत्रों की पत्रिकाओं (इयर बुकों और अन्य वार्षिक प्रकाशनों सहित) की अनुक्रमणिकाएं प्रकाशित की जाती हैं।

प्रकाशित पुस्तकें

- लीगल रिसर्च मेथडोलोजी
- कॉपीराइट लॉ इन डिजिटल वर्ल्डः चैलेन्जेज़ एंड अपोर्च्यूनिटिस
- इनवायरनमेंट लॉ एंड इनफोर्समेंटः द कंटेम्परेरी चैलेन्जेज़
- इमर्जिंग कंपटीशन लॉ

संगोष्ठियां/सम्मेलन/प्रशिक्षण/कार्यशालाएं/दौरे/विशेष व्याख्यानः

- **जमानत संबंधी मामलों पर न्यायिक परामर्श, दिनांक 21 जनवरी, 2017**

  भारत के विधि आयोग और भारतीय विधि संस्थान ने संयुक्त रूप से दिनांक 21 जनवरी, 2017 को 'जमानत संबंधी मामलों पर एक–दिवसीय न्यायिक परामर्श' का आयोजन किया। भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति डॉ. बी.एस. चौहान ने अध्यक्षीय भाषण दिया। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर ने उद्घाटन भाषण दिया।

- **'प्रतिस्पर्धा विधि और नीतिः समस्याएं और संभावनाएं' विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन, दिनांक 18–19 मार्च, 2017**

  भारतीय विधि संस्थान ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सहयोग से दिनांक 18–19 मार्च, 2017 को 'प्रतिस्पर्धा विधि और नीतिः समस्याएं और संभावनाएं' विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति डॉ. बी.एस. चौहान ने सम्मेलन का उद्घाटन किया।

- **'बौद्धिक संपत्ति अधिकार और लोकहित' विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन, दिनांक 7–8 अप्रैल, 2017**

  भारतीय विधि संस्थान ने दिनांक 7 और 8 अप्रैल, 2017 को 'बौद्धिक संपत्ति अधिकार और लोकहित' विषय पर दो–दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य लोकहित के

बरक्स बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के उभरते मुद्दों और प्रवृत्तियों पर देश भर के बुद्धिजीवियों के साथ विचारों का आदान–प्रदान करना था।

- **विधि और हिंसा पर संगोष्ठी पाठ्यक्रम, दिनांक 8–14 मई, 2017**

  संस्थान ने दिनांक 8 से 14 मई, 2017 तक 'विधिक सिद्धांत :– सभ्य समाज में हिंसा के औचित्य/अनौचित्य के प्रसंग' विषय पर एक सप्ताह के संगोष्ठी पाठ्यक्रम का आयोजन किया। पाठ्यक्रम में विशेष रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय और वार्विक विश्वविद्यालय, ब्रिटेन के विधि के प्रोफेसर (अवकाश प्राप्त) प्रो. उपेन्द्र बख्शी ने प्रतिभागियों के ज्ञान में वृद्धि की।

समीक्षाधीन अवधि में, भारतीय विधि संस्थान ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सहयोग से निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया:–

- दिनांक 23 जनवरी, 2017 को 'बाल सुधारगृह, वृद्धाश्रम, और स्वास्थ्य क्षेत्र' के लिए एक–दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- दिनांक 22 फरवरी, 2017 को मीडिया कर्मियों ओर सरकार के जनसंपर्क अधिकारियों के लिए एक–दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- दिनांक 20–21 मार्च, 2017 को जेल अधिकारियों के लिए दो–दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- दिनांक 25–26 मार्च, 2017 को न्यायिक अधिकारियों के लिए दो–दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।

म्यांमार के न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, दिनांक 22 से 29 जुलाई, 2017

भारतीय विधि संस्थान और विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने संयुक्त रूप से दिनांक 22 से 29 जुलाई, 2017 को म्यांमार के 23 न्यायिक अधिकारियों के लिए भारतीय विधि के विभिन्न पहलुओं जैसे कि तुलनात्मक संवैधानिक विधि, बौद्धिक संपत्ति अधिकार, साइबर विधि, शरणार्थी विषयक विधि और अंतरराष्ट्रीय दंड विधि पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में व्याख्यान देने वाले गणमान्य व्यक्तियों में म्यांमार के राजदूत महामहिम यू मोंग वाई और भारत सरकार के विधि सचिव श्री सुरेश चन्द्र शामिल थे।

आगामी गतिविधियां

(दिनांक 15.12.2017 से 31.03.2018 तक)

प्रकाशनः उपर्युक्त अवधि के दौरान निम्नलिखित अनुसंधान दस्तावेज प्रकाशित किए जाने का प्रस्ताव हैः–

- जर्नल ऑफ इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट (त्रैमासिक प्रकाशन)
- आई.एल.आई. न्यूजलैटर विद केस कमेंट्स एंड लीगल जाटिंग्स (त्रैमासिक प्रकाशन)
- भारतीय विधि का वार्षिक सर्वेक्षण – 2017
- विधि पत्रिकाओं की अनुक्रमणिका – 2017

निम्न विषयों पर नई पुस्तकें:

- पर्यावरण प्रदूषण का विधिक नियंत्रणः विद्यमान विधान का मूल्यांकन
- भारत में आतंकवाद, राजद्रोह और मानवाधिकार
- विधि, हिंसा और न्याय
- भारत में बौद्धिक संपत्ति और मानवाधिकार
- कापीराइट विधिः डिजिटल दुनिया में चुनौतियां
- धन शोधन विधिः भारत में मुद्दे और चुनौतियां
- 21वीं सदी के भारत में जल संबंधी विधि की बढ़ती भूमिकाः उपलब्धियां और चुनौतियां

संगोष्ठियां/सम्मेलन/प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं:

(i) संस्थान वित्तीय वर्ष 2017–18 की शेष अवधि में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सहयोग से जेल अधिकारियों/मीडिया कर्मियों और न्यायिक अधिकारियों के लिए एक दो–दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा।

(ii) कुछ और विशेष व्याख्यानों/भारतीय विधि संस्थान के संकाय सदस्यों/छात्रों के साथ विचार–विमर्श के आयोजन भी प्रस्तावित हैं।

भारतीय बार काउंसिल (बी.सी.आई.)

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन गठित भारतीय बार काउंसिल को अन्य बातों के साथ–साथ अधिवक्ताओं के लिए व्यावसायिक आचरण व शिष्टाचार के मानदंड निर्धारित करने तथा देश में विधि शिक्षा के मानदंड निर्धारित करने, उन्हें बनाए रखने तथा उनमें सुधार करने की शक्ति प्रदान की गई है। जबकि राज्य बार काउंसिलें अधिवक्ताओं के तौर पर नामांकन करने के लिए प्राधिकरण हैं, राज्य बार काउंसिलें और भारतीय बार काउंसिल मिलकर अधिवक्ताओं में अनुशासन का प्रवर्तन करती हैं। अनुशासनात्मक मामलों में भारतीय बार काउंसिल अपीलीय प्राधिकरण के तौर पर कार्य करती है।

2. भारतीय बार काउंसिल सदस्यों को परिचालित कार्यसूची के अनुसार नियमित अंतरालों पर बैठकें करती है। इन बैठकों में, काउंसिल धारा 26(1) के अधीन उन मामलों में निष्कासन की कार्यवाहियां भी करती है, जिनमें अन्यथा कथन अथवा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर किसी व्यक्ति का नामांकन किया गया होय और राज्य बार काउंसिलों से धारा 26(1) के अधीन प्राप्त ऐसे निर्देशों का निपटान भी करती है, जिनमें राज्य बार काउंसिल द्वारा किसी कारणवश नामांकन के आवेदन को रद्द करने का प्रस्ताव किया गया होता है तथा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 48(क) के अधीन उन मामलों में पुनरीक्षण याचिकाओं की सुनवाई और निर्णय भी करती है, जिन मामलों में अधिवक्ताओं के विरुद्ध व्यावसायिक अथवा अन्य कदाचार की शिकायतों को राज्य बार काउंसिल द्वारा सरसरी तौर पर खारिज कर दिया गया होता है।

व्यापार करने में आसानी :– संविदाओं का प्रवर्तन

'व्यापार करने में आसानी: संविदाओं के प्रवर्तन' के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:–

अंतरराष्ट्रीय सौजन्य में किसी देश की आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने के लिए वाणिजयिक और वित्तीय बाजारों की बड़ी भूमिका होती है। ऐसी आर्थिक गतिविधियों की वृद्धि के लिए, नियमों का एक ऐसा सरल ढांचा आवश्यक होता है, जो निवेशकों को प्रोत्साहित करे और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा दे। इसलिए, सरकार और संबद्ध संस्थाएं भारत को निवेश और व्यापार के लिए पसंदीदा स्थल बनाने के लिए व्यापार को सुकर बनाने वाले कानून और विनियमों को उच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। व्यापार के नियमों को सरल, पारदर्शी, त्वरित और प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा कई तरह के उपाय किए गए हैं जो कि भारत को निवेशकों के लिए दुनिया भर में पसंदीदा स्थलों में से एक बनाने में मदद कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि विधि और न्याय मंत्रालय, 'डूइंग बिजनेस रिपोर्ट' में भारत की रैंकिंग में सुधार करने में तिहरी भूमिका निभा रहा है, अर्थात् (i) विधायी भूमिका अर्थात् ऐसी विधियों को अधिनियमित करना जैसे कि वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग एवं वाणिज्यिक अपील प्रभाग अधिनियम, 2015 और माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 में वर्ष 2015 में किए गए संशोधन ताकि वाणिज्यिक विवादों का समाधान अधिक त्वरित और प्रभावी ढंग से हो सके। ऐसा निवेशकों को आश्वस्त करके कि उनके निवेश सुरक्षित हैं और यहां ऐसी कानूनी व्यवस्था है, जो ऐसे अवसरों पर उनके बचाव के लिए तुरंत आएगी उनके भरोसे को बढ़ावा देने के लिए भी किया गया है, (ii) प्रशासनिक भूमिका अर्थात् विधि के शासन के सुस्थापित सिद्धांतों के अनुरूप काम करने के लिए सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों का मार्गदर्शन करना तथा उन्हें विधिक सहायता प्रदान करनाय और (iii) पक्ष समर्थन, जिसमें सही समय पर और सही तरीके से पणधारकों के साथ विचार–विनिमय करना शामिल है, जिसके अभाव में व्यापार करने में आसानी के लिए किए गए विभिन्न उपायों का वांछित परिणाम नहीं मिलेगा।

माध्यस्थम तंत्र का सुदृढ़ीकरण

माध्यस्थम तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :–

केन्द्र सरकार ने अन्य बातों के साथ–साथ, माध्यस्थम प्रक्रिया को प्रयोक्ता–अनुकूल, किफायती और त्वरित बनाने के लिए माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा माध्यस्थम और वाणिजयिक अधिनियम, 1996 को संशोधित किया है। तथापि, संशोधन अधिनियम की प्रयोज्यता में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों को विधि कार्य विभाग के संज्ञान में लाया गया है। इसके अलावा, यह देखा गया कि देश में संस्थागत माध्यस्थम तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है। इस संबंध में, केन्द्र सरकार ने भारत में माध्यस्थम तंत्र को संस्थागत बनाए जाने की समीक्षा करने और उसके लिए प्रस्तावित सुधारों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में एक उच्च–स्तरीय समिति का गठन किया था। समिति ने दिनांक 30 जुलाई, 2017 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और अधिनियम में कुछ संशोधनों की सिफारिश की। विधि कार्य विभाग समिति की सिफारिशों पर ठोस कदम उठाने के लिए तत्पर है। उक्त रिपोर्ट को वेबलिंक http://legalaffairs-gov-in/sectiondivision/report&high&level&committee&review&institutionalisation&arbitration&mechanism&india. पर देखा जा सकता है।

इसके अलावा, उच्च स्तरीय समिति की अन्य सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, संसद के शीतकालीन सत्र, 2018 में एक विधेयक अर्थात 'नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केन्द्र विधेयक, दिनांक 5 जनवरी, 2018 को

लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केन्द्र को राष्ट्रीय महत्व के माध्यस्थम संस्थान के रूप में स्थापित करना और संस्थागत माध्यस्थम को बढ़ावा देना है। इन सुधारों द्वारा कानून की जटिलता को सरल बनाने और विवादों के त्वरित समाधान को प्रोत्साहित करने से देश में व्यापारिक निवेश के परिदृश्य को निश्चित तौर पर प्रोत्साहन मिलेगा।

आयकर अपीलीय अधिकरण, मुंबई

उद्गमः आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 252 में यह उपबंध है कि केंद्रीय सरकार, अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए उतने न्यायिक सदस्यों और लेखा सदस्यों से, जितने वह ठीक समझे, एक अपीलीय अधिकरण का गठन करेगी। भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 में अंतर्विष्ट ऐसे ही उपबंध के अनुसरण में दिनांक 25 जनवरी, 1941 को आयकर अपीलीय अधिकरण की स्थापना की गई थी।

गठनः आयकर अधिनियम, 1961 में यह भी उपबंध है कि अधिकरण का न्यायिक सदस्य एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसने भारत के राज्य क्षेत्र में कम–से–कम दस वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो या जो भारतीय विधि सेवा का सदस्य रहा हो और जिसने कम–से–कम तीन वर्ष तक उस सेवा के ग्रेड 2 में कोई पद या उसके समतुल्य या उच्चतर पद धारण किया हो या जो कम–से–कम दस वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। लेखा सदस्य एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसने चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अधीन चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में लेखाकर्म का कम–से–कम दस वर्ष तक व्यवसाय किया हो या पूर्व में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत अकाउंटेंट या आंशिकतः रजिस्ट्रीकृत अकाउंटेंट और आंशिकतः चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हो या जो भारतीय आयकर सेवा समूह 'क' का सदस्य रहा हो और जिसने कम–से–कम तीन वर्ष तक (अपर) आय–कर आयुक्त का पद या उसके समतुल्य या उच्चतर पद धारण किया हो।

सदस्यों और कर्मचारियों की कमीः देशभर के 28 शहरों में स्थित 63 बेंचों के लिए अधिकरण के सदस्यों की वर्तमान स्वीकृत संख्या 126 है, जिनमें से केवल 96 सदस्य ही पदस्थ हैं और तदनुसार आज की तारीख में सदस्यों के 30 पद रिक्त हैं। अधिकरण वर्तमान में अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यरत है तथा उनकी सहायतार्थ 9 उपाध्यक्ष हैं। वर्तमान में, उपाध्यक्ष के 6(छहः) पद तथा सदस्यों के 24(चौबीस) पद रिक्त हैं।

जहां तक रजिस्ट्री अधिकारियों, वरिष्ठ निजी सचिवों और निजी सचिवों की कमी का संबंध है, यह निवेदन किया जाता है कि फिलहाल उप पंजीकार के सभी सात स्वीकृत पद रिक्त हैं और सहायक पंजीकारों के 38 स्वीकृत पदों में से 30 पद रिक्त हैं। इसके अतिरिक्त, हिंदी अधिकारी के स्वीकृत दो(2) पद हैं, और वर्तमान में ये दोनों ही रिक्त हैं। वरिष्ठ निजी सचिवों के 126 स्वीकृत पदों में से 32 पद रिक्त हैं और निजी सचिवों के 47 स्वीकृत पदों में से 25 पद रिक्त हैं। आयकर अपीलीय अधिकरण में अन्य पदों की रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	पद	रिक्तियां
1	वरिष्ठ लेखाकार	2
2	अधीक्षक	1

3	कार्यालय अधीक्षक	1
4	हिन्दी अनुवादक	11
5	पुस्तकालयाध्यक्ष	1
6	मुख्य लिपिक	0
7	उच्च श्रेणी लिपिक	46
8	आशुलिपिक ग्रेड घ	4
9	अवर श्रेणी लिपिक	72
10	स्टाफ कार चालक	18
11	मल्टी टास्किंग स्टाफ	102
	कुल	**258**

शक्तियां और कृत्यः आयकर अधिनियम के अधीन गठित आयकर अपीलीय अधिकरण प्रत्यक्ष कर के सभी मामलों में द्वितीय अपीलों तथा प्रशासनिक आयुक्तों के पुनरीक्षण आदेशों के विरूद्ध अपीलों और आयकर अधिनियम के अध्याय–XX–क के अधीन संपतति के अर्जन के आदेशों के विरूद्ध अपीलों का निपटान करता है।

आयकर अपीलीय अधिकरण की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा इसके सदस्यों में से गठित की गई न्यायपीठों द्वारा किया जाता है। एक न्यायपीठ में एक न्यायिक सदस्य और एक लेखा सदस्य होता है। अध्यक्ष या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया अधिकरण का कोई अन्य सदस्य एकल रूप में बैठकर किसी मामले को निपटा सकेगा जो ऐसे न्यायपीठ को आबंटित किया गया है जिसका वह सदस्य है और जो ऐसे निर्धारिती से संबंधित है जिसकी मामले में निर्धारण अधिकारी द्वारा यथासंगणित कुल आय पांच लाख रूपये से अधिक नहीं है और अध्यक्ष, आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी विशिष्ट मामले के निपटारे के लिए तीन या इससे अधिक सदस्यों का विशेष न्यायपीठ गठित कर सकेगा, जिसमें आवश्यक रूप से एक न्यायिक सदस्य और एक लेखा सदस्य होगा।

प्रक्रिया और नियमः अपीलीय अधिकरण को उन सभी विषयों में जो उसकी शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निवर्हन से उत्पन्न होते हैं, जिसके अंतर्गत वे स्थान भी हैं जहां न्यायपीठ अपनी बैठक करेंगे, स्वयं की प्रक्रिया और अपने न्यायपीठों की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति प्राप्त है।

तदनुसार, अपीलीय अधिकरण ने अपने नियम बनाए हैं जिन्हें आयकर (अपीलीय अधिकरण) नियम, 1963 कहा जाता है। उक्त नियम आयकर अपीलीय अधिकरण के समक्ष लंबित सभी मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं। यह अधिकरण न केवल आयकर से संबंधित मामलों में अपितु धन–कर, दान–कर और व्यय–कर आदि जैसे कराधान के सभी मामलों में अंतिम तथ्यान्वेषण–प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। अपीलीय अधिकरण में दक्ष कार्मिक हैं जो अपनी पूरी योग्यता से अपने कृत्यों का निर्वहन करते हैं और कर–दाता और राजस्व के बीच बिना किसी भय के निष्पक्ष रूप से न्याय का पलड़ा बराबर बनाए रखते हैं।

सामान्यत अपीलों की सुनवाई एक लेखा सदस्य और एक न्यायिक सदस्य से मिलकर बने न्यायपीठ द्वारा की जाती है। तथापि, समुचित मामलों में अध्यक्ष के विवेक से किसी न्यायपीठ में दो से अधिक सदस्य हो सकते हैं।

जिन मामलों का निपटारा अपीलीय अधिकरण करता है, वे अत्यंत महत्व के होते हैं और उनमें लाखों रूपयों का राजस्व शामिल होता है। अधिकरण को विधि और तथ्य के जटिल प्रश्नों का विनिश्चय करने का दायित्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है। न्यायिक और लेखा सदस्य, दोनों की उपस्थिति इस बात को सुनिश्चित करती है कि उनके विचाराधीन मामलों में तथ्य के प्रश्नों की समुचित रूप से जांच की गई है और उसमें कानूनी पहलू के साथ–साथ लेखा की दृष्टि से भी पूरा–पूरा ध्यान दिया गया है। अधिकरण अपील के दोनों पक्षकारों के प्रतिनिधियों को अपने समक्ष अपील करने की अनुमति देता है और कोई आदेश पारित करने से पूर्व अनिवार्यतः उनकी सुनवाई करता है। सदस्य पक्षकारों की सुनवाई करते हैं, अभिलेख पर साक्ष्य का अवलोकन करते हैं, उन पर अपने टिप्पण लिखते हैं,न्यायालय में उद्धृत नजीरों को निर्दिष्ट करते हुए आपस में परामर्श करते हैं और फिर अंतिम आदेश पारित करते हैं। यह प्रक्रिया अपने आप में ही एक गारंटी है कि तथ्यों के प्रश्न समुचित रूप से और न्यायिकतः विनिश्चित किए जाते हैं और अधिकरण द्वारा निकाले गए निष्कर्ष निष्पक्ष और निर्दोष होते हैं।

लंबित अपीलें

वर्ष 2017 के प्रारंभ में आयकर अपीलीय अधिकरण में लंबित अपीलों की संख्या 91538 थी और दिनांक 1 जनवरी, 2018 को लंबित अपीलों की संख्या 91657 है।

निम्नलिखित सारणी से देखा जा सकता है कि नव–सृजित पीठों के चालू होने के बाद से लंबन को कम करने की वचनबद्धता के उत्साहजनक परिणाम रहे हैं :–

वर्ष	दाखिल की गई अपीलों की संख्या	निपटाई गई अपीलों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित अपीलों की संख्या
2004–2005	57331	78901	137164
2005–2006	45283	73979	108468
2006–2007	43192	65524	86136
2007–2008	44356	59653	70839
2008–2009	40372	55889	55322
2009–2010	41648	49353	47617
2010–2011	44250	36293	55574
2011–2012	42346	33816	64104
2012–2013	43934	33752	74286

2013—2014	46031	31886	88643
2014—2015	45072	30494	103238
2015—2016	40087	51010	91971
2016—2017	48328	48385	92386
2017—2018 31.12.2017 तक	36384	37678	91643

लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए किए गए प्रयासः सभी न्यायपीठों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं कि वे आयकर अपीलीय अधिकरण, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों के अंतर्गत आने वाले मामलों की जांच करें और उनकी पहचान करें तथा प्राथमिकता के आधार पर उन्हें पोस्ट करें। इनमें समूह के और छोटे मामले शामिल हैं। बार से भी यह अनुरोध किया गया है कि इस प्रकार के सभी मामलों को बारी से पहले निपटान हेतु पोस्ट करने के लिए आयकर अपीलीय अधिकरण के ध्यान में लाया जाए। इसके अतिरिक्त, धारा 263 के अधीन तलाशी और जब्ती तथा अपीलों को निपटान के लिए प्राथमिकता दी जा रही है। वित्त अधिनियम, 2015(सं० 66) के अधीन आयकर अधिनियम, 1961 में यह संशोधन किया गया है कि 15 लाख तक की आय से संबंधित अपील की सुनवाई एकल—सदस्यीय पीठ द्वारा की जा सकती है। तदनुसार इसे लागू किया गया है।

एक सदस्य वाले मामलों के लंबन के आंकड़े निम्नानुसार हैंः—

माह	कुल लंबित मामले
जनवरी, 2017	13978
फरवरी, 2017	13875
मार्च, 2017	13844
अप्रैल, 2017	13712
मई, 2017	13794
जून, 2017	13530
जुलाई, 2017	13494
अगस्त, 2017	12412
सितम्बर, 2017	12315
अक्टूबर, 2017	12117
नवम्बर, 2017	12139
दिसम्बर, 2017	8379

धन कर के मामलों के लंबन के आंकड़े निम्नानुसार हैं :–

माह	कुल लंबित मामले
जनवरी, 2017	336
फरवरी, 2017	355
मार्च, 2017	379
अप्रैल, 2017	411
मई, 2017	411
जून, 2017	396
जुलाई, 2017	408
अगस्त , 2017	414
सितम्बर, 2017	448
अक्टूबर, 2017	436
नवम्बर, 2017	442
दिसम्बर, 2017	449

आयकर अपीलीय अधिकरण के 63 स्वीकृत पीठ हैं जिनमें सदस्यों की अपेक्षित संख्या 126 है और वर्तमान में केवल 96 सदस्य हैं तथा कुछ पीठों के नियमित रुप से कार्य नहीं करने के कारण लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है।

कम्प्यूटरीकरणः आयकर अपीलीय अधिकरण में कंप्यूटरीकरण की प्रक्रिया वर्ष 2000 के प्रारंभ में शुरू हुई थी और हाल के वर्षों में अधिकरण की दैनंदिन गतिविधियों में कई नवीन परियोजनाओं के कार्यान्वयन से इसमें तेजी आई है। इन वर्षों में अधिकरण द्वारा अपने आदर्श वाक्य 'निष्पक्ष सुलभ सत्वर न्याय' को चरितार्थ करने के लिए विभिन्न परियोजनाएं चलाई गई हैं।

उपलब्धियां :

(क) **आई.टी.ए.टी. ऑनलाइन परियोजनाः** यह पायलट परियोजना अधिकरण में न्यायिक प्रशासन की प्रक्रिया को स्वचालित बनाने की दिशा में उठाया गया पहला कदम है, जिसमें अपीलों और आवेदनों की प्राप्ति और पंजीकरण से लेकर उनका निपटान होने तक की स्थिति तथा अधिकरण के आदेशों को अपलोड किया जाता है। यह परियोजना अधिकरण के सभी पीठों में चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित की गई है। आई.टी.ए.टी. ऑनलाइन एक वेब आधारित अनुप्रयोग है, जिसे कभी भी कहीं से भी प्रयोग किया जा सकता है। अब आयकर अपीलीय अधिकरण के सभी पीठ आई.टी.ए.टी. ऑनलाइन डाटाबेस से जोड़े जा चुके हैं तथा पंजीकरण, डाटा अपडेशन, अधिकरण के आदेश अपलोड करना आदि गतिविधियां वेब अनुप्रयोग द्वारा की जा रही हैं। इस परियोजना का वेब व डाटाबेस सर्वर एनआईसी क्लाउड डाटा सेंटर को स्थानांतरित किया गया है।

(ख) **आई.टी.ए.टी. की आधिकारिक वेबसाइटः** आई.टी.ए.टी. ऑनलाइन परियोजना के विस्तार के रूप में आयकर अपीलीय अधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट बनाई गई है और आम जनता को न्यायिक और सामान्य जानकारी देने के लिए चालू की गई है। इस आधिकारिक वेबसाइट को प्रयोक्ताओं के अधिक अनुकूल बनाने और वेबसाइटों के लिए भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार अधिक सुग्राही और अद्यतन बनाने के लिए इसका डिजाइन फिर से तैयार किया गया है। इसमें अधिकरण में आने वाले वादकारियों की न्यायिक सूचनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गतिशील सूचना जैसे कि वाद–सूची, संविधान, मामले की स्थिति, आदेश की खोज, निर्णयों की खोज आदि जानकारी उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा, वादकारियों को और आम जनता को छुट्टियों की सूची, निविदा और नीलामी, सूचनापट्ट, सूचना का अधिकार आदि स्थिर प्रकार की जानकारी भी सुलभ कराई गई है। इस वेबसाइट का व्यापक उपयोग हो रहा है और इसकी सराहना हुई है। आयकर अपीलीय अधिकरण की इस वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन को द्विभाषी बनाया गया है। आयकर अपीलीय अधिकरण अपने आई.पी.ए.टी. आनलाइन डाटा को नेशनल जूडीशियल रेफरेंस सिस्टम (एनजेआरएस) परियोजना के साथ साझा कर रहा है, जिसके लिए वेब एप्लीकेशन में कुछ प्रावधान किए गए हैं।

(ग) **एन.आई.सी. ई–मेलः** आयकर अपीलीय अधिकरण के सामान्य प्रशासन में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने और विभिन्न पीठों, सदस्यों और अधिकारियों के बीच प्रभावी संचार के लिए आयकर अपीलीय अधिकरण राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की ई–मेल सुविधाओं का उपयोग करता है। सभी पीठों, क्षेत्रों, सदस्यों, रजिस्ट्री के अधिकारियों, वरिष्ठ निजी सचिवों/ निजी सचिवों तथा प्रधान कार्यालय के सभी अनुभागों के लिए एनआईसी ई–मेल खाते बनाए गए हैं। संचार के पारंपरिक तरीकों की तुलना में प्रयोग में आसान, तेज और आर्थिक व पारिस्थितिक दृष्टि से लाभदायक होने के कारण हाल के वर्षों में ई–मेल का प्रयोग उपयोगकर्ताओं के बीच स्वीकृति हासिल कर रहा है और इसका उपयोग लगातार बढ़ रहा है।

(घ) **आधारिक संरचना का उन्नयन :** आयकर अपीलीय अधिकरण को हमेशा से लगता रहा है कि बेहतर कंप्यूटरीकरण के लिए बेहतर आधारिक संरचना होना जरूरी है। तदनुसार, आयकर अपीलीय अधिकरण चरणबद्ध तरीके से पुराने और अप्रचलित कंप्यूटरों, प्रिंटरों आदि उपकरणों को बदल कर नए उपकरण लाता रहा है। आयकर अपीलीय अधिकरण के सभी सदस्यों को कार्यालय प्रयोग के लिए लैपटाप पहले ही दे दिए गए हैं।

भविष्य की परियोजनाएं

(क) ई–फाइलिंग शुरू करना

आयकर अपीलीय अधिकरण ने इस परियोजना में एक नए माड्यूल सिटीजन टू गवर्नमैंट (सी2जी) माड्यूल अर्थात 'ई–फाइलिंग' को भी शामिल किया है जिससे वादकारी अपने घर से ही अधिकरण के समक्ष अपनी अपील और आवेदन ऑनलाईन दाखिल कर सकते हैं तथा इससे एसएमएस, ईमेल और मोबाइल एप्लिकेशन्स के द्वारा सूचना का प्रसार किया जा सकता है। इस परियोजना में, उचित समय पर न्यायालयों के कामकाज को कागज–विहीन कर देने का प्रावधान भी शामिल किया गया है। ई–फाइलिंग मोड्यूल और मोबाइल एप्लीकेशन संभवतः आने वाले महीनों में शुरू कर दिए जाएंगे।

(ख) ई–न्यायालय

पिछले वर्ष के दौरान, आयकर अपीलीय अधिकरण के राजकोट, जबलपुर और गुवाहाटी पीठों में ई–न्यायालय की स्थापना की गई। आयकर अपीलीय अधिकरण के राजकोट, जबलपुर और गुवाहाटी पीठों में क्रमशः अहमदाबाद, दिल्ली और कोलकाता पीठों को जोड़ते हुए कार्यवाहियां संचालित की गईं। ई–न्यायालय के माध्यम से दिनांक 31.12.2017 तक आयकर अपीलीय अधिकरण, अहमदाबाद में कुल 1273 अपीलों, आयकर अपीलीय अधिकरण, दिल्ली पीठ में कुल 34 अपीलों और आयकर अपीलीय अधिकरण, कोलकाता पीठ में कुल 146 अपीलों का निपटान किया गया है।

वर्तमान में, रांची पीठ के एक और पीठ को ई–न्यायालय में विकसित करने की प्रक्रिया चल रही है।

ई–न्यायालय के माध्यम से कार्य कर रहे पीठों की वर्तमान स्थिति निम्नलिखित है :

क्रम सं०	कार्यरत पीठ
1.	नई दिल्ली, क्षेत्रीय कार्यालय
2.	अहमदाबाद, क्षेत्रीय कार्यालय
3.	कोलकाता, क्षेत्रीय कार्यालय
4.	जबलपुर पीठ
5.	राजकोट पीठ
6.	गुवाहाटी पीठ

निम्नलिखित पीठों में 'ई–न्यायालय' बनाने का कार्य चल रहा हैः–

क्रम सं०	प्रक्रियाधीन पीठ
1.	मुम्बई, प्रधान कार्यालय
2.	मुम्बई, अध्यक्ष का चैंबर
3.	बंगलूरू, क्षेत्रीय कार्यालय
4.	चेन्नै, क्षेत्रीय कार्यालय
5.	चंडीगढ़, क्षेत्रीय कार्यालय
6.	लखनऊ, क्षेत्रीय कार्यालय
7.	हैदराबाद, क्षेत्रीय कार्यालय
8.	पुणे, पीठ
9.	जोधपुर पीठ
10.	जयपुर पीठ
11.	रांची पीठ

राजकोट पीठ के उपकरण के सही ढंग से कार्य नहीं करने के कारण लखनऊ पीठ के वीडियो कान्फ्रेंसिंग उपकरण को राजकोट पीठ में स्थानांतरित किया गया है।

सूरत पीठ की स्थापना :– विधि और न्याय मंत्रालय ने आयकर अपीलीय अधिकरण, कोलकाता के पांच पीठों में से एक पीठ का सूरत में स्थानांतरण करके वहां एक पीठ की स्थापना किए जाने के आयकर अपीलीय अधिकरण के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। तत्पश्चात, अधिकारिता में परिवर्तन के संबंध में आयकर अपीलीय अधिकरण के स्थायी आदेश में उपयुक्त संशोधन किए गए हैं।

वर्तमान में, सीसीआईटी, सूरत ने अस्थायी आधार पर कुछ महीनों के लिए आयकर भवन, सूरत में आयकर अपीलीय अधिकरण के सूरत पीठ की स्थापना के लिए आयकर अपीलीय अधिकरण को जगह प्रदान की है। आयकर अपीलीय अधिकरण के सूरत पीठ का उद्घाटन दिनांक 01.09.2017 को हुआ।

इस दौरान, आयकर अपीलीय अधिकरण, सूरत पीठ के लिए किराए पर कार्यालय की जगह लेने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया गया था, जिसके जवाब में प्राप्त हुए प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

आयकर अपीलीय अधिकरण का अपना भवन

आयकर अपीलीय अधिकरण ने पुणे, बंगलूरू, जयपुर, लखनऊ और गुवाहाटी में कार्यालय–सह–आवासीय क्वार्टरों के निर्माण के लिए भूमि खरीदी है। उड़ीसा सरकार ने आयकर अपीलीय अधिकरण, कटक पीठ को कटक में कार्यालय भवन और कर्मचारियों के क्वार्टरों के निर्माण के लिए 1.601 एकड़ का भू–खंड आबंटित किया है। आयकर अपीलीय अधिकरण ने कोलकाता के न्यू टाउन एरिया में पश्चिम बंगाल हाउसिंग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (डब्ल्यूबीएचआईडीसीओ) द्वारा विकसित वित्तीय एवं कानूनी केंद्र में आयकर अपीलीय अधिकरण, कोलकाता पीठ, कोलकाता के लिए कार्यालय परिसर हेतु भूमि आबंटित करने के लिए आवेदन किया है। इसके अतिरिक्त, आयकर अपीलीय अधिकरण ई–नीलामी के माध्यम से अपने दिल्ली पीठ के लिए एनबीसीसी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली में कार्यालय की जगह खरीदने का प्रयास कर रहा है।

भूमि की वर्तमान स्थिति का विवरण:

(i) **पुणे:**– आर्कीटेक्ट के नक्शों और विकल्पों को अंतिम रूप दिया जाना है, जिसके लिए आयकर अपीलीय अधिकरण, पुणे पीठ द्वारा शीघ्र ही आर्कीटेक्ट और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई जा रही है।

(ii) **बंगलूरू** :– भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान, सर्वे सं० 51, बीटीएम लेआउट, तेवरकर गांव, बंगलूरू में अधिगृहीत भूखंड पर निर्माण कार्य करने के लिए प्रधान लेखा कार्यालय, विधि और न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रधान लेखा कार्यालय, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के पक्ष में ''पूंजी परिव्यय'' शीर्ष के अधीन 8 करोड़ रुपए की धनराशि का प्राधिकार–पत्र जारी कर दिया गया है।

(iii) **जयपुर** :– भवन का निर्माण–कार्य पूरा हो गया है। कार्यालय भवन और जी–4, राजमहल रेजिडेंसी एरिया, सी–योजना, जयपुर में आयकर अपीलीय अधिकरण के कार्यालय भवन और अधिकारियों के 4

क्वार्टरों के निर्माण के व्यय के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के लंबित बिलों के भुगतान हेतु वेतन और लेखा अधिकारी, उत्तरी क्षेत्र, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, पूर्वी ब्लाक, आर.के.पुरम, नई दिल्ली के पक्ष में ''पूंजी परिव्यय'' शीर्ष के तहत कुल 1.97 करोड़ रु. (सिविल कार्य के लिए 1.15 करोड़ रु.) और बिजली के कार्य के लिए 0.82 करोड़ रुपए) के अंतरण के लिए विशेष मंजूरी प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(iv) **लखनऊ** :– केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा 25.39 करोड़ रु० (जिसमें चहारदिवारी के निर्माण के लिए 98,10,898 रु० शामिल हैं) की अनुमानित राशि के आकलन को मंत्रालय को भेजा गया है। बदले में, मंत्रालय ने चहारदिवारी के निर्माण के लिए 98,10898 रुपए के व्यय के लिए सहमति जारी की है। इस संबंध में आगे कार्रवाई चल रही है।

(v) **कटक**:– आयकर अपीलीय अधिकरण ने अपने कार्यालय भवन और कर्मचारी आवास के निर्माण के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा सेक्टर–I, सीडीए, कटक में राजस्व भूखंड सं. 1/09 (पी)/खाता सं. 1/1, मौजा सुबर्णपुर, कटक सदर रहसील, कटक में 1.601 एकड़ भूमि प्राप्त की है। उक्त भूखंड में भूमि पूजन/शिलान्यास दिनांक 19.11.2017 को भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति, माननीय केन्द्रीय विधि और न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद, माननीय मुख्य न्यायमूर्ति, उड़ीसा उच्च न्यायालय और भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री ए.के.पटनायक की उपस्थिति में संपन्न हुआ।

मंत्रालय द्वारा दिनांक 11.8.2017 के पत्र के तहत सीडीए, सेक्टर–1, कटक में कार्यालय–सह–आवासीय परिसर के निर्माण कार्य के खर्च हेतु प्रधान लेखा कार्यालय, शहरी विकास मंत्रालय के पक्ष में 11,63,88,000/– रुपए की धनराशि प्राधिकृत की गई है।

(vi) **गुवाहाटी** :– वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान ''पूंजी परिव्यय'' शीर्ष के अधीन फैंसी बाजार, गुवाहाटी में, 4.03 करोड़ रुपए में सेंट्रल इनलैंड वॉटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड (सीआईडब्लूटीसी) की भूमि ली गई थी, जिस पर और असम राज्य क्षेत्र में भूखंड के सुपर–स्ट्रक्चर के मूल्यांकन के संबंध में मामले को विधि और न्याय मंत्रालय को सौंपने की कार्रवाई चल रही है।

(vii) **कोलकाता** :– पश्चिम बंगाल हाउसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (डब्लूबीएचआईडीसीओ) द्वारा विकसित वित्तीय एवं कानूनी केन्द्र में आयकर अपीलीय अधिकरण, कोलकाता पीठ के कार्यालय परिसर के आबंटन के लिए आवेदन के संबंध में 25 लाख रूपए की अग्रिम राशि का भुगतान मंत्रालय द्वारा किया गया है और चूंकि सौदा केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच है, इस आशय का के.लो.नि.वि. का प्रमाणपत्र मंत्रालय को अग्रेषित किया गया है कि न्यूटाउन एरिया में के.लो.नि.वि. के संरक्षण में कोई केन्द्रीय सरकारी भूमि नहीं है, और भूमि की लागत उचित प्रतीत होती है।

(viii) **पणजी** :– आयकर अपीलीय अधिकरण, पणजी पीठ के अपने कार्यालय परिसर निर्माण के लिए पणजी में पाटो परिसर या दूसरे उपयुक्त क्षेत्र में 2000 वर्ग मीटर के उपयुक्त भूखंड के आबंटन के लिए गोवा सरकार के संबंधित अधिकारियों से अनुरोध किया गया था। तथापि, राज्य सरकार से इस संबंध में अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है।

(iX) **जोधपुर** :– आयकर अपीलीय अधिकरण की जोधपुर पीठ ने जोधपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान सरकार सचिवालय जयपुर के साथ मामला उठाया है और जिलाधिकारी, जोधपुर से आयकर अपीलीय अधिकरण, जोधपुर पीठ के लिए उपयुक्त जमीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। प्रधान कार्यालय ने दिनांक 17.04.2017 के यू.ओ. के तहत आयकर अपीलीय अधिकरण, जोधपुर से मामले में आगे कार्रवाई करके रिपोर्ट देने का अनुरोध किया है। मामले में की गई कार्रवाई की प्रतीक्षा है।

सदस्यों के लिए सुविधाएं :

माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारत संघ और अन्य बनाम ऑल गुजरात फेडरेशन ऑफ टैक्स कंसल्टेंट्स के मामले में वर्ष 1998 की विशेष अनुमति याचिका (एल) एमओएस 6905/1998 और टीपी (सी)सं0 659 और 672–673 में दिनांक 19.9.2003 के अपने आदेश में सरकार को यह निदेश दिया था कि आयकर अपीलीय अधिकरण के सदस्यों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जाएं और आयकर अपीलीय अधिकरण द्वारा सदस्यों को उक्त सुविधाएं मुहैया कराने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है।

हितकारी निधि

आयकर अपीलीय अधिकरण में एक हितकारी निधि बनाई गई है, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारिवृंद के स्वैच्छिक अभिदाय से राशि संगृहीत की गई है। अध्यक्ष, आयकर अपीलीय अधिकरण इस निधि के संरक्षक हैं। अधिकारी और कर्मचारिवृंद इस निधि में स्वैच्छिक रूप से अभिदाय करते हैं तथा निधि के नियमों के अधीन बनाई गई समिति की सिफारिश पर ऐसे कर्मचारियों को, जिन्हें चिकित्सा और अन्य आपात स्थितियों में मदद की जरूरत होती है, आर्थिक सहायता दी जाती है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 आयकर अपीलीय अधिकरण द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन :

आयकर अपीलीय अधिकरण के सभी न्यायपीठों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित की गई हैं ताकि राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित राजभाषा नीति के उचित कार्यान्वयन पर नजर रखी जा सके और मार्गदर्शन दिया जा सके।

हिन्दी में पत्र व्यवहार के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में हुई प्रगति तथा इसके कार्यान्वयन को संबंधित न्यायपीठ द्वारा मॉनीटर किया जाता है और न्यायपीठों की हिन्दी के प्रगामी प्रयोग संबंधी तिमाही रिपोर्टों की मुम्बई स्थित मुख्यालय द्वारा नियमित रूप से जांच की जाती है। राजभाषा विभाग, भारत सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों को नामित करके उन्हें हिन्दी/हिन्दी टंकण/ हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षण दिलाया जाता है।

न्यायपीठों में राजभाषा नीति के उचित रूप से कार्यान्वयन के लिए और हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने तथा हिन्दी में काम करने में अधिकारियों/कर्मचारियों की झिझक दूर करने के लिए हिन्दी कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती हैं।

राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों के अनुसार, हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

इस वर्ष सभी न्यायपीठों में हिंदी की पुस्तकें खरीदने के लिए पर्याप्त निधि मुहैया कराई गई है। राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों के अनुसार इस वर्ष आयकर अपीलीय अधिकरण के सभी कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यांवयन के अनुसार कुल पुस्तकालय अनुदान की 50 प्रतिशत राशि हिंदी पुस्तकों की खरीद पर व्यय के लिए आबंटित की गई है।

सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग के संबंध में जागरूकता लाने के लिए तथा इसके उत्तरोत्तर प्रयोग की गति को बढ़ाने के लिए सभी पीठों में हिंदी दिवस तथा हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया।

आयकर अपीलीय अधिकरण, मुख्यालय, मुंबई के लिए एक वार्षिक जर्नल 'सृजन' का प्रकाशन किया गया है। इसमें आयकर अपीलीय अधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा लिखित लेख, कहानी, कविता और यात्रावृत्त इत्यादि के अतिरिक्त हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम, हिंदी कार्यशाला के चित्र भी प्रकाशित किए जाते हैं।

सेवाओं में विकलांग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और भूतपूर्व सैनिक आदि के प्रतिनिधित्व के संबंध में निर्देशों का कार्यान्वयनः

विकलांग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों और भूतपूर्व सैनिक आदि के लिए नियुक्तियों में रियायत के संबंध में भारत सरकार के निर्देशों को वर्ष 2017–18 के दौरान भी विधिवत कार्यान्वित किया गया है और आयकर अपीलीय अधिकरण की सेवाओं में इन वर्गों के प्रतिनिधित्व के संबंध में सांख्यिकीय आकड़े उपाबंध–V में दिए गए हैं।

सतर्कता संबंधी गतिविधियां :–

1. विधि और न्याय मंत्रालय का सतर्कता एकक विधि कार्य विभाग (आयकर अपीलीय अधिकरण सहित) और विधायी विभाग की सतर्कता संबंधी गतिविधियों को देखता है। सतर्कता एकक का प्रमुख मुख्य सतर्कता अधिकारी होता है जिसे केंद्रीय सतर्कता आयोग की सहमति से नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में, सतर्कता एकक के प्रमुख डॉ. राजीव मणि, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार हैं। इन दोनों विभागों की सतर्कता संबंधी गतिविधियों का समग्र उत्तरदायित्व मुख्य सतर्कता अधिकारी पर होता है। मुख्य सतर्कता अधिकारी इन दोनों विभागों के सतर्कता ढांचे का केंद्र बिन्दु होता है और उसे निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं :–

    - कदाचार/प्रलोभन की संभावना वाले संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना तथा शासकीय कार्यकरण में सत्यनिष्ठा/कार्यकुशलता सुनिश्चित करने के लिए रोकथाम के उपाय करना;
    - भ्रष्टाचार निवारण उपायों के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उचित कार्रवाई करना ;
    - शिकायतों की जांच करना और जांच पड़ताल के उचित उपाय शुरू करना ;
    - उक्त का निरीक्षण करना तथा अनुवर्ती कार्रवाई करना ;
    - केन्द्रीय जांच ब्यूरो की अन्वेषण रिपोर्टों पर विभाग की टिप्पणियों को केंद्रीय सतर्कता आयोग को प्रस्तुत करना ;

- विभागीय कार्यवाहियों के संबंध में केंद्रीय सतर्कता आयोग की सलाह पर उचित कार्रवाई करना अथवा अन्यथा;
- जहां भी आवश्यक हो, केंद्रीय सतर्कता आयोग की प्रथम और द्वितीय चरण की सलाह प्राप्त करना; और
- दिए जाने वाले दंड की प्रकृति और परिमाण के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग की सलाह प्राप्त करना।

2. कदाचार और प्रलोभन की संभावना वाले संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने पर जोर देते हुए निवारक प्रकृति की सतर्कता को उच्च प्राथमिकता देना जारी रखा गया। इस संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा समय–समय पर जारी किए गए दिशा–निर्देशों/अनुदेशों का पालन किया गया है। दिनांक 30 अक्तूबर, 2017 से 4 नवंबर, 2017 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया। दिनांक 30.10.2017 को पूर्वाह्न 11 बजे शपथ समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विधि सचिव ने शास्त्री भवन में दोनों विभागों के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलाई। इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह "मेरी नजर में भ्रष्टाचार मुक्त भारत" विषय पर केन्द्रित था। इसके अतिरिक्त, इस विषय पर विभाग द्वारा एक व्याख्यान सत्र का आयोजन किया गया था, जिसके वक्ता डॉ. आर. जे. आर. काशीभाटला, उप विधि सलाहकार थे। इस सत्र में विधि सचिव के साथ विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित हुए।

लिंग आधारित मुद्दे :–

इस विभाग द्वारा दोनों विभागों अर्थात विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग के कर्मचारियों की यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों को देखने के लिए दिनांक 10 मार्च, 2017 के आदेश के तहत महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अधीन शिकायत समिति गठित की गई है। उक्त शिकायत समिति सीसीएस(सीसीए) नियम, 1965 के प्रयोजन के लिए अनुशासनिक प्राधिकरण द्वारा नियुक्त जांच प्राधिकरण समझी जाएगी। शिकायत समिति की रिपोर्ट को जांच रिपोर्ट माना जाएगा। यह समिति महिला कर्मचारियों द्वारा की गई यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करेगी और यदि आवश्यक हुआ तो स्वयं जांच करेगी। जांच के पूरा होने के बाद, समिति आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए संयुक्त सचिव (प्रशासन–1), विधि कार्य विभाग को निष्कर्ष प्रस्तुत करेगी। वर्तमान में इस समिति की प्रमुख श्रीमती जोया हडके, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार हैं।

दिनांक 1.1.2018 की स्थिति के अनुसार, विधि कार्य विभाग तथा विधायी विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या तथा उनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण उपाबंध–VI में दिया गया है।

विधि और न्याय मंत्रालय में महिला कर्मचारियों की संख्या का विवरण उपाबंध–VII में दिया गया है।

स्वच्छ भारत अभियान

सरकार के निदेशानुसार, विधि कार्य विभाग और इसके कोलकाता, मुंबई, चेन्नै और बंगलूरू के शाखा सचिवालयों में और देश भर में स्थित आयकर अपीलीय अधिकरण के कार्यालयों में दिनांक 1 अप्रैल से 15 अप्रैल, 2017 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया।

माननीय विधि और न्याय एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने स्वच्छ भारत मिशन के एक भाग के रूप में विधि कार्य विभाग द्वारा मनाए गए इस स्वच्छता पखवाड़े के अवसर पर अपना संदेश दिया। विभाग में और उसके शाखा सचिवालयों में दिनांक 15 सितंबर, 2017 से 2 अक्तूबर, 2017 की अवधि को 'स्वच्छता ही सेवा' के रूप में मनाया गया था। स्वच्छता संबंधी गतिविधियों के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। इसके लिए मुख्य सचिवालय, शाखा सचिवालयों, विधि आयोग, विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण में पोस्टर और बैनर लगाए गए ताकि स्वच्छता के संदेश का अधिकाधिक प्रचार–प्रसार हो सके। पुरानी फाइलों की छंटाई और अनुभागों तथा कमरों की सफाई नियमित रूप से की जाती है और सभी प्रभाग–अध्यक्षों को नियमित रूप से स्वच्छता संबंधी गतिविधियों का आयोजन करने के निदेश दिए गए हैं। विभाग के पुस्तकालय में पुरानी पुस्तकों और रिकार्ड कक्ष में रिकॉर्ड की सफाई और जिल्दबंदी की जाती है। विधि कार्य विभाग में स्वच्छ भारत अभियान की गतिविधियों के चित्र उपाबंध–VIII में दिए गए हैं।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, 2017 मनाया जाना

विधि कार्य विभाग और उसके कोलकाता, चेन्नै, मुंबई और बंगलूरू सभी शाखा सचिवालयों में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, 2017 मनाया गया। विधि कार्य विभाग में योग प्रदर्शन और योग के लाभों के बारे में व्याख्यान के लिए ओलिविया क्लब, वसुंधरा, गाजियाबाद से तीन प्रशिक्षकों को बुलाया गया। विधि सचिव और विधि कार्य विभाग के अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों ने सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया और प्रशिक्षकों द्वारा प्रदर्शित सभी योगासनों को किया।

शाखा सचिवालय, चेन्नै में दिनांक 20 और 21 जून, 2017 को कृष्णामाचारी योग मंदिरम, चेन्नै के योग–प्रशिक्षक को दो घंटे के योग सत्र के लिए आमंत्रित किया गया। शाखा सचिवालय, बंगलूरू में तीसरे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2017 (दिनांक 21.06.2017) के सामूहिक योगाभ्यास के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को योगाभ्यास हेतु तैयार करने के लिए दिनांक 07.06.2017 से 20.06.2017 एक योग प्रशिक्षक नियुक्त किया गया था। शाखा सचिवालय, कोलकाता में, शाखा सचिवालय के प्रभारी अधिकारी के नेतृत्व में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने सामूहिक योगाभ्यास में हिस्सा लिया।

मुख्य सचिवालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास में विधि सचिव ने तृतीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री का संदेश पढ़कर सुनाया। उन्होंने सबके स्वस्थ रहने, अपने कर्तव्य के कुशल निर्वहन द्वारा उत्पादकता बढ़ाने के साथ–साथ दैनंदिन गतिविधियों में योग की जरुरत पर जोर दिया। माननीय प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि हमें अक्षरशः पालन करना है ताकि भारत को स्वच्छ बनाने के कार्य में हम अपना योगदान दे सकें। विभाग में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के चित्र उपाबंध–IX में दिए गए हैं।

संविधान दिवस

दिनांक 26 नवंबर 2017 को 'संविधान दिवस' मनाया गया। इस अवसर पर भारत के संविधान की 'उद्देशिका' का वाचन भी किया गया।

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक [1][संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और [2][राष्ट्र की एकता
और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली बंधुता

बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई० (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं ।

[1] संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3-1-1977 से) "प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3-1-1977 से) "राष्ट्र की एकता" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

'न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन (मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस)' के अधीन उठाए गए कदम

I. शासकीय प्रक्रिया का सरलीकरणः—

प्रशा.IV अनुभाग केंद्रीय सचिवालय सेवा की तीन सेवाओं अर्थात केंद्रीय सचिवालय सेवा(सीएसएस), केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) और केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा (सीएससीएस) संवर्ग में आने वाले कर्मचारियों का नियंत्रक प्राधिकरण है। प्रशासनिक मामलों का संचालन करने में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है।

II. डिजिटल इंडिया — डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

(क) लिम्ब्स (विधिक सूचना प्रबंध और ब्रीफिंग प्रणाली)

लिम्ब्स न्यायालयी मामलों की व्यापक, विनियामक और सक्रिय निगरानी के लिए एक आसान वेब आधारित उपकरण है।

लिम्ब्स एक वेब—आधारित प्लेटफार्म है, जिसमें भिन्न—भिन्न आवश्यकताओं वाले सभी प्रयोक्ताओं के लिए और सभी प्रशासनिक स्तरों के लिए एक कॉमन एक्सेस पोर्टल है अर्थात इसमें फाइल प्रस्तुत करने वाले सहायक से लेकर प्रबंधन के शिखर तक पहुंच उपलब्ध कराई गई है। लिम्ब्स में न्यायालय में चल रहे मुकदमों के विवरण जानने के लिए एक प्रयोक्ता अनुकूल डाटा—एंट्री स्क्रीन दी गई है। इसमें मुकदमों की प्रगति के बारे में प्रविष्टि की जा सकती है।

इस एप्लीकेशन में न्यायालय मामलों के विशेष दस्तावेज जैसे दाखिल किए गए उत्तर, प्रस्तुत किए गए शपथ—पत्र, फैसले की स्कैन की गई प्रति इत्यादि को अपलोड करने के लिए यूनीक डाक्यूमेंट लॉकेट की सुविधा प्रदान की गई है। ई—डाक्यूमेंट वॉल्ट में प्रयोक्ता महत्वपूर्ण फैसलों की प्रविष्टि कर सकते हैं। एस.एम.एस. एलर्ट के जरिये प्रयोक्ताओं को महत्वपूर्ण मामलों की सूचना दी जाती है। लिम्ब्स एडवोकेट मोड्यूल अधिवक्ताओं को एक ही स्थान से अपने संबंधित न्यायालयी मामलों को व्यवस्थित और अद्यतन करने में सहायता करता है। लिम्ब्स माध्यस्थम मोड्यूल, माध्यस्थम मामलों के समस्त घटनाचक्र की समय पर निगरानी के लिए है। इसका सरल प्रयोक्ता इंटरफेस सभी पणधारियों अर्थात् दावेदार, प्रतिवादी, मध्यस्थ, प्रयोक्ता और नोडल अधिकारी को समयबद्ध तरीके से माध्यस्थम मामलों पर विचार करने के लिए एक मंच पर लाता है।

लिम्ब्स एप्लीकेशन में एक वृहद डाटा रहेगा, जिसमें विभिन्न पणधारी शामिल रहेंगे। नोडल अधिकारी इस डाटा के आधार पर निर्णय ले सकेंगे, इसमें सुनवाई के डाटा का पहले से पता चल सकेगा और तद्नुसार प्राधिकारी अपने जवाब तैयार कर सकेंगे।

(ख) एनडीएसएपी (राष्ट्रीय डाटा सहभागिता और अभिगम्यता नीति)

इस नीति का उद्देश्य भारत सरकार के पास उपलब्ध बांटने योग्य डाटा और सूचना को मानव द्वारा पढ़ने योग्य तथा मशीन द्वारा पढ़ने योग्य रूप में एक नेटवर्क के माध्यम से सक्रिय तौर

पर और समय–समय पर अद्यतन करने योग्य तरीके से भारत सरकार की विभिन्न संबंधित नीतियों, अधिनियमों और नियमों के ढांचे के भीतर देशभर में उपलब्ध करवाना है, ताकि यह अधिकाधिक लोगों तक पहुंच सके और सार्वजनिक डाटा और सूचना का अधिकाधिक उपयोग हो सके।

एनडीएसएपी के लाभः–

(1) अधिकतम उपयोग

(2) दोहराव से बचाव

(3) अधिकतम समेकन

(4) स्वामित्व की जानकारी

(5) बेहतर निर्णय लेना

(ग) ई–ऑफिस

ई–ऑफिस के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैंः–

(1) सरकारी कार्रवाइयों की दक्षता, स्थिरता और प्रभावशीलता में सुधार करना।

(2) प्रतिवर्तन समय को कम करना और नागरिक–चार्टर की मांगों को पूरा करना।

(3) प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रभावी संसाधन प्रबंधन उपलब्ध कराना।

(4) प्रक्रिया में होने वाले विलम्ब को कम करना।

(5) पारदर्शिता और जवाबदेही लागू करना।

(6) इस प्रणाली से सरकारी कार्यालयों में फाइलों की आवाजाही स्वचालित होगी।

III. **निर्णय लेने के स्तरों को कम करना**– कुछ मामलों में जैसे कि अवकाश की मंजूरी आदि के लिए शक्ति प्रत्यायोजित की गई है।

IV. **पेंशन मामलों में ऑनलाइन प्रक्रिया**– पेंशन के मामलों पर ऑनलाइन कार्रवाई की जा रही है।

दिनांक 01.01.2017 से 31.12.2017 तक की अवधि के दौरान माननीय विधि और न्याय मंत्री, विधि कार्य विभाग के अधिकारियों और विधि अधिकारियों द्वारा किए गए विदेश दौरों का विवरण :

क्र.सं.	नाम और पदनाम	देश का नाम	दौरे का प्रयोजन और अवधि
1.	श्री रविशंकर प्रसाद, माननीय विधि और न्याय मंत्री	नसाऊ (बहामास)	दिनांक 16 से 19 अक्तूबर, 2017, राष्ट्रमंडल के विधि मंत्रियों की त्रैवार्षिक बैठक में भाग लेने हेतु।
2.	श्री पी.पी. चौधरी, माननीय राज्य मंत्री (विधि और न्याय)	ताशकंद (उजबेकिस्तान)	दिनांक 19 से 21 अक्तूबर, 2017, शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के न्याय मंत्रियों की पांचवीं बैठक में भाग लेने हेतु।
3.	श्री सुरेश चंद्र, विधि सचिव	सेंट पीटर्सबर्ग (रूस)	दिनांक 16 से 20 मई, 2017, सातवें सेंट पीटर्सबर्ग अंतरराष्ट्रीय विधि फोरम में भाग लेने हेतु।

		ताशकंद (उजबेकिस्तान)	दिनांक 10–11 अगस्त, 2017, शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) सदस्य देशों क न्याय मंत्रालयों के विशेषज्ञों के कार्य–दल की बैठक में भाग लेने हेतु।
		नसाऊ (बहामास)	दिनांक 16 से 19 अक्तूबर, 2017, राष्ट्रमंडल के विधि मंत्रियों की त्रैवार्षिक बैठक में भाग लेने हेतु।
4.	श्री पी.एस. नरसिंह, भारत के अपर महासालिसिटर	ओटावा (कनाडा)	दिनांक 15 से 18 अक्तूबर, 2017, भारत–कनाडा विधि फोरम की छठी बैठक में भाग लेने हेतु।
5.	श्रीमती पिंकी आनन्द, भारत की अपर महासालिसिटर	सेंट पीटर्सबर्ग (रूस)	दिनांक 28 से 30 नवंबर, 2017, शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के महाभियोजक कार्यालय के पंद्रहवें सत्र में भाग लेने हेतु।
6.	श्री ए. नाडकर्णी, भारत के अपर महासालिसिटर	सेंट पीटर्सबर्ग (रूस)	दिनांक 28 से 30 नवंबर, 2017, शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के महाभियोजक कार्यालय के पंद्रहवें सत्र में भाग लेने हेतु।
7.	डॉ. अंजु राठी राणा, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार	ताशकंद (उजबेकिस्तान)	दिनांक 18 से 21 अक्तूबर, 2017, शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के न्याय मंत्रियों की पांचवी बैठक में भाग लेने हेतु।
		सेंट पीटर्सबर्ग (रूस)	दिनांक 28 से 30 नवंबर,2017, शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के महाभियोजक कार्यालय के पंद्रहवें सत्र में भाग लेने हेतु।
8.	श्री आर.के. श्रीवास्तव, उप विधि सलाहकार	सियोल (दक्षिण कोरिया गणराज्य)	दिनांक 7 से 9 नवंबर, 2017, छठे यूएनसीआईटीआरएएल, वैकल्पिक विवाद समाधान का एशिया ओर प्रशांत क्षेत्रीय केन्द्र का सम्मेलन, क्षेत्रीय क्षमता निर्माण कार्यशाला और क्षेत्रीय गोलमेज कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु।
9.	डॉ.आर.जे.आर. काशीभाटला, उप विधि सलाहकार	हेग, (नीदरलैंड)	दिनांक 21 से 29 जनवरी, 2017, टिनोक होल्डिंग्स लिमिटेड बनाम भारत गणराज्य के माध्यस्थम मामले के लिए सुनवाई और तैयारी बैठक में भाग लेने हेतु।
		कोबे (जापान)	दिनांक 26 फरवरी से 3 मार्च 2017, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी व्यापार वार्ता समिति की 17वीं बैठक और संबंधित बैठकों में भाग लेने हेतु।
		मनीला (फिलिपींस)	दिनांक 6 मई से 12 मई, 2017, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी व्यापार वार्ता समिति की 18वीं बैठक और संबंधित बैठकों में भाग लेने हेतु।
		मनीला (फिलिपींस)	दिनांक 12 से 17 सितंबर, 2017 क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी विषयक निवेश कार्यसमूह की अंतर– सत्रीय बैठक में भाग लेने हेतु।

		इंचोन (दक्षिण कोरिया गणराज्य)	दिनांक 18 से 26 अक्तूबर, 2017, पर 20वीं क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी के निवेश विषयक कार्यसमूह (डब्लूजीआई) की बैठक में भाग लेने हेतु।
10.	श्री ओ.पी. बागड़ी, उप विधि सलाहकार	मिलान (इटली)	दिनांक 6 से 7 जून, 2017, अगस्ता वेस्टलैंड (वीवीआईपी/वीआईपी हेलिकॉप्टर खरीद मामला) के पुनः विचारण के मामले में न्यायालय की कार्यवाहियों में भाग लेने हेतु।
11.	श्री ओ. वेंकटेश्वरलू, उप विधि सलाहकार	सेंट पीटर्सवर्ग (रूस)	दिनांक 16 से 20 मई, 2017, सातवें सेंट पीटर्सवर्ग अंतरराष्ट्रीय विधि फोरम में भाग लेने हेतु।
12.	श्रीमती कुसुम लता सिंह, सहायक विधि सलाहकार	कोलंबो (श्रीलंका)	दिनांक 18 से 20 दिसंबर, 2017, भारत – श्रीलंका आर्थिक तकनीकी सहयोग करार (ईटीसीए) वार्ता के सातवें दौरे में भाग लेने हेतु।
13.	डॉ.आर.एस. श्रीनेत, सहायक विधि सलाहकार	मिंस्क (बेलारूस)	दिनांक 15–16 जून, 2017, भारत – बेलारूस द्विपक्षीय निवेश संधि के लिए वार्ता के चौथे दौरे में भाग लेने हेतु।
14.	श्री नीरज रावत, सहायक विधि सलाहकार	वियना (आस्ट्रिया)	दिनांक 4 से 6 जुलाई, 2017, संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग (यूएनसीआईटीआरएएल) द्वारा "नवाचार और दीर्घकालिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि का आधुनिकीकरण" विषय पर आयोजित तीन दिवसीय सम्मेलन में भाग लेने हेतु।
15.	श्री कृष्ण मोहन आर्य, सहायक विधि सलाहकार	बैंकॉक, (थाईलैंड)	दिनांक 4–5 सितंबर, 2017, यूएनसीआईटीआरएएल, आरसीएपी की दो–दिवसीय संगोष्ठी में भाग लेने हेतु।
16.	श्री अर्पित अनंत मिश्र, सहायक विधि सलाहकार	वारसा (पोलैंड)	दिनांक 7–8 सितंबर, 2017, भारत और पोलैंड के बीच आपराधिक मामलों के संबंध में पारस्परिक विधिक सहायता संधि के लिए वार्ता में भाग लेने हेतु।
17.	श्री हेमंत कुमार, सहायक विधि सलाहकार	अबू–धाबी (यूएई)	दिनांक 25 से 27 सितंबर, 2017, भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि के लिए प्रथम दौर की वार्ता में भाग लेने हेतु।
		अंकारा (तुर्की और बर्न (स्विजरलैंड)	(i) दिनांक 8 से 10 नवंबर, 2017, भारत और तुर्की के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि के लिए प्रथम दौर की वार्ता (ii) दिनांक 13–14 नवंबर, 2017, भारत और स्विजरलैंड के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि के लिए दूसरे दौर की वार्ता में भाग लेने हेतु।
18.	श्रीमती आरती चोपड़ा, सहायक विधि सलाहकार	वियना (आसट्रिया)	दिनांक 2 से 6 अक्तूबर, 2017, यूएनसीआईटीआरएएल कार्यसमूह–II (विवाद निपटान) के सड़सठवें सत्र में भाग लेने हेतु।
19.	श्री नवीन कुमार रजक, अनुभाग अधिकारी	बैंकाक, (थाईलैंड)	दिनांक 4–5 सितंबर, 2017, यूएनसीआईटीआरएएल, आरसीएपी को दो–दिवसीय संगोष्ठी में भाग लेने हेतु।

अध्याय–II

विधायी विभाग

जहां तक भारत सरकार के विधायी कारबार का संबंध है, विधायी विभाग मुख्य रूप से एक सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। यह विभाग विभिन्न प्रशासनिक विभागों तथा मंत्रालयों के विधायी प्रस्तावों को सुगम एवं त्वरित रूप से संसाधित करने का कार्य सुनिश्चित करता है।

1. कृत्य

1.1 भारत सरकार का एक सेवा–उन्मुख विभाग होने के नाते विधायी विभाग निम्नलिखित विषयों से संबंधित है :–

(i) सभी विधायी प्रस्तावों के संबंध में मंत्रिमंडल के लिए टिप्पणों की प्रारूपण की दृष्टि से संवीक्षा करना;

(ii) सभी सरकारी विधेयकों को, जिनके अंतर्गत संविधान (संशोधन) विधेयक भी हैं, संसद में पुरःस्थापित करने के लिए उनका प्रारूपण तैयार करना तथा उनकी विधीक्षा करना, हिन्दी में उनका अनुवाद करना और विधेयकों के अंग्रेजी और हिन्दी, दोनों पाठ लोक सभा अथवा राज्य सभा सचिवालय को भेजना; विधेयकों में सरकारी संशोधनों का प्रारूप तैयार करना, गैर–सरकारी संशोधनों की संवीक्षा करना और प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को यह विनिश्चय करने में सहायता देना कि गैर–सरकारी संशोधन स्वीकार किए जाने योग्य हैं या नहीं;

(iii) अधिनियमित किए जाने से पहले विधेयक जिन प्रक्रमों से होकर गुजरता है उन सभी प्रक्रमों पर संसद, संसद की संयुक्त/स्थायी समितियों की सहायता करना। इसके अंतर्गत समितियों के लिए रिपोर्टों तथा पुनरीक्षित विधेयकों की संवीक्षा करना और उन्हें तैयार करने में सहायता देना भी है;

(iv) राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किए जाने वाले अध्यादेशों का प्रारूप तैयार करना;

(v) जिन राज्यों में राष्ट्रपति शासन हो, उनके संबंध में राष्ट्रपति के अधिनियमों के रूप में अधिनियमित किए जाने वाले विधान का प्रारूप तैयार करना;

(vi) राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले विनियमों का प्रारूप तैयार करना;

(vii) सांविधानिक आदेशों अर्थात उन आदेशों का प्रारूप तैयार करना, जिनका संविधान के अधीन जारी किया जाना अपेक्षित है;

(viii) सभी कानूनी नियमों, विनियमों, आदेशों, अधिसूचनाओं, संकल्पों और स्कीमों, आदि की संवीक्षा और विधीक्षा करना तथा हिंदी में उनका अनुवाद करना;

(ix) समवर्ती क्षेत्र के ऐसे राज्य विधान की संवीक्षा करना, जिसके लिए संविधान के अनुच्छेद 254 के अधीन राष्ट्रपति की अनुमति अपेक्षित है;

(x) संघ राज्यक्षेत्रों के विधान–मंडलों द्वारा अधिनियमित किए जाने वाले विधानों की संवीक्षा करना;

(xi) संसद, राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के विधान–मंडलों, राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन;

(xii) निर्वाचनों में हुए व्यय का संघ और राज्यों तथा विधान–मंडल वाले संघ राज्यक्षेत्रों के बीच प्रभाजन;

(xiii) भारत निर्वाचन आयोग और निर्वाचन सुधार;

(xiv) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950; लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951; निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्त सेवा–शर्त और कारबार का संव्यवहार) अधिनियम, 1991 का प्रशासन;

(xv) निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्त सेवा–शर्त और कारबार का संव्यवहार) अधिनियम, 1991 के अधीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों से संबधित विषय;

(xvi) संसदीय एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन संबंधी मामले;

(xvii) संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची के अंतर्गत स्वीय विधियों, संपत्ति अंतरण, संविदाओं, साक्ष्य और सिविल प्रक्रिया आदि से संबंधित विषयों पर विधान;

(xviii) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों, आदि के अधिकारियों को विधायी प्रारूपण में प्रशिक्षण प्रदान करना;

(xix) केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी और संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्य भाषाओं में उनके प्राधिकृत अनुवाद का प्रकाशन करना और विधिक तथा सांविधिक दस्तावेजों का भी अनुवाद करना;

(xx) विधि पत्रिकाओं के रूप में सांविधिक, सिविल तथा दांडिक विधियों से संबंधित मामलों में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के चयनित निर्णयों के हिन्दी अनुवाद का प्रकाशन।

(2) विधायी विभाग के नियंत्रणाधीन कोई कानूनी या स्वशासी निकाय नहीं है। इसके अधीन दो अन्य खंड भी हैं अर्थात् राजभाषा खंड और विधि साहित्य प्रकाशन, जो विधि के क्षेत्र में हिन्दी और अन्य राजभाषाओं के प्रसार के लिए उत्तरदायी हैं।

(क) विधायी विभाग का राजभाषा खंड मानक विधि शब्दावली तैयार करने और प्रकाशित करने और राजभाषा अधिनियम, 1963 के अधीन यथाअपेक्षित संसद में पुरःस्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों, सभी केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों, अधीनस्थ विधानों आदि का हिन्दी में अनुवाद करने के लिए उत्तरदायी है। यह खंड प्राधिकृत पाठ (केन्द्रीय विधि) अधिनियम, 1973 के अधीन यथाअपेक्षित संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट राजभाषाओं में केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों आदि के अनुवाद की व्यवस्था करने के लिए भी उत्तरदायी है। राजभाषा खंड हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के संवर्धन और प्रसार में लगे विभिन्न रजिस्ट्रीकृत

स्वैच्छिक संगठनों और ऐसे संगठनों को, जो सीधे विधिक साहित्य के प्रकाशन और विधि के क्षेत्र में हिन्दी तथा अन्य भाषाओं के प्रसार में लगे हैं, सहायता अनुदान भी जारी करता है।

(ख) विधि साहित्य प्रकाशन प्रमुख रूप से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के प्रतिवेद्य निर्णयों के प्राधिकृत हिन्दी पाठ प्रकाशित करने से संबद्ध है, जिसका उद्देश्य विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग का संवर्धन करना है। इस संबंध में विधि साहित्य प्रकाशन हिन्दी में विधि साहित्य के विभिन्न प्रकाशन निकालता है। हिन्दी में उपलब्ध विधि साहित्य के व्यापक प्रचार एवं विक्रय हेतु यह विभिन्न राज्यों में प्रदर्शनियां भी लगाता है।

2. संगठनात्मक गठन

विधायी विभाग के संगठनात्मक गठन में सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी, अपर विधायी परामर्शी, उप विधायी परामर्शी, सहायक विधायी परामर्शी तथा अन्य सहायक स्टाफ सम्मिलित हैं। प्रमुख विधानों के संबंध में विधायी प्रारूपण और अधीनस्थ विधान की संवीक्षा और विधीक्षा से संबंधित कार्य विभिन्न विधायी समूहों में वितरित किए गए हैं। प्रत्येक विधायी समूह का प्रधान एक संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी अथवा अपर सचिव होता है जिसकी सहायता विभिन्न स्तरों पर अनेक विधायी परामर्शी करते हैं। विधायी विभाग के सचिव मुख्य संसदीय परामर्शी के रूप में कार्य करते हैं तथा अपर सचिव सभी अधीनस्थ विधानों के प्रभारी हैं। विधायी विभाग का संगठनात्मक चार्ट उपाबंध x पर है।

3. विधायन

विधायन, सरकार की नीति को स्पष्ट करने का एक मुख्य साधन है। इस संदर्भ में विधायी विभाग उन उद्देश्यों को पूरा करने में मुख्य भूमिका निभाता है, जिन्हें सरकार विभिन्न विधानों के माध्यम से सुनिश्चित करना चाहती है।

(2) विधायी विभाग न केवल प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों द्वारा आरंभ किए गए विधानों के प्रारूपण के लिए सेवाकारी विभाग के रूप में कार्य करता है अपितु यह उन विषयों की बाबत, जिनसे वह प्रशासनिक रूप से संबद्ध है, विधान भी बनाता है।

(3) विधायी विभाग प्रतिवर्ष केंद्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने के लिए वित्त विधेयक का प्रारूपण करता है। विधायी विभाग द्वारा यह कार्रवाई वित्त मंत्रालय द्वारा इसके समक्ष लाए गए बजट प्रस्तावों पर की जाती है। सुविधा की दृष्टि से, विभिन्न विषय, जिन पर प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के आदेश पर विधायी विभाग में विधेयकों के प्रारूप तैयार किए जाते हैं, को व्यापक रूप से निम्नलिखित प्रवर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है: –

(क) सांविधानिक संशोधन;

(ख) आर्थिक और कारपोरेट विधियां;

(ग) सिविल प्रक्रिया और अन्य सामाजिक कल्याणकारी विधान;

(घ) निरर्थक विधियों का निरसन; और

(ङ) प्रकीर्ण विधियां।

4. 1 जनवरी, 2017 से 31 दिसम्बर, 2017 तक की अवधि के दौरान, इस विभाग ने संसद के सदनों में पुरःस्थापन के लिए विधेयकों/अध्यादेशों के प्रारूपण के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से मंत्रिमंडल के लिए विधायी प्रस्तावों वाले 100 टिप्पणों की परीक्षा की। इस अवधि के दौरान कुल 55 विधेयक पुरःस्थापन के लिए संसद के सदनों को अग्रेषित किए गए।

इस अवधि के दौरान संसद को अग्रेषित किए गए विधेयकों की सूची निम्नलिखित अनुसार है :–

क्रम संख्या	संक्षिप्त नाम
1.	मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 2017
2.	वित्त विधेयक, 2017
3.	विनिर्दिष्ट बैंक नोट (उत्तरदायित्व का समाप्त होना) विधेयक, 2017
4.	भारतीय प्रबंधन संस्थान विधेयक, 2017
5.	निरसन और संशोधन विधेयक, 2017
6.	संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2017
7.	अन्तरराज्यिक नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2017
8.	फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान विधेयक, 2017
9.	संख्यिकीय संग्रहण (संशोधन) विधेयक, 2017
10.	विनियोग (रेलवे) विधेयक ,2017
11.	विनियोग (रेलवे) सं.2 विधेयक ,2017
12.	विनियोग विधेयक, 2017
13.	विनियोग (सं. 2) विधेयक, 2017
14.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2017
15.	वस्तु एवं सेवा कर विधेयक, 2017
16.	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर विधेयक,, 2017
17.	संघ राज्यक्षेत्र वस्तु एवं सेवा कर विधेयक,, 2017
18.	वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) विधेयक,, 2017
19.	कराधान विधि (संशोधन) विधेयक,, 2017
20.	संविधान (एक सौ तेईसवां) संशोधन विधेयक, 2017
21.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (निरसन) विधेयक,, 2017
22.	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक,, 2017
23	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (पब्लिक–प्राइवेट भागीदारी) विधेयक, 2017
24	निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017
25	स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2017

26	प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन) विधेयक, 2017
27	भारतीय पैट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान विधेयक, 2017
28	स्टेट बैंक (निरसन और संशोधन) विधेयक, 2017
29	बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2017
30	केंद्रीय सड़क निधि (संशोधन) विधेयक, 2017
31	सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2017
32	वस्तु एवं सेवा कर (जम्मू–कश्मीर पर विस्तारण) विधेयक, 2017
33	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (जम्मू–कश्मीर पर विस्तारण) विधेयक, 2017
34	पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर विस्तारण) विधेयक, 2017
35	विनियोग (सं. 3) विधेयक, 2017
36	विनियोग (सं. 4) विधेयक, 2017
37	राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक, 2017
38	मजदूरी संहिता विधेयक, 2017
39	वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017
40	निरसन और संशोधन (द्वितीय) विधेयक, 2017
41	निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2017
42	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् विधेयक, 2017
43	दंत चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2017
44	उपदान संदाय विधेयक, 2017
45	भारतीय वन विधेयक, 2017
46	लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2017
47	उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा और शर्तें) संशोधन विधेयक, 2017
48	विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) विधेयक, 2017
49	मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2017
50	विनियोग (सं. 5) विधेयक, 2017
51	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) द्वितीय (संशोधन) विधेयक, 2017
52	वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) संशोधन विधेयक, 2017
53	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, (संशोधन) विधेयक 2017
54	भारतीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2017
55	परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2017

5. 01.01.2017 से 31.12.2017 तक की अवधि के दौरान पुरःस्थापित किए गए और संसद के समक्ष लंबित विधेयकों में से 33 विधेयक, अधिनियमों में अधिनियमित किए गए हैं जोकि निम्नानुसार है :–

अधिनियम संख्या	संक्षिप्त नाम
1.	मजदूरी संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का 1)
2.	विनिर्दिष्ट बैंक नोट (उत्तरदायित्व का समाप्त होना) अधिनियम, 2017 (2017 का 2)
3.	शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2017 (2017 का 3)
4.	विनियोग अधिनियम, 2017 (2017 का 4)
5.	विनियोग (सं. 2) अधिनियम, 2017 (2017 का 5)
6.	प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का 6)
7.	वित्त अधिनियम, 2017 (2017 का 7)
8.	विनियोग (रेलवे) अधिनियम, 2017 (2017 का 8)
9.	विनियोग (रेलवे) सं. 2 अधिनियम, 2017 (2017 का 9)
10.	मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम, 2017 (2017 का 10)
11.	कर्मचारी प्रतिकर (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का 11)
12.	वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12)
13.	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13)
14.	संघ राज्यक्षेत्र वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14)
15.	वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 (2017 का 15)
16.	मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण (निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 2017 (2017 का 16)
17.	संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का 17)
18.	कराधान विधि अधिनियम, 2017 (2017 का 18)
19.	राष्ट्रीय तकनीकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का 19)
20.	फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान अधिनियम, 2017 (2017 का 20)
21.	संख्यिकीय संग्रहण (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का 21)
22.	नावधिकरण (समुद्री दावा की अधिकारिता और निपटारा) अधिनियम, 2017 (2017 का 22)
23.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (पब्लिक–प्राइवेट भागीदारी) (2017 का 23)
24.	निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का 24)
25.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का 25)

26.	वस्तु एवं सेवा कर (जम्मू–कश्मीर पर विस्तारण) अधिनियम, 2017 (2017 का 26)
27.	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (जम्मू–कश्मीर पर विस्तारण) अधिनियम, 2017 (2017 का 27)
28.	विनियोग (सं. 3) अधिनियम, 2017 (2017 का 28)
29.	विनियोग (सं. 3) अधिनियम, 2017 (2017 का 29)
30.	बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का 30)
31.	पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर विस्तारण) अधिनियम, 2017 (2017 का 31)
32.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) द्वितीय (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का 32)
33.	भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम, 2017 (2017 का 33)

6. अध्यादेश

विधायी विभाग ने 7 अध्यादेशों का प्रारूपण तैयार किया जो 1 जनवरी, 2017 से 31 दिसम्बर, 2017 तक की अवधि के दौरान अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किए गए थे :–

सं.	संक्षिप्त शीर्षक
1.	बैंककारी विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (2017 का 1)
2.	पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर विस्तारण) अध्यादेश, 2017 (2017 का 2)
3.	वस्तु एवं सेवा कर (जम्मू–कश्मीर पर विस्तारण) द्वितीय अध्यादेश, 2017 (2017 का 3)
4.	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (जम्मू–कश्मीर पर विस्तारण) अध्यादेश, 2017 (2017 का 4)
5.	वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अध्यादेश, 2017 (2017 का 5)
6.	भारतीय वन अध्यादेश, 2017 (2017 का 6)
7.	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (2017 का 7)

7. विनियम

संविधान के अनुच्छेद 240 के अधीन छह विनियम जारी किए गए :–

	संक्षिप्त नाम
1.	लक्षद्वीप पंचायत (संशोधन) विनियम, 2017 (2017 का 1)
2.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह मनोरंजन कर निरसन विनियम, 2017 (2017 का 2)
3.	दादरा और नागर हवेली मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विनियम, 2017 (2017 का 3)
4.	दमन और दीव मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विनियम, 2017 (2017 का 4)
5.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह (नगर निगम) संशोधन विनियम, 2017 (2017 का 5)
6.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह मूल्य वर्धित कर विनियम, 2017 (2017 का 6)

8. संवैधानिक आदेश– संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन एक संवैधानिक आदेश जारी किया गया।

	संक्षिप्त नाम
1.	संविधान (जम्मू और कश्मीर पर विस्तारण) संशोधन आदेश, 2017

9. अधीनस्थ विधान

1 जनवरी, 2017 से 31 दिसंबर, 2017 तक की अवधि के दौरान इस विभाग द्वारा 3474 कानूनी नियमों, विनियमों, आदेशों, अधिसूचनाओं की संवीक्षा और विधीक्षा की गई है।

10. अप्रचलित विधियों का निरसन

निरसन और संशोधन अधिनियम, 2017, 09.02.2017 को लोक सभा में उन 105 अप्रचलित और अनावश्यक अधिनियमों के निरसन के लिए प्रस्तावित किया गया था जोकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए थे तथा अभी राष्ट्रपति की सहमति के लिए संसद से प्राप्त किए जाने हैं।

निरसन और संशोधन (द्वितीय) अधिनियम, 2017, 11.08.2017 को लोक सभा में उन 140 अप्रचलित और अनावश्यक अधिनियमों के निरसन के लिए प्रस्तावित किया गया था जोकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए थे तथा अभी राष्ट्रपति की सहमति के लिए संसद से प्राप्त किए जाने हैं।

11. निर्वाचन आयोग के कार्य

स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक भारत का संविधान, निर्वाचन विधियों एवं तंत्र के सिद्धांतों के अनुसार नियमित अंतराल पर निष्पक्ष चुनाव कराए जा रहे हैं। संसद, राज्य विधान मंडलों तथा भारत के राष्ट्रपति तथा उप– राष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन कराने की पूरी प्रक्रिया का संचालन, निर्देशन तथा नियंत्रण संविधान द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंपा गया है।

(2) निर्वाचन आयोग एक स्थायी सांविधानिक निकाय है। प्रारंभ में निर्वाचन आयोग में केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। वर्तमान में यहां एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा दो निर्वाचन आयुक्त हैं। पहली बार, दो अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति 16 अक्टूबर, 1989 को की गयी थी लेकिन उनका कार्यकाल संक्षिप्त – 01 जनवरी, 1990 तक रहा। बाद में, 1 अक्टूबर, 1993 को दो अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए। तब से बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग प्रचलन में है।

(3) मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्त भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों (सेवा–शर्तें) अधिनियम, 1991 (1991 का 11) के अनुसार उनका कार्यकाल छह वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, है। उनकी हैसियत व वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर होती हैं। उन्हें पद से हटाना भी केवल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की भांति और उन्हीं आधारों पर संभव है।

(4) राजनीतिक दलों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 29 ए के अनुसार निर्वाचन आयोग में पंजीकृत किया जाता है। आवधिक अंतरालों पर संगठनात्मक चुनाव कराने पर बल देकर निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों में आंतरिक दल लोकतंत्र सुनिश्चित करता है। निर्वाचन

आयोग के साथ पंजीकृत राजनीतिक दलों को आयोग द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार आम चुनावों में उनके कार्यनिष्पादन के आधार पर राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान की जाती है।

(5) संसद तथा राज्य विधान मंडलों के निर्वाचन सुचारू रूप से कराने के लिए निर्वाचन आयोग का अपना स्वतंत्र सचिवालय है। विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय को इसका नोडल मंत्रालय बनाया गया है तथा इसे निर्वाचन आयोग के लिए भारत सरकार की स्वीकृतियां जारी करने का कार्य सौंपा गया है।

(6) इसके अतिरिक्त वर्ष 1950 में निर्वाचन व्यय के मामले में भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके यह निर्णय लिया गया था कि विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचन नामावलियां तैयार करने में होने वाला व्यय केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा 50:50 के अनुपात में वहन किया जाएगा। और, लोक सभा तथा राज्य विधान सभा निर्वाचन कराने का व्यय क्रमशः केन्द्र सरकार तथा संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और यदि लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन साथ–साथ होते हैं तो व्यय केन्द्र सरकार तथा संबंधित राज्य सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में वहन किया जाएगा। इस संबंध में प्रक्रिया यह है कि प्रारंभिक व्यय संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है तथा लेखा–परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने पर भारत सरकार के भाग का पुनर्भुगतान संबंधित राज्य सरकारों को कर दिया जाता है।

12. निर्वाचन विधि और निर्वाचन संबंधी सुधार

विधायी विभाग, संसद, राज्य विधान मंडलों के निर्वाचन कराने और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के संचालन से संबंधित निम्नलिखित अधिनियमों से प्रशासनिक रूप से संबद्ध है :–

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950

(ii) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

(iii) राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952

(iv) परिसीमन अधिनियम, 2002

(v) आंध्र प्रदेश विधान परिषद अधिनियम, 2005

(vi) तमिलनाडु विधान परिषद अधिनियम, 2010

(2) हमारे देश का निर्वाचक तंत्र, जिसे चुनावों का सर्वाधिक मत निर्णायक प्रणाली (फस्ट पास्ट दी पोस्ट) वाला भी कहा जाता है ने अड़सठ वर्ष पूरे कर लिए हैं। हमने अड़सठ वर्षों की इस यात्रा को अत्यंत गौरव एवं सभी क्षेत्रों में अपार सफलता के साथ पूरा किया है। यह लाखों लोगों के निरंतर कठिन परिश्रम तथा निरन्तर संघर्ष का परिणाम है, जिन्होंने इस देश के वर्तमान तथा भविष्य को अपने खून–पसीने से संवारा है। निःसंदेह यह यात्रा इतनी सुगम नहीं थी तथा हमने इस अवधि में काफी अस्तव्यस्तता एवं हलचल देखी है। इस अवधि में हमारे देश का राजनीतिक परिदृश्य तथा निवार्चन प्रक्रिया, युगान्तरकारी बदलावों से गुजरे हैं। प्रत्येक चुनाव के साथ निर्वाचन प्रक्रिया तथा चुनाव प्रबंधन की जटिलताएं बढ़ती जा रही हैं। प्रत्येक मत अत्यधिक मूल्यवान है। ऐसे परिवेश में आरोप–प्रत्यारोप

लगाए जाते हैं। कुछ बेईमान और आपराधिक तत्वों के कारण निष्पक्ष चुनाव कराना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया है।

(3) ऐसे परिवेश में, जोकि निरंतर बदल रहा है, अनेक बार निर्वाचन विधि में सुधार की आवश्यकता प्रतीत हुई है। चुनावों से प्राप्त अनुभवों, चुनाव आयोग की सिफारिशों, राजनीतिक पार्टियों सहित विभिन्न स्रोतों तथा सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण व्यक्तियों के प्रस्तावों द्वारा तथा विधान मंडलों एवं विभिन्न सार्वजनिक निकायों के विचार–विमर्श से उत्तरोत्तर सरकारों ने समय–समय पर निर्वाचन संबंधी सुधार हेतु अनेक कदम उठाए हैं, फिर भी निर्वाचन संबंधी सुधारों हेतु एक व्यापक पैकेज को लागू करने की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता।

(4) पूर्व की विभिन्न समितियों की रिपोर्टों, निर्वाचन आयोग तथा अन्य हितधारकों के तर्कों को ध्यान में रखते हुए और विधि में अविलम्ब परिवर्तन करने के लिए, प्राथमिक रूप से तीन माह की अवधि के भीतर, व्यापक उपाय सुझाने हेतु 16 जनवरी, 2013 को माननीय विधि एवं न्याय मंत्री ने निर्वाचन संबंधी सुधारों का मामला विचार करने हेतु पूर्ण रूप से विधि आयोग को सौंप दिया। इन सभी बातों पर विचार किए जाने के पश्चात, भारत के विधि आयोग ने क्रमशः 2014 तथा 2015 में निर्वाचन सुधारों' पर अपनी 244वीं तथा 255वीं रिपोर्ट पेश की। वर्तमान में, विधि आयोग की 244वीं तथा 255वीं रिपोर्ट सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

13. इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन

इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन (ई.वी.एम.), बैलेट बॉक्स का प्रतिस्थापन निर्वाचन प्रक्रिया का मुख्य आधार है। पहली बार वर्ष 1977 में निर्वाचन आयोग द्वारा कल्पना की गई, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद (ईसीआईएल) को इसे डिजाइन तथा विकसित करने का कार्य सौंपा गया। वर्ष 1979 एक प्रोटोटाइप तैयार किया गया, जिसका प्रदर्शन निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष किया गया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेंगलूर (बीईएल), एक अन्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, को, ईवीएम की शुरूआत पर आम सहमति बनने के पश्चात ईसीआईएल के साथ संयुक्त रूप से ईवीएम के निर्माण के लिए चुना गया।

(2) ईवीएम का पहली बार प्रयोग केरल में मई, 1982 के उप चुनावों में हुआ था, हालांकि, इसके प्रयोग संबंधी कोई विधि विशेष न होने के कारण उच्चतम न्यायालय ने यह चुनाव खारिज कर दिए थे। तत्पश्चात वर्ष 1989 में संसद ने चुनावों में ईवीएम के प्रयोग के लिए प्रावधान बनाने हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन किए थे। इसकी शुरूआत से संबंधित आम सहमति 1998 में ही बनी तथा तीन राज्यों, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के 25 विधानसभा क्षेत्रों में इनका प्रयोग हुआ। वर्ष 1999 में इसका प्रयोग बढ़ाकर 45 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में तथा इसके पश्चात, फरवरी, 2000 में हरियाणा विधानसभा चुनावों में 45 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों किया गया। मई, 2001 में राज्य विधानसभा चुनावों में तमिलनाडू, केरल, पांडिचेरी तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में ईवीएम का प्रयोग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में किया गया। तब से, सभी राज्य विधानसभा के लिए आयोग ने ईवीएम का प्रयोग किया है। वर्ष 2004 में, लोक सभा के आम चुनावों में देश के 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम (दस लाख से अधिक) का प्रयोग किया गया। वर्ष 2004 से सभी चुनावों में ईवीएम का प्रयोग हुआ है।

(3) चुनावों में ईवीएम के डिजाइन तथा प्रयोग को वैश्विक लोकतंत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि माना जाता है। इससे प्रणाली में अधिक पारदर्शिता, तेजी तथा ग्राहयता आयेगी। इससे ईवीएम के प्रयोग में प्रवीण निर्वाचन अधिकारियों का व्यापक दल तैयार करने में भी सहायता मिली है। इसके विकास क्रम में आयोग ने निर्देशों की श्रृंखला, अधिक पूछे जाने वाले प्रश्न तथा तकनीकी दिशा–निर्देश जारी किए हैं। इस अवधि के दौरान, अनेक न्यायिक निर्णयों से भी ईवीएम को हमारी निर्वाचन प्रणाली का अभिन्न अंग बनाने में सहायता मिली है।

14. ईवीएम का विस्तार तथा निपटान–तकनीकी विशेषज्ञ समिति का गठन

ईसीआई–ईवीएम का अनुमोदन 1990 में निर्वाचन सुधारों पर गोस्वामी समिति की पहल पर भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक तकनीकी विशेषज्ञ उपसमिति द्वारा किया गया था। इस समिति की अध्यक्षता प्रो.एस.सम्पत, तत्कालीन अध्यक्ष आर.ए.सी., रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने अन्य सदस्यों, प्रो. पी.वी.इंदीरसेन, जोकि तब दिल्ली आई.आई.टी. में थे तथा डॉ सी.राव कसारबाडा, तत्कालीन निदेशक, इलेक्ट्रॉनिकी अनुसंधान एवं विकास केंद्र, त्रिवेंद्रम के साथ की थी। इसके बाद से आयोग ईवीएम से संबंधित सभी तकनीकी मामलों पर तकनीकी विशेषज्ञों के दल से विमर्श करता है। नवंबर, 2010 में, आयोग ने दो अन्य विशेषज्ञों को शामिल करके अपनी तकनीकी विशेषज्ञ समिति का विस्तार किया है।

2) ईवीएम के उन्नयन तथा निपटान संबंधी सभी मामलों में तकनीकी विशेषज्ञ समिति (टीईसी) से परामर्श किया जाता है। तत्पश्चात, इस मामले में कोई भी निर्णय लिया जाता है। वर्तमान समय में आयोग में प्रयोग हेतु ईवीएम के तीन प्रकार उपलब्ध हैं– पूर्व 2006, उत्तर 2006 तथा उन्नत उत्तर 2006। उन्नत उत्तर 2006 (उत्तर 2013) ईवीएम का प्रयोग लोक सभा, 2014 के आम चुनाव में किया गया था।

(3) अभी तक ईवीएम का जो प्रापण किया गया है, उसका ब्यौरा निम्नानुसार है–

क्रम सं0	वित्तीय वर्ष	बैलेट यूनिट की कुल सं.	कंट्रोल यूनिट की कुल सं.	कुल धनराशि प्रदत्त/स्वीकृत (रुपयों में)	कुल धनराशि प्रदत्त/स्वीकृत (करोड़ रुपयों में)
1.	2000–2001	142631	142631	1499880443	149.99
2.	2001–2002	135481	135481	1422900000	142.29
3.	2002–2003	190592	190592	2006100000	200.61
4.	2003–2004	336045	336045	3530000000	353.00
5.	2004–2005	125681	125681	1315400000	131.54
6.	2006–2007	250000	250000	2893742332	289.38
7.	2008–2009	180000	180000	1900000000	190.00
8.	2009–2010	127000	100000	1150000000	115.00
9.	2013–14	382876	251650	2159435745	215.94
	योग	1870306	1712080	17877458520	1787.75

(4) इसके अतिरिक्त, तीन वित्तीय वर्षों में ईवीएम के प्रापण के लिए हाल ही में अनुमोदन प्राप्त किया गया है जोकि निम्नानुसार है–

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	ईवीएम				वीवीपीएटी	ईवीएम (बी.यू. एवं सी.यू.) एवं वीवीपीएटी	
		बी.यू. की सं.	मूल लागत @ रू 7700/–	सी.यू. की सं.	मूल लागत @ रू 9300/–	वीवीपीएटी की सं.	मूल लागत @ रू 16000/–	कुल मूल लागत
1	2	3	4=(3x7700)	5	6=(5x9300)	7	8=(7x16000)	9=(4+6+8)
1.	2016–17	550000	4235000000	545000	5068500000	443000	7088000000	16391500000
2.	2017–18	410000	3157000000	314000	2920200000	510000	8160000000	14237200000
3.	2018–19	435306	3351856200	71716	666958800	662066	10593056000	14611871000
	2018–19	1395306	10743856200	930716	8655658800	1615066	25841056000	45240571000

15. मतदान फोटो पहचान–पत्रों की प्रगति की प्रास्थिति (ई पी आई सी)

निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता फोटो पहचान–पत्रों का उपयोग धीरे–धीरे और निश्चित रूप से निर्वाचन प्रक्रिया को सरल, सहज और तीव्र बना रहा है। निर्वाचन आयोग ने 1993 में निर्वाचनों में जाली मतदान और निर्वाचनों में मतदाताओं के प्रतिरूपण को रोकने के लिए पूरे देश में मतदाताओं को फोटो पहचान–पत्र जारी करने का विनिश्चय किया था। निर्वाचक नामावली, रजिस्ट्रीकृत मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान–पत्र जारी करने का आधार है। निर्वाचक नामावलियों को सामान्यतः प्रत्येक वर्ष अर्हक तारीख के रूप में 1 जनवरी को पुनरीक्षित किया जाता है। ऐसे सभी व्यक्ति, जो उस तारीख को 18 वर्ष या अधिक की आयु प्राप्त कर चुके हैं, निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के पात्र हैं और उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एक बार नामावली में रजिस्ट्रीकृत होने पर, वे मतदाता फोटो पहचान–पत्र प्राप्त करने के हकदार हो जाएंगे। अतः मतदाता फोटो पहचान–पत्र जारी करने की स्कीम एक सतत् और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके पूरा होने के लिए कोई समय–सीमा नियत नहीं की जा सकती, क्योंकि और अधिक संख्या में व्यक्तियों के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर मताधिकार के लिए पात्र हो जाने के कारण निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण (नामांकन फाइल करने और निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने की अंतिम तारीख के बीच की संक्षिप्त अवधि को छोड़कर) एक सतत् और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। साथ ही, आयोग का निरंतर यह प्रयास रहा है कि ऐसे निर्वाचकों को, जो पूर्व के अभियानों में छूट गए हैं उन्हें और नए निर्वाचकों को मतदाता फोटो पहचान–पत्र प्रदान किए जाएं। निर्वाचन आयोग, जो निर्वाचकों को फोटो पहचान–पत्र जारी किए जाने की स्कीम के कार्यान्वयन का संपूर्ण भारसाधक है, नियमित रूप से उसकी प्रगति की मॉनिटरिंग करता है।

(2) निर्वाचन आयोग का प्रयास यह है कि जहां तक व्यवहार्य हो, मतदाता फोटो पहचान–पत्र योजना के अंतर्गत 100 प्रतिशत कवरेज का लक्ष्य समयबद्ध तरीके से प्राप्त किया जाए। मतदाता फोटो पहचान–पत्र को जारी करने के लिए आयोग ने कोई नियत समय सीमा नहीं निर्धारित की है। हालांकि उन सभी व्यक्तियों को जल्द से जल्द मतदाता फोटो पहचान–पत्र जारी करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है जो निर्वाचक नामावली में पहले ही नामांकित हैं, इनमें से कुछ प्रयास निम्नानुसार हैं –

(i) सभी मतदाताओं के मतदाता फोटो पहचान–पत्र बनाने के लिए विशेष फोटोग्राफी अभियान चलाये जाते हैं।

(ii) मतदाता डाटाबेस में मतदाताओं की फोटो उपलब्ध न होने की स्थिति में समय–समय पर विशेष अभियान चला कर फोटो एकत्र की/ली जाती हैं।

(iii) सभी मतदाताओं की फोटो एकत्र करने तथा मतदाता फोटो पहचान–पत्र बनाने के लिए आयोग द्वारा बूथ लेवल अफसरों की नियुक्ति की गई है।

(iv) बिना रूकावट नामांकन करने तथा सभी नए रजिस्टर्ड मतदाताओं को ईपीआईसी जारी करने के लिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस घोषित किया गया है।

(3) इस संबंध में देश में मतदाताओं को फोटो पहचान–पत्र जारी करने की प्रगति दर्शाने वाला विवरण आयोग में उपलब्ध अद्यतित डाटा (2017) के अनुसार निम्नानुसार है।

क्रम सं.	राज्य का नाम	ईपीआईसीः
1	आन्ध्र प्रदेश	100.00
2	अरूणाचल प्रदेश	99.60
3	असम	96.21
4	बिहार	100.00
5	छत्तीसगढ़	97.97
6	गोवा	99.71
7	गुजरात	100.00
8	हरियाणा	100.00
9	हिमाचल प्रदेश	100.00
10	जम्मू और कश्मीर	92.91
11	झारखण्ड	99.79
12	कर्नाटक	100.00
13	केरल	100.00
14	मध्य प्रदेश	100.00
15	महाराष्ट्र	95.81
16	मणिपुर	100.00
17	मेघालय	100.00

18	मिजोरम	100.00
19	नागालैण्ड	98.20
20	उड़ीसा	98.15
21	पंजाब	100.00
22	राजस्थान	99.13
23	सिक्किम	100.00
24	तमिलनाडु	99.91
25	# तेलंगाना	100.00
26	त्रिपुरा	100.00
27	उत्तराखण्ड	100.00
28	उत्तर प्रदेश	98.88
29	पश्चिम बंगाल	100.00
30	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	98.88
31	चण्डीगढ़	100.00
32	दादरा एवं नागर हवेली	100.00
33	दमन एवं दीव	100.00
34	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	100.00
35	लक्षद्वीप	100.00
36	पुडुचेरी	99.99
	समस्त भारत	99.28

तेलंगाना में 2015 के आंकड़े

16. मतदाता सत्यापनीय पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी):

4 अक्तूबर, 2010 को हुई सभी राजनीतिक दलों की बैठक में दलों ने ईवीएम से संतुष्टि जाहिर की परंतु कुछ दलों ने आयोग से मतदान प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और सत्यापनीयता के लिए मतदाता सत्यापनीय पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) की शुरूआत करने पर विचार करने का अनुरोध किया। आयोग ने इस संबंध में जांच करने तथा संस्तुति देने के लिए ईवीएम संबंधी तकनीकी विशेषज्ञ समिति से मामले का उल्लेख किया। विषेशज्ञ समिति ने इस विषय पर ईवीएम के निर्माताओं, बीईएल और ईसीआईएल के साथ कई बैठकें कीं तथा उसके पश्चात उन्होंने ईवीएम के साथ वीवीपीएटी प्रणाली के डिजाइन संबंधी आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए

राजनीतिक दलों और अन्य सामाजिक सदस्यों से मुलाकात की। निर्वाचन आयोग ने 26 दिसंबर, 2016 के पत्र द्वारा सूचित किया कि विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के पश्चात, निर्वाचन आयोग ने वीवीपीएटी के निर्माण के लिए बीईएल और ईसीआईएल के अतिरिक्त दो अन्य के.सा.क्षे.उ., आई.टी.आई. लिमिटेड, बंगलौर तथा सी.ई.एल., गाजियाबाद का चुनाव किया है।

(2) भारत सरकार ने 14 अगस्त, 2013 को संशोधित निर्वाचनों का संचालन नियमावली, 1961 को अधिसूचित किया जिसमें आयोग को ईवीएम के साथ वीवीपीएटी के प्रयोग का अधिकार दिया गया। आयोग ने ईवीएम के साथ वीवीपीएटी का प्रयोग सर्वप्रथम नागालैण्ड के 51–नोकसेन (एसटी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप–चुनावों में किया। तत्पश्चात, वीवीपीएटी का प्रयोग विधानसभा के सभी चुनावों में चुनिंदा निर्वाचन क्षेत्रों तथा लोक सभा, 2014 के आम चुनावों में 8 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में किया गया। निर्वाचन आयोग ने नवंबर–दिसंबर 2017 में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में सभी निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपीएटी यूनिटों का प्रयोग किया।

(3) आयोग ने 2019 के आम चुनावों में प्रयुक्त किए जाने हेतु 16.15 लाख वीवीपीएटी की आपूर्ती के लिए निर्माताओं, मेसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बंगलौर तथा मेसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद को ऑर्डर दिया है।

17. वीवीपीएटी के तथ्य

वीवीपीएटी एक स्वतंत्र यंत्र है जो कि इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन के साथ लगा होता है जिससे मतदाता जांच सकता है कि मत उनके द्वारा चुने गए प्रत्याशी को ही गया है। जब मत डाला जाएगा, प्रिंटर द्वारा उम्मीदवार की क्रम संख्या, उम्मीदवार के नाम तथा उम्मीदवार के चुनाव चिह्न को दर्शाते हुए एक स्लिप मुद्रित होगी तथा 7 सेकंड के लिए पारदर्शी विंडो में दिखाई देगी। इसके पश्चात यह प्रिंटिड स्लिप अपने आप कट जाएगी तथा वीवीपीएटी के ड्रॉप बक्से में गिर जाएगी।

18. निर्वाचन विधियों को अन्तर्वलित करने वाले न्यायालय मामले

विधायी विभाग, विभिन्न निर्वाचन संबंधी विधियों का प्रशासनिक भारसाधक होने के नाते निर्वाचनों की वैधता तथा निर्वाचन विधियों संबंधी विभिन्न न्यायालय मामलों को भी देखता है। वर्ष 2017 के आरम्भ में निर्वाचन संबंधी विषयों पर उच्चतम न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों में 245 मामले लम्बित थे। उक्त वर्ष के दौरान 30 नए मामले प्राप्त हुए थे जिनके संबंध में पैरावार टिप्पणियां, प्रति शपथ–पत्र और समुचित अनुदेश, संबंधित सरकारी काउंसेल को संप्रेषित किए गए थे। 8 मामलों का इस अवधि के दौरान निपटारा कर दिया गया है। इस समय उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लगभग 267 मामले लम्बित हैं। सभी मामलों की प्रभावी रूप से मानिटरिंग की जा रही है।

19. संसदीय कार्य का संचालन

वर्ष 2017–18 के दौरान, विधायी विभाग, जिसे विधि एवं न्याय मंत्रालय के संसदीय कार्य के समन्वयन/संचालन का कार्य दिया गया है, ने निम्नानुसार कार्य का निपटान किया है :

क्र. सं.	कारबार की मद	विधि एवं न्याय मंत्रालय के आंकड़े
1.	लोक सभा प्रश्न	207
2.	राज्य सभा प्रश्न	169
3.	लोक सभा में प्राइवेट सदस्यों के विधेयक	34
4.	राज्य सभा में प्राइवेट सदस्यों के विधेयक	8
5.	प्राइवेट सदस्यों के संकल्प	2
6.	राज्य सभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	2
7.	लोक सभा में अल्पावधि चर्चा	1
8.	शून्यकाल के दौरान उठाए गए मामले	13
9.	लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत उठाए गए मामले	6
10.	राज्य सभा में विशेष उल्लेख	8

20. परामर्श समिति

विधि और न्याय मंत्रालय से संबद्ध संसद सदस्यों की परामर्श समिति को दिनांक 16 सितम्बर, 2009 को 15 सदस्यों के साथ माननीय विधि और न्याय मंत्री की अध्यक्षता में गठित किया गया था। वर्ष 2017 के दौरान, इस मंत्रालय से संबद्ध परामर्श समिति की दो बैठकें 30 मार्च, 2017 तथा 16 नवंबर, 2017 को हुई।

21. लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2017

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 20ए के वर्तमान प्रावधान तथा उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, अप्रवासी भारतीय (एन.आर.आई.) जो मतदान करने का इच्छुक हो, को चुनाव के समय अपने निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित होना आवश्यक है तथा उक्त प्रावधान बाहरी मतदान के माध्यम की अनुमति नहीं देता जोकि कुछ अन्य देशों में प्रचलित है। बाहरी मतदाताओं के लिए परोक्षी मतदान की शुरूआत करने के लिए रखे गए प्रस्ताव को मंत्रीमण्डल द्वारा 2 अगस्त, 2017 को हुई बैठक में स्वीकृत कर लिया गया है। इस संबंध में एक विधेयक 18 दिसंबर, 2017 को लोक सभा में प्रस्तावित किया गया।

22. समवर्ती क्षेत्र में विधान

भारत सरकार (कार्य–आबंटन) नियम, 1961 के अनुसार संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची – सूची 3 के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित विषयों की बाबत विधायी प्रस्तावों पर कार्रवाई करने से संबंधित कार्य इस विभाग को आबंटित किए गए हैं :–

(क) विवाह और विवाह–विच्छेद; शिशु और अप्राप्तवय; विलय निर्वसीयतता और उत्तराधिकार; अविभक्त कुटुंब और विभाजन;

(ख) कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति अंतरण (बेनामी संव्यवहारों को छोड़कर, विलेखों और दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण);

(ग) संविदाएं, किन्तु कृषि भूमि से संबंधित संविदाओं को छोड़कर;

(घ) अनुयोज्य दोष;

(ङ) न्यास और न्यासी, महाप्रशासक और शासकीय न्यासी;

(च) साक्ष्य और शपथ;

(छ) सिविल प्रक्रिया जिसमें परिसीमा और माध्यस्थम शामिल है;

(ज) पूर्त एवं धार्मिक विन्यास तथा धार्मिक संस्थान।

23. भारत के विधि आयोग की रिपोर्टें

विधायी विभाग, इस समय स्वीय विधियों और संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III (समवर्ती सूची) में वर्णित अन्य विषयों पर, जिनसे यह विभाग प्रशासनिक रूप से संबद्ध है, भारत के विधि आयोग की 41 रिपोर्टों की मानीटरिंग एवं जांच कर रहा है। आयोग की संस्तुतियों की केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों के साथ परामर्श करके जांच की जा रही है।

24. लाभ के पद पर संसद की संयुक्त समिति

लाभ के पद पर संसद की संयुक्त समिति, जिसका गठन प्रत्येक लोक सभा (द्वितीय लोक सभा से) के कार्यकाल के दौरान होता है, संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की अनुसूची में संशोधन करने के लिए भारत सरकार को सिफारिश करने की दृष्टि से भारत सरकार अथवा अन्य किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद, सांविधिक और गैर सांविधिक की प्रकृति, स्वरूप और संयोजन के संबंध में निरंतर समीक्षा का दायित्व का निर्वहन करती है।

(2) 16वीं लोक सभा के दौरान लाभ के पद की संवैधानिक और विधिक स्थिति का परीक्षण करने हेतु संसद के सदनों की एक संयुक्त समिति गठित की गई थी। अब तक, 12 मामलों पर विभाग के विचार समिति को दिए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, इस विभाग द्वारा रिपोर्ट की अवधि के दौरान 2 मामलों से संबंधित प्रमाण समिति को दिए जा चुके हैं।

25. विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) विधेयक, 2017

व्यापार में सरलता के लिए सरकार के प्रयासों के रूप में, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) विधेयक, 2017 नाम से एक विधेयक लोक सभा में 22 दिसंबर, 2017 को प्रस्तावित किया गया। यह प्रस्ताव अन्य प्रस्तावों के बीच अपवाद के रूप में विशिष्ट कार्य करने से संबंधित है।

26. मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2017

शायरा बानो बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप, मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2017 नाम से एक विधेयक लोक सभा में प्रस्तावित किया गया तथा 28 दिसंबर, 2017 को पारित हुआ। इस विधेयक में विवाह पर मुस्लिम महिलाओं के कुछ अधिकारों पर ध्यान दिया गया है। यह विधेयक राज्य सभा में विचाराधीन है।

27. स्वीय विधियों और अन्य विषयों से संबंधित याचिकाएं और अन्य न्यायालय मामले

विधायी विभाग, स्वीय विधियों और संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III से संबंधित मामलों, जैसे भारतीय संविदा अधिनियम 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, भारतीय न्यास अधिनियम 1882, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, विभाजन अधिनियम 1893, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, परिसीमा अधिनियम 1963 आदि के साथ लाभ का पद सहित, का प्रशासनिक प्रभारी होने के नाते सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में विभिन्न याचिकाओं और अन्य अदालती मामले देखता है। 1 जनवरी, 2017 से 31 दिसंबर, 2017 के दौरान 14 नए मामले प्राप्त हुए हैं। पैरावार टिप्पणियां, प्रति शपथपत्र और उचित अनुदेश, जैसा भी मामला हो, तैयार करके सरकारी वकील को दिए गए।

28. राज्य विधायी प्रस्ताव

राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित उपरोक्त विषयों से संबंधित ऐसे विधायी प्रस्ताव जिनके लिए संविधान के अनुच्छेद 254 के खंड (2) के उपबंधों के आधार पर, राष्ट्रपति की अनुमति अपेक्षित है, उनकी भी इस विभाग के द्वारा संवीक्षा की गई है। 1 जनवरी, 2017 से 31 दिसम्बर, 2017 तक की अवधि के दौरान, राज्य विधेयकों/अध्यादेशों से संबंधित 80 संदभों का परीक्षण किया गया था तथा गृह मंत्रालय को राय दी गई थी।

29. विधायी प्रारूपण और अनुसंधान संस्थान (आई.एल.डी.आर.)

विधायी प्रारूपण एक विशिष्ट कार्य है जिसमें प्रारूपण कौशल एवं विशेषज्ञता शामिल है। विधियों तथा उनके नियमित अद्यतन की गहन जानकारी के अतिरिक्त, विधि प्रारूपण में कौशल को बढ़ाने के लिए सतत एवं निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्य प्रशासनों के विधि प्रारूपण करने वाले अधिकारियों तथा विधि के छात्रों के लिए विधायी प्रारूपण में योग्यता और कौशल विकसित करने के लिए प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण की आवश्यकता है।

(2) देश में प्रशिक्षित विधायी प्रारूपकारों की उपलब्धता में वृद्धि करने की दृष्टि से जनवरी, 1989 में विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के एक खंड के रूप में विधायी प्रारूपण और अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। अब तक केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्य प्रशासनों के 700 अधिकारी आई.एल.डी.आर. द्वारा चलाए गए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों से लाभान्वित हुए हैं।

(3) अपनी स्थापना के आरंभ से, यह संस्थान केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्य प्रशासनों के विधि प्रारूपण करने वाले अधिकारियों तथा विधि के छात्रों के अधिकारियों को विधायी प्रारूपण में सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण दे रहा है। वर्तमान में डॉ. जी,नारायण राजू, सचिव, विधायी विभाग, आई.एल.डी.आर. के पाठ्यक्रम निदेशक हैं जो संस्थान के नियंत्रक अधिकारी के रूप में भी कार्यरत हैं।

(4) आईएलडीआर निम्नलिखित पाठ्क्रमों का संचालन करता है, जिनके नाम हैः

(i) राज्य सरकारों तथा संघ राज्य प्रशासनों के विधि अधिकारियों के लिए विधायी प्रारूपण में बुनियादी पाठ्यक्रम;

(ii) केंद्रीय मंत्रालयों के विधायी प्रारूपण करने वाले अधिकारियों के लिए विधायी प्रारूपण में मूल्यांकन पाठ्यक्रम;

(iii) कानून के विद्यार्थियों के लिए स्वैच्छिक इंटर्नशिप स्कीम। इस स्कीम का उद्देश्य यह है कि विद्यार्थियों के मन में विधायी प्रारूपण के कौशल के बारे में रूचि पैदा हो सके तथा वह विधायी विभाग की प्रकृति एवं कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी एकत्रित कर सके।

(5) 2017–18 की अवधि के दौरान आईएलडीआर द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां की गईः

(i) 4 जुलाई, 2017 से 29 सितंबर, 2017 तक विधायी प्रारूपण में उन्नतीसवां बुनियादी पाठ्यक्रम,

(ii) 6 फरवरी, 2017 से 20 फरवरी, 2017 तक विधायी प्रारूपण में बीसवां मूल्यांकन पाठ्यक्रम,

(iii) 27 फरवरी, 2017 से 3 मार्च, 2017 तक ब्यूरो ऑफ पार्लियामेंट्री स्टडीज एंड ट्रेनिंग, लोक सभा सचिवालय द्वारा संचालित किए गए विधायी प्रारूपण पाठ्यक्रम में बत्तीसवें अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया गया,

(iv) विधि के विद्यार्थियों को स्वैच्छिक इंटर्नशिप कार्यक्रम जोकि वर्ष भर चलता है।

(6) वर्ष 2017–18 के दौरान, 19 प्रशिक्षु बुनियादी पाठ्यक्रम तथा 49 अधिकारी मूल्यांकन पाठ्यक्रम द्वारा लाभान्वित हुए। 54 विद्यार्थियों को स्वैच्छिक इंटर्नशिप स्कीम में भाग लेने का अवसर दिया गया।

(7) आई.एल.डी.आर. को क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के संचालन के मूल्यांकन के आधार पर आईएसओ 9001 : 2008 सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है।

30. ई–गवर्नेंस की पहलें

(i) ओपन सोर्स कन्टेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क डिजीटल इंडिया कार्यक्रम के भाग के रूप में विधायी विभाग के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन आई सी) के माध्यम से ओपन सोर्स कन्टेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क (सी एम एस) को अपनाने का निर्णय लिया है ताकि विभाग की वेबसाइट को और अधिक नागरिक अनुकूल बनाया जा सके। यह कार्य अंतिम चरण में है तथा इसे शीघ्र लागू कर दिया जाएगा। ओपन सोर्स कन्टेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को अपनाने का उद्देश्य यह है कि सरकारी विभागों की वेबसाइट में सुधार किया जा सके ताकि स्थिर पड़ी वेबसाइट को एक सक्रिय पोर्टल में परिवर्तित किया जा सके तथा इसमें मोबाइल फ्रेंडलीनेस, टेक्स्ट स्पीच सशक्तिकरण, लैंग्वेज ट्रांस्लेशन/ट्रांस्लिटरेशन, पेमैंट गेटवे इनेबलमैंट तथा विजीटर एनेलेटिक डेशबोर्ड जैसी कतिपय विशेष सुविधाएं स्वतः उपलब्ध करवाई जा सकें। सी.एम.एफ. वेबसाइट 15 मई, 2017 को सॉफ्ट लॉन्च की गई तथा वर्तमान में एन.आई.सी. की सीएमएफ टीम इसके लिए स्टेंडर्ड टेस्टिंग क्वालिटी सर्टिफिकेशन (एसटीक्यूसी) का पालन कर रही है।

(ii) ई–ऑफिस का कार्यान्वयनः सुशासन के भाग के रूप में तथा सरकार की मिशन मोड परियोजनाओं का एक महत्वपूर्ण भाग के नाते ई–ऑफिस के कार्यान्वयन पर विभाग सक्रियता के विचार कर रहा है। यह निर्णय लिया गया है कि विधायी विभाग में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन आई सी)/राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा संस्थान (एन.आई.सी.एस.आई.) द्वारा उपलब्ध ई–ऑफिस प्रीमियम का कार्यान्वयन किया जाए। ई–ऑफिस प्रीमियम एक मानक उत्पाद है जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है तथा यह विभिन्न सरकारी मंत्रालयों/विभागों में दोहराये जाने में सक्षम है। इस परियोजना को एन.आई.सी. एस.आई. की सहायता से लागू किया जाएगा। ई–ऑफिस लागू करने के लिए एन.आई.सी.एस.आई. ने विधायी विभाग को प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव के संबंध में आवश्यक प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है तथा अब इसके संबंध में वित्तीय अनुमोदन प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वित्तीय अनुमोदन प्राप्त हो जाने के उपरांत विभाग में चरणबद्ध तरीके से परियोजना शुरू करने के लिए एन.आई.सी. तथा एन.आई.सी.एस.आई. के समन्वय से एन.आई.सी.एस.आई. के प्रस्ताव में उल्लिखित कार्यक्रम के अनुसार कदम उठाए जाएंगे।

(iii) इंटरनेट प्रोटोकॉल का 1PV4 से 1PV6 में परिवर्तनः विभाग में लगे कम्प्यूटर सिस्टम के इंटरनेट प्रोटोकॉल के 1PV4 से 1PV6 में परिवर्तन हेतु एन आई सी कक्ष के समन्वय से विधायी विभाग द्वारा आवश्यक कदम उठाए गए हैं। एन आई सी कक्ष ने मामले की जांच कर यह बताया है कि नॉन–मैनेजेबल हब्स को मैनेजेबल स्विच द्वारा प्रतिस्थापित कर इस विभाग के लैन के सभी नेटवर्क राउटरों को 1PV6 कम्पैटिबल बना दिया गया है। नेटवर्क प्रशासन, एन आई सी मुख्यालय, से तैयारी रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत 1PV6 परिवर्तन के संबंध में एन आई सी कक्ष प्रायोगिक टेस्ट नेटवर्क आरंभ करेगा।

(iv) विधायी विभाग में किसी भी संभव साइबर अटैक को नाकाम करने के लिए साइबर सुरक्षा निर्देशः विभाग की वेबसाइट को किसी भी संभव साइबर अटैक से बचाने तथा सुरक्षित बनाने के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए साइबर सुरक्षा निर्देशों को सख्त अनुपालन के लिए परिचालित किया गया है ताकि विधायी विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को गैर राज्य संस्थाओं द्वारा डाटा चोरी, हैकिंग तथा इसी प्रकार के अन्य साइबर अटैकों के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके।

31. सूचना का अधिकार संबंधी आवेदन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) के अधिनियमन के परिणामस्वरूप, विधायी विभाग ने सूचना का अधिकार संबंधी प्रकोष्ठ का गठन 12 अगस्त, 2005 से किया हुआ है, जिसमें एक अपीलीय प्राधिकारी, एक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और एक केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी हैं। वर्तमान में श्री उदय कुमारा, अपर सचिव; श्री एस.के.चिटकारा, उप सचिव तथा सुश्री विद्यावती, अवर सचिव, अपीलीय प्राधिकारी, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी तथा केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस विभाग ने, विभाग की शासकीय वेबसाइट पर "सूचना का अधिकार" शीर्षक के अधीन पृथक वेबपेज आरंभ किया है और इस विभाग से संबंधित अधिकतम सूचना को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अनुरूप उसमें प्रसारित किया है जिससे कि उक्त अधिनियम के अधीन प्रकल्पित सूचना के स्वतः प्रकटन का उद्देश्य पूरा किया जा सके। इसके अतिरिक्त, इस विभाग के अपीलीय प्राधिकारी और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के ई–मेल संपर्क पते राष्ट्रीय सूचना केंद्र प्रकोष्ठ के साथ समन्वय से सृजित किए गए हैं ताकि इस विभाग की वेबसाइट का उपयोग उक्त अधिनियम के उपबंधों का उपयोग करने में जनता के लिए

और अधिक अनुकूल बनाया जा सके। अपीलीय प्राधिकारी का ई–मेल संपर्क पता aa-rti-legis@nic-in है और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी का संपर्क पता cpio-rti-legis@nic-in है।

(2) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के विभिन्न प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए आवेदकों से प्राप्त आवेदनों की समुचित जांच की जाती है तथा विधायी विभाग की संबंधित प्रशासनिक यूनिट से उपलब्ध सूचना प्राप्त कर इसे आवेदक को प्रदान किया जाता है। साथ ही, जिन आवेदनों की विषय–वस्तु केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों से संबंधित होती है उन्हें उक्त अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार संबंधित मंत्रालय/विभाग में शीघ्र ही हस्तांतरित कर दिया जाता है। इसके अलावा, प्रथम अपील के मामले में इसकी अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निष्पक्षता से जांच की जाती है तथा विहित समय–सीमा के भीतर इसका निपटान कर दिया जाता है। वर्श 2017–18 (1 अप्रैल, 2017 से 31 दिसंबर, 2017) के दौरान उक्त अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए पांच सौ निन्यानवें (599) आवेदन प्राप्त हुए थे,जिन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत बने नियमों के अनुसार आवेदकों को उचित उत्तर देते हुए उनका शीघ्र निपटान किया गया था। 1 अप्रैल, 2017 से 31 दिसंबर, 2017 की अवधि के दौरान अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष दायर सभी अठ्ठावन (58) प्रथम अपीलों का उनके गुण–दोषों के आधार पर निपटान कर दिया गया है। आवेदनों के आगम के रूझान को देखते हुए लगता है कि 2017–2018 के शेष तीन महीनों के दौरान 300 से अधिक आवेदन प्राप्त होंगे। आरटीआई आवेदन का निपटान करते हुए दिसंबर, 2016 तक आवेदन शुल्क तथा फोटोकॉपी शुल्क के रूप में इस विभाग ने 3915/– रू. अर्जित किए हैं।

32. शुद्धि अनुभाग

केंद्र तथा राज्यों की संहिताओं का रख–रखाव

(1) शुद्धि अनुभाग विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधिकारियों के प्रयोग हेतु भारत का संविधान और उसके अधीन जारी किए गए आदेशों, निर्वाचन विधि निर्देशिका, केंद्रीय अध्यादेशों, विनियमों, राष्ट्रपति के अधिनियमों और राज्यों के अधिनियमों का रख–रखाव करता है। बजट सत्र, मॉनसून सत्र तथा शीतकालीन सत्र 2017 के दौरान पारित और प्रवृत्त किए गए संशोधनकारी अधिनियमों द्वारा किए गए संशोधनों को इंडिया कोड के जिल्दों में समाविष्ट कर दिया गया है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। 2017 में बारह राज्यों अर्थात, आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर तथा पश्चिम बंगाल से राज्यों के अधिनियम इस विभाग को प्राप्त हो गए हैं। इस विभाग का शुद्धि अनुभाग इंडिया कोड की मास्टर कॉपी का रख–रखाव करता है, जिसमें प्रभारी मंत्री, विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधिकारियों (विधि कार्य विभाग तथा विधायी विभाग) तथा भारत सरकार के विधि अधिकारियों द्वारा संदर्भ हेतु अखिल भारतीय अनुप्रयोग के लिए अनिरसित केंद्रीय अधिनियम शामिल होते हैं। ये बहुमूल्य संदर्भ पुस्तकें होती हैं तथा केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमों के संशोधित संस्करण प्रकाशित करने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। वर्ष 1947 से 2016 तक के केंद्रीय अधिनियमों को इंडिया कोड की मास्टर कॉपी में अपडेट कर दिया गया है तथा वर्ष 2017 तक इस विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। वर्ष 1947 से पहले के केंद्रीय अधिनियम प्रक्रियाधीन हैं। केंद्रीय अधिनियमों की सूची वर्णक्रमानुसार तथा कालक्रमानुसार (कालक्रमानुसार सारणी) को विधायी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है जोकि विधान संदर्भ शीर्षक के अंतर्गत www-lawmin-nic-in पर उपलब्ध हैं।

(2) वर्ष 2017 के दौरान शुद्धि अनुभाग ने संसद के तेंतीस अधिनियमों की गजट प्रतियां (अध्यादेश, विनियोग अधिनियम और वित्त अधिनियम सहित) तथा एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम आधिकारिक वेबसाइट www.egazette.nic.in से डाउनलोड कीं। उपर्युक्त में से, 13 मुख्य अधिनियम, 13 संशोधित अधिनियम तथा 7 अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किए गए हैं

क. वर्ष के दौरान डाउनलोड किए गए मुख्य अधिनियम (विनियोग अधिनियम और वित्त अधिनियम के अतिरिक्त)

1. विनिर्दिष्ट बैंक नोट (उत्तरदायित्व का समाप्त होना) अधिनियम, 2017 (2017 का 1)
2. मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम, 2016 (2017 का 10)
3. वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12)
4. एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13)
5. संघ राज्यक्षेत्र वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14)
6. वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 (2017 का 15)
7. मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण (निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 2014 (2017 का 16)
8. फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान अधिनियम, 2017 (2017 का 20)
9. नावधिकरण (समुद्री दावा की अधिकारिता और निपटारा) अधिनियम, 2017 (2017 का 22)
10. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (पब्लिक–प्राइवेट भागीदारी) (2017 का 23)
11. वस्तु एवं सेवा कर (जम्मू–कश्मीर पर विस्तारण) अधिनियम, 2017 (2017 का 26)
12. एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (जम्मू–कश्मीर पर विस्तारण) अधिनियम, 2017 (2017 का 27)
13. भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम, 2017 (2017 का 33)

ख. वर्ष के दौरान एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अतिरिक्त निम्नलिखित संशोधन अधिनियम प्राप्त हुए।

1. मजदूरी संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का 1)
2. शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2017 (2017 का 3)
3. प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का 6)
4. कर्मचारी प्रतिकर (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2017 का 11)

5. संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का 17)
6. कराधान विधि अधिनियम, 2017 (2017 का 18)
7. राष्ट्रीय तकनीकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का 19)
8. संख्यिकीय संग्रहण (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का 21)
9. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2017(2017 का 24)
10. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का 25)
11. बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का 30)
12. पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर विस्तारण) अधिनियम, 2017 (2017 का 31)
13. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) द्वितीय (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का 32)

ग. इस वर्ष राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश हैं–

1. बैंककारी विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017
2. पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर विस्तारण) अध्यादेश, 2017
3. वस्तु एवं सेवा कर (जम्मू–कश्मीर पर विस्तारण) द्वितीय अध्यादेश, 2017
4. एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (जम्मू–कश्मीर पर विस्तारण) अध्यादेश, 2017
5. वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अध्यादेश, 2017
6. भारतीय वन अध्यादेश, 2017
7. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2017

(3) संसद के अधिनियमों के आधार पर प्रधान अधिनियमों की मास्टर प्रतियों में संशोधन दर्ज कर दिए गए हैं। वर्ष 2017 के दौरान, जिन अधिनियमों को संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा लागू कर दिया गया है उनके प्रवर्तन होने की तारीख और उनकी अधिसूचना संख्या संबंधित अधिनियमों की मास्टर प्रतियों में यथास्थान दर्ज कर दी गई हैं।

33. राजपत्र अधिसूचनाएं

शहरी विकास मंत्रालय, (पीएसपी प्रभाग) के दिनांक 25 फरवरी, 2016 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार वर्ष 2015–16 की सभी गजट अधिसूचना तथा संसद के अधिनियम आधिकारिक वेबसाइट www.egazette.nic.in पर अपलोड करके ई–प्रकाशित किए जाएंगे। इनकी राजपत्र गजट प्रतियों को डाउनलोड कर संबंधित फोल्डरों में क्रमबद्ध कर लिया गया हैं।

34. राज्य अधिनियम

वर्ष 2017 के दौरान कुल 295 राज्य अधिनियम और 69 अध्यादेश विभिन्न राज्यों से प्राप्त हुए। सभी अधिनियमों और अध्यादेशों को संबंधित रजिस्टरों और फोल्डरों में दर्ज कर लिया गया है।

35. मुद्रण अनुभाग

विधायी विभाग के मुद्रण अनुभाग (मुद्रण–I और मुद्रण–II) विधायन की प्रक्रिया के विभिन्न प्रक्रमों पर मुद्रण का कार्य करने से संबंधित हैं। इन दोनों अनुभागों के कार्यों में विधेयकों की पांडुलिपियों (जिसमें विषय–वस्तु और उपाबंध, जहां–जहां अपेक्षित हैं, को तैयार करना सम्मिलित है), अध्यादेशों, विनियमों, अनुकूलन आदेशों, भारत के संविधान के अधीन जारी किए गए आदेशों, परिसीमन आदेशों और अन्य कानूनी विलेखों को मुद्रणालय भेजने से पहले उनका संपादन करना शामिल है। विधेयकों के प्रूफ आदि की बहुल प्रक्रमों पर जांच की जाती है और अनुमोदन के पश्चात् विधायी–I अनुभाग को भेज दिए जाते हैं जो उन्हें लोक सभा/राज्य सभा सचिवालयों को "लोक सभा/राज्य सभा में पुरःस्थापित किए जाने के लिए" प्रक्रम हेतु मुद्रण के लिए अग्रेषित करता है। ऐसे विधेयकों को, जिन्हें अल्प–सूचना पर पुरःस्थापित किया जाना अपेक्षित होता है, मुद्रण अनुभागों द्वारा लोक सभा और राज्य सभा सचिवालय की ओर से मुद्रित किया जाता है। तत्पश्चात, विधेयकों की मुद्रित प्रतियां, विभिन्न प्रक्रमों पर जांची जाती हैं जैसे यथा पुरःस्थापित "पुरःस्थापित किए जाने वाले" प्रक्रम, "लोक सभा/राज्य सभा द्वारा यथा पारित" प्रक्रम, "दोनों सदनों से यथा पारित" प्रक्रम, "अनुमति प्रति" प्रक्रम, "हस्ताक्षर प्रति" प्रक्रम और अंत में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात्, अधिनियम को तैयार किया जाता है और उसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित करने की कार्रवाई की जाती है। उसके ठीक पश्चात् जनता में विक्रय करने के लिए ए–4 प्रक्रम की प्रति उसी रूप में पुनः प्रकाशन करने के लिए तैयार और संपादित की जाती है। ए–4 आकार के अधिनियमों के प्रूफों को पुनःसंवीक्षित किया जाता है और अंतिम मुद्रण के लिए मुद्रणालय को लौटाने से पूर्व अनुमोदित किया जाता है और अधिनियम की मुद्रित प्रति की अशुद्धियों के लिए जांच की जाती है और विक्रय के लिए जारी की जाती है।

(2) इसके अतिरिक्त, विभाग की आवश्यकता के अनुसार भारत का संविधान और निर्वाचन विधि निर्देशिका, भारत संहिता, संसद के अधिनियमों, केन्द्रीय अधिनियमों के अद्यतन द्विभाषी संस्करण, आदि जैसे विभिन्न अन्य प्रकाशनों के संपादन और प्रूफ की जांच भी इस विभाग के मुद्रण अनुभागों द्वारा की जाती है।

(4) 1 जनवरी, 2017 से 31 दिसंबर, 2017 की अवधि के दौरान विधायी विभाग के मुद्रण–I तथा मुद्रण–II अनुभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य किये गये :–

(क) 89 विधेयकों, 7 अध्यादेशों, 6 विनियमों तथा 33 गजट की पांडुलिपियों, प्रूफों और संवीक्षा प्रतियों का संपादन किया गया और जांच की गई;

(ख) इंडिया कोड के 183 अधिनियमों के कम्प्यूटर प्रिंट आउट की जांच की गई;

(ग) केंद्रीय अधिनियमों के 17 डिग्लॉट संशोधित संस्करणों के प्रूफों तथा प्रिंट प्रतियों की जांच की गई।

36. साधारण कानूनी नियम एवं आदेश अनुभाग (जी.एस.आर.ओ.)

केन्द्रीय अधिनियमों के संशोधित संस्करण विधायी विभाग द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं और अधिनियम के अन्तर्गत अधीनस्थ विधायन सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

(2) किसी अधिनियमन के अधीन अधीनस्थ विधायन जिसमें संवैधानिक नियम और आदेश, अधिसूचना आदि शामिल होते हैं, विधायी विभाग से विधिक्षा करवाने के उपरान्त उस मंत्रालय या विभाग के द्वारा जारी किया जाता है जो उस अधिनियम से प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित होता है। अधीनस्थ विधायन पर संसदीय समिति की संस्तुतियों के अनुपालन में अधीनस्थ विधायन को अद्यतन रखने और जनता को उसे त्वरित गति से उपलब्ध करवाने की एक योजना बनाई गई थी। उक्त योजना के अन्तर्गत, प्रशासनिक मंत्रालयों से यह अपेक्षित है कि वे उनके द्वारा जारी किए गए नियमों, आदेशों और अधिसूचनाओं की अद्यतन प्रतियों वाले फोल्डरों का रख–रखाव करें।

(3) अधीनस्थ विधायन पर राज्य सभा समिति ने अपनी 135वीं रिपोर्ट में स्पट रूप से यह संस्तुति की थी कि मंत्रालय, अपनी ई – गवर्नेन्स पहल के हिस्से के रूप में, सभी अधीनस्थ विधायन अधीमानतः द्विभाषी रूप में अपनी बेबसाइट पर रखें। समिति ने यह भी संस्तुति की थी कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सभी मंत्रालयों के प्रयोग हेतु एक इन्टरनेट अन्तरापृष्ठीय सहित एक मानक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विकसित करेगा जो सम्बन्धित मंत्रालय के प्रशासनाधीन प्रधान अधिनियमों से संबद्ध अधीनस्थ विधायन का तलाशने योग्य डेटाबेस उपलब्ध करवाएगा।

(4) विधायी विभाग के साधारण कानूनी नियम एवं आदेश अनुभाग (सा.का.नि.आ.अनुभाग) भारत के गजट में प्रकाशित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी किए गए साधारण कानूनी नियमों एवं आदेशों से संबंधित वर्णानुक्रम रजिस्टर तैयार करता है तथा उन्हें आधिकारिक कार्य हेतु पुस्तक के रूप में संग्रहित करता है। दिसंबर, 2015 तक के भाग–II, खण्ड–3, उपखण्ड (i) तथा (ii) के अधीन दोनों साधारण तथा असाधारण अधिसूचनाओं के बारे में विभिन्न अधिसूचनाओं की वर्णानुक्रम रजिस्टर में प्रविष्टि की जा चुकी है।

(5) विधायी विभाग के साधारण कानूनी नियम एवं आदेश अनुभाग (सा.का.नि.आ.अनुभाग) द्वारा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी किए गए वर्ष 2015 तक के अधीनस्थ विधायनों से संबंधित भाग–II, खण्ड 3, उप खण्ड (i) तथा (ii) के अधीन प्राप्त अधिसूचनाओं, जोकि साधारण और असाधारण से संबंधित हैं, की गजट प्रतियां छांटी गई हैं और पुस्तक रूप में तैयार कर ली गई हैं।

(6) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी किए गए वर्ष 2015 तक की अवधि के साधारण और असाधारण से संबंधित भाग–II, खण्ड 4 और भाग–III, खण्ड–4 के अधीन प्राप्त गजट अधिसूचनाओं की प्रतियां छांटी गई हैं और पुस्तक रूप में तैयार करने हेतु प्रक्रियाधीन हैं।

(7) वर्ष 2017 के दौरान, साधारण कानूनी नियम एवं आदेश अनुभाग द्वारा मई, 2015 तक की अधिसूचनाएं प्राप्त की गईं हैं।

37. एकल वित्त और बजट एवं लेखा अनुभाग

एकल वित्त और बजट एवं लेखा अनुभाग विधि एवं न्याय मंत्रालय के तीनों विभागों नामतः विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग तथा न्याय विभाग और विभिन्न स्वशासी निकायों–आई सी ए डी आर, आई सी पी एस, बी सी आई, आई टी ए टी, नालसा, उच्चतम न्यायालय विधिक संघ इत्यादि सहित विधि और न्याय मंत्रालय के बजट अनुमान और संशोधित अनुमान तैयार करने से संबंधित कार्य करने के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, बजट को अंतिम रूप देने, बजट–पूर्व विचार–विमर्श, लेखा अनुदान और अनुपूरक/अतिरिक्त निधियों की मांगों को प्राप्त किए जाने संबंधी कार्य भी इस अनुभाग द्वारा किया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग और उच्चतम न्यायालय सहित सम्पूर्ण मंत्रालय के लिए विस्तृत अनुदान मांगों को तैयार करने से संबंधित कार्य भी बजट तथा लेखा अनुभाग द्वारा निष्पादित किया जाता है। यह अनुभाग, विधि और न्याय मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट और परिणाम बजट को तैयार करने और मुद्रित करवाने के लिए भी उतरदायी है। इसके अतिरिक्त, यह अनुभाग उन प्रस्तावों जिनमें वित्तीय पहलू अन्तर्वलित है और जहां वित्त मंत्रालय की विशिष्ट राय लेना अपेक्षित है, से संबंधित कार्य भी करता है। विधि और न्याय मंत्रालय के लिए अनुदान मांगों पर संसदीय स्थायी समिति से संबंधित कार्य का समन्वय भी इसी अनुभाग द्वारा किया जाता है।

(2) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (विधान मण्डल वाले) के निर्वाचन संबंधी व्यय के संबंध में निधियों को अनंतिम रूप से निर्गत करने से संबंधित कार्य करना भी इसी अनुभाग का उत्तरदायित्व है।

38. प्रकाशन अनुभाग

यह अनुभाग समय–समय पर केन्द्रीय अधिनियमों और भारत का संविधान, निर्वाचन विधि निर्देशिका, भारत का संविधान के अधीन जारी किए गए आदेशों, कानूनी परिभाषाओं की अनुक्रमणिका आदि जैसे अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशनों के उपांतरित संस्करण निकालता रहता है।

(2) भारत का संविधान (अंग्रेजी पाठ) की हस्तलिपि का प्रकाशन के लिए नवीनतम संशोधनों सहित संकलन, जांच तथा वेटिंग कर ली गई है।

(3) निर्वाचन विधियों के प्रकाशन के लिए हस्तलिपि (दो खण्ड) प्रक्रियाधीन है।

(4) तेरह अधिनियमों के अंग्रेजी पाठ की हस्तलिपि, जिसमें नवीन संशोधन भी यथावत सम्मलित हैं, को तैयार की लिया गया है तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु राजभाषा खण्ड को भेज दी गई है तथा कुछ केंद्रीय अधिनियमों का प्रकाशन प्रक्रियाधीन है जोकि निम्नानुसार है:

1.	लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का अधि. सं.1)	––––– II प्रूफ का पाठ
2.	विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का अधि. सं.36)	––––– II प्रूफ मंगाया गया
3.	भारतीय दण्ड संहिता (1865 का अधि. सं.45)	––––– II प्रूफ मंगाया गया
4.	किशोर न्याय(बालकों की देखरेख और संरक्षण) 2015 (2016 का अधि. सं.2)	––––– II प्रूफ मंगाया गया
5.	पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का अधि. सं.15)	––––– I प्रूफ मंगाया गया
6.	भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 (1988 का अधि. सं.49)	––––– I प्रूफ मंगाया गया

7. आयुध अधिनियम 1959 (1959 का अधि. सं.54) —————। प्रूफ मंगाया गया

8. निःशुल्क और अनवार्य बाल शिक्षा का अधकार 2009 (2009 का अधि. सं.34) ——————।।। प्रूफ मंगाया गया

9. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण 2012 (2012 का अधि. सं.32) —————।। प्रूफ मंगाया गया

39. राजभाषा अनुभाग

विधायी विभाग का राजभाषा अनुभाग, भारत संघ की राजभाषा नीति, राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक रूप से उत्तरदायी है। यह अनुभाग अंग्रेजी से हिंदी तथा व्युत्क्रमतः अनुवाद कार्य करने सहित, भारत संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढाने के लिए भी उत्तरदायी है।

(2) राजभाषा नीति के सांविधानिक और अन्य उपबंधों का कार्यान्वयन

विधायी विभाग ने 1 जनवरी, 2017 से 31 दिसम्बर, 2017 तक की अवधि के दौरान राजभाषा नीति के समस्त पक्षों के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित प्रयास किए हैं :—

राजभाषा नियम, 1976 के उपबंधों के अनुसार, वर्तमान में "क", "ख" तथा "ग" क्षेत्र को क्रमशः 89%, 81% तथा 64.5% प्रतिशत से अधिक पत्र हिंदी में भेजे जा रहे हैं। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में अनुबद्ध लक्ष्यों को प्राप्त करने के संबंध में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हिंदी में प्राप्त पत्रों, आवेदनों, अभ्यावेदनों आदि के उत्तर हिंदी में ही भेजे जाते हैं। भारत संघ की राजभाषा नीति के अनुसार अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों, आवेदनों, अभ्यावेदनों आदि के भी उत्तर हिंदी में ही भेजे जा रहे हैं। सभी संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक रिपोर्टें व अन्य रिपोर्टें, संविदाएं, नोटिस और संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले सभी दस्तावेज राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उपधारा (3) के अनुसार द्विभाषी रूप में तैयार एवं जारी किए जाते हैं।

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10 के उप—नियम (4) के अनुसरण में 29 अप्रैल, 1979 को विधायी विभाग को सरकारी कार्य हिंदी में करने हेतु अधिसूचित किया गया था। हिंदी में प्रवीण अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रारूप आदि हिंदी में ही प्रस्तुत करने के निदेश दिए गए हैं। इस प्रयोजन के लिए राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8 के उप—नियम (4) के अधीन अपना अधिकतम कार्य केवल हिंदी में करने के लिए 31 अनुभागों में से 17 अनुभागों को विनिर्दिष्ट किया गया है।

(3) राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग हेतु तिमाही प्रगति रिपोर्ट

हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्टें नियमित रूप से राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय भेजी जाती हैं। इन रिपोर्टों के माध्यम से हिंदी प्रशिक्षण के संबंध में कर्मचारियों की स्थिति और हिंदी में उनके संपूर्ण कार्य को परिलक्षित किया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार हिंदी में पत्राचार, टिप्पण और प्रारूपण करने में वृद्धि हो।

(4) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें

इस विभाग में संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी (राजभाषा खण्ड) तथा राजभाषा प्रभारी की अध्यक्षता में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की हुई है। शासकीय प्रयोजनों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के निर्धारण के लिए इस समिति की बैठकें नियमित रूप से तीन माह में एक बार आयोजित की जाती हैं। इन बैठकों की कार्यसूची और कार्यवृत्त राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को भेजे जाते हैं। कार्यवृत्त को विभाग के सभी अधिकारियों और अनुभागों में भी अनुपालन के लिए परिचालित किया जाता है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें क्रमशः 27 मार्च, 2017 (पहली), 27 जून, 2017 (दूसरी), 28 सितंबर, 2017 (तीसरी) और 28 दिसंबर, 2017 (चौथी) को आयोजित की गई थीं। यह समिति हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में समस्याओं की पहचान करने और उनका समाधान ढूंढने के लिए प्रभावी उपाय प्रस्तुत करती है। समिति की बैठकों में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम पर भी विचार–विमर्श किया जाता है और उसमें विहित लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयास किए जाते हैं। समिति की इन बैठकों में भारत संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित आदेशों, परिपत्रों, निर्देशों, अधिसूचनाओं, संकल्पों, संस्तुतियों आदि पर भी चर्चा की जाती है।

(5) मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार माननीय विधि और न्याय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समिति का 4 अगस्त, 1967 को गठन किया गया था। यह समिति विधायी विभाग और विधि कार्य विभाग के लिए संयुक्त रूप से गठित की गई है। इस समिति में, संसदीय कार्य मंत्रालय और संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामनिर्देशिती माननीय संसद सदस्य, केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद के नामनिर्देशिती, प्रमुख अखिल भारतीय हिंदी स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि और विधि एवं न्याय मंत्रालय और राजभाषा विभाग के नामनिर्देशित गैर सरकारी सदस्यों के रूप में होते हैं। विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और राजभाषा विभाग के सचिव, अपर सचिव तथा ऊपर वर्णित विभागों के संबंधित संयुक्त सचिव समिति के शासकीय सदस्यों के रूप में सम्मिलित होते हैं।

16वीं लोक सभा के गठन के बाद समिति का पुनर्गठन कर लिया गया है तथा इसकी पहली बैठक उदयपुर, राजस्थान में दिनांक 7 जुलाई, 2015 को आयोजित की गई थी।

(6) हिंदी प्रशिक्षण

यह विभाग हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित हिंदी के विभिन्न प्रशिक्षण पाठयक्रमों के लिए अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित करता है। हिंदी भाषा के यह पाठयक्रम, प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ हैं। हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के लिए भी प्रशिक्षण पाठयक्रम हैं। हिंदी के इन पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन एक निरंतर प्रक्रिया है क्योंकि अधिकारियों/कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति तथा स्थानांतरण होता रहता है।

(7) हिंदी पखवाड़े का आयोजन

इस विभाग में 11 सितम्बर से 25 सितम्बर, 2017 तक "हिंदी पखवाड़े" का आयोजन किया गया था। इस अवधि के दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं और अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में इन कार्यक्रमों में भाग लिया। इनमें से दो प्रतियोगिताएं हिंदीतर कार्मिकों के लिए पृथक रूप से आयोजित की गई थीं। इन प्रतियोगिताओं के लिए क्रमशः 3500/– रुपए, 2500/– रुपए, 2000/– रुपए और 700/– रुपए के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और प्रोत्साहन पुरस्कार थे। प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत करने हेतु कुल 81,600/– रुपए की राशि स्वीकृति की गई है।

(8) हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं

इस विभाग में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए राजभाषा विभाग द्वारा यथा निर्देशित तीन प्रोत्साहन योजनाएं विभाग में लागू की जाती हैं। इस वर्ष केवल हिंदी में मूल टिप्पण और प्रारूपण के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से दस कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया है। इन योजनाओं के अलावा हिंदी शिक्षण योजना के अधीन आयोजित हिंदी भाषा, हिंदी आशुलेखन और हिंदी टंकण के हिंदी प्रशिक्षण पाठयक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात अधिकारियों/कर्मचारियों को नकद पुरस्कार और अग्रिम वेतनवृद्धि प्रदान की जाती है।

(9) संसदीय राजभाषा समिति

संसदीय राजभाषा समिति का गठन सन् 1976 में केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों व उनके कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में अनुवीक्षण करने व सुझाव देने के दृष्टिकोण से किया गया था। जहां तक विधायी विभाग का सम्बन्ध है, इस समिति की सिफारिशों के आधार पर, राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए आदेशों को विभाग में कार्यान्वित किया जा रहा है।

40. राजभाषा खंड

कृत्य

राजभाषा खंड, विधायी विभाग के अधीन राजभाषा (विधायी) आयोग का उत्तरवर्ती संगठन है। इसे निम्नलिखित कृत्य सौंपे गए हैं :–

(i) सभी राजभाषाओं में, यथासंभव उपयोग के लिए मानक विधि शब्दावली की तैयारी और उनका प्रकाशन;

(ii) राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित सभी केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ की तैयारी;

(iii) राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी केन्द्रीय अधिनियम या किसी अध्यादेश या विनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियमों, विनियमों और आदेशों के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ की तैयारी;

(iv) राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित सभी केन्द्रीय अधिनियमों और अध्यादेशों और विनियमों का राज्यों की अपनी–अपनी राजभाषा में प्राधिकृत पाठ की तैयारी तथा किसी राज्य में यदि ऐसे अधिनियमों या अध्यादेशों का पाठ हिन्दी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में है, तो पारित किए गए सभी अधिनियमों और प्रख्यापित अध्यादेशों के हिन्दी में अनुवाद की व्यवस्था;

(v) विभिन्न विभागों के विलेखों, विधि दस्तावेजों जैसे संविदा, करार, पट्टों, बंधपत्र, गिरवी आदि का हिन्दी अनुवाद;

(vi) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अधीन यथा अपेक्षित सभी कानूनी अधिसूचनाओं का हिन्दी अनुवाद;

(vii) राष्ट्रपतीय नियम के अधीन राज्यों की सरकारों द्वारा जारी किए गए कानूनी नियमों का हिन्दी अनुवाद;

(viii) संसद के सभी प्रश्न/उत्तर, आश्वासन आदि का हिन्दी अनुवाद जो विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित हैं;

(ix) हिन्दी भाषी राज्यों के अधिकारियों को हिन्दी में विधायी प्रारूपण में प्रशिक्षण;

(x) विधिक शैली और हिन्दी के मानक खंडों के मॉडल और उनके प्रकाशन की एकरूपता के मूल्यांकन को प्रभावी रूप से सुनिश्चित करने के लिए हिन्दी भाषी राज्यों की समन्वयन समिति से संबंधित कार्य;

(xi) विधि और न्याय मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति से संबंधित कार्य;

(xii) विधि के क्षेत्र में राजभाषा के संवर्धन के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान देने से संबंधित कार्य;

(xiii) केन्द्रीय अधिनियमों (विधायी इतिहास सहित) के द्विभाषी (डिग्लॉट) संस्करणों का प्रकाशन और उनका प्रचार;

(xiv) हिन्दी और द्विभाषी (डिग्लॉट) प्रारूप में इंडिया कोड (भारत संहिता) की तैयारी और अनुरक्षण; तथा

(xv) भारत के संविधान का क्षेत्रीय भाषाओं के संस्करणों का प्रकाशन और उनका विमोचन।

(2) विधि शब्दावली

वर्ष 1961 में राजभाषा (विधायी) आयोग की शुरूआत होने से अब तक विधि शब्दावली के छह संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं तथा प्रत्येक क्रमवर्ती संस्करण आकार में बड़ा है। विधि शब्दावली के प्रथम संस्करण (1970) में 20,000 प्रविष्टियां थीं, जबकि नवीनतम छठे संस्करण (2001) में, जो आठ भागों में विस्तृत है, में लगभग 63,000 प्रविष्टियां हैं। विधि शब्दावली का नवीनतम 7वां संस्करण वर्ष 2015 में प्रकाशित किया गया है तथा इसमें 7 भागों में 65,000 प्रविष्टियां हैं। राजभाषा खंड द्वारा प्रकाशित विधि शब्दावली को, जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गौरवशाली प्रकाशन है, विधि क्षेत्र के सभी व्यक्तियों और विद्वानों से व्यापक प्रशंसा प्राप्त हुई है।

(3) भारत का संविधान

हिन्दी (संघ की राजभाषा) में भारत के संविधान के प्राधिकृत पाठ के अतिरिक्त, 15 अन्य प्रादेशिक भाषाओं अर्थात् असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, नेपाली और कोंकणी में संविधान के प्राधिकृत पाठ प्रकाशित किए गए हैं।

प्रथम संविधान दिवस अर्थात 26 नवंबर, 2015 को भारत का संविधान का विशिष्ट संस्करण प्रकाशित किया गया।

(4) भारत संहिता

सभी केन्द्रीय अधिनियमों का संकलन कर लिया गया है और उपयोगी खण्डों के रूप में भारत संहिता के नाम से प्रकाशित कर दी गई हैं। भारत संहिता का अंतिम संस्करण 1959 में आठ जिल्दों में प्रकाशित करवाया गया था। भारत संहिता (इंडिया कोड का संशोधित संस्करण) को कालक्रमानुसार द्विभाषी रूप (डिगलॉट) में प्रकाशित करने हेतु कार्रवाई पहले ही आरम्भ की जा चुकी है।

संहिता की प्रमुख विशेषताओं में से एक विशेषता यह है कि प्रमुख विधेयकों के संलग्नक में दिए गए उद्देश्यों और कारणों का विवरण प्रत्येक अधिनियम के अन्त में भी जोड़ा गया है और भारत संहिता के संशोधित संस्करण में भी समाविष्ट किया गया है। भारत संहिता के संशोधित संस्करण के खण्ड I से XXXI तक प्रकाशित किए जा चुके हैं और भारत संहिता की जिल्द XXXII और XXXIII की हस्तलिपि मुद्रण हेतु भेज दी गई हैं।

(5) केंद्रीय अधिनियमों के प्राधिकृत पाठों को तैयार करना और उनका प्रकाशन

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5(1)(क) के अधीन 38 अधिनियमों का हिंदी में प्राधिकृत पाठ राजपत्र में प्रकाशित किया जा चुका है। ऐसे अधिनियमों की 1963 से लेकर अब तक कुल संख्या 2417 हो गई है।

(6) केंद्रीय अधिनियमों के डिग्लॉट संस्करणों का प्रकाशन

ऐसे केंद्रीय अधिनियम, जिनकी जनता में मांग बढ़ने की संभावना है, राजभाषा खंड द्वारा द्विभाषी (डिग्लॉट) रूप में प्रकाशित किए जाते हैं। जब किसी अधिनियम विशेष की जनता में मांग होती है तो उसे जनसाधारण में बिक्री के लिए द्विभाषी (हिन्दी एवं अंग्रेजी) रूप में प्रकाशित किया जाता है। ऐसे अधिनियमों की कुल संख्या अब 401 हो गई है।

(7) विधेयकों, अध्यादेशों आदि के प्राधिकृत हिंदी अनुवाद

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उपधारा (2) यह अपेक्षा करती है कि संसद के किसी भी सदन में पुरःस्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या उनके संबंध में लाए जाने वाले संशोधनों के साथ उनका हिंदी अनुवाद भी संलग्न होगा। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, 57 विधेयकों के हिंदी अनुवाद, अंग्रेजी पाठ के साथ संसद के सदनों को भेजे गए थे। इसके अतिरिक्त, 10 अध्यादेशों, 10 मंत्रिमंडल टिप्पणों तथा 40 अधिनियमों के हिंदी अनुवाद भी तैयार किए गए थे।

(8) साधारण कानूनी नियम और आदेश (सा.का.नि.आ.)

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उपधारा (3) केंद्रीय सरकार में द्विभाषी कार्य के लिए अधिकृत करती है। उस उपधारा के खंड (1) के अधीन, केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए या बनाए गए सभी संकल्प, साधारण आदेश, नियम, अधिसूचनाएं आदि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होनी चाहिएं। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, 9182 पृष्ठों के ऐसे कानूनी नियम/अधिसूचनाएं, आदि केंद्रीय सरकार के विभिन्न विभागों के लिए तैयार की गई थीं।

(9) नियमों, विनियमों, आदेशों, आदि के प्राधिकृत पाठों को तैयार करना और उनका प्रकाशन

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उपधारा (1) का खंड (ख) यह अपेक्षा करता है कि संविधान के अधीन या किसी केंद्रीय अधिनियम के अधीन जारी किए गए किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि का राजपत्र में राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित हिंदी अनुवाद, हिंदी में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। कुछ नियम, विनियम, आदेश आदि अनुवाद के विभिन्न प्रक्रमों पर हैं। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, भर्ती नियमों के 3562 पृष्ठों का हिन्दी अनुवाद किया गया है, सात विनियमों के प्राधिकृत पाठ का प्रकाशन उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1)(ख) के अधीन किया गया है।

(10) केंद्रीय अधिनियमों आदि का रख–रखाव

राजभाषा खण्ड का संशोधन अनुभाग, इंडिया कोड के साथ ही इंडिया कोड (डिगलॉट) और भारत संहिता के रूप में रखी गई केंद्रीय विधानों की मूल प्रतियों के अनुरक्षण और अद्यतन रखने का कार्य करता है। यह अनुभाग भारत का संविधान, निर्वाचन विधि निर्देशिका और अन्य महत्वपूर्ण मैनुअलों को राजभाषा खंड के अधिकारियों के संदर्भ के लिए अद्यतन रखता है। यह अनुभाग, केन्द्रीय अधिनियमों की पूर्वोक्त मुख्य प्रतियों में, संसद् द्वारा पारित संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए संशोधनों को करने के लिए उत्तरदायी है।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय अधिनियमों की पांडुलिपियों को डिग्लॉट रूप में तैयार कर लिया गया है तथा राजभाषा खण्ड द्वारा 8 डिग्लॉट संस्करण प्रकाशित की गई हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, इस अनुभाग ने :

(क) 15 अद्यतित केंद्रीय अधिनियमों (डिग्लॉट संस्करण) की अंग्रेजी प्रतियां विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को भेजी; तथा

(ख) हिंदी भाषी राज्यों को केंद्रीय अधिनियमों के हिंदी पाठ वाली गजट प्रतियां, अपने–अपने राज्य के राजपत्रों में पुनः प्रकाशन के लिए भेजीं। इस वर्ष, केन्द्रीय अधिनियमों की वर्णक्रम और काल क्रम (डिग्लॉट) में विवरणिका और भारत का संविधान (डिग्लॉट) तैयार किए गए और प्रकाशित किए गए।

(ग) प्रकाशन संबंधी कार्य मुख्य रूप से इस अनुभाग द्वारा किया जाता है।

(घ) यह अनुभाग क्षेत्रीय भाषाओं में केंद्रीय अधिनियमों के अनुवाद के संबंध में राजभाषा खण्ड के क्षेत्रीय भाषा इकाई का भी सहयोग करता है। इस वर्ष क्षेत्रीय भाषा इकाई (विधायी–।। अनुभाग) से विभिन्न मामलों पर 18 प्रस्ताव प्राप्त किए गए हैं।

(11) विधेयकों, अधिनियमों, अध्यादेशों, द्विभाषी (डिग्लॉट) संस्करणों, आदि की पांडुलिपियों का संपादन और उनका प्रकाशन

राजभाषा खंड का मुद्रण अनुभाग मुख्यतः भारत के संविधान के अधीन जारी विधेयकों, अध्यादेशों, विनियमों, राष्ट्रपति के अधिनियमों आदि, और परिषद निर्वाचन–क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, आदि की पांडुलिपियों के संपादन और प्रूफों की जांच का कार्य करता है। ऐसे विधेयकों को भी, जिन्हें अल्प–सूचना पर पुरःस्थापित किया जाना अपेक्षित होता है, संसद के सदनों की ओर से मुद्रित किया जाता है। भारत के संविधान, निर्वाचन विधि निर्देशिका, इंडिया कोड के पुनरीक्षित संस्करण, केंद्रीय अधिनियमों, कानूनी नियमों और आदेशों के उपांतरित द्विभाषी (डिगलॉट) संस्करण, वार्षिक रिपोर्टों, आदि के प्रकाशनों के संपादन और प्रूफों की जांच का कार्य भी इस अनुभाग में किया जाता है। यह अनुभाग केंद्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों, राष्ट्रपति के अधिनियमों आदि के मुद्रण तथा प्रकाशन और विक्रय के लिए उनके पश्चात्वर्ती द्विभाषी (डिगलॉट) रूप में पुनः मुद्रणों के लिए भी उत्तरदायी है।

राजभाषा खंड का मुद्रण अनुभाग प्रकाशन अनुभाग के कर्तव्यों का भी निर्वहन कर रहा है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, इस अनुभाग द्वारा 26 अधिनियम प्राधिकृत किए गए और 10 अध्यादेशों का प्रकाशन कराया गया।

(12) मानक विधिक दस्तावेजों को तैयार करना और उनका प्रकाशन

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3)(iii) यह अपेक्षा करती है कि केन्द्रीय सरकार या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या उसकी ओर से किए गए या जारी किए गए करारों, संविदाओं, पट्टों, बंधपत्रों, निविदाओं आदि के लिए हिंदी–अंग्रेजी दोनों भाषाएं प्रयोग की जाएं। उक्त अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुपालन के क्रम में राजभाषा खंड केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए आठ जिल्दों में उनके अनुवाद में एकरूपता प्राप्त करने की दृष्टि से ऐसे दस्तावेजों के हिंदी पाठ तैयार कर चुका है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, इस मंत्रालय के 2760 पृष्ठों के संसदीय प्रश्नोत्तरों/आश्वासनों का हिंदी पाठ भी तैयार किया गया।

(13) विधि क्षेत्र में भारतीय भाषाओं को स्थापित करना

राजभाषा खंड, भारत का संविधान की आठवीं अनुसूची में प्रतिष्ठापित केंद्रीय अधिनियमों के हिंदी अनुवाद तैयार करने और अन्य प्रादेशिक भाषाओं में उनका अनुवाद कराने के कार्य को भी निरंतर कर रहा है। जहां तक प्रादेशिक भाषा का संबंध है यह कार्य विभिन्न राज्य सरकारों के सहयोग से किया जा रहा है।

राजभाषा खंड, प्राधिकृत पाठ (केंद्रीय विधि) अधिनियम, 1973 (1973 का 50) की धारा 2 के अधीन यथापरिकल्पित प्रादेशिक भाषाओं में केंद्रीय अधिनियमों के प्राधिकृत पाठ भी प्रकाशित करता है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, कार्य समूह (प्रादेशिक भाषा) द्वारा 30 केंद्रीय अधिनियमों के अनुवाद का अनुमोदन किया गया और 8 केंद्रीय अधिनियमों को राष्ट्रपति के प्राधिकार के अधीन इन प्रादेशिक भाषाओं में तथा 26 केंद्रीय अधिनियमों को हिंदी में प्राधिकृत पाठ के रूप में अधिप्रमाणित किया गया। साथ ही, हिंदी के अतिरिक्त, 15 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भारत का संविधान का प्राधिकृत पाठ निकाला गया है,ये हैं, असमिया, बंगला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, नेपाली तथा कोंकणी।

(14) केंद्रीय अधिनियमों, विधि शब्दावली, आदि का व्यापक वितरण

केंद्रीय अधिनियमों के हिंदी पाठों की राजपत्रित प्रतियां, उनके अधिप्रमाणित किए जाने और भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के पश्चात सभी हिंदी भाषी राज्यों को भेज दी गई हैं साथ ही इन्हें गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों की सरकारों तथा इन राज्यों के उच्च न्यायालयों को भी भेजा गया था। इसके अतिरिक्त, ये प्रतियां भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों, अंडमान और निकोबार द्वीप प्रशासन, नागरी प्रचारिणी सभा, संसद पुस्तकालय और अन्य पुस्तकालयों को भी भेज दी गई थीं। केंद्रीय अधिनियमों की द्विभाषी रूप में प्रतियां सभी राज्यों (हिंदी और हिंदीतर भाषी राज्य दोनों), भारत के उच्चतम न्यायालय, संसद पुस्तकालय और सभी उच्च न्यायालयों को नियमित रूप से भेजी जाती हैं। भारत का संविधान तथा विधि शब्दावली लोक सभा/राज्य सभा तथा केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को भेज दी गई है।

(15) हिंदी सलाहकार समिति से संबंधित कार्य

इस मंत्रालय की ग्यारहवीं हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन 14 मई, 2015 के संकल्प संख्या ई. 4(1)/2009–रा.भा.खण्ड(वि.वि.) द्वारा तीन वर्षों के लिए अथवा इस लोकसभा के शेष कार्यकाल तक के लिए किया गया है जिसमें लोक सभा और राज्य सभा के सदस्य तथा लगभग ग्यारह शासकीय सदस्य और आमंत्रित सदस्य हैं। समिति का कार्य केन्द्र सरकार को निम्नलिखित विषयों पर सलाह देना है :–

(i) केन्द्रीय अधिनियमों और सांविधिक नियमों का हिन्दी रूप तैयार करना;

(ii सामान्य विधि शब्दावली का विकास;

(iii) विधि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में विधि की शिक्षा हिन्दी में देने के लिए मानक विधि पुस्तकों को हिन्दी में तैयार करना;

(iv) विधि जर्नलों और प्रतिवेदनों का हिन्दी में प्रकाशन;

(v) उपर्युक्त मदों में से किसी भी विषय से आनुषांगिक और सम्बन्धित विषय;

(vi) शासकीय प्रयोजन के लिए विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रचार और प्रसार के लिए तरीके सुझाना।

(16) स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान

विधि के क्षेत्र में हिंदी और अन्य प्रादेशिक भाषाओं के प्रसार और विकास के लिए संघ और राज्यों की राजभाषाओं के संवर्धन के लिए एक स्कीम है। इस स्कीम के अधीन स्वैच्छिक संगठनों और संस्थानों को वित्तीय सहायता दी जाती है। वर्ष 1985 से, राजभाषा खंड उन स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता देने के लिए इस स्कीम को लागू कर रहा है, जो विधि और अन्य प्रादेशिक भाषाओं में साहित्य, जोकि प्रस्तावित टिप्पणियों, आलेखों, विधिक विषयों पर पुस्तकों, विधि जर्नलों, विधि संग्रह तथा अन्य प्रकाशन जो हिंदी तथा राज्यों की अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की समृद्धि, प्रचार तथा विकास में सहायक के रूप में हों, के विकास तथा प्रचार की गतिविधियों में शामिल हैं।

(17) राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के लिए किए गए विशेष उपाय

राजभाषा खंड की वेबसाइट 3.12.2001 को तैयार की गई थी तथा इसका यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर http://lawmin.nic.in/olwing है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुदित संसद के महत्वपूर्ण अधिनियम विभिन्न भाषाओं में राजभाषा खण्ड के होम पेज पर संबंधित भाषाओं के अंतर्गत डाले गए हैं। विभिन्न विधेयकों, अधिसूचनाओं, आदेशों, भर्ती नियमों आदि के प्रिंटआउट लेने को सुविधाजनक बनाने के लिए राजभाषा खण्ड ने यूनिकोड फॉन्ट का प्रयोग प्रारम्भ किया है तथा हिंदी पाठ की साफ्ट कॉपी उपलब्ध कराता है।

भारत का संविधान, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता तथा निर्वाचन विधि निर्देशिका को पहले ही नेट पर उपलब्ध कराया जा चुका है। इस वेबसाइट को, अधिनियमों की एक सूची तथा नियमों और विनियमों की सूची रखकर और समृद्ध बनाया गया है। विधिक क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों तथा आम जनता और साथ ही साथ विधि के छात्रों के लाभ के लिए 1980 से 2016 तक के अद्यतित केंद्रीय अधिनियम पीडीएफ फार्म में वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं।

रिपोर्ट की अवधि के दौरान, राजभाषा खंड के विधेयक अनुभाग, अनुवाद 1 अनुभाग, अनुवाद 2 अनुभाग, विधायी 1 अनुभाग, विधायी 2 अनुभाग, मुद्रण अनुभाग, संशोधन अनुभाग, प्रशासन अनुभाग, रोकड़ अनुभाग और पुस्तकालय को पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों की कैमरा रैडी प्रतियां तैयार की गई थीं। सुगमतापूर्वक कार्य करने के लिए राजभाषा खण्ड ने मंगल फॉन्ट का इस्तेमाल शुरू किया।

राजभाषा खंड के समूह "क" अधिकारियों के नामों, पतों और संपर्क नम्बरों की एक सूची भी नेट पर डाली गई है।

विधि के क्षेत्र में राजभाषाओं के विकास में लगे हुए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना को भी हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में इंटरनेट पर रखा गया है।

41. विधि साहित्य प्रकाशन

वर्ष 1958 में, संसदीय राजभाषा समिति ने सिफारिश की थी कि भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों के प्राधिकृत अनुवाद को प्रकाशित करने के लिए व्यवस्था की जाए और यह कार्य विधि विभाग के पर्यवेक्षणाधीन एक केन्द्रीय कार्यालय को सौंपा जाए। तत्पश्चात् हिन्दी सलाहकार समिति की सिफारिशों पर वर्ष 1968 में विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विधायी विभाग में एक पत्रिका खंड स्थापित किया गया था। इस खंड को बाद में "विधि साहित्य प्रकाशन" नाम दिया गया था।

(2) आरंभ में भारत के उच्चतम न्यायालय के सभी उल्लेखनीय निर्णयों, जो रिपोर्ट किए जाने योग्य के रूप में चिह्नित किए गए थे, का मासिक प्रकाशन अप्रैल, 1968 में आरंभ किया गया था और इसे "उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका" नाम दिया गया था। उच्च न्यायालयों के निर्णयों को समाविष्ट करने वाला दूसरा मासिक प्रकाशन, जनवरी, 1969 में आरंभ किया गया था और इसे "उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका" नाम दिया गया था। वर्ष 1987 में, "उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका" को दो निर्णय पत्रिकाओं, अर्थात् "उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका" और "उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका" में

विभाजित कर दिया गया था। बाद में, 1990 से उच्चतम न्यायालय के रिपोर्ट किए जाने योग्य निर्णयों में लगातार वृद्धि होने और विधायी विभाग में अपेक्षित संपादकीय कर्मचारिवृन्द की कमी होने के कारण, उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में केवल उच्चतम न्यायालय के रिपोर्ट किए जाने योग्य चयनित निर्णय होते हैं। उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका में भी सिविल और दांडिक मामलों के केवल महत्वपूर्ण और चयनित निर्णय होते हैं।

(3) उपर्युक्त तीन पत्रिकाओं के अतिरिक्त, विधि साहित्य प्रकाशन निम्नलिखित कार्य भी करता है :–

(क) शैक्षणिक और अन्य क्षेत्रों में तथा निर्देश पुस्तकों के रूप में उपयोग के लिए विधि के क्षेत्र में हिन्दी में पाठय पुस्तकों का प्रकाशन;

(ख) हिन्दी में विधिक उच्च साहित्य का अनुवाद और प्रकाशन;

(ग) विधि के क्षेत्र में हिन्दी में सर्वोत्तम प्रकाशनों के लिए विभिन्न पुरस्कारों का दिया जाना;

(घ) विधि साहित्य प्रकाशन के हिन्दी प्रकाशनों और विधायी विभाग के एक दूसरे खंड अर्थात् राजभाषा खंड, विधि और न्याय मंत्रालय के द्विभाषी संस्करणों आदि का विक्रय; और

(ङ) भारत के विभिन्न स्थानों में, विशिष्टतया हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी में विधिक साहित्य को लोकप्रिय बनाने और उनमें सुधार करने के लिए सम्मेलन, संगोष्ठियां और पुस्तक प्रदर्शनियां आयोजित करना।

(4) इसके अतिरिक्त, विधि के विद्यार्थियों, विधि के प्राध्यापकों, अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों के उपयोग के लिए हिन्दी में सुविख्यात विधि विशेषज्ञों द्वारा लिखित विधि की मानक पुस्तकें भी प्रकाशित की जा रही हैं। प्राइवेट सेक्टर में मूल रूप से हिन्दी में विधि पुस्तकें लिखने वाले लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए विधि के क्षेत्र में हिन्दी में लिखी गई सर्वोत्तम पुस्तकों पर प्रतिवर्ष पुरस्कार भी दिए जाते हैं।

(5) विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रचार और प्रसार के लिए समय–समय पर हिन्दी भाषी और साथ ही गैर–हिन्दी भाषी राज्यों के विधि महाविद्यालयों, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालयों आदि में संगोष्ठियां आयोजित की जाती हैं। विधि साहित्य प्रकाशन अपने और राजभाषा खंड के प्रकाशनों की, जिनमें केन्द्रीय अधिनियमों के द्विभाषी (हिन्दी–अंग्रेजी) संस्करण भी हैं, विभिन्न हिन्दी भाषी/ हिन्दीतर भाषी राज्यों में प्रदर्शनियां लगाता है और इन प्रकाशनों के विक्रय का कार्य भी करता है।

(6) "विधि साहित्य समाचार" नामक एक त्रैमासिक जर्नल भी प्रकाशित किया जा रहा है, जिसमें विधि के क्षेत्र में विभिन्न कार्यकलापों और विधि साहित्य प्रकाशन के प्रकाशनों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जाती है। एक "प्रकाशन सूची" भी, जिसमें विधि साहित्य प्रकाशन के पास विक्रय के लिए उपलब्ध प्रकाशनों की जानकारी होती है, ग्राहकों को समय–समय पर उपलब्ध करवाई जाती है।

वर्ष 2017 के दौरान हुई प्रगति का विवरण इस प्रकार है:

(7) **निर्णय पत्रिकाओं का प्रकाशन:** रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, संपादन/अनुवाद के स्तर पर "उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका" अक्तूबर–दिसंबर, 2017 तक अद्यतन कर दी गई है और "उच्च न्यायालय

सिविल निर्णय पत्रिका" जनवरी–मार्च, 2017 तक अद्यतन कर दी गई है तथा "उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका" अप्रैल–जून, 2017 तक अद्यतन कर दी गई है। पत्रिकाओं को विधि एवं न्याय मंत्रालय की वेबसाइट http://lawmin.nic.in/vsp/vsp.htm पर अपलोड किया गया है तथा ये लाइन पर उपलब्ध हैं।

वर्ष 2017 के लिए पत्रिकाओं के नियमित ग्राहकों की स्थिति :

पत्रिका का नाम	ग्राहकों की संख्या
उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका	108
उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका	88
उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका	87

(8) **पुरस्कार प्रदान करना:** हिन्दी भाषा में विधि पुस्तकों के लेखन, अनुवाद और प्रकाशन तथा हिन्दी में लिखी गई और प्रकाशित ऐसी पुस्तकों पर, जिनका उपयोग विधि की पाठय पुस्तकों के रूप में या निर्देश पुस्तकों के रूप में किया जाता है, पुरस्कार देने की स्कीम के अंतर्गत, विधि की मूल पांच शाखाओं में प्रतिवर्ष 5,00,000/– रु. (पांच लाख रुपए) के पुरस्कार दिए जाते हैं। इस स्कीम में, प्रथम पुरस्कार 50,000/– रुपए (पचास हजार रुपए), द्वितीय पुरस्कार 30,000/– रुपए (तीस हजार रुपए) तथा तृतीय पुरस्कार 20,000/– रुपए (बीस हजार रुपए) दिए जाते हैं। वर्ष 2017 को इस योजना के अंतर्गत हिंदी में विधि की दस पुस्तकों पर रू 2,50,000/– के पुरस्कार प्रदान किए गए।

(9) **पुस्तकों का प्रकाशन:** पुस्तक इकाई हिंदी में विधि पुस्तकों के लेखन, पुस्तकों के पुनरीक्षण तथा प्रकाशन के कार्यों के लिए उत्तरदायी है। न्यायमूर्ति भगवती प्रसाद बेरी द्वारा लिखित पुस्तक 'निर्णय लेखन' तथा न्यायमूर्ति महावीर सिंह द्वारा लिखित पुस्तक 'दण्ड प्रक्रिया संहिता' पुनरीक्षण स्तर पर हैं। विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा चौंतीस मानक विधि पुस्तकों का प्रकाशन किया गया।

(10) **संगोष्ठियां, प्रदर्शनियां और पुस्तकों आदि का विक्रय:** सम्मेलनों तथा पुस्तक प्रदर्शनियों के क्रम में वर्ष 2017 में, विश्व पुस्तक मेला, नई दिल्ली, दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली; कांगड़ा और धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश के जिला न्यायालयों; हैदराबाद सिटी सिविल कोर्ट तथा बंगलौर में कर्नाटक उच्च न्यायालय में पुस्तक प्रदर्शनियां आयोजित की गईं। 1 जनवरी, 2017 से 30 नवम्बर, 2017 की अवधि के दौरान विधि साहित्य प्रकाशन का 14,74,585/– रुपए (चौदह लाख चौहत्तर हजार पांच सौ पिचासी रुपए) का सकल विक्रय हुआ।

42. अधिकारियों/प्रतिनिधिमण्डल के विदेश दौरे : विधायी विभाग

डॉ जी.नारायण राजू, सचिव, विधायी विभाग ने 18 अक्तूबर, 2017 से 21 अक्तूबर, 2017 तक मेंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑरगनाइज़ेशन के न्याय मंत्रालयों की पांचवीं बैठक में भाग लेने के लिए ताशकंद, उज्बेकिस्तान का दौरा किया।

43. सेवा पदों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों तथा निःशक्त जनों हेतु आरक्षण

विधायी विभाग के तीन प्रशासनिक खण्डों अर्थात विधायी विभाग (मुख्य), राजभाषा खण्ड तथा विधि साहित्य प्रकाशन की संबंधित इकाइयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों तथा निःशक्तजनों/पदों के संबंध में आरक्षण संबंधी सरकार के अनुदेशों/आदेशों के कार्यान्वयन पर नज़र रखने के लिए उप सचिव स्तर का एक अधिकारी संपर्क अधिकारी के रूप में कार्यरत है।

विधायी विभाग (मुख्य), राजभाषा खण्ड तथा विधि साहित्य प्रकाशन में कर्मचारियों की कुल संख्या तथा उनमें से अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों, निःशक्तजनों तथा महिला कर्मचारियों की संख्या 01.01.2018 के अनुसार दर्शाने वाली विवरणी संलग्न है। (उपाबंध–XI तथा उपाबंघ–XII)

44. स्वच्छता कार्य योजनाः

स्वच्छता कार्य योजना के अंतर्गत विधायी विभाग ने दिव्यांग महिलाओं के लिए चतुर्थ तल, ए विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली पर के.लो.नि.वि. द्वारा एक महिला शौचालय का निर्माण कराया।

45. लोक शिकायतः

1 जनवरी, 2017 से 31 दिसंबर, 2017 की अवधि के दौरान, विधायी विभाग में सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर 669 लोक शिकायतें प्राप्त हुईं। इसके अतिरिक्त, 1 जनवरी, 2017 से पहले 220 लोक शिकायतें लंबित थीं। उक्त अवधि के दौरान, 691 लोक शिकायतों का निपटान किया गया तथा शेष शिकायतों के निपटान के लिए प्राथमिक स्तर पर कार्रवाई की गई।

46. विभाग लेखाकरण संगठन

विधि और न्याय मंत्रालय में सचिव मुख्य (वित सलाहकार) और मुख्य लेखा नियंत्रक की सहायता से अपना कार्य करते हैं।

(2) सा.वि.नियम, 2017 के नियम 70 के अनुसार, किसी मंत्रालय/ विभाग के सचिव, जो मंत्रालय/विभाग के मुख्य लेखा प्राधिकारी होते हैं, वेः–

(i) अपने मंत्रालय या विभाग के वितीय प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होंगे।

(ii) यह सुनिश्चित करेंगे कि मंत्रालय को विनियोजित सार्वजनिक निधि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए हो, जिसके लिए वह निर्धारित की गई है।

(iii) निष्पादन के मानकों का अनुपालन करते हुए मंत्रालय के लिए बताए गए परियोजना –लक्ष्यों को प्राप्त करने में मंत्रालय के संसाधनों के प्रभावी, कुशल, किफायती और पारदर्शी उपयोग के लिए उतरदायी होंगे।

(iv) लोक–लेखा समिति और किसी अन्य संसदीय समिति के समक्ष जांच के लिए उपस्थित होंगे।

(v) उनके मंत्रालय को सौपे गए कार्यक्रमों और परियोजनाओं के कार्य निष्पादन की नियमित रूप से समीक्षा करेंगे और यह देखेंगे कि मंत्रालय के घोषित लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाएं।

(vi) वित मंत्रालय द्वारा जारी विनियमों, दिशा –निर्देशों या निदेशो के अनुसार अपने मंत्रालय के व्यय–संबंधी और अन्य विवरण तैयार करने के लिए उतरदायी होंगे।

(vii) यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके मंत्रालय के वित्तीय संव्यवहारों का पूर्ण और उचित रिकार्ड रखा जाए तथा इसके लिए ऐसी प्रणालियां व प्रक्रियाएं अपनाई जाएं जिनसे हर समय आंतरिक नियंत्रण बना रहे।

(viii) यह सुनिश्चित करेंगे कि उनका मंत्रालय कार्य–पालन के लिए और साथ ही सेवाओं और आपूर्तियों की प्राप्ति के लिए सरकारी खरीद प्रक्रिया का पालन करे और उसे निष्पक्ष, न्यायोचित, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक और लागत–प्रभावी तरीके से लागू करे।

(ix) यह सुनिश्चित करने के लिए उचित और प्रभावी कदम उठाएंगे कि उनका मंत्रालयः

(क) सरकार को शोध्य सभी धन एकत्रित करे।

(ख) अप्राधिकृत, अनियमित और व्यर्थ के व्यय से बचे।

(3) सिविल लेखा मैनुअल के पैरा 1.2.2 के अनुसार, मुख्य लेखा नियंत्रक मुख्य लेखा प्राधिकारी के लिए और उसकी ओर से निम्नलिखित के लिए उतरदायी होगाः –

(क) समस्त भुगतान वेतन और लेखा कार्यालयों/प्रधान लेखा कार्यालय के माध्यम से करने की व्यवस्था करना, केवल उन कुछ विशेष प्रकार के मामलों को छोड़कर जिनके लिए आहरण और संवितरण अधिकारी भुगतान करने के लिए प्राधिकृत किए गए हैं।

(ख) मंत्रालय/विभाग के लेखों का संकलन और समेकन करना और उन्हें निर्धारित प्रपत्र में महालेखा–नियंत्रक को प्रस्तुत करना, अपने मंत्रालय/विभाग की अनुदानों की मांगों के लिए वार्षिक विनियोजन लेखा को तैयार करना, उनकी विधिवत लेखा–परीक्षा करवाकर और मुख्य लेखा प्राधिकारी से हस्ताक्षर करवाकर उसे महालेखा–नियंत्रक को प्रस्तुत कराना।

(ग) विभाग की विभिन्न अधीनस्थ इकाईयों और वेतन और लेखा कार्यालयों द्वारा रखे गए भुगतान और लेखा के रिकॉर्ड के आंतरिक निरीक्षण की व्यवस्था करना और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में रखे जा रहे सरकार के मंत्रालयों/विभागों के लेनदेन के रिकॉर्ड के निरीक्षण की व्यवस्था करना

4. महालेखा– नियंत्रक, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत का उच्चतम न्यायालय दो प्रधान लेखा अधिकारियों, चार वेतन और लेखा अधिकारियो और अन्य, कर्मचारियों की सहायता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं।

5. विधि और न्याय मंत्रालय, उच्चतम न्यायालय में 32 सीडीडीओ और 19 एनसीडीडीओ सहित 51 डीडीओ हैं। गैर–चेक वाले आहरण और संवितरण अधिकारी बिलों को भुगतान की 'प्री–चैक' प्रणाली के अर्न्तगत वेतन और लेखा अधिकारी को प्रस्तुत करते हैं। सीडीडीओ और एनसीडीडीओ का वेतन और लेखा कार्यालय–वार विवरण नीचे दिया गया है–

क्र.सं.	वेतन और लेखा कार्यालय	आहरण और संवितरण अधिकारी	
		सीडीडीओ	एनएसडीडीओ
1.	वेतन और लेखा कार्यालय (ईओ)	4	3
2.	वेतन और लेखा कार्यालय (वि. का.)	29	11
3.	वेतन और लेखा कार्यालय (एससीसीआई)	0	1
4.	वेतन और लेखा कार्यालय (वि.वि.)	0	4

(6) सिविल लेखा मैनुअल के पैरा 1.2.3 के अनुसार, नई दिल्ली स्थित प्रधान कार्यालय एक प्रधान लेखा अधिकारी के अधीन कार्य करता है, जो निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी है.–

(क) मंत्रालय/विभाग के लेखों का महालेखानियंत्रक द्वारा निर्धारित की गई रीति से समेकित करना।

(ख) मंत्रालय/विभाग द्वारा नियंत्रित अनुदानों की मांगों के वार्षिक विनियोजन लेखा को तैयार करना, संघ सरकार (सिविल) के वित्त लेखों के लिए केन्द्रीय लेन–देन के विवरण और सामग्री को महालेखा– नियंत्रण को प्रस्तुत करना।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से राज्य सरकार को ऋण और अनुदानों की अदायगी करना, और जहां भी इस कार्यालय का आहरण लेखा हो, उसमें से संघ राज्य क्षेत्र सरकार/प्रशासन को भुगतान करना।

(घ) प्रबंध लेखा प्रणाली, यदि कोई हो, के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वेतन और लेखा कार्यालयों को तकनीकी सलाह देने के लिए नियम–पुस्तिकाएं (मैनुअल) तैयार करना, महालेखा–नियंत्रक कार्यालय के साथ आवश्यक सम्पर्क बनाए रखना और लेखा संबंधी मामलों में समग्र समन्वय और नियंत्रण रखना।

(ङ.) मंत्रालय/विभाग द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न अनुदान–कार्यक्रमों के अधीन व्यय की प्रगति पर नजर रखने के लिए पूरे मंत्रालय/विभाग के लिए विनियोग लेखा–परीक्षा रजिस्टरों का रखरखाव करना।

प्रधान लेखा कार्यालय/अधिकारी लेखा संगठन के सभी प्रशासनिक और समन्वय कर्तव्यों को निभाता है और स्थनीय वेतन ओर लेखा कार्यालयों सहित विभाग को आवश्यक वित्तीय, तकनीकी, लेखा सबंधी सलाह भी देता है।

(7) सिविल लेखा नियम–पुस्तिका में निहित प्रावधानों के अनुसार, वेतन और लेखा कार्यालयों संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भुगतान करते हैं और कुछ मामलों में भुगतान निधियां आहरित करने के लिए प्राधिकृत किए गए विभागीय आहरण और संवितरण अधिकारियों द्वारा किए जाते हैं। यह भुगतान प्रत्यायित बैंक के उन कार्यालयों/शाखाओं के चेक के जरिए किया जाएगा जिन्हें उस मंत्रालय/विभाग की प्राप्तियों और भुगतान के लिए प्राधिकृत किया गया हो। इन भुगतानों का अलग सूचियों में संबंधित मंत्रालय/विभाग के वेतन और लेखा कार्यालयों में दिए जाने के लिए लेखा–जोखा दिया जाना होगा। चेक से भुगतान के लिए प्राधिकृत प्रत्येक वेतन और लेखा कार्यालय अथवा आहरण और संवितरण अधिकारी प्रत्यायित बैंक की केवल उसी विशेष शाखा/शाखाओं, जिसके साथ वेतन और लेखा कार्यालय अथवा आहरण और संवितरण अधिकारी, जैसा भी मामला हो, लेखा में रखा गया है, से ही आरहण करेगा। मंत्रालय/विभाग की सभी प्राप्तियों का लेखा–जोखा अंत में वेतन और लेखा कार्यालय की बहियों में भी रखा जाएगा। वेतन और लेखा कार्यालय विभागीकृत लेखा संगठन की एक मूल इकाई है। इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैंः–

- एनसीडीडीओ द्वारा प्रस्तुत ऋणों और सहायता अनुदानों सहित सभी बिलों की पहले जांच करना और भुगतान।
- निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुरूप सही और समय पर भुगतान।
- प्राप्तियों की समय पर वसूली।
- चैक आहरित करने वाले आहरण और संवितरण अधिकारियों को त्रैमासिक 'लेटर ऑफ क्रेडिट' जारी करना और उनके वाउचर/बिलों की जांच–पड़ताल करना
- चैक आहरित करने वाले आहरण और संवितरण अधिकारियों के लेखों को शामिल करते हुए प्राप्तियों और व्यय के मासिक लेखों का संकलन।
- सम्मिलित डीडीओ को छोड़कर जी.पी.एफ. लेखों का रख–रखाव और सेवानिवृत्ति लाभों को प्राधिकृत करना।
- सभी डीडीआर शीर्षों का रखरखाव।
- बैंकिंग प्रणाली द्वारा ई–भुगतान के जरिये मंत्रालय/विभाग को कुशल सेवा प्रदान करना।
- निर्धारित लेखा मानकों, नियमों और सिद्धांतों का पालन करना।
- समय पर सही, व्यापक, संगत और उपयोग वित्तीय सूचना देना।

(8) किसी नए वेतन और लेखा कार्यालय का सृजन (अथवा पुनर्गठन) करने के लिए अथवा मंत्रालय/विभाग की लेखा की विभागीकरण योजना में शामिल चेक आहरित करने वाले आहरण व संवितरण अधिकारियों की सूची में नाम जोड़ने के लिए महालेखा–नियंत्रक, वित्त मंत्रालय का विशेष अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(9) विधि और न्याय मंत्रालय, उच्चतम न्यायालय के संबंध में विभागीय लेखा संगठन के समग्र उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैः–

- मंत्रालय के मासिक लेखा को समेकित करना और उसे महालेखा–नियंत्रक को प्रस्तुत करना।
- वार्षिक विनियोग लेखा।
- केन्द्रीय लेन–देन का विवरण।
- 'लेखा एक नजर में' तैयार करना।
- महालेखा–नियंत्रक, वित्त मंत्रालय और प्रधान लेखा–परीक्षा निदेशक को प्रस्तुत किए जाने के लिए संघीय वित्तीय लेखा।
- राज्य सरकार/अनुदानग्राही संस्थानों/ स्वायत्त निकायों आदि को सहायता अनुदान का भुगतान।
- मंत्रालय और वेतन व लेखा अधिकारियों को तकनीकी सलाह देना, यदि इसके लिए आवश्यकता हो, तो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, वित्त मंत्रालय और महालेखा नियंत्रक आदि अन्य संगठनों से परामर्श करना।
- प्राप्ति बजट तैयार करना।
- पेंशन बजट तैयार करना।
- पीएओ/चेक आहरण कर्ता डीडीओ एवं वैयक्तिक जमा खाता धारकों के लिए और उनकी ओर से चेक बुक प्राप्त करना और प्रदान करना।
- महालेखा– नियंत्रक के कार्यालय के साथ आवश्यक संपर्क बनाए रखना और लेखा मामलों और प्रत्यायित बैंक के साथ समग्र समन्वय व नियंत्रण रखना।
- विधि और न्याय मंत्रालय की ओर से अधिकृत बैंक के माध्यम से किए गए समस्त भुगतान और प्राप्तियों का समाधान व सत्यापन करना।
- भारतीय रिजर्व बैंक में विधि और न्याय मंत्रालय, उच्चतम न्यायालय के खाते रखना और नकद शेष का मिलान करना।
- शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करना।
- पेंशन/भविष्य निधि और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का शीघ्र निपटान।
- विधि और न्याय मंत्रालय के अधीन मंत्रालय, अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालयों तथा उनके अनुदानग्राही संस्थानों आदि की आंतरिक लेखा परीक्षा।
- सभी संबधित प्राधिकारियों को लेखा संबंधी सूचना उलब्ध कराना।

- विधि और न्याय मंत्रालय, भारत के उच्चतम न्यायालय के बजट का समन्वय का कार्य।
- नई पेंशन योजना और 2006 से पूर्व के और 1990 के पूर्व के सेवानिवृत्त व्यक्तियों के पेंशन संबंधी मामलों की मानिटरिंग करना।
- लेखा और ई–भुगतान का कम्प्यूटरीकरण।
- लेखा संगठन के कार्य का समन्वय और प्रशासन।
- केन्द्रीय क्षेत्र योजना के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) को सार्वभौमिक रूप से लागू करना।
- वित्त मंत्रालय के मार्ग–निर्देशों के अनुसार, नॉन–टैक्स रिसीट पोर्टल (एनटीआरपी) को सार्वभौमिक रूप से लागू करना।

(10) प्रभावी बजटीय और वित्तीय नियंत्रण की सुविधा के लिए मंत्रालय को लेखा सूचना और डाटा भी उपलब्ध कराया जाता है। विधि और न्याय मंत्रालय, भारत के उच्चतम न्यायालय के अनुदान के विभिन्न उप–शीर्षकों के अधीन मासिक और किए जा रहे व्यय के आंकड़े बजट अनुभाग को प्रस्तुत किए जाते हैं। बजट प्रावधानों के निमित व्यय की मासिक प्रगति रिपोर्ट सचिव, अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार के साथ–साथ मंत्रालय के प्रभागों के प्रमुखों को प्रस्तुत की जाती है ताकि अनुदानों पर नियंत्रण रहे और व्यय की बेहतर मानीटरिंग हो।

(11) लेखा संगठन मंत्रालय के कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों से लिए जाने वाले अग्रिम और मोटर कार अग्रिम व गृह निर्माण अग्रिम जैसे दीर्घकालीन अग्रिमों का भी लेखा रखता है।

(12) मुख्य लेखा नियंत्रक का कार्यालय, कार्यालयों के प्रमुखों द्वारा प्रस्तुत किए गए सेवा के ब्यौरों और पेंशन कागजात के आधार पर अधिकारियों और स्टाफ के सदस्यों की पेंशन की हकदारियों का सत्यापन करता है और उन्हें प्राधिकृत करता है। सभी सेवानिवृत्ति लाभों और भुगतान जैसे कि ग्रेच्युटी, छुट्टी अवकाश के बराबर नकद राशि तथा केंद्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना, सामान्य भविष्य निधि के अधीन भुगतान आदि डीडीओ कार्यालय से बिल/आवश्यक सूचना की प्राप्ति पर मुख्य लेखा–नियंत्रक के कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है।

(13) **आंतरिक लेखा–परीक्षा खंड–** आंतरिक लेखा परीक्षा खंड मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों के लेखा की जांच करके यह सुनिश्चित करता है कि इन कार्यालयों द्वारा अपने दैनिक कार्यों में सरकार द्वारा निर्धारित नियमों–विनियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया गया है।

(i) आंतरिक लेखा परीक्षा एक संगठन के संचालन को बेहतर बनाने और सुधार करने के लिए बनाई गई एक स्वतंत्र, वस्तुनिष्ठ जांच और परामर्श की गतिविधि है। इसका मूल उद्देश्यों जोखिम प्रबंधन, नियंत्रण और शासन प्रक्रियाओं की कारगरता का मूल्यांकन करके उनमें सुधार लाने के लिए एक व्यवस्थित, अनुशासित दृष्टिकोण पेश करके संगठन को सहायता प्रदान करना है। यह वस्तुनिष्ठ जांच और सलाह प्रदान करने का एक प्रभावी उपकरण भी है, जिससे शासन की गुणवत्ता बढ़ती है, परिवर्तन को बल मिलता है, जोखिम प्रबंधन और

नियंत्रण प्रक्रिया में सहायता मिलती है और परिणामों के लिए जवाबदेही में सुधार होता है। यह प्रक्रियागत त्रुटियों और कमियों को दूर करने के लिए बहुमूल्य सूचना भी प्रदान करता है और इस प्रकार प्रबंधन के लिए एक सहायक के रूप में कार्य करता है। एक इकाई की लेखा परीक्षा की आवर्तिता उसकी प्रकृति और काम और धन की मात्रा से विनियमित होती है।

(ii) मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकायों और अनुदानग्राही संस्थाओं तथा विशिष्ट योजनाओं को छोड़कर, विधि और न्याय मंत्रालय के विभिन्न विभागों और भारत के उच्चतम न्यायालय के अधीन 51 ऑडिट–यूनिटें/आहरण एवं संवितरण अधिकारी हैं। वित्तीय वर्ष 2016–17 में विधि और न्याय मंत्रालय की केवल अठारह (18) यूनिटों की ही लेखा–परीक्षा की गई है। और अधिक यूनिटों/डीडीओ की लेखा–परीक्षा इसलिए नहीं की जा सकी क्योंकि इस मंत्रालय के प्रधान लेखा कार्यालय के आंतरिक लेखा परीक्षा खंड के लिए कोई स्वीकृत पद/स्थायी कर्मचारी नहीं है। लेखा–परीक्षा का कार्य विभिन्न वेतन एवं लेखा कार्यालयों और प्रधान लेखा कार्यालय में नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा भारत के महालेखाकार के कार्यालय द्वारा पैनल में नियुक्त सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची में से दो परामर्शदाताओं की सहायता से किया जा रहा है।

उपलब्धियां– विधि और न्याय मंत्रालय में वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल 323 लेखापरीक्षा पैरा लंबित थे। बाद में कई अनुस्मारक एवं परिपत्र सबंधित कार्यालयों/विभागों को भेजे गए तथा आंतरिक ऑडिट विंग द्वारा 171 पैरा ड्राप कर दिए गये। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2016–17 में विधि एवं न्याय मंत्रालय के 18 कार्यालयों की लेखापरीक्षा की गई तथा 265 पैरा उठाये गये। विभिन्नि यूनिट कार्यालयों द्वारा प्राप्त उत्तर/अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त होने पर 265 नये उठाये गए पैरा में से 73 पैरा ड्राप कर दिये गये। लंबित लेखापरीक्षा पैरा की वर्तमान स्थिति नीचे दी गई हैः–

वित्तीय वर्ष	लंबित पैरा की संख्या	ड्राप किये पैरा की संख्या	शेष पैरा
2015–16	323	171	152
2016–17	265	73	192
	588	244	344

वर्ष 2016–17 में आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध द्वारा पाए गए कुछ प्रमुख निष्कर्षों का नीचे उल्लेख किया गया हैः–

डीडीओ, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल	31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार, शुल्क, बोर्डिंग एवं लॉजिंग प्रभारों के पंजीकरण के कारण रू. 2,51,000/– की राशि के अकादमी के प्राप्य देयों का प्राप्त न होना।
डीडीओ, भारत विधि आयोग	विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा सरकारी उपयोग के लिए एच.टी. हाऊस बिल्डिंग, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली को किराए पर लिए जाने के कारण मैसर्स हिंदुस्तान टाईम्स को किए गए रू. 781.00 लाख के अधिक भुगतान का ब्यौरा जो निम्नवत हैः–

	(क) 1/11/2009 से 19/4/2010 की अवधि के लिए खाली भवन के लिए किराए के लिए मैसर्स हिंदुस्तान टाईम्स को रू. 1,22,57,862/– की राशि का भुगतान किया गया था। (ख) 1/11/2009 से 19/4/2010 की अवधि के लिए भवन के लिए साज–सज्जा प्रभारों के लिए मैसर्स हिंदुस्तान टाईम्स को रू. 1,89,000/– की राशि का भुगतान किया गया था। (ग) (i) 1/11/2009 से 31/3/2010 की अवधि के लिए खाली भवन के लिए एयर कंडीशनिंग एवं इलेक्ट्रो मैकेनिकल प्रभारों के लिए मैसर्स हिंदुस्तान टाईम्स को रू. 55,12,500/– की राशि का भुगतान किया गया था। (ii) 1/11/2009 से 31/3/2010 की अवधि के लिए खाली भवन के सामान्य क्षेत्र के लिए विद्युत प्रभारों के लिए मैसर्स हिंदुस्तान टाईम्स को रू. 15,75,500/– की राशि का भुगतान किया गया था क्योंकि परिसर को तैयार किया जा रहा था। (घ) अक्तूबर, 2012 से मार्च, 2016 तक 2566 वर्गमीटर के अतिरिक्त स्थान को किराए पर लेने के लिए लिए मैसर्स हिंदुस्तान टाईम्स को रू. 5,85,81,162/– की राशि का भुगतान किया गया था।
डीडीओ, विधि कार्य विभाग	विधि एवं न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली ने अक्तूबर, 2009 के दौरान निर्णय लिया था कि विधायी कार्य विभाग को कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली में हिंदुस्तान टाईम्स बिल्डिंग (एचटी) में दो तलों (चौदहवां और पंद्रहवा) पर वैकल्पिक स्थान प्रदान किया जाएगा जिनमें प्रत्येक तल पर 15750 वर्गफीट का कार्पेट क्षेत्रफल होगा।
	(क) इस स्थान का उपयुक्त उपयोग करने के लिए, मंत्रालय ने अगस्त, 2012 में सीएएस और एलसीआई को एक–दूसरे के स्थान पर अर्थात सीएएस को आईएलआई भवन में और भारतीय विधि आयोग को एचटी भवन के 14वें तल पर एटीएफई को एचटी भवन के 15वें तल पर शिफ्ट करने का निर्णय लिया। परिणामस्वरूप, सीएएस ने सितंबर, 2012 को एचटी भवन खाली कर दिया और एटीएफई अप्रैल, 2013 में एचटी भवन के 15वें तल पर शिफ्ट हो गया है। एटीएफई द्वारा शिफ्टिंग में विलंब की वजह से एटीएफई को आबंटित स्थान अक्तूबर, 2012 से मार्च, 2013 तक अप्रयुक्त पड़ा रहा था और पट्टाकर्ता को किराए, अवसंरचना, रखरखाव प्रभार आदि के लिए रू. 3,30,47,532/– का बड़ा भुगतान करना पड़ा था। इसके अलावा, जैसा कि करार में उल्लेख किया गया है, एचटी भवन के 15वें तल पर 15750 वर्ग फीट का कार्पेट क्षेत्रफल था और यह एटीएफई को आबंटित था।

	(ख) एटीएफई ने वास्तव में 12000 वर्गफीट के क्षेत्रफल का प्रयोग किया था जिसमें अध्यक्ष, सदस्यों एवं अधिकारियों के कार्यालय के लिए स्थान, कोर्ट रूम, रिकॉर्ड कक्ष, सम्मेलन हॉल, लिफ्ट, कॉरिडोर आदि शामिल थे। इस प्रकार, विभाग ने उस क्षेत्र के लिए किराए आदि के रूप में रू. 4,72,10,760/– की भारी–भरकम राशि का भुगतान किया जिसका या तो एटीएफई द्वारा उपयोग नहीं किया गया अथवा जो खाली पड़ी थी।
डीडीओ, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल	राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी द्वारा मैसर्स बाज सिक्योरिटी सर्विसेज, भोपाल को रू. 28.61 लाख का अनियमित भुगतान और इसकी प्राप्ति न होने से सरकार को हानि हुई।
डीडीओ, आईटीएटी, मुंबई	आईटीएटी ऑनलाईन परियोजना (एनआईसीएसआई के जरिए आधिकारिक वेबसाईट, वेब एप्लीकेशन, न्यायिक सूचना और ई–फाईलिंग पोर्टल और निष्पादन) के पुनर्निर्माण और विकास के लिए विधि एवं न्याय मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार की सहमति मांगे बिना एनआईसीएसआई को रू. 64,82,543/– की राशि का भुगतान किया गया है जो सामान्य वित्त नियमावली–2005 के नियम–159 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

डीडीओ, न्याय विभाग, नई दिल्ली	एएस एण्ड एफए की सहमति और प्रशासनिक सचिव का अनुमोदन लिए बिना लैपटॉप की खरीद जो वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 19 सितंबर, 2014 के कार्यालय ज्ञापन सं. 8(25)2012–ई II (ए) द्वारा जारी अनुदेशों के उल्लंघन में है।
डीडीओ, न्याय विभाग, नई दिल्ली	एनसीसीएफ से लेखन–सामग्री अर्थात फोटेस्टेट पेपर की खरीद और वस्तुओं की अनियमित खरीद के संबंध में रू. 5,21,385/– का किया गया व्यय।
डीडीओ, आईटीएटी, मुंबई	सामान्य वित्त नियमावली–2005 के प्रावधान का उल्लंघन करते हुए आईटीएटी के अवसर पर भंडार की विभिन्न मदों यथा बैग स्मृति चिह्न और स्मारिका और अन्य कामों के लिए क्रमशः रू. 3,00,038/– रू. 2,13,124/– की खरीद के लिए और 2,52,450/– की खरीद के लिए अपनाई गई दोषपूर्ण अधिप्राप्ति प्रक्रिया।

डीडीओ, विधि कार्य विभाग	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशा–निर्देशों का पालन न किए जाने की वजह से दिनांक 1 अप्रैल, 2015 को या उसके बाद एनसीसीएफ और अन्य सहकारी भंडारों से रू. 8,17,239/– की राशि की लेखन–सामग्री मदों की अनियमित अधिप्राप्ति।
डीडीओ, विधायी विभाग, नई दिल्ली	उच्चतर प्राधिकारियों की मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता की उपेक्षा करने के लिए पीस मील आधार पर रू. 3,69,139/– के फर्नीचर मदों की दोषपूर्ण अधिप्राप्ति जिससे सामान्य वित्त नियम–2005 के नियम 148 का उल्लंघन हुआ।
डीडीओ, विधायी विभाग, नई दिल्ली	उच्चतर प्राधिकारियों की मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता की उपेक्षा करने के लिए कंप्यूटर उपसाधनों के छोटी–छोटी मात्रा में बांटे जाने के कारण इनकी रू. 3,89,178/– की दोषपूर्ण अधिप्राप्ति जिससे सामान्य वित्त नियम–2005 के नियम 148 का उल्लंघन हुआ।
डीडीओ, आईटीएटी, जयपुर	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा उनके दिनांक 19–02–2015 के का. ज्ञा. द्वारा जारी किए गए अनुदेशों और सामान्य वित्त नियमावली–2005 के प्रावधान का उल्लंघन करते हुए एक कोटेशन आधार पर मैसर्स केन्द्रीय भंडार से स्टोर की फर्नीचर मदों की रू 17.57 लाख की खरीद की गई।
डीडीओ, आईटीएटी, जयपुर	आईटीएटी, जयपुर बैंच, जयपुर के नव–निर्मित कार्यालय सह–रिहायशी परिसरों में उपयोग के लिए मैसर्स केन्द्रीय भंडार, जयपुर से रू. 2,16,632/– की राशि की वस्तुओं अर्थात एलईडी साईनबोर्ड (01), एसएस लोगो (प्रतीक चिह्न) (04) और लकड़ी के लोगो (03) की अधिप्राप्ति के लिए आईटीएटी, जयपुर द्वारा अपनाई गई दोषपूर्ण खरीद प्रक्रिया।
डीडीओ, राजभाषा खण्ड, एमएलजे, नई दिल्ली	एयर मेल पेपर की रू. 4,26,794/– की राशि की अधिप्राप्ति में अपनाई गई दोषपूर्ण प्रक्रिया।

डीडीओ, न्याय विभाग, एमएलजे, नई दिल्ली	अधिकारियों द्वारा विभागीय प्रयोजनों के लिए आकस्मिक अग्रिम आहरित किए गए थे और तृतीय पक्षों को चुकाया भी गया था किंतु संबंधित कर्मचारियों/अधिकारियों/तृतीय पक्षों द्वारा समायोजन/विस्तृत बिल प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे रू. 22,06,578/– की राशि के अग्रिम का गैर–समायोजन हुआ है।
डीडीओ, भारत विधि आयोग	मुम्बई (मूल निवास) और हैदराबाद का दौरा करने के लिए क्रमशः 2010–11 और 2011–12 के दौरान माननीय न्यायाधीश श्री शिव कुमार शर्मा, सदस्य, एलसीआई, नई दिल्ली को 63,950/– और 1,29,887/– रूपये का भुगतान किया गया। माननीय न्यायाधीश ने प्राइवेट टैवल एजेंसी से हवाई टिकट बुक करवाए, जिसे नियमित नहीं किया गया और जिसे एमओएफ, व्यय विभाग और डीओपीटी ने भी अस्वीकार कर दिया। एलटीसी की अग्रिम राशि अभी तक वसूली नहीं गई है।
डीडीओ, राष्ट्रीय विधि सेवा प्रधिकरण (एनएएलएसए), विधि और न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली	सहायता अनुदान के विरूद्ध 134 करोड़ रूपये के लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र विभिन्न योजनाओं के तहत सेवा प्राधिकरणों और एनजीओ राज्य विधि गारंटी संस्थान या संगठनों को जारी किए गए।
डीडीओ, न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली	सहायता अनुदान के लिए 842 करोड़ रूपये के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुए जिन्हे विभिन्न योजनाओं के तहत गारंटी संस्थाओं या संगठनों को जारी किया गया।
डीडीओ, विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली	1.00 करोड़ रूपये के सहायता अनुदान की अनुपयोगिता के कारण निधि अवरूद्ध हुई जिसे वर्ष 1999–2000 के दौरान सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन (एससीबीए) को जारी किया गया और जिससे 1.56 करोड़ रूपये के ब्याज की हानि हुई।

डीडीओ, विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली	1.50 करोड़ रूपये के सहायता अनुदान की अनुपयोगिता के कारण निधि अवरूद्ध हुई जिसे दिल्ली बार काउंसिल एसोसिएशन (डीसीबी) को जारी किया गया और जिससे 1.75 करोड़ रूपये के ब्याज की हानि हुई।
डीडीओ, राजभाषा खण्ड, विधि और न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली	सहायता अनुदान के विरूद्ध 4,00,500 रूपये के लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र विभिन्न स्वैच्छिक संगठनो को जारी किए गए।

(14) **बैंकिंग व्यवस्था** :– भारतीय बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूको बैंक और देना बैंक विधि, न्याय मंत्रालय और एससीआई के पीएओ और इसके क्षेत्र अधिकारियों के लिए प्रत्यायित बैंक हैं। संबंधित सीडीडीओ/पीएओ द्वारा प्रत्यायित बैंकों को प्राप्तियां प्रषित की गईं। प्रत्यायित बैंक में किसी भी प्रभार के लिए महालेखा–नियंत्रक, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के विशेष अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

(15) नई पहलें

(i) सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली : प्रारंभिक रूप से सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) को एमजीएनआरईजीएस, एनआरएचएम, एसएसए और पीएमजीएसवाई जैसी चार प्रमुख योजनाओं के लिए मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब और मिजोरम में पायलट के रूप में वर्ष 2008–2009 में योजना आयोग के सीपीएसएमएस नामक आयोजना स्कीम के रूप में प्रारंभ किया गया। मंत्रालयों/विभागों में नेटवर्क स्थापित करने के प्रारंभिक चरण के बाद, केन्द्र, राज्य सरकार और राज्य सरकारों की एजेंसियों के वित्तीय नेटवर्क को जोड़ने के लिए सीपीएसएमएस (पीएफएमएस) के राष्ट्रीय रोलआउट को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। योजना को पूर्व योजना आयोग और वित्त मंत्रालय की 12वीं योजना पहल में शामिल किया गया।

मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा निम्नलिखित हेतु पीएफएमएस के लिए अधिदेश दिया गया :

- सभी आयोजना स्कीम के लिए वित्तीय प्रबंध मंच, सभी प्रापक एजेंसियों का डाटाबेस, योजनागत निधि को देखने के लिए बैंक के कोर बैंकिंग समाधान में एकीकरण, राज्य कोषगारों के साथ एकीकरण और सरकार की आयोजना स्कीम के कार्यान्वयन के न्यूनतम स्तर में निधि प्रवाह की प्रभावशाली और कुशल ट्रैकिंग।
- निधि उपयोगिता पर देश में सभी आयोजना स्कीमों/कार्यान्वयन एजेंसियों को जानकारी उपलब्ध कराना जिससे आयोजना स्कीम के कार्यान्वयन में सार्वजनिक जवाबदेही को बढ़ाने के लिए उत्कृष्ट मानीटरिंग, समीक्षा और निर्णय सहायता प्रणाली बनाई जा सके।

- सार्वजनिक व्यय में सरकारी पारदर्शिता और योजनाओं में संसाधन उपलब्धता और उपयोगिता पर वास्तविक जानकारी के लिए बेहतर वित्त प्रबंधन के माध्यम से सार्वजनिक वित्त प्रबंधन में प्रभावशीलता और अर्थव्यवस्था में परिणाम के लिए। रोल आउट के परिणामस्वरूप उन्नत कार्यक्रम प्रशासन और प्रबंध, प्रणाली में फ्लोट में कमी, लाभार्थियों को सीधा भुगतान और सार्वजनित निधि के उपयोग में बड़ी पारदर्शिता और जवाबदेही भी होती है। प्रस्तावित प्रणाली अभिशासन सुधार के लिए महत्वपूर्ण साधन होगी।

अधिदेश को कार्यान्वित करने के लिए मॉडयूल

केन्द्रीय मंत्रिमंडल के अनुसार स्टेकहोल्डरों के लिए पीएफएमएस द्वारा विकसित/विकसित किए जा रहे मॉड्यूल का उपर्युक्त अधिदेश निम्नानुसार हैः

I. निधि प्रवाह मानीटरिंग

(क) एजेंसी पंजीकरण

(ख) पीएफएमएस ईएटी माड्यूल के माध्यम से व्यय प्रबंधन और निधि उपयोगिता

(ग) पंजीकृत एजेंसियो के लिए लेखांकन माड्यूल

(घ) कोषागार इंटरफेस

(ड) पीएफएमएस–पीआरआई निधि प्रवाह और उपयोगिता इंटरफेस

(च) राज्य योजनाओं के लिए निधि ट्रेकिंग हेतु राज्य सरकार के लिए तंत्र

(छ) बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईपीए) की मानीटरिंग

II. सीधा लाभ अंतरण डीबीटी माड्यूल

(क) लाभार्थियों के लिए पीएओ

(ख) लाभार्थियों के लिए एजेंसी

(ग) लाभार्थियों के लिए राज्य कोषागार

III. बैंकिंग के लिए इंटरफेस

(क) सीबीसी

(ख) इंडिया पोस्ट

(ग) आरबीआई

(घ) नाबार्ड और सहकारी बैंक

पर्याप्त अधिदेश को कार्यान्वित करने के लिए माड्यूल

IV. भारत सरकार के पीएओ कंप्यूटरीकरण–आनलाइन भुगतान, प्राप्तियां और लेखांकन

(क) कार्यक्रम प्रभाग माड्यूल

(ख) डीडीओ माड्यूल

(ग) पीएओ माड्यूल

(घ) पेंशन माड्यूल

(ड) जीपीएफ और एचआर माड्यूल

(च) जीएसटीएन सहित प्राप्तियां

(छ) वार्षिक वित्तीय विवरण

(ज) नगद प्रवाह प्रबंधन

(झ) गैर सिविल मंत्रियों के साथ इंटरफेस

V. गैर – कर प्राप्ति पोर्टल

अन्य विभागीय पहल :

पीएफएमएस की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, अनेक अन्य विभागों ने अपने विभाग की आवश्यकताओं के लिए उपयोगिताओं को विकसित करने के लिए पीएफएमएस से संपर्क किया।

VI. एमएचए के लिए इंटरफेस (विदेश प्रभाग) एफसीआरए के तहत निधि प्राप्त करने वाली एजेंसियों की मानीटरिंग

VII. सीबीडीटी पीएएन मान्यकरण

VIII. जीएसटीएन बैंक खाता मान्यकरण

कार्यान्वयन कार्यनीति

वित्त मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधनप्रणाली के चरणबद्ध कार्यान्वयन के लिए कार्ययोजना तैयार और अनुमोदित की गई है।

उन्नत वित्तीय प्रबंधन के जरिए:

- निधियों की जस्ट इन टाईम (जेआईटी) निर्मुक्ति
- अंततः उपयोग सहित निधियों के उपयोग की निगरानी।

कार्यनीतिः

- पीएफएमएस की सार्वभौमिक शुरूआत, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ शामिल है
- पीएफएमएस पर सभी कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) का अनिवार्य पंजीकरण और
- सभी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा पीएफएमएस के अग्रिम और अंतरण व्यय (ईएटी) मॉड्यूल का अनिवार्य उपयोग।

I. केन्द्रीय क्षेत्र (सीएस) योजनाओं/संव्यवहारों के लिए कार्यान्वयन कार्यनीति पूरी की जाने वाली गतिविधियां

- कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अनिवार्य पंजीकरण और ईएटी मॉड्यूल का उपयोग।
- योजनाओं की सभी प्रासंगिक सूचना की मैपिंग।
- पीएफएमएस की प्रत्येक योजना के बजट को अपलोड करना।
- पीएफएसएस के साथ विशिष्ट योजनाओं अर्थात नरेगासॉफ्ट, आवाससॉफ्ट के प्रणालीगत इंटरफेस का एकीकरण।
- प्रशिक्षकों की तैनाती और प्रशिक्षण

II. केन्द्रीय राज्य आयोजना सहायता (सीएएसपी) के लिए कार्यान्वयन कार्यनीति राज्यों द्वारा की जाने वाली गतिविधियां

- राज्य राजकोष का पीएफएमएस के साथ एकीकरण।
- सभी एसआईए के पीएफएमएस का पंजीकरण (स्तर 1 और निम्नतर)
- राज्य योजनाओं की संबधित केन्द्रीय योजनाओं के साथ मैपिंग
- पीएफएमएस पर राज्य योजनाओं का कंफिगरेशन
- राज्य योजना घटकों की कंफीगरिंग
- प्रत्येक राज्य योजना के क्रमबद्धता की पहचान और कंफीगर

- पीएफएमएस का योजना विशिष्ट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के साथ एकीकरण
- प्रशिक्षकों की तैनाती और प्रशिक्षण
- कार्यान्वयन के लिए निरंतर सहायता

2016–17 में विधि एवं न्याय मंत्रालय और उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत चार (04) वेतन एवं लेखा कार्यालयों अर्थात वेतन एवं लेखा कार्यालय (एलए), वेतन एवं लेखा कार्यालय (एलडी), वेतन एवं लेखा कार्यालय (ईओ) और वेतन एवं लेखा कार्यालय (एससीआई) में से वेतन एवं लेखा कार्यालय (एससीआई) से इतर तीन (03) वेतन एवं लेखा कार्यालयों अर्थात वेतन एवं लेखा कार्यालय (एलए), वेतन एवं लेखा कार्यालय (एलडी) और वेतन एवं लेखा कार्यालय का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया गया है।

विधि एवं न्याय मंत्रालय में ईआईसी/सीडीडीओ/एनटीआरपी की स्थितिः–

1. सीडीडीओ द्वारा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के लिए सीडीडीओ मॉडयूल का कार्यान्वयन						
मंत्रालय/विभाग	सीडीडीओ की कुल सं.	बोर्ड पीएफएमएस पर सीडीडीओ की सं.	शेष सीडीडीओ की सं.	बोर्ड पीएफएमएस पर लाने के लिए माह–वार योजना		
				जनवरी, 18	फरवरी, 18	मार्च, 18
विधि एवं न्याय मंत्रालय	33	3	30	12	10	8

2. कर्मचारी सूचना प्रणाली (ईआईएस) मॉड्यूल						
मंत्रालय/विभाग	सीडीडीओ की कुल सं.	बोर्ड पीएफएमएस पर सीडीडीओ की सं.	शेष सीडीडीओ की सं.	बोर्ड पीएफएमएस पर लाने के लिए माह–वार योजना		
				जनवरी, 18	फरवरी, 18	मार्च, 18
विधि एवं न्याय मंत्रालय	52′	20	32	8	8	10

3. कर भिन्न प्राप्तियां पोर्टल (एनटीआरपी) मॉडयूल						
मंत्रालय/विभाग	सीडीडीओ की कुल सं.	बोर्ड पीएफएमएस पर सीडीडीओ की सं.	शेष सीडीडीओ की सं.	बोर्ड पीएफएमएस पर लाने के लिए माह–वार योजना		
				जनवरी, 18	फरवरी, 18	मार्च, 18
विधि एवं न्याय मंत्रालय	4''	–	4	4	–	–

(i) **ई–भुगतान प्रणाली–** विधि और न्याय मंत्रालय, भारत के उच्चतम न्यायालय के सभी भुगतान एवं लेखा कार्यालयों में दिनांक 1.4.2012 से द्वितीय चरण के अधीन ई–भुगतान प्रणाली सफलतापूर्वक लागू कर दी गई है।

चूंकि आयकर अधिनियम, 2000 की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार, एक इलेक्ट्रानिक विधि या प्रक्रिया के माध्यम से डिजिटल रूप से अधिप्रमाणित इलैक्ट्रानिक रिकार्ड या डिजिटल हस्ताक्षर वाले दस्तावेजों को मान्यता दी गई है, अतः महा लेखा–नियंत्रक ने डिजिटल हस्ताक्षरित इलेक्ट्रानिक सलाह के माध्यम से इलेक्ट्रानिक भुगतान (ई–पेमेंट) के लिए 'काम्पैक्ट' में एक सुविधा विकसित की है। यह चेक के माध्यम से भुगतान की मौजूदा प्रणाली का स्थान लेगी और केंद्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के वेतन एवं लेखा कार्यालयों में चल रहे 'काम्पैक्ट एप्लिकेशन' के प्रयोग को आगे बढ़ाएगी।

ई–भुगतान प्रणाली एक पूरी तरह से सुरक्षित वेब आधारित इलेक्ट्रानिक भुगतान सेवा की प्रणाली है, जो सरकारी भुगतान प्रणाली में पारदर्शिता लाती है। इस प्रणाली के तहत सरकार से देय राशि का भुगतान करने के लिए एक सुरक्षित संचार चैनल अर्थात गवर्नमेंट ई–भुगतान गेटवे (जीईपीजी) के माध्यम से 'काम्पैक्ट' से जारी एक डिजिटल हस्ताक्षरित ई–सलाह के माध्यम से प्राप्तकर्ता के बैंक खाते में सीधे पैसे जमा किए जाते हैं। इसको लागू करने के लिए मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय से आवश्यक कार्यात्मक और सुरक्षा प्रमाणन प्राप्त किया गया है। इस प्रणाली को आगामी वर्ष में केंद्रीय सरकार के सभी सिविल मंत्रालयों/विभागों में चरणबद्ध रूप से लागू किया जा रहा है।

(ii) **गवर्नमेंट ई–पेमेंट गेटवे (जीईपीजी):**

गवर्नमेंट ई–पेमेंट गेट वे (जीईपीजी) एक ऐसा पोर्टल है, जिसमें लेन–देन के ऑनलाइन भुगतान के लिए वेतन और लेखा कार्यालयों से सफलतापूर्वक भुगतान किया जा सकता है। यह पोर्टल महालेखा–नियंत्रक के कार्यालय द्वारा तैयार किया गया है और सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने

इसे मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी) प्रमाण–पत्र प्रदान किया है। जीईपीजी बैंकों/भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) और पीएओ के कॉम्पैक्ट एप्लिकेशन के बीच एक मध्यवर्ती साधन के रूप में काम करता है और मैनुअल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, ई–पेमेंट एडवाइस और ई–स्क्राल सूचना को स्वचालित बनाता है।

ई–पेमेंट और जीईपीजी प्रणाली की मुख्य बातें

लेन–देन के उच्च सुरक्षा मानक और प्रणाली लॉग

पीएओ एप्लिकेशंस में प्रभावी ई–पेमेंट के लिए निम्नलिखित सुरक्षा अपेक्षाएं मौजूद हैं:

- 128 बिट पीकेआई एन्क्रिप्शन।
- सूचना की सत्यता: हैश एल्गोरिथम (एसएचएआई): सुरक्षा मानक इस प्रकार बनाए गए हैं कि पीएओ द्वारा इंटरनेट पर बैंक को भेजे जा रहे डाटा की गोपनीयता, डाटा की प्रमाणिकता और डाटा की सत्यता को सुनिश्चित किया जा सके।
- नान–रिप्यूडिएशन – की जनरेशन/डिजिटल हस्ताक्षर, 128 बिट पीकेआई बुनियादी संरचना (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुशंसित) पर आधारित

डिजिटल हस्ताक्षरित ई–पेमेंट के प्राधिकरण के साथ प्रत्येक ई–पेमेंट प्राधिकरण की मदवार ट्रेकिंग और स्वचालित समाधान।

(iii) डिजिटल हस्ताक्षरों का पंजीकरण: वेतन और लेखा अधिकारी एनआईसी प्रमाणन प्राधिकारी से डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करता है। एनआईसी प्रमाणन प्राधिकारी से प्राप्त डिजिटल हस्ताक्षरों को यूएसबी टोकन जिसे 'आई–की' कहते हैं, में रखा जाता है। वेतन और लेखा अधिकारी इन डिजिटल हस्ताक्षरों को संबंधित मंत्रालय/विभाग के मुख्य लेखा कार्यालय के माध्यम से जीईपीजी पोर्टल पर पंजीकृत करता है। संबंधित बैंक पीएओ के डिजिटल हस्ताक्षरों को जीईपीजी पोर्टल से डाउनलोड करते हैं। संबंधित बैंकों के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के डिजिटल हस्ताक्षरों को भी जीईपीजी पोर्टल पर अपलोड किया जाता है ताकि बैंकों द्वारा पीएओ को मुहैया कराए गए ई–पेमेंट स्क्राल को अधिप्रमाणित किया जा सके।

विनियोग लेखा, 2016–17 की मुख्य विशेषताएं

(रू करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान	अंतिम अनुमान	व्यय	अधिक() बचत (–)
अनुदान सं. 64 2052–सचिवालय सामान्य सेवाएं	126.81	126.14	106.45	–19.69
2014–न्याय प्रशासन	516.19	518.52	489.56	–28.96
2015–निर्वाचन	3649.29	2374.64	2371.34	–3.30
2020–आय और व्यय पर करों का संग्रहण	73.48	87.19	79.28	–7.91
2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएं	21.21	23.56	21.19	–2.37
2552–उत्तर–पूर्व क्षेत्र	90.00	3.58	–	–3.58
3601–राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	460.01	465.74	465.72	–0.02
3602–संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान	75.00	75.00	75.00	–
4070–अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	88.01	11.32	7.72	–3.60
वर्ष के दौरान वापस जमा की गई राशि				–1414.33
योग	**5100.00**	**3685.59**	**3616.26**	**–1483.76**
विनियोग सं. 65–भारत का उच्चतम न्यायालय मुख्य शीर्ष–2014 न्याय प्रशासन (प्रभारित)	189.88	242.00	234.75	–7.25′

* वर्ष के दौरान वापस की गई राशि

(स्रोतः विनियोग लेखा 2015–16)

अध्याय–III

न्याय विभाग

1. संगठन और कार्य

न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय का हिस्सा है। विधि और न्याय मंत्री इसके अध्यक्ष हैं, उसके बाद राज्य मंत्री (विधि और न्याय) हैं। सचिव (न्याय), सचिवालय के प्रमुख हैं। संगठनात्मक ढांचे में चार संयुक्त सचिव, सात निदेशक/उप सचिव और नौ अवर सचिव शामिल हैं। न्याय विभाग की स्वीकृत कार्मिक संख्याबल 96 है, जिसमें से 36 पद रिक्त हैं। वर्तमान में 60 वर्तमान पदाधिकारियों में से केवल 07 महिला अधिकारी/कर्मचारी इस विभाग में काम कर रही हैं। न्याय विभाग के कार्य में भारत सरकार के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों की नियुक्ति, त्याग पत्र और पद से हटाया जाना तथा उनके सेवा संबंधी मामले शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, यह विभाग अधीनस्थ न्यायालयों की आधारभूत संरचना विकास से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ–साथ न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य भी कार्यान्वित करता है। न्याय विभाग का संगठनात्मक चार्ट अनुबंध–XIII पर है।

1.1 भारत सरकार (समय–समय पर यथासंशोधित आवंटन नियम–1961) के अनुसार, अन्य बातों के साथ–साथ न्याय विभाग द्वारा देखे जा रहे विषयों में निम्नलिखित शामिल हैं:–

i. भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, त्यागपत्र और पद से हटाना, उनका वेतन, अनुपस्थिति की अनुमति (छुट्टी भत्ते सहित) के बारे में अधिकार, पेंशन और यात्रा भत्ते।

ii. राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति, त्यागपत्र और पद से हटाना, उनके वेतन,अनुपस्थिति की अनुमति (छुट्टी भत्ते सहित) के बारे मेँ अधिकार, पेंशन और यात्रा भत्ते।

iii. संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायिक आयुक्तों और न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति।

iv. उच्चतम न्यायालय का संघटन और संगठन (न्यायिक क्षेत्राधिकार और शक्तियों को छोडकर) (किंतु इस न्यायालय की अवमानना सहित) और इनमें लिया गया शुल्क।

v. उच्च न्यायालयों और न्यायिक आयुक्तों के न्यायालयों के अधिकारियों और सेवकों के प्रावधानों को छोड़कर इन न्यायालयों का गठन और संस्थान।

vi. संघ राज्य क्षेत्रों में न्याय का प्रशासन और न्यायालयों का गठन और संस्थान तथा इस प्रकार के न्यायालयों में लिया जाने वाला शुल्क।

vii. संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायालय शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी।

viii. अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का सृजन।

ix. जिला न्यायाधीशों और संघ राज्य क्षेत्रों की उच्चतर न्यायिक सेवा के अन्य सदस्यों की सेवा संबंधी शर्तें।

x. किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का किसी संघ राज्य क्षेत्र तक विस्तार करना अथवा किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से किसी संघ राज्य क्षेत्र को बाहर रखना।

xi. गरीबों को विधिक सहायता

xii. न्याय का प्रशासन

xiii. न्याय प्रदायगी तक पहुंच और विधिक सुधार।

2. न्यायाधीशों की नियुक्ति

2.1 भारत का उच्चतम न्यायालयः

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का संख्याबल (भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित) 31 है। 31.12.2017 की स्थिति के अनुसार, पदासीन न्यायाधीशों की संख्या 25 है और न्यायाधीशों के 6 पद रिक्त हैं, जिन्हें भरा जाना है। 01–01–2017 से 31–12–2017 तक की अवधि के दौरान उच्चतम न्यायालय में 05 न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। श्री न्यायमूर्ति जे.एस. खेहर को 04.01.2017 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया था और वे सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर 27.08.2017 को सेवानिवृत्त हो गए हैं। श्री न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा ने 28.08.2017 से भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद ग्रहण कर लिया है।

2.2 भारत का उच्च न्यायालयः

31.12.2017 की स्थिति के अनुसार, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 1079 है, इनमें से पदासीन न्यायाधीशों की कुल संख्या 683 है और न्यायाधीशों के 396 पद रिक्त हैं जिन्हें भरा जाना है। दिनांक 01.01.2017 से 31.12.2017 की अवधि के दौरान, अधिवर्षिता, उच्चतम न्यायालय के लिए पदोन्नति, पद त्याग, इत्यादि की वजह से उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के 81 पद रिक्त हो गए। उपरोक्त अवधि के दौरान, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की 115 नई नियुक्तियों की गई हैं और 31 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया है। इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालयों के 5 अतिरिक्त न्यायाधीशों का कार्यकाल भी बढ़ाया गया था।

2.3 मौजूदा प्रक्रिया–ज्ञापन (एमओपी) को अनुसमर्थित करना।

"कॉलेजियम प्रणाली" में सुधार के बारे में उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 16–12–2015 को अपना आदेश सुनाया। अपने इस आदेश के तहत उन्होंने अन्य बातों के साथ–साथ निर्णय दिया कि "भारत सरकार, भारत के उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम के परामर्श से पारदर्शिता, सचिवालय, पात्रता मानदंड और शिकायत तंत्र जैसे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मौजूदा प्रक्रिया–ज्ञापन को अनुपूरित करते हुए उसे अंतिम रूप दे सकती है।

भारत सरकार ने समुचित विचार–विमर्श करने के पश्चात मसौदा प्रक्रिया–ज्ञापन में परिवर्तनों का प्रस्ताव किया जिन्हें दिनांक 22–03–2016 के पत्र द्वारा भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति को भेज दिया गया था। सरकार

का प्रयास है कि वर्तमान प्रक्रिया–ज्ञापन को उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा स्थापित मानकों के भीतर नियुक्ति–प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह बनाने के साथ–साथ न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हुए अनुसमर्थित किया जाए। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का प्रत्युत्तर दिनांक 25–05–2016 और 01–07–2016 को प्राप्त हुआ। उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने संशोधित प्रक्रिया–ज्ञापन में दिए गए कुछ सुझावों पर सहमति जताई है। हालांकि इसने कुछ अन्य प्रावधानों को स्वीकार नहीं किया है। सरकार की राय 03–08–2016 को भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को भेज दी गई थी। 13–03–2017 के पत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा यथासंशोधित प्रक्रिया ज्ञापन प्राप्त हुआ है।

इस बीच, उच्चतम न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के खिलाफ स्वयं संज्ञान लेते हुए (सू–मोटो) अवमानना की कार्यवाही में 4.7.2017 के एक हालिया निर्णय में अन्य बातों के साथ–साथ संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों की चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया को फिर से देखने की आवश्यकता का उल्लेख किया है। न्याय विभाग ने भारत के उच्चतम न्यायालय के महासचिव को भेजे गए सचिव (न्याय) के दिनांक 11–07–2017 के पत्र द्वारा सरकार के मत को बताते हुए उच्चतम न्यायालय के साथ इस मुद्दे को उठाया है। उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के साथ परामर्श में सरकार द्वारा प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

3. राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी

3.1 राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत 1993 में स्थापित (17.08.1993 से प्रभावी) एक स्वायत्त शासी संस्था है। यह स्वतंत्र निकाय, भारत के उच्चतम न्यायालय में स्थित अपने कार्यालय से कार्य करता है और इसका कैम्पस भोपाल, मध्य प्रदेश में है। यह देश के न्यायाधीशों/ न्यायिक अधिकारियों को न्यायिक प्रशिक्षण प्रदान करने और उच्चतम न्यायालय में कार्यरत अनुसचिवीय अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायालय प्रबंधन तथा प्रशासन से संबंधित मामलों में सम्मेलनों, संगोष्ठियों व्याख्यानों का आयोजन तथा अनुसंधान करने के लिए एक प्रमुख निकाय है। इस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य देश में राष्ट्रीय न्यायपालिका के विकास को बढ़ावा देना और न्याय, न्यायिक शिक्षा, अनुसंधान और नीति तैयार करने के प्रशासन को मजबूत करना रहा है।

3.2 भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की आम सभा (जनरल बाडी) और साथ ही साथ शासी परिषद (गर्वनिंग काउंसिल) के अध्यक्ष हैं और साथ ही वे कार्यकारी समिति और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की अकादमी परिषद के अध्यक्ष भी हैं। अकादमी के मामले एक शासी परिषद द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। अकादमी पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित–पोषित है। निदेशक, इसके प्रमुख कार्यकारी अधिकारी हैं। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के कर्मचारियों में एक निदेशक के अलावा अपर निदेशक (अनुसंधान) का एक पद, प्रोफेसर के 3 पद, सहायक प्रोफेसर के 6 पद, अनुसंधान फैलो के 6 पद और विधि सहायक के 6 पद शामिल हैं। न्यायिक अकादमी के प्रशासनिक अधिकारियों और स्टाफ में निदेशक के अलावा, रजिस्ट्रार, अतिरिक्त रजिस्ट्रार, मुख्य लेखा अधिकारी, अनुरक्षण अभियंता और दूसरे प्रबंधकीय और प्रकार्यात्मक पद शामिल हैं।

3.3 वित्त वर्ष 2017–18 के बजट अनुमानों के अंतर्गत राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के लिए "सामान्य सहायता अनुदान" (गैर–योजनागत) के अंतर्गत 1000.00 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। इसमें से, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी को तीन किश्तों में 1000.00 लाख रुपए की राशि निर्गत की जा चुकी है। वित्त वर्ष 2017–18 के लिए "पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान" के लिए 600.00 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसमें से, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (भारत) द्वारा जो कि भारत सरकार का एक उद्यम है, 20 आवासीय फ्लैटों का निर्माण करने के लिए 300 लाख रुपए की धनराशि निर्गत की गई है, जबकि 300 लाख रुपए की दूसरी किस्त निर्गत किए जाने के लिए प्रक्रिया जारी है।

3.4 वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के दौरान, अकादमी ने न्यायिक अधिकारियों के लिए 90 प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मंजूरी दी है। इन कार्यक्रमों में अन्य बातों के साथ–साथ सीबीआई अधिकारियों/विशेष न्यायालयों के लिए रिफ्रेशर पाठ्यक्रम, न्यायिक नैतिकता और जवाबदेही पर सम्मेलन, सार्क देशों के न्यायाधीशों के लिए कार्यशालाएं, भारत में युवा न्याय बोर्डों के काम पर राष्ट्रीय सेमिनार, परिवार/पोक्सो/मानवाधिकार/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पीओए) न्यायालयों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, आतंकवाद रोध, आदि पर कार्यशालाएं शामिल हैं।

4. कुटुंब न्यायालय

4.1 कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 में उच्च न्यायालयों के परामर्श से राज्य सरकारों द्वारा सुलह को बढ़ावा देने और विवाह और परिवार के मामलों से संबंधित विवादों के शीघ्र निपटारे के लिए कुटुंब न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान है। कुटुंब न्यायालय अधिनियम की धारा 3 (1) (क) के तहत राज्य सरकारों के लिए यह अनिवार्य है कि दस लाख से अधिक आबादी वाले शहर या कस्बे में हर क्षेत्र के लिए एक कुटुंब न्यायालय स्थापित करे। यदि राज्य सरकारें आवश्यक समझें तो वे राज्यों के अन्य क्षेत्रों में भी, कुटुंब न्यायालयों की स्थापना कर सकती हैं।

4.2 कुटुंब न्यायालयों की स्थापना के लिए मुख्य उद्देश्य और कारण निम्नांकित हैं:

i. इस तरह के विशेष न्यायालय बनाना जो विशेष रूप से परिवार के मामलों को देखेंगे ताकि उनके पास ऐसे मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता हो। इस प्रकार, विशेषज्ञता और मामलों का शीघ्र निपटान ऐसे न्यायालय स्थापित करने के लिए दो मुख्य कारक हैं;

ii. परिवार से संबंधित विवादों के समाधान के लिए एक तंत्र की स्थापना करना;

iii. सस्ता समाधान प्रदान करना; और

iv. कार्यवाहियों के संचालन में लचीलापन और एक अनौपचारिक वातावरण।

4.3 कुटुंब न्यायालय स्थापित करने के लिए वर्ष 2002–03 में केंद्रीय वित्तीय सहायता की एक योजना शुरू की गई थी। योजना के अनुसार, केंद्र सरकार ने, कुटुंब न्यायालय भवन और न्यायाधीशों के लिए रिहायशी आवास का निर्माण करने के लिए योजनागत सहायता के रूप में एक–बारगी के अनुदान के रूप में 10 लाख रूपए और गैर योजना के अंतर्गत आवर्ती लागत के रूप में वर्ष में 5 लाख रूपए की उच्चतम सीमा के अध्यधीन कुल लागत का 50 प्रतिशत मुहैया कराया। वर्ष 2012–13 से इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों को 11.50 करोड रूपए का अनुदान निर्मुक्त किया गया है। अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं की केंद्र प्रायोजित योजना में कुटुंब न्यायालय और रिहायशी परिसर के भवन के निर्माण के लिए अनुदान की व्यवस्था करने के संघटक को शामिल कर लिया गया है।

5. न्याय क्षेत्र में 14 वां वित्त आयोग

5.1 न्याय विभाग ने न्यायालय सेवाओं के लिए आसान पहुँच सुनिश्चित करने और न्यायालय प्रणाली में जनता का विश्वास बढ़ाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 14वें वित्त आयोग के विचार के लिए एक ज्ञापन प्रस्तुत किया। इस ज्ञापन में अतिरिक्त न्यायालयों (858.82 करोड़ रूपए), फास्ट ट्रैक न्यायालयों (4,144. 11 करोड़ रूपये), पारिवारिक न्यायालयों (521.06 करोड़ रूपए), के गठन के माध्यम से लंबन में कमी लाने, मौजूदा न्यायालयों परिसरों को अधिक वादी अनुकूल बनाने के लिए उनकी रीडिजायनिंग करने (1400 करोड़ रुपये), आईसीटी सक्षम न्यायालयों के लिए तकनीकी सहायता बढ़ाने (479.68 करोड़ रुपये), उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों के केस रिकॉर्डों का स्कैनिंग और डिजिटाइजेशन करने (752.50 करोड़ रुपये), न्याय तक पहुँच बनाने (947.55 करोड़ रूपए), न्यायाधीशों, लोक अभियोजकों, मध्यस्थों, वकीलों (नए, पुराने) के प्रशिक्षण और उनकी क्षमता बढ़ाने (550 करोड़ रूपये) और मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना करने (75.00 करोड़ रुपये) के लिए 9749 करोड़ रूपए की कुल वित्तीय आवश्यकता का प्रस्ताव किया गया था।

5.2 14 वें वित्त आयोग की सिफारिश – 14 वें वित्त आयोग ने प्रस्तावित प्रस्ताव की वृहत प्रकृति को नोट करते हुए इसका समर्थन किया है और राज्य सरकारों से अनुरोध किया कि वे राज्यों में न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस तरह की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु कर विकेन्द्रीयकरण में आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त वित्तीय आवंटन का उपयोग करें।

6. ई–कोर्स मिशन मोड प्रोजेक्ट

6.1 परिचयः

एक ऐसी न्याय प्रदायगी प्रणाली को स्थापित के दृष्टिकोण के साथ जिसमें बेहतर दक्षता, पहुंच, सामर्थ्य, अधिक पारदर्शिता और निर्धारित समयबद्धता हो, न्याय विभाग, भारत के उच्चतम न्यायालय के मार्गदर्शन में ई–कोर्ट् मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) का कार्यान्वयन कर रहा है। 2010 में शुरू किए गए ई–कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) के चरण–1 ने एक अच्छी सफलता दर के साथ अपने निर्धारित लक्ष्यों और समय–सीमा को पूरा करते हुए 639.144 करोड़ रुपये की कुल लागत पर अपना पहला चरण पूरा कर लिया है।

6.2 वित्तीय और समय–सीमा:

ई–कोर्ट मिशन मोड परियोजना (एमएमपी), न्याय विभाग की राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस परियोजनाओं में से एक है, जो अपने चरण–II के कार्यान्वयन में चल रही है। अगस्त, 2015 में शुरू हुआ ई–कोर्ट मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) का चरण–II 2019 में पूरा होना है। 1,670 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ परियोजना के चरण–II [2015–2019] के तहत न्याय विभाग द्वारा 31.12.2017 तक 921 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

6.3 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की आईसीटी सक्रियण :

सार्वभौमिक कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से वादियों, वकीलों और न्यायपालिका को नामित सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से, न्याय विभाग ने ई–कोर्ट् मिशन मोड परियोजना के तहत 16,089 जिलों और अधीनस्थ न्यायालयों को आईसीटी सक्षम किया है। प्रमुख विशेषताओं में आईसीटी सक्षमता के लिए बुनियादी डिजिटल बुनियादी ढांचे की व्यवस्था करना शामिल है जिसमें कि विभिन्न मॉड्यूल, जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर, डीएसएलए/टीएलसी का कम्प्यूटरीकरण, लोकल एरिया नेटवर्क (लैन), इंटरनेट कनेक्टिविटी और प्रत्येक न्यायालय परिसर में मानक अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर की स्थापना, एसजेएएस पर प्रशिक्षण , कियोस्क की स्थापना, प्रबंधन परिवर्तन आदि शामिल हैं।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा 488 न्यायालयों और 342 संबंधित जेलों के बीच शुरू की गई है। इस सुविधा को 2768 न्यायालय परिसरों और 958 जेलों में स्थापित करने के लिए कार्य प्रगति पर है। परियोजना की अतिरिक्त सुविधाओं में सेवाओं का वितरण में अन्य बातों के साथ–साथ मामला पंजीकरण, कारण–सूची, दैनिक मामले की स्थिति, और अंतिम आदेश/निर्णय शामिल हैं। इंटरऑपरेबल आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) के तहत जेलों, पुलिस और फोरेंसिक्स के साथ ई–कोर्ट के एकीकरण की परिकल्पना की गई है।

6.4 राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी):

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) को परियोजना के तहत एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में सृजित किया गया है, जिसमें देश के 16,089 कम्प्यूटरीकृत जिलों और अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाही/ उनके फैसलों से संबंधित जानकारी उपलब्ध है। वर्तमान में, वादी इन कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों से संबंधित 8.86 करोड़ से अधिक मामलों के संबंध में मामले की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और 5.24 करोड़ से अधिक ऑर्डरों/फैसलों यह पोर्टल वादियों को ऑनलाइन जानकारी भी प्रदान करता है जैसे केस पंजीकरण, कारण सूची, केस स्थिति, दैनिक आदेश और अंतिम निर्णय। लगभग 3,000 न्यायालय परिसरों में वास्तविक समय के आधार पर दाखिल, पंजीकरण, जांच, आपत्तियों, मामले की स्थिति, कारण सूची, निर्णय और आदेश के ताजा आंकड़े दर्शाए जाते हैं।

उच्च न्यायालय के राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) को भी चालू किया गया है। उच्च न्यायालय वेब सेवाओं के माध्यम से राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) से जुड़ गए हैं, जिसमें 23 उच्च न्यायालयों के 39 खंडपीठों ताजा (लाइव) आंकड़े होते हैं।

6.5 ई–कोर्ट्स परियोजना के तहत सेवाएं:

क. एसएमएस भेजना :

वादियों और वकीलों के लाभ के लिए, एसएमएस के माध्यम से केस सूचना सेवा (एस) उपलब्ध कराने की सुविधा कार्यान्वित की गई है और प्रणाली जनरेटेड एसएमएस भेजने की प्रक्रिया परिचालन में है।

ख. एसएमएस प्राप्त करना :

22 सितंबर, 2017 को ई–कॉर्ट्स परियोजना के तहत एसएमएस प्राप्त करने की सुविधा का उद्‌घाटन किया गया था। एसएमएस प्राप्त करने की सुविधा के तहत 9766899899 पर एसएमएस द्वारा केस सीएनआर नंबर (केस नंबर रिकॉर्ड) भेजकर मामले का विवरण प्राप्त किया जा सकता है।

ग. ई–मेल:

देश में सभी जिला और तालुका न्यायालयों के लिए स्वचालित मेलिंग चालू की गई है। वर्तमान में रोज 1 लाख से अधिक मेल भेजे जा रहे हैं। ई–मेल सेवा के माध्यम से ई–कोर्ट परियोजना के तहत संबंधित न्यायालयों के साथ ई–मेल पते का पंजीकरण करने पर वादियों के मेल–बॉक्स में कारण सूचियों, फैसलों, मामलों की स्थिति आदि प्राप्त की जा सकती है।

घ. वेब:

यूआरएल : https://ecourts.gov.in का इस्तेमाल करके ई–कोर्ट्स पोर्टल की वेबसाइट के माध्यम से वादी केंद्रित जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

ड़. मोबाइल एप्लिकेशन:

वादियों और वकीलों के इस्तेमाल के लिए क्यूआर कोड की सुविधा के साथ ई–न्यायालय मोबाइल एप को भी शुरू किया गया है। विभिन्न कैप्शन के तहत सेवाएं अर्थात सीएनआर, मामले की स्थिति, कारण सूची और मेरे मामले, इस एप पर उपलब्ध हैं। प्ले स्टोर और एप स्टोर दोनों की उपलब्धता के साथ 31.12.2018 तक कुल डाउनलोड की संख्या 4.43 लाख पार कर गई है।

च. न्यायिक सेवा केंद्र:

न्यायिक सेवा केंद्र (जेएससी) स्थापित किए गए हैं, जो वादियों/वकीलों द्वारा याचिकाओं और आवेदन पत्र दाखिल करने और जारी मामलों के बारे में जानकारी प्राप्त करने और आदेशों और निर्णय आदि की प्रतियां प्राप्त करने के लिए एक एकल खिड़की के रूप में सेवा देने के लिए सभी कंप्यूटरीकृत न्यायालयों में स्थापित किए गए हैं।

छ. कियोस्क:

वादियों और वकीलों को कारण सूचियों और अन्य मामलों से संबंधित न्यायिक जानकारी देने के लिए सभी कम्प्यूटरीकृत न्यायालय परिसरों में सूचना कियोस्क स्थापित किए गए हैं।

6.6 केस सूचना प्रणालीः

मामला सूचना (केस इन्फोर्मेशन) सॉफ्टवेयर (सीआईएस 2.0) का नया और अधिक उपयोगकर्ता–अनुकूल संस्करण विकसित किया गया है और सभी कम्प्यूटरीकृत जिलों और अधीनस्थ न्यायालयों में लगाया गया है। इस सॉफ्टवेयर में क्यूआर कोड सुविधा को चालू किया गया है। सॉफ्टवेयर के प्रत्येक आउटगोइंग दस्तावेज पर अब एक क्यूआर कोड होगा। मुद्रित क्यूआर कोड के आधार पर, कोई भी मामले की वर्तमान स्थिति को देख सकता है। सीआईएस एनसी 3.0 का उन्नत संस्करण लगाए जाने के लिए तैयार है। इसका परीक्षण कर लिया गया है और अब इसके अंतिम संस्करण को शीघ्र ही लाने की योजना है। सीआईएस एनसी 3.0 को लगाए जाने के बाद और हार्डवेयर आवश्यकताओं को पूरा कर लिए जाने के बाद सर्विस पोर्टल की इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस जनरेशन ट्रांसमिशन और ट्रैकिंग शुरू की जाएगी।

उच्च न्यायालय भी केस सूचना सॉफ्टवेयर के उपयोग करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। 31 जनवरी, 2018 तक, 11 उच्च न्यायालयों ने केस इंफॉर्मेशन सिस्टम नेशनल कोर वर्जन 1.0 को अपनाया है और कार्यान्वित किया है।

6.7 ई–फाइलिंग सुविधाः

न्याय विभाग के सचिव डॉ. आलोक श्रीवास्तव ने दिल्ली के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए ई–फाइलिंग सुविधा का उद्घाटन 3 दिसंबर, 2017 को सीपीसी सम्मेलन के दौरान किया। यह सुविधा, दिल्ली जिला न्यायालयों के लिए शुरू किए जाने की प्रक्रिया में है। इसके बाद हार्डवेयर लगाने का कार्य पूरा हो जाने की बाद यह सुविधा तुरंत सभी जिला न्यायालयों के लिए दोहराई जाएगी।

6.8 प्रबंधन परिवर्तनः

सीआईएस 2.0 के बारे में समझने के लिए न्यायिक अधिकारियों और न्यायालयों के कर्मचारियों के उपयोग के लिए ई–कॉर्ट प्रोजेक्ट के तहत सीआईएस 2.0 के माध्यम से केस मैनेजमेंट पर एक ई–बुक तैयार की गई थी, जो ई–कोर्ट् प्रोजेक्ट का मुख्य सॉफ्टवेयर है। सीआईएस 2.0 में दिए गए विभिन्न उपकरणों का उपयोग करने के बारे में न्यायिक प्रबंधन को सहायता प्रदान करने के लिए एक प्रबंधन मैनुअल भी तैयार किया गया था। वादियों, अधिवक्ताओं, कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों के लिए एनजेडीजी, ई–फाइलिंग और सीआईएस पर एक प्रशिक्षण और जागरूकता उपकरण के रूप में वीडियो और मैनुअल तैयार किए गए हैं जिन्हें ecourts.gov.in पर देखा जा सकता है।

न्यायपालिका के लिए अच्छी न्यायिक प्रथाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय ज्ञान की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, न्याय विभाग ने ई–कॉर्ट्स मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) के प्रबंधन परिवर्तन प्रक्रिया के तहत न्यायिक अधिकारियों को सर्वोत्कृष्ट वैश्विक पद्धत्तियों और मानकों की जानकारी से सन्नद करने व अवगत रखने हेतु कैलिफोर्निया, बर्कले विश्वविद्यालय में न्यायिक अधिकारियों का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके एक कदम उठाया है। पूरे देश के 28 न्यायिक अधिकारियों ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले में इस दो सप्ताह के आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

बैंगलोर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में, अक्टूबर, 2017 के दौरान एक सप्ताह के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट (ई–कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट) पर उच्च न्यायालयों के ई–कोर्ट परियोजना के 36 परियोजना समन्वयकों के लिए एक कार्यकारी प्रबंधन शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। प्रतिभागियों को सरकार में नयापन लाने, परियोजना प्रबंधन तकनीकों और प्रक्रियाओं, परियोजना वित्तीय प्रबंधन और नियंत्रण, सार्वजनिक खरीद और अनुबंध प्रबंधन, जीएफआर : अनुपालन, सेवा गुणवत्ता और आंतरिक ग्राहक संतुष्टि और विक्रेता संभाल के मुद्दों के बारे में प्रशिक्षित किया गया। उच्च न्यायालयों की सहायता से ई–समिति ने प्रक्रिया पुनर्रचना (प्रोसेस रीइंजीनियरिंग) का काम भी हाथ में लिया है।

6.9 त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापनः

परियोजना अवधि की समाप्ति के बाद, परिसंपत्तियों का रखरखाव और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए 30 राज्य सरकारों / संघ शासित प्रदेशों और उनके संबंधित उच्च न्यायालयों के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

7. न्याय प्रदायगी और विधिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशनः

न्याय प्रदायगी और विधिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन, प्रणाली में देरी और बकाया को कम करने और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जवाबदेही बढ़ाकर उपयोग में वृद्धि के दोहरे उद्देश्य के साथ निष्पादन और क्षमताओं के मानकों को निर्धारित करने के लिए अगस्त, 2011 में स्थापित किया गया था। यह मिशन, अधीनस्थ न्यायपालिका में बकाया और लंबन के चरणबद्ध परिसमापन के लिए समन्वित दृष्टिकोण अपनाए हुए है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ न्यायालयों के लिए कम्प्यूटरीकरण सहित बेहतर बुनियादी ढांचा, अधीनस्थ न्यायपालिका के संख्या बल को बढाना, अत्यधिक मुकदमेबाजी उन्मुख क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय करना, मामलों के त्वरित निपटान के लिए न्यायालय प्रक्रिया की री–इंजीनियरिंग करना और मानव संसाधन विकास पर जोर देना शामिल है। मिशन ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रत्येक महत्वपूर्ण क्षेत्र में अनेक कदम उठाए हैं।

न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित मामलों से निपटने के लिए पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों की कमी, सामान्य रुप से विलंब का मुख्य कारण माना जाता है। दो पक्षीय कार्य नीति के माध्यम से न्यायाधीशों की कमी से निपटा जा रहा है। पहली, न्यायपालिका में विद्यमान बड़ी संख्या में रिक्त पदों को भरना और दूसरी न्यायाधीशों की संस्वीकृत संख्या को बढ़ाना है। यह ध्यान देना आवश्यक होगा कि संवैधानिक ढांचे के अनुसार अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों का चयन और नियुक्ति, राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों का उत्तरदायित्व है।

इम्तियाज अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने भारत के विधि आयोग को मामलों के बकाये को समाप्त करने के लिए अतिरिक्त अदालतों की संख्या के वैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए कोई पद्धति तैयार करने के लिए कहा। इस मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देश में तैयार 245 वीं रिपोर्ट (2014) में विधि आयोग ने देश में न्यायाधीश की संख्या की पर्याप्तता के निर्धारण के लिए न्यायाधीश–जनसंख्या अनुपात के मानदंड की समीक्षा की है। 245वीं रिपोर्ट में, विधि आयोग ने पाया है कि विभिन्न भौगोलिक इकाइयों में प्रति व्यक्ति मामले दर्ज करना काफी भिन्न होता है क्योंकि मामले दर्ज करना आबादी की आर्थिक और सामाजिक स्थितियों से जुड़ा होता है। इस तरह विधि आयोग ने न्यायाधीश जनसंख्या अनुपात को देश में न्यायाधीश शक्ति की पर्याप्तता का निर्धारण करने के लिए एक वैज्ञानिक मानदंड नहीं माना। विधि आयोग

ने पाया कि देश में विभिन्न उच्च न्यायालयों में डेटा संग्रह के पूर्ण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अनुपस्थिति में, मामलों के बकाया को समाप्त करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या की गणना करने के साथ–साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कि नया बैकलॉग नहीं बने, 'निपटान की दर' की पद्धति, अधिक व्यावहारिक और उपयोगी है। मई, 2014 में, उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार और उच्च न्यायालयों से विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने को कहा। अगस्त 2014 में, उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (एनसीएमएस) को विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की जांच करने और इस संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कहा। एनसीएमएस ने मार्च, 2016 में अपनी रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को सौंपी। इसने अन्य बातों के साथ पाया कि "प्रत्येक अदालत के मामले को निपटाने के लिए अपेक्षित न्यायिक घंटों की कुल संख्या का निर्धारण करने के लिए दीर्घावधि में, अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या का एक वैज्ञानिक पद्धति द्वारा मूल्यांकन किया जाना चाहिए,। इसी बीच, इस समिति ने एक "भारित" निपटान (वेटड डिस्पोजल) करने के तरीके का प्रस्ताव किया है– स्थानीय परिस्थितियों में मामलों की प्रकृति और जटिलता द्वारा भारित निपटान किया जाना। 02.01.2017 के आदेश में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारत के संघ को निदेश दिया है कि वे अध्यक्ष, एनसीएमएस समिति द्वारा प्रस्तुत अंतरिम रिपोर्ट की एक प्रति सभी उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों को भेजें ताकि वे एनसीएमएस रिपोर्ट के आधार पर जिला न्यायपालिका के लिए जरूरी न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई कर सकें।

सभी पणधारकों द्वारा किए गए सतत प्रयासों के कारण विगत कुछ वर्षों में अधीनस्थ न्यायपालिका के संस्वीकृत संख्याबल में लगातार वृद्धि हुई है। यह 2012 के अंत में 17,715 से बढ़कर 31–12–2017 में 22,619 हो गई है। उच्च न्यायालयों के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने उच्च न्यायालयों की संस्वीकृत संख्याबल को 25 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए अप्रैल, 2013 आयोजित मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन की संयुक्त सिफारिश को अप्रैल, 2014 में सैद्धांतिक रूप से सहमति प्रदान की। अनेक राज्यों ने इस प्रस्ताव को पहले ही स्वीकार कर लिया है जिसके परिणामस्वरूप उच्च न्यायालयों का संस्वीकृत संख्याबल मार्च, 2014 में 906 न्यायाधीशों से बढ़कर दिसंबर, 2016 में 1079 न्यायाधीश हो गया। सभी स्तरों पर न्यायाधीशों के संस्वीकृत संख्याबल को ध्यान में रखते हुए देश में न्यायाधीश–जनसंख्या अनुपात अब 10 लाख की जनसंख्या पर लगभग 19.61 न्यायाधीशों का है।

तथापि, देखा गया है कि संस्वीकृत संख्याबल में सतत वृद्धि के बावजूद अधीनस्थ न्यायालयों में बड़ी संख्या में पद रिक्त पड़े हैं। 31 दिसंबर, 2017 की स्थिति के अनुसार, न्यायिक अधिकारियों के 5,924 पद रिक्त थे, जो संस्वीकृत संख्याबल का लगभग 26 प्रतिशत है। 22 और 23 अप्रैल, 2016 को आयोजित मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में अन्य बातों के साथ–साथ यह निर्णय लिया गया कि मुख्य न्यायाधीश, राज्य सरकारों के समन्वयन से अपने राज्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप और उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अनुपालन में जिला न्यायपालिका के संवर्ग संख्याबल में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कारगर कदम उठाएंगे।

7.1 न्याय प्रदायगी और विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन की सलाहकार परिषद

राष्ट्रीय मिशन की एक सलाहकार परिषद है जो इसका मार्गदर्शन और इसकी कार्य योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करती है। माननीय विधि और न्याय मंत्री इस परिषद के अध्यक्ष हैं। इस सलाहकार परिषद में विभाग संबंधित कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय विभाग की संसदीय स्थायी समिति, भारत के एटर्नी जनरल, भारतीय सॉलिसिटर जनरल, भारत के विधि आयोग, भारत के उच्चतम न्यायालय , राष्ट्रीय

न्यायिक अकादमी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, दो राज्य (आंध्र प्रदेश एवं जम्मू और कश्मीर), विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग, गृह मंत्रालय का प्रतिनिधित्व है और एक विशेषज्ञ (प्रो. माधव मेनन) हैं। सलाहकार परिषद के लिए यह अनिवार्य है कि वह हर छह महीने में एक बार बैठक करें और राष्ट्रीय मिशन के लक्ष्यों, उद्देश्यों और रणनीतियों पर सलाह दे। सलाहकार परिषद, अपनी शुरुआत से लेकर अब तक दस बार बैठक कर चुकी है। पिछली बैठक 18 अक्तूबर, 2016 को आयोजित की गई थी, जिसमें मिशन द्वारा शुरू की गई विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा की गई और अन्य बातों के साथ–साथ आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार करने, अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए जनशक्ति की योजना बनाने, न्यायालय की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने, न्यायिक डेटाबेस नीति तैयार करने आदि से संबंधित विषयों पर विचार–विमर्श किया गया।

7.2 न्यायपालिका के लिए आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना।

राज्यों में न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास करना प्रमुख रूप से संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। हालांकि, राज्य सरकारों के संसाधनों को बढ़ाने के लिए, केंद्र सरकार द्वारा 1993–94 में न्यायपालिका के लिए आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) शुरू की गई थी। अपने वर्तमान स्वरूप में इस योजना में, अब न्यायालय भवनों और जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों/ न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों के निर्माण को शामिल किया गया है। अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करना न्याय प्रदायगी और विधिक सुधार के राष्ट्रीय मिशन का एक प्रमुख बल दिए जाने वाला क्षेत्र है। तदनुसार, वर्ष 2011–12 के बाद से संशोधित योजना के अंतर्गत योजना के वित्त पोषण प्रतिमान (फंडिंग पैटर्न) को 50:50 से संशोधित करके 75:25 (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10) कर दिया गया था। 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर राज्यों के लिए धन के बढ़े हुए आवंटन के साथ, योजना के धन बँटवारे प्रतिमान (फंड शेयरिंग पैटर्न) को 2015–16 से फिर से 75:25 से संशोधित कर 60:40 (केंद्रः राज्य) कर दिया गया (8 उत्तर– पूर्वी और 3 हिमालयी राज्यों के लिए 90:10)। केंद्र शासित प्रदेशों के साथ निधि को शेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। योजना की शुरू होने के बाद से, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों को 6009 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। इसमें से, 2014–15 से लेकर 22–01–2018 तक 2565 करोड़ रुपये (42.66 प्रतिशत) की राशि प्रदान की गई है, जिसमें 2017–18 के 530 करोड़ रुपए शामिल हैं।

31 दिसंबर, 2017 तक उच्च न्यायालयों से एकत्रित सूचना के अनुसार, देश में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए 17,814 कोर्ट हॉल/ कोर्ट रूम उपलब्ध थे। इसके अलावा, 2,950 कोर्ट हॉल/कोर्ट रूम निर्माणाधीन थे इन आंकड़ों की दिसंबर, 2017 तक उच्च न्यायालयों द्वारा बताई गई 16,695 न्यायाधीशों/ न्यायिक अधिकारियों की संख्या की तुलना करते हुए न्यायिक जनशक्ति की मौजूदा संख्या के लिए पर्याप्त न्यायालय कक्ष/ कोर्ट हॉल उपलब्ध हैं। 2014 से 31.12.2017 तक 2,429 न्यायालय हॉल और 4,172 आवासीय आवासों का निर्माण किया गया, इसमें से 518 न्यायालय हॉलों का निर्माण वर्ष 2017 में किया गया है। अब ध्यान इस बात पर है कि न्यायालयों के कमरों/ न्यायालय हॉलों की उपलब्धता को जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों/ न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या के अनुरूप बनाया जाए। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय इकाइयों की उपलब्धता के संबंध में काफी प्रगति हुई है। दिसंबर 2017 तक, अधीनस्थ न्यायालयों के लिए 13,658 आवासीय इकाइयां उपलब्ध थीं और 1,633 आवासीय इकाइयां निर्माणाधीन थीं।

व्यय वित्त समिति ने अगस्त, 2017 में चालू निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) को जारी रखने को मंजूरी दी। नवंबर 2017 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3,320 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 31 मार्च, 2020 तक इस योजना को जारी रखने के लिए मंजूरी दी। इस योजना को न्याय प्रदायगी और विधिक सुधार के राष्ट्रीय मिशन के माध्यम से मिशन मोड में कार्यान्वित किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने भविष्य की परियोजनाओं और परिसंपत्तियों का प्रबंधन करने सहित प्रगति पर डेटा संग्रह, न्यायालय हॉलों और आवासीय इकाइयों को पूरा करने के लिए भू–टैगिंग के साथ एक ऑन–लाइन निगरानी प्रणाली स्थापित करने और भविष्य के लिए पूरे देश में कार्यान्वयन के लिए योजना के तहत न्यायालय हॉलों और आवासीय इकाइयों के मानदंडों और विनिर्देशों को तैयार करने का भी निदेश दिया है।

7.3 ग्राम न्यायालय

ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 को 2 अक्टूबर 2009 से लागू किया गया। यह अधिनियम नागरिकों को उनके दरवाजे पर न्याय पहुंचाने के उद्देश्य से मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर ग्राम न्यायालयों के गठन की व्यवस्था प्रदान करता है। अधिनियम की एक प्रति न्याय विभाग की वेबसाइट पर रखी गई है। ग्राम न्यायालय अधिनियम की धारा 3 (1) के संदर्भ में, राज्य सरकार, संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद, अधिसूचना द्वारा, मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक पंचायत के लिए या किसी जिले में मध्यवर्ती स्तर पर निकटस्थ पंचायतों के समूह के लिए या जहां किसी भी राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर कोई पंचायत न हो, निकटतम समूह पंचायतों के समूह के लिए एक या दो ग्राम न्यायालयों का गठन कर सकती है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, 11 राज्यों द्वारा 321 ग्राम न्यायालयों को अधिसूचित किया गया है, इनमें से 207 ग्राम न्यायालय कार्य कर रहे हैं। विवरण नीचे दिए गए हैं:

क्रम संख्या	राज्य	अधिसूचित	कार्य कर रहे
1	मध्य प्रदेश	89	89
2	राजस्थान	45	45
3	कर्नाटक	2	0
4	ओडिशा	16	13
5	महाराष्ट्र	23	23
6	झारखंड	6	0
7	गोवा	2	0
8	पंजाब	2	1
9	हरियाणा	2	2
10	उत्तर प्रदेश	104	4
11	केरल	30	30
	कुल	**321**	**207**

राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए, ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए गैर–आवर्ती खर्चों के लिए और पहले तीन वर्षों के लिए इन ग्राम न्यायालयों को चलाने के आवर्ती व्यय की लागत को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आवर्ती और गैर आवर्ती सहायता, इस योजना के दिशा–निर्देशों में दी गई वित्तीय सीमाओं के अधीन है। केंद्र सरकार, ग्राम न्यायालयों के लिए राज्यों को सहायता प्रदान कर रही है जिसमें एक बार की सहायता के रूप में ग्राम न्यायालय स्थापित करने के लिए प्रति ग्राम न्यायालय के लिए 18.00 लाख रुपये (कार्यालय भवन के लिए 10 लाख रुपए, वाहन के लिए 5 लाख रुपये और कार्यालय सज्जा के लिए 3 लाख रुपये) और तीन वर्ष की अवधि के लिए आवर्ती व्यय के रूप में प्रति ग्राम न्यायालय 3.20 लाख रुपए शामिल हैं। अब तक राज्यों को 52.60 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जिनमें 2017–18 में मंजूर किए गए 8.00 करोड़ रुपए शामिल हैं।

7.4 न्यायालयों में लंबितता

22.12.2017 को उपलब्ध सूचना के अनुसार 55,459 मामले उच्चतम न्यायालय में लंबित थे। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) के अनुसार 1.1.2018 को 34.27 लाख मामले उच्च न्यायालयों में (इलाहाबाद और जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालयों को छोड़कर) लंबित थे और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड राज्यों और लक्षद्वीप और पुडुचेरी के संघ शासित प्रदेशों को छोड़कर राज्यों में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 2.61 करोड़ मामले लंबित थे।

अप्रैल 2015 में नई दिल्ली में आयोजित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन के दौरान, न्यायालयों में लंबितता और मामलों के बैकलॉग में कमी एक ऐसे क्षेत्र के रूप में सामने आए जिन पर उच्च न्यायालय के स्तर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अप्रैल, 03 और 04, 2015 को आयोजित सम्मेलन में उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश ने यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय एक बकाया समिति स्थापित करेगा, जो विलंब के लिए जिम्मेदार कारकों पर विचार करेगी और उन मामलों के बकाया (बैकलॉग) को समाप्त करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करेगी जो पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं। अप्रैल, 2016 में आयोजित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में यह भी निर्णय लिया गया था कि महिलाओं, हाशिए पर पड़े वर्गों, वरिष्ठ नागरिकों और विभिन्न प्रकार के विकलांग व्यक्तियों के मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाए जाएंगे– (क) मौजूदा न्यायालय प्रणाली के भीतर इन श्रेणियों के तहत आने वाले मामलों के निपटान को प्राथमिकता देना (ख) अधीनस्थ न्यायालयों की कैडर संख्या को फिर से आँकने और जहां आवश्यक हो, ऐसे मामलों से निपटने के लिए अतिरिक्त न्यायालयों को बनाने के प्रयास करना। सभी उच्च न्यायालयों से अनुरोध किया गया है कि वे उच्च न्यायालय और साथ ही जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में भी मामलों के लंबन में कमी लाने की दिशा में कदम उठाएँ।

7.5 न्यायिक सुधारों पर कार्रवाई अनुसंधान और अध्ययन के लिए योजना

सितंबर 2013 में न्याय विभाग द्वारा स्थायी वित्त समिति की आवश्यक मंजूरी के साथ न्यायिक सुधारों पर कार्रवाई अनुसंधान और अध्ययन के लिए एक प्लान योजना तैयार की गई थी। इस योजना का उद्देश्य न्यायिक सुधार के क्षेत्र में कार्रवाई अनुसंधान और अध्ययन को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य पर्याप्त रूप व्यापक है कि इसमें न्याय प्रदायगी और विधिक सुधार के राष्ट्रीय मिशन के वृहत्तर उद्देश्य अर्थात प्रणाली में विलंब और बकायों को कम करके पहुँच बढ़ाने और कार्यनिष्पादन मानकों को स्थापित करके और क्षमता

सुधार द्वारा संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्यों को पूरा करने की दृष्टि से न्याय प्रदायगी के विधिक और न्यायिक मामलों के प्रत्येक और हर पहलू को शामिल किया जा सके।

न्याय प्रदायगी, विधिक अनुसंधान और न्यायिक सुधार के क्षेत्र में परियोजनाओं/ गतिविधियों के लिए पात्र कार्यान्वयन एजेंसियों को 25 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। असाधारण मामलों में, जहां परियोजना का दायरा पर्याप्त रूप से व्यापक होता है, नमूना आकार बड़ा होता है और परियोजना अधिक अवधि के लिए है, सचिव (न्याय) की अध्यक्षता वाली परियोजना स्वीकृति समिति (पीएससी) इस उच्चतम सीमा में छूट दे सकती है। पात्र कार्यान्वयन एजेंसियां हैं– भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, नेशनल ज्युडिशियल एकेडमी, स्टेट ज्यूडिशियल अकादमी और न्याय प्रदायगी, विधिक अनुसंधान और न्यायिक सुधारों के क्षेत्र में काम करने वाले अन्य प्रतिष्ठित संस्थान।

अभी तक, परियोजना मंजूरी समिति द्वारा अनुमोदित 24 परियोजनाओं में से दस परियोजनाओं में अंतिम रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं।

7.6 विश्व बैंक की व्यापार करने की सहजता की कोटि निर्धारण (रैंकिंग) के तहत सविदाओं का प्रवर्तन।

विश्व बैंक हर साल "डूईंग बिजनिस रिपोर्ट" प्रकाशित करता है और व्यापार करने की आसानी पर देशों की कोटि (रैंकों) का निर्धारण करता है। यह प्रत्येक वर्ष अप्रैल से मार्च तक व्यापार करने के बारे में किए गए कार्य पर विचार करता है। डूईंग बिजनिस रिपोर्ट, 2018 में भारत, 190 अर्थव्यवस्थाओं में से 100 वें स्थान पर है। विश्व अर्थव्यवस्थाओं को मापने के लिए 10 कार्य निष्पादन संकेतकों का उपयोग किया गया है। न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय "अनुबंध प्रवर्तन" मापदंड में सुधार के लिए नोडल विभाग है। ये अनुबंध प्रवर्तन संकेतक किसी स्थानीय प्रथम–दृष्टांत न्यायालय के माध्यम से किसी वाणिज्यिक विवाद को हल करने के लिए समय और लागत, और न्यायिक प्रक्रिया सूचकांकों की गुणवत्ता को यह मूल्यांकन करते हुए मापता है कि क्या प्रत्येक अर्थव्यवस्था ने अच्छी पद्धतियों की ऐसी किसी शृंखला को अपनाया है जो न्यायालय प्रणाली में गुणवत्ता और क्षमता का संवर्धन करती हो।

2018 की रिपोर्ट के अनुसार, एक जिला न्यायालय में मामला पूरा करने के लिए अनुमानित कुल समय 1445 दिन है (2017 की रिपोर्ट में यह 1420 दिन था)। इसमें से, दाखिल और सर्विस चरण के लिए 45 दिन लगते हैं; खोज और फैसले के लिए 1095 दिन लगते हैं और फैसले के कार्यान्वयन के लिए 305 दिन लगते हैं। भारत के लिए लागत अनुमान (जिसमें कोर्ट फीस, अटॉर्नी शुल्क और प्रवर्तन शुल्क शामिल है) 2018 में 31 प्रतिशत था और ओईसीडी देशों की यह लागत अनुमान 21.5 प्रतिशत है।

भारत की न्यायिक प्रक्रिया सूचकांक की गुणवत्ता में सुधार आया है और इसका समग्र स्कोर विश्व बैंक की 2018 की रिपोर्ट में 7.5/18 से बढ़कर 9/18 हो गया है और 2018 में इसका रैंक 2017 के 172 से सुधरकर 164 हो गया है। यह रैंकिंग केवल जिला वाणिज्यिक न्यायालयों अर्थात 11 दिल्ली जिला न्यायालयों और 60 बंबई सिविल न्यायालयों के लिए की जाती है।

"संविदाओं के प्रवर्तन" के कार्यान्वयन के लिए कृतक बल: संविदाओं के प्रवर्तन के लिए सुधारों को मॉनिटर करने के लिए 23 दिसंबर, 2016 को सचिव (न्याय) की अध्यक्षता में एक कृतक बल का गठन किया गया है, जिसमें औद्योगिक संवर्धन और नीति विभाग, विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग, दिल्ली और बॉम्बे उच्च न्यायालयों, दिल्ली और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल हैं। अब तक कार्यबल की 5 बैठकें 05.01.2017, 18.04.2017, 04.08.2017, 20.11.2017 और 29.12.2017 को आयोजित की गई हैं।

सरकार ने संविदा मापदंड प्रवर्तन में 8 स्थानों की छलांग दर्ज करने के लिए विभिन्न पहल शुरू की हैं और वह यह सुनिश्चित करने की ओर अग्रसर है कि आवश्यक सुधार किए जाएँ जिससे कि भारत की रैंकिंग अगले वर्ष तक शीर्ष 50 में आ जाए। संविदाओं के प्रवर्तन की सुविधा में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम हैं :

(i) राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी), जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों का एक विस्तृत डाटाबेस है, और मामलों के लंबन का पता लगाने, उनका प्रबंध करने व उन्हें कम करने के लिए चुनिन्दा उच्च न्यायालयों का निगरानी उपकरण है। इस सुविधा से निम्नलिखित रिपोर्टें सृजित की जा सकती हैं :

   (क) क्लियरेंस रेट रिपोर्ट;

   (ख) लंबित मामलों की आयु की रिपोर्ट; तथा

   (ग) एकल मामला प्रगति रिपोर्ट।

(ii) इलेक्ट्रॉनिक केस प्रबंधन उपकरण मौजूदा हैं और वे वकीलों और न्यायाधीशों के लिए उपलब्ध हैं और प्रासंगिक लिंक ई–कोर्ट् पोर्टल पर उपलब्ध हैं। ये वकीलों को कानूनों, नियमों और केस–लॉ तक पहुँच बनाने (ख) न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के लिए फार्म प्राप्त करने (ग) अधिसूचनाएं प्राप्त करने (घ) किसी दिए गए मामले की स्थिति पर नजर रखने और (ङ) किसी दिए गए मामले पर न्यायालय के आदेश और फैसले की जानकारी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करते हैं।

(iii) "बेहतर और कुशल न्याय प्रदायगी प्रक्रिया के लिए न्यायाधीशों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट मैनेजमेंट उपकरणः इस प्रणाली से न्यायाधीश (क) विधि, विनियम और केस–लॉ देख सकते हैं; (ख) वकीलों को नोटिफिकेशन भेज सकते हैं; (ग) न्यायाधीश की डॉकेट में किसी मामले की स्थिति का पता लगा सकते हैं। न्यायाधीश सुनवाई से पहले अपने डॉकेट पर कारण सूची और उनके पूरे इतिहास को देख सकते हैं; (घ) मामले के दस्तावेजों को देख और प्रबंधित कर सकते हैं; (ड़) न्यायालय के आदेशों का सेमि–आटोमैटक सृजन; और (च) न्यायालय के आदेशों और विशेष मामलों में निर्णय देख सकते हैं।

(iv) ई–फाइलिंग सॉफ्टवेयर को 3 दिसंबर, 2017 को देश में लॉन्च किया गया था और यह सुविधा 31 मार्च, 2018 तक पूरे देश के लिए सक्रिय होगी।

(v) एक मोबाइल एप्लिकेशन को विकसित किया जा रहा है जिसे प्रोसेस के सर्विस प्रूफ को इलेक्ट्रॉनिक रूप से पंजीकरण करने के लिए प्रोसेस सर्वर पर लगाया जाएगा। इसमें एक जीपीएस लोकेटर भी होगा।

8. उपेक्षितों के लिए न्याय तक पहुँच

न्याय विभाग ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के साथ 2009 में उपेक्षित लोगों के लिए न्याय तक पहुँच शीर्षक वाली एक दशक तक चलने वाली परियोजना को शुरू करने के लिए सहयोग किया था – परियोजना के मुख्य केंद्र बिन्दुओं में शामिल हैं:

1. उपेक्षित लोगों, विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों के लिए न्याय तक पहुँच सुदृढ़ करना।

2. गरीबों और वंचितों को प्रभावी सेवा प्रदान करने में समर्थ बनाने हेतु प्रमुख न्यायिक सेवा प्रदाताओं की संस्थागत क्षमताओं में सुधार करना।

3. गरीबों और वंचित पुरुषों और महिलाओं को न्यायिक सेवाओं की मांग करने और उन्हें प्राप्त करने हेतु सशक्त बनाना।

यह परियोजना बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और ओडिशा सहित आठ राज्यों में 2009–2012 और 2013–2017 के दो चरणों में लागू की गई थी। यह परियोजना इसके दूसरे चरण के समापन के साथ 31 दिसंबर 2017 को समाप्त हुई।

8.1 2017 के दौरान कार्यान्वित परियोजनाएं

क) **लॉ स्कूल आधारित कानूनी सहायता क्लिनिक्सः** ओडिशा और महाराष्ट्र में लॉ स्कूल आधारित कानूनी सहायता क्लिनिक क्रमशः नेशनल लॉ स्कूल, ओडिशा और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज द्वारा उनके नैदानिक कानूनी शिक्षा कार्यक्रम के तहत चलाए गए थे। कुल छः कानूनी सहायता क्लिनिक स्थापित किए गए और ये छात्रों और दो संस्थानों के संकाय द्वारा संचालित किए गए। इनमें टीआईएसएस और एनएलयूओ के परिसर में दो परिसर आधारित क्लीनिक और परिसर के बाहर चार क्लीनिक शामिल हैं (जिसमें से तीन क्लिनिक क्रमशः पुरी, कटक और खुर्दा जिलों के ब्रह्मगिरी, डोम्पाडा और जनकिया ब्लॉकों में और एक महाराष्ट्र में मुंबई (उपनगरीय) में मानखुर्द वार्ड में स्थित थे। उपरोक्त क्लीनिकों ने कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों को आयोजित किया और साथ–साथ मामला दस्तावेजों के प्रारूप तैयार करने, आवेदन पत्र दाखिल करने, जिला कानूनी सेवाओं के अधिकारियों के साथ–साथ कानूनी सलाह देने के मामले में हाशिए पर पड़े समुदायों के सदस्यों को कानूनी सहायता प्रदान की।

ओडिशा में, इन क्लीनिकों ने निः शुल्क कानूनी सहायता, विचाराधीन कैदियों के अधिकारों, महिलाओं, बच्चों, मजदूरों और उपभोक्ताओं, उपभोक्ता अधिकारों, आदिवासी लोगों के भूमि अधिकारों सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं सहित विभिन्न विषयों पर हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए 26 संरचित कानूनी साक्षरता कार्यक्रमों

का सफल आयोजन किया है। इसके अलावा, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए विशिष्ट लक्ष्य समूहों जैसे वकीलों, पैरा लीगल स्वयंसेवकों, सरकारी अधिकारियों, विधि के शिक्षकों, विधि के छात्रों और महिलाओं के लिए कई क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे।

महाराष्ट्र में, दो टीआईएसएस के क्लीनिकों में कुल 362 मामले देखे गए जिनमें आपराधिक, सिविल, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, परिवार कानून के मामले, पीआईएल के मामले आदि शामिल हैं। इनमें से, 229 (69%) महिला आवेदक थीं जो मुख्य रूप से घरेलू हिंसा और वैवाहिक समस्याओं पर सलाह मांग रही थीं। इसके अलावा, विभिन्न गैर–सरकारी संगठनों से सामाजिक कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए और डब्ल्यूसीडी के सुरक्षा अधिकारी के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

ख) **बाराबंकी जिले में कानूनी साक्षरता अभियान, उत्तर प्रदेशः** 779 ग्राम पंचायतों को लक्षित करते हुए बाराबंकी जिले के दस ब्लॉकों में विधिक साक्षरता पर एक पायलट परियोजना 2017 में पूरी की गई थी। इस कार्यक्रम के तहत, 517 गांव स्तर के रिसोर्स व्यक्तियों को इन कानूनों और सरकारी योजनाओं पर कानूनी जागरूकता सामग्री के सृजन और प्रसार के साथ–साथ सामाजिक न्याय विधान पर प्रशिक्षण दिया गया था।

जागरूकता कार्यक्रम में आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं जैसे सामाजिक स्तर के कार्यकर्ताओं और सामाजिक वर्ग के कार्यकर्ताओं को लक्षित किया गया। ग्राम पंचायत स्तर पर डॉक्यूमेंटरी फिल्मों, कठपुतली शो, नुक्कड़ नाटकों आदि दिखाने सहित विभिन्न तरीकों को उपयोग में लाकर कानूनी साक्षरता अभियान आयोजित किया गया।

ग) **न्याय प्रदायगी और विधिक सुधारों पर राष्ट्रीय मिशन के लिए तकनीकी सहायताः** चार पेशेवरों की एक टीम ने न्याय प्रदायगी और विधिक सुधार पर राष्ट्रीय मिशन द्वारा देखे जा रहे विषयों जैसे कि व्यापार करने की सहजता, अनुबंध प्रवर्तन पर अनुसंधान और सलाहकारी नोट प्रदान किए। इस टीम ने एक्शन रिसर्च और न्यायिक सुधार की योजना के तहत प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा भी की और तकनीकी सुझाव दिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह परियोजना, राष्ट्रीय मिशन द्वारा शुरू किए गए मुद्दों पर शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य को पूरा करे।

घ) **परियोजना मूल्यांकनः** एक्सेस –टू –जस्टिस (ए2जे) परियोजना के दूसरे चरण के मूल्यांकन को सूत्रा कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पूरा किया। प्रस्तुत की गई रिपोर्ट ने ए2जे परियोजना का एक उत्साहवर्धक विश्लेषण प्रस्तुत किया और अगले चरण के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिएः

क) मंत्रालयों के साथ सामरिक संस्थागत साझेदारी बनाना– परियोजनाओं के पैमाने को बढ़ाने और स्थिरता के लिए अधिक संभावनाएं।

ख) एनएएलएसए, एनएलएमए, एसआईआरडी के साथ साझेदारी को मजबूत करना।

ग) लोक शिकायत निवारण को मजबूत करने के लिए विधिक सूचना कियोस्कों को और अधिक सुदृढ़ किया जा सकता है और उन्हें तहसील और ब्लॉक कार्यालयों में लगाया जा सकता है। सामग्री को मोबाइल एप्लिकेशन के लिए बदला जा सकता है।

घ) भविष्य में, यूएनडीपी के लिए तकनीकी समर्थन का साझेदारी मॉडल एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप क्षेत्र हो सकता है।

8.2 तीन नई पहल

20 अप्रैल, 2017 को न्याय विभाग द्वारा निम्नलिखित नई पहल की गई :

1. **न्याय मित्रः** इस योजना के तहत, न्याय मित्रों (एनएम) का चयन किया जाना था और उन्हें दस वर्षीय पुराने मामलों के लंबन को कम करने के लिए 16 राज्यों के 227 जिलों में नियुक्त किया जाना था। अभी तक 16 न्याय मित्र नियुक्त किए गए हैं। उनके कार्यों में, हाशिये पर पड़े लोगों को विधिक सलाह देना, मामलों के निपटान को तेजी से ट्रैक करने के लिए सरकारी विभागों और राज्य के विधिक सेवा प्राधिकरणों के अधिकारियों के साथ संपर्क रखना, लोक अदालतों में मामलों को भेजना और न्याय विभाग द्वारा अग्रेषित की गई शिकायतों को प्रभावी ढंग से संभालना शामिल है।

2. **टेली लॉः सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से विधिक सहायता को मुख्य धारा में लाना** : यह पहल न्याय विभाग द्वारा राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) के तत्वावधान में सीएससी–ई गवर्नेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है। योजना का उद्देश्य पैरा लीगल स्वयंसेवकों के माध्यम से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में तैनात पैनल वकीलों द्वारा हाशिए पर पड़े समुदायों को विधिक सलाह प्रदान करना है। पैनल वकील और लाभार्थियों के बीच संपर्क को, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चैट और पंचायत स्तर पर स्थापित सामान्य सेवा केंद्रों पर उपलब्ध टेलीफोन सेवा के माध्यम से स्थापित किया जाता है। यह कार्यक्रम वर्तमान में उत्तर प्रदेश, बिहार में 1000 सामान्य सेवा केन्द्रों में पायलट चरण में लागू किया जा रहा है। जनवरी 2018 के आखिरी हफ्ते तक, हाशिये पर पड़े समुदायों के 1600 से अधिक मामले दूरसंचार पोर्टल पर पंजीकृत किए गए हैं और 1400 से अधिक मामलों में कानूनी सलाह प्रदान की गई है।

3. **प्रो बोनो लीगल सर्विस स्कीमः** इस पहल का प्रमुख उद्देश्य प्रथमतया भारत में निः स्वार्थ विधिक सेवाओं के लिए स्वयंसेवा करने की प्रथा को संस्थागत बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि उन लोगों को जो इन सेवाओं को लेना चाहते हैं, गुणवत्ता परक कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाए और दूसरा, उन स्वयंसेवकों के प्रयासों को जो इस सार्वजनिक सेवा के प्रति अपना बहुमूल्य समय और सेवा देते हैं, विधिवत रूप से मान्यता प्राप्त हो। इन दायित्वों के अनुरूप और निः स्वार्थ विधिक सेवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, न्याय विभाग ने एक वेब आधारित मंच बनाया है जो www.doj.gov.in पर उपलब्ध है जिसके माध्यम से वकील, उन अधिकारहीन ग्राहकों को जो इसे इसका खर्च उठाने में असमर्थ हैं, निःस्वार्थ विधिक सेवा देने के लिए स्वयं को वोलेंटियर कर सकते हैं और हाशिए पर पड़े समुदायों के आवेदक भी विधिक सहायता और निःस्वार्थ विधिक सेवा के वकीलों से सलाह के लिए आवेदन कर सकते हैं।

जनवरी 2018 के आखिरी सप्ताह तक देश के विभिन्न हिस्सों से कुल 202 वकील पंजीकृत हुए हैं और हाशिए पर पड़े आवेदकों के 264 मामले इन अधिवक्ताओं को सौंपे गए हैं। कुल 69 वकीलों ने उन्हें सौंपे गए मामलों पर फीडबैक रिपोर्ट प्रदान की है। विभाग भी एक मोबाइल एप्लिकेशन विकसित कर रहा है जो लाभार्थियों और निः स्वार्थ विधिक सेवा के वकीलों के बीच संपर्क की सुविधा प्रदान करेगा।

9. न्याय तक पहुँच पूर्वोत्तर एवं जम्मू और कश्मीर

परियोजना/योजना का शीर्षक	:	"न्याय तक पहुँच–पूर्वोत्तर एवं जम्मू और कश्मीर"
परियोजना की अवधि	:	अप्रैल 2012 – मार्च 2017
परियोजना की कुल राशि	:	30 करोड़ रुपए
परियोजना की वर्तमान स्थिति	:	परियोजना का विस्तार 3 वर्ष के लिए प्राप्त हुआ है। (1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2020 तक)
नए चरण के लिए वर्तमान बजट	:	46 करोड़ रुपए
परियोजना के साझेदार	:	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण, कॉमन सर्विस सेंटर ई–गवर्नेंस।

9.1 उपलब्धियां

(1) **जम्मू और कश्मीर में अनाथ बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित करने और अनाथालयों को संचालित करने के लिए एक नीतिगत ढांचे का मसौदा तैयार करनाः** जम्मू–कश्मीर में अनाथालयों का एक मूल्यांकन अध्ययन करने और जम्मू–कश्मीर में अनाथालयों को संचालित करने के लिए एक नीतिगत ढांचे का मसौदा तैयार किया गया था। आगे की कार्रवाई के लिए सिफारिशें समाज कल्याण विभाग, जम्मू और कश्मीर को प्रस्तुत की गई थीं। जम्मू–कश्मीर में अनाथ बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए नीतिगत ढांचे पर हितधारकों के साथ परामर्श किए गए थे।

(2) **मुख्य विधिक साक्षरता को मुख्य धारा में लाने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण के साथ अभिसरणः**

उत्तर–पूर्व राज्यों के राज्य संसाधन केंद्रों के माध्यम से एनएलएमए के साथ मिलकर कानूनी साक्षरता पाठ्यक्रम विकसित किया गया है और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस परियोजना ने 7 लाख लोगों को जमीनी स्तर पर लाभान्वित किया है।

(3) **उत्तर पूर्वी राज्यों और जम्मू और कश्मीर में सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) ई–गवर्नेन्स इंडिया लिमिटेड के साथ अभिसरणः** उत्तर पूर्वी राज्यों और जम्मू और कश्मीर के लिए कानूनी साक्षरता पर स्थानीय भाषाओं यानी असमिया, बांग्ला, नेपाली, खासी, गारो, मणिपुरी, मिजो, हिंदी, उर्दू में एक हैंडबुक विकसित की गई है। इसके अलावा, कानूनी जागरूकता पर एक लघु फिल्म भी विकसित की गई है। सीखने की सामग्री के साथ, 900 ग्राम स्तर के उद्यमियों (वीएलई) को प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। इन ग्राम स्तर के उद्यमियों ने पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन करके कानूनी जागरूकता का और आगे प्रसार किया।

(4) **नौ राज्यों में परियोजना टीमों की नियुक्ति के माध्यम से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को मानव संसाधन प्रदान करना:** राज्य के स्तर पर परियोजना की गतिविधियों का समन्वय करने और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को समर्थन देने के लिए सभी 9 परियोजना राज्यों में दो पेशेवरों (परियोजना समन्वयक और परियोजना सहायक) की एक टीम नियुक्त की गई है।

(5) **पूर्वोत्तर राज्यों में राज्य सम्मेलन:** "पूर्वोत्तर राज्यों में मानव तस्करी से मुक्त कराए गए लोगों (सर्वाइवर्स) के अधिकारों पर सम्मेलन आयोजित किए गए: असम में "न्याय तंत्र तक पहुंच बनाने में चुनौतियां" और हितधारकों की भूमिका और "उत्तर–पूर्वी भारत में सामुदायिक पुलिस व्यवस्था (पुलिसिंग) के लाभ: जुलाई, 2016 के महीने में मेघालय में "बेहतर पुलिस व्यवस्था के लाभ, चुनौतियाँ और उसके लिए कार्य योजना" और "उत्तर पूर्वी राज्यों में अनुसूचित जनजाति और हाशिए पर पड़े अन्य समुदाय के अधिकार: सितंबर 2017 में मणिपुर में उनके कानूनी अधिकारों को हासिल करने में एसएलएसए और आयोगों की भूमिका"।

(6) **टेली–लॉ स्कीम:** पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू और कश्मीर में हाशिए पर पड़े लोगों के लिए सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से विधिक सहायता को मुख्य धारा में लाना : दूरदराज के कोनों में विधिक सलाह की खोज में लगे लोगों को 800 सामान्य सेवा केन्द्रों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेलीफोन के माध्यम से किसी भी स्थान से वकीलों से संपर्क करने के लिए टेली लॉ योजना कार्यान्वित की जा रही है। सभी ग्रामीण स्तर के उद्यमियों और पैरा लीगल वोलिंटियर (पीएलवी) को उत्तर–पूर्व राज्यों और जम्मू–कश्मीर में टेली–विधि योजना पर प्रशिक्षित किया गया था। कुल 10,272 मामले पंजीकृत हैं और 7,427 लोग, परियोजना वाले राज्यों में जनवरी 2018 के अंतिम सप्ताह तक वीडियो कॉन्फ्रेंस/टेलीफोन के माध्यम से कानूनी परामर्श प्राप्त करने में सक्षम हुए हैं।

(7) **राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा आयोजित मूल्यांकन अध्ययन:** राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ने 12 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति / निष्पादन का मूल्यांकन किया। रिपोर्ट में उत्तर पूर्वी राज्यों और जम्मू और कश्मीर के दूरदराज के क्षेत्रों में परियोजना को जारी रखने की सिफारिश की गई है।

9.2 प्रमुख उपलब्धियां

- पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू–कश्मीर के लिए 16 स्थानीय बोलियों में विभिन्न सामाजिक कल्याण विधानों पर आईईसी सामग्री विकसित की गई है।
- पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में सामाजिक कल्याण विधानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 7 स्थानीय भाषाओं में टेली फिल्म (6 सीरीज) तैयार की गई है।
- पूर्वोत्तर राज्यों में अनुसूचित जनजाति के अधिकार, मानव तस्करी, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सभी प्रासंगिक हितधारकों को आमंत्रित करते हुए तीन राज्य सम्मेलन आयोजित किए गए थे।

- जम्मू–कश्मीर में अनाथ बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित करने और अनाथालयों को संचालित करने के लिए एक नीतिगत ढांचे का अध्ययन आयोजित किया गया है जिसमें राज्य सरकार को इस विषय पर नीति तैयार करने की सिफारिश की गई है।
- न्याय विभाग और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण (एनएलएमए) के बीच हस्ताक्षरित समझौते ज्ञापन (एमओयू) के तहत पाठ्यक्रम में विधिक साक्षरता गतिविधियों के लिए सतत अभिसरण।

9.3 ए2जे एनईजेके स्कीम के नए चक्र के लिए स्वीकृत परियोजनाएं (2017–2020)

- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, मेघालय द्वारा मेघालय में विधिक साक्षरता पर ग्राम प्रमुखों का प्रशिक्षण और संवेदीकरण।
- कश्मीर के केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा श्रीनगर जिले में किशोर न्याय के लिए कानूनी सहायता क्लिनिक की स्थापना।
- जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (जेएनआईएमएस), पोरमपत, इम्फाल, पूर्व द्वारा अधिकार आधारित दृष्टिकोण के साथ पीड़ित बच्चे के कानूनी अधिकारों पर पोकसो (POCSO) हितधारकों की क्षमता का निर्माण।
- त्रिपुरा विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा त्रिपुरा में 10 सब डिवीजनों में विधिक सहायता क्लिनिक की स्थापना।
- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जम्मू और कश्मीर द्वारा कश्मीर में कानूनी सहायता क्लिनिक की स्थापना
- पूर्वोत्तर राज्यों के ग्रामीण विकास के राज्य विभागों के माध्यम से कानूनी साक्षरता गतिविधियों का अभिसरण।
- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, अरुणाचल प्रदेश के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश के गाँव बुराह और गाँव बुरीस का प्रशिक्षण।
- आइजोल जिले में 16 शैक्षणिक संस्थानों में कानूनी सहायता क्लिनिक की स्थापनाः मिजोरम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा हाशिए पर पड़े समुदाय को न्याय पहुंचाना सुनिश्चित करना।

नियोजित गतिविधियांः

- मेघालय राज्य महिला आयोग (एसएससीडबल्यू) द्वारा सेंग कीन्थी के विधिक जागरूकता कार्यक्रम।
- पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से कानूनी साक्षरता गतिविधियों का अभिसरण।
- जनजातीय मामलों के मंत्रालय के माध्यम से कानूनी साक्षरता गतिविधियों का अभिसरण।
- उत्तर पूर्वी राज्यों में आदिवासी न्याय प्रणाली और नियमित न्याय प्रणाली के बीच तालमेल।

10. उच्चतर न्यायपालिका की सेवा–शर्तें :

10.1 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों का संशोधन।

उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों की भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई)/ न्यायाधीशों की समिति की सिफारिशों पर अलग से समीक्षा की जाती है। सीजेआई/ न्यायाधीशों की समिति ने उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों को 01–01–2016 से संशोधित करने के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों को संशोधित करने के लिए, लोक सभा द्वारा "उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा–शर्तें) संशोधन विधेयक 2017" दिनांक 04.01.2018 को पारित कर दिया गया है और इसे दिनांक 05–1–2018 को राज्य सभा को भेज दिया गया है। यह उम्मीद है कि विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगी।

10.2 दूसरा राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (एसएनजेपीसी)

भारत के उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 643/2015 में अपने 9.05.2017 के आदेश के तहत भारत में अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के वेतनमान, वेतन और सेवा शर्तों की समीक्षा करने के लिए एक न्यायिक वेतन आयोग की नियुक्ति करने का निर्देश दिया था।

तदनुसार, मंत्रिमंडल के अनुमोदन से, सरकार ने 16.11.2017 की विज्ञाप्ति द्वारा दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (एसएनजेपीसी) की नियुक्ति की है जिसका गठन इस प्रकार है : –

(i) अध्यक्ष – श्री न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) पी. वेंकटारामा रेड्डी, भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश।

(ii) सदस्य– श्री न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आर. बसंत, केरल, उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश।

(iii) सदस्य सचिव (आयोग द्वारा चुना जाना है, अधिमानतः कोई न्यायिक अधिकारी)।

एसएनजेपीसी के विचारार्थ विषयों का विवरण निम्नानुसार हैः –

(क) ऐसे सिद्धांतों को विकसित करना जो पूरे देश में अधीनस्थ न्यायपालिका से संबंधित न्यायिक अधिकारियों के वेतन ढांचे और अन्य परिलब्धियों की संरचना को अधिशासित करें।

(ख) राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में न्यायिक अधिकारियों की सेवा की शर्तों और परिलब्धियों के वर्तमान ढांचे की जांच करना।

(ग) काम के तरीकों और काम के माहौल की और न्यायिक अधिकारियों को प्राप्त विभिन्न प्रकार के भत्तों और लाभों की जांच करना।

(घ) ऐसी अंतरिम राहत पर विचार करना और सुझाव देना, जो यह सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के सभी श्रेणियों के न्यायिक अधिकारियों के लिए उचित और ठीक समझे।

(ङ) अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों के वेतन एवं उनकी सेवा–शर्तों की समय–समय पर समीक्षा करने के लिए एक स्थायी तंत्र स्थापित करने के लिए तंत्र की सिफारिश करना।

11. विभाग की विविध गतिविधियां

11.1 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005:

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत न्याय विभाग ने निम्नांकित कार्य शुरू कर दिए हैं:

(क) विभाग के एक अनुभाग अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आरटीआई आवेदनों को प्राप्त करने और संबंधित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी को आवेदन पत्र हस्तांतरित करने और आरटीआई आवेदनों/अपीलों की प्राप्ति और निपटान के बारे में केंद्रीय सूचना आयोग को त्रैमासिक रिटर्न जमा करने के लिए केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी नामित किया गया है।

(ख) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (1) के तहत जैसा कि अपेक्षित है विभाग के पदाधिकारियों द्वारा देखे जा रहे विषयों के साथ–साथ विभाग के कार्यों का विवरण आदि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (http://doj.gov.in) के आरटीआई पोर्टल पर रखा गया है।

(ग) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (1) के तहत सभी अवर सचिवों को उनके द्वारा देखे जा रहे विषय के संबंध में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) नामित किया गया है।

(घ) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के संदर्भ में, सभी निदेशक/ उप सचिव स्तर के अधिकारियों को अपने अधीनस्थ अवर सचिवों जिन्हें केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी नामित किया गया है, के मामलों में अपीलीय प्राधिकारी के पद नामित किया गया है।

(ङ) वर्ष 2017 (01–01–2017 से 31–12–2017) के दौरान विभाग में 600 आरटीआई आवेदन और 25 अपीलें और 2502 आरटीआई आवेदन दस्ती रूप से और 115 अपीलें ऑनलाइन प्राप्त हुईं, उन्हें अपेक्षित सूचना प्रदान करने के लिए संबन्धित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों/लोक प्राधिकारियों को अग्रेषित कर दिया गया।

(च) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15–04–2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/5/2011–आईआर द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के पैरा 1.4.1 के अनुसार विभाग, सभी आरटीआई आवेदनों और अपीलों के उत्तरों को नियमित रूप से वेबसाइट पर अपलोड कर रहा है।

11.2 शिकायतों का निपटान

(क) न्याय विभाग (डीओजे) को राष्ट्रपति के सचिवालय/उपराष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/ऑनलाइन सीपीजीआरएएमएस पोर्टल के माध्यम से सीधे नागरिकों से बड़ी संख्या में नागरिकों की शिकायतें प्राप्त होती हैं। इस विभाग को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

द्वारा उन 20 विभागों में से एक विभाग आँका गया है जिन्हें सबसे अधिक शिकायतें प्राप्त होती हैं। इसके अलावा, डाक द्वारा बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त होती हैं।

(ख) न्याय विभाग को उच्चतम न्यायालय/ उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, विधिक सहायता/ कानूनी मदद/ कानूनी जागरूकता/ ई–कोर्ट/ न्यायिक सुधार आदि से संबन्धित शिकायतों को देखने का अधिदेश है। केवल इन विषयों से संबन्धित शिकायतें न्याय विभाग द्वारा देखी जाती हैं।

(ग) न्यायपालिका से संबंधित शिकायतों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आगे के कार्यवाही के लिए संबंधित उच्च न्यायालय के महा सचिव, भारत के उच्चतम न्यायालय/रजिस्ट्रार जनरल को भेज दिया जाता है। सूचना के लिए एक प्रति शिकायतकर्ता को पृष्ठांकित कर दी जाती है।

(घ) निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए न्याय विभाग में प्राप्त शिकायतों को निवारण के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने हेतु राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) के सदस्य सचिव को भेजा जाता है।

(ङ) न्याय विभाग द्वारा अग्रेषित की गई शिकायतों पर न्यायपालिका द्वारा उनकी स्वयं की इन–हाउस पद्धति के अनुसार विचार किया जाता है व उनकी जांच की जाती है और शिकायतों से निपटने के लिए प्रणाली / प्रक्रिया को आम तौर पर साझा नहीं किया जाता है। ऐसे मामलों में, न्याय विभाग शिकायतकर्ताओं को नतीजे को सूचित करने की स्थिति में नहीं होता है।

न्याय विभाग द्वारा शिकायतों के निपटान के लिए विस्तृत दिशानिर्देश शिकायत धारकों / नागरिकों की जानकारी/ मार्गदर्शन के लिए वेबसाइट www.doj.gov.in पर अपलोड किए गए हैं।

11.3 महिलाओं का सशक्तीकरण:

कार्य–स्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों का निवारण: कार्य–स्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और प्रतिबंध) अधिनियम 2013 की धारा 4 (1) के अनुपालन में 24.11.2015 को विभाग की पीड़ित महिलाओं की शिकायतों के निवारण के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। समिति में तीन महिला कर्मचारी (गैर सरकारी संगठन से एक सदस्य सहित) और दो पुरुष कर्मचारी हैं।

11.4 स्वच्छ भारत अभियान

भारत सरकार के नीतिगत दिशा–निर्देशों के अनुसार, विभाग में स्वच्छ भारत कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया है। वर्ष 2017–2018 के दौरान, न्याय विभाग में 1.4.2017 से 15.4.2017 तक और 16.10.17 से 27.10.17 तक दो स्वच्छता पखवाड़ों का आयोजन किया गया है जिसके दौरान कई कार्यकलापों जैसे कि लॉन का सौंदर्यीकरण, परिसरों के अंदर वृक्षारोपण, मॉड्यूलर फर्नीचर की स्थापना, व्यापक सफाई अभियान, परिसर के अंदर पुराने रिकार्डों की छंटाई, जंक/ पुरानी वस्तुओं का निपटान और न्याय विभाग के अधिकारी/ अधिकारियों द्वारा स्वैच्छिक श्रमदान आदि का आयोजन किया गया है।

सन 2017–18 के दौरान, स्वच्छता कार्रवाई योजना के तहत कार्यों के लिए जैसे कि शौचालयों और कैंटीन क्षेत्र का नवीकरण, सफाई उपकरणों और अन्य उपकरणों की खरीद के लिए 17.00 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं।

11.5 ई–ऑफिस का कार्यान्वयन

कागज रहित कार्यालय की ओर बढ़ने की सरकार की नीतियों को ध्यान में रखते हुए, इस विभाग ने ई–ऑफिस को संचालित करने के लिए पहल की है। ई–ऑफिस प्रणाली के सुचारू कार्यान्वयन और इष्टतम उपयोग के लिए ई–ऑफिस पर सभी अधिकारियों/ कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए एनआईसी की मदद से विशेष कदम उठाए गए हैं। परिणामस्वरूप, न्याय विभाग, भारत सरकार के शीर्ष कार्यनिष्पादन करने वाले उन मंत्रालयों/ विभागों में से एक है, जिसने पूर्ण ई–ऑफिस प्लेटफॉर्म में प्रवेश कर लिया है।

12. राजभाषा अनुभाग :

विभाग में राजभाषा अनुभाग फरवरी, 2016 में गठित्त किया गया था। न्याय विभाग का राजभाषा अनुभाग, भारत संघ की राजभाषा नीति, राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के कारगर कार्यान्वयन और राजभाषा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/ अनुदेशों का अनुपालन करने में विभाग को सहायता देता है। इस अनुभाग को विभाग की विभिन्न सामग्रियों का अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद के अतिरिक्त सरकार के कार्यों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया है।

12.1 राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग हेतु तिमाही प्रगति रिपोर्टों का संग्रहण और विश्लेषण :

विभाग के सभी अनुभागों से राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग हेतु तिमाही प्रगति रिपोर्टें संग्रहीत करके उनकी समीक्षा की गई। रिपोर्टों में पाई गई कमियों के बारे में अनुभागों को सूचित किया गया तथा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उपायों के बारे में सुझाव दिए गए। इन रिपोर्टों के आधार पर समेकित विवरण तैयार किया गया और उसे राजभाषा विभाग को भेजा गया। इन रिपोर्टों की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में समीक्षा भी की गई।

12.2 राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें :

वर्ष 2017–18 के दौरान राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त सचिव (प्रशासन) की अध्यक्षता में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की प्रत्येक तिमाही में एक एक बैठक आयोजित की गई और विभाग के सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग में प्रगति की समीक्षा की गई। इन बैठकों के कार्यवृत विभाग के सभी अधिकारियों और अनुभागों में परिचालित किए गए। यह समिति विभाग में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की पुनरीक्षा करती है और उसके बारे में निर्णय लेती है। इस समिति की बैठकों में संघ सरकार का अधिकाधिक कार्य हिंदी में किए जाने के संबंध में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम पर भी चर्चा की गई। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इस समिति की दिनांक 21–03–2017 (प्रथम), 29–06–2017 (द्वितीय), 26–09–2017 (तृतीय) और 22–12–2017 (चतुर्थ) को बैठकें आयोजित की गईं।

12.3 सरकारी कामकाज में हिंदी पत्राचार को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजनाओं का कार्यान्वयन

विभाग में हिन्दी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए दो प्रोत्साहन योजनाएँ चल रही हैं। इनमें से एक है– हिंदी में टिप्पण और आलेखन के लिए प्रोत्साहन योजना और दूसरी है– अधिकारियों के लिए हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन योजना। हिन्दी में टिप्पण और आलेखन प्रोत्साहन योजना के तहत सचिव

महोदया ने दिनांक 14 सितंबर, 2017 को हिन्दी दिवस के अवसर पर 06 अधिकारियों/ कर्मचारियों को प्रमाणपत्र और नकद पुरस्कार प्रदान किए।

12.4 हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन

विभाग में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रत्येक तिमाही में हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये कार्यशालाएँ दिनांक 22–03–2017 (प्रथम), 28–06–2017 (द्वितीय), 25–09–2017 (तृतीय) और 18–12–2017 (चतुर्थ) को आयोजित की गईं और इनमें विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी में काम करने में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के प्रयास किए गए और उन्हें राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा राजभाषा नियम, 1976 के विभिन्न नियमों और विनियमों की जानकारी प्रदान की गई। इससे सरकारी कामकाज में हिंदी टिप्पण और हिंदी पत्राचार के प्रतिशत में उत्तरोत्तर सुधार हुआ।

12.5 विभाग के विभिन्न दस्तावेजों का हिंदी अनुवाद

समीक्षाधीन अवधि के दौरान विभाग की वार्षिक रिपोर्ट, ई–बुक, निष्पादन बजट, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया–ज्ञापन, मंत्रिमण्डल हेतु टिप्पणियों (केबिनेट नोट), संसद प्रश्नों में दिए गए आश्वासनों पर कार्यान्वयन रिपोर्टों, नालसा से संबंधित विभिन्न दस्तावेजों और सामान्य रूप से जारी किए जाने वाले दस्तावेजों जिनमें अधिसूचनाएं, मंत्री महोदय की ओर से भेजे जाने वाले अर्ध शासकीय पत्र, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जारी किए जाने वाले पत्र और दैनिक प्रकृति के सामान्य आदेश शामिल हैं, आदि का अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद कार्य सम्पन्न किया गया।

12.6 हिन्दी दिवस और हिंदी पखवाड़े का आयोजन

विभाग में 14 सितंबर, 2017 को हिन्दी दिवस मनाया गया। हिंदी दिवस पर माननीय सचिव महोदया की उपस्थिति में माननीय गृह मंत्री महोदय के संदेश का वाचन किया गया। सचिव (न्याय) ने उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए। इसके अलावा, विभाग में 15–09–2017 से 30–09–2017 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। इस दौरान 4 लिखित प्रतियोगिताएं अर्थात हिंदी निबंध प्रतियोगिता, टिप्पण और आलेखन प्रतियोगिता, हिंदी टंकण प्रतियोगिता और श्रुत लेखन प्रतियोगिता तथा 2 मौखिक प्रतियोगिताएं अर्थात काव्य पाठ प्रतियोगिता और आशु संभाषण प्रतियोगिता आयोजित की गईं जिनमें कुल 73 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रत्येक प्रतियोगिता के विजेताओं को 4 नकद पुरस्कार (प्रथमः 3000 रुपए, द्वितीयः 2000 रुपए, तृतीयः 1500 रुपए और प्रोत्साहनः 500 रुपए) और प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। संयुक्त सचिव (प्रशासन) महोदय ने दिनांक 17–10–2017 को 24 प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार और प्रमाणपत्र प्रदान किए।

12.7 हिंदी पुस्तकों की खरीद

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विभाग में पुस्तकालय हेतु हिंदी पुस्तकों की खरीद के लिए प्रतिष्ठित हिंदी लेखकों और विशिष्ट व्यक्तियों की पुस्तकों की सूची सक्षम प्राधिकारियों के अनुमोदन से तैयार की गई और लगभग 5000/– रुपए मूल्य की पुस्तकें खरीदी गईं।

13. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

भारत के संविधान का अनुच्छेद 39क समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए मुफ्त विधिक सहायता के लिए व्यवस्था प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। संविधान के अनुच्छेद 14 और 22 (1) भी राज्यों के लिए यह अनिवार्य करते हैं कि कि वे विधि और ऐसी विधिक प्रणाली के समक्ष समानता सुनिश्चित करें जो सभी के लिए समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देती हो। वर्ष 1987 में, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम को संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, जो समाज के कमजोर वर्गों के लिए समान अवसर के आधार पर स्वतंत्र और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी समान नेटवर्क स्थापित करने के लिए 9 नवम्बर, 1995 को अस्तित्व में आया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत विधिक सहायता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करने और इस अधिनियम के तहत उपलब्ध विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए नीतियां और सिद्धांत निर्धारित करने के लिए गठित किया गया है।

हर राज्य में, एक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और प्रत्येक उच्च न्यायालय में, एक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का गठन किया गया है। नालसा की नीतियों और निर्देशों को प्रभावी बनाने और लोगों को मुफ्त विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए जिलों में और अधिकतर तालुकों में लोक अदालतों का संचालन करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुक विधिक सेवा समितियों का गठन किया गया है। भारत के उच्चतम न्यायालय से संबंधित विधिक सेवा कार्यक्रम के प्रशासन और इसको कार्यान्वित करने के लिए उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति को गठित किया गया है।

13.1 नालसा का कामकाज

नालसा, देश भर में विधिक सेवा कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के लिए नीतियों, सिद्धांतों, दिशा–निर्देशों को निर्धारित करता है और प्रभावी और किफायती योजनाएं बनाता है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुक विधिक सेवा समितियों को नियमित आधार पर निम्नलिखित मुख्य कार्यों का निर्वहन करने के लिए कहा गया है:

- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत शामिल किए गए पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करना;
- विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालत का आयोजन करना; और
- ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन करना।

1. निःशुल्क विधिक सेवाएं

निःशुल्क विधिक सेवाओं में निम्नांकित शामिल हैं: –

क) कोर्ट फीस, प्रक्रिया फीस और किसी विधिक कार्यवाही के संबंध में देय या किए गए अन्य सभी प्रभारों का भुगतान;

ख) विधिक कार्यवाही में वकीलों की सेवा प्रदान करना;

ग) विधिक कार्यवाही में आदेश प्राप्त करना और अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों की आपूर्ति करना;

घ) मुद्रण और विधिक कार्यवाही में दस्तावेजों के अनुवाद सहित अपील, पेपर बुक की तैयारी।

अप्रैल, 2017 से सितंबर, 2017 तक की अवधि के दौरान देश भर में विधिक सहायता सेवाओं के माध्यम से 3.15 लाख पात्र व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं।

2. लोक अदालत

लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहां न्यायालयों में लंबित अथवा वाद से पहले की स्थिति वाले विवादों/मामलों का समाधान मिलजुल कर कराया जाता है। लोक अदालत को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन सांविधिक दर्जा दिया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत लोक अदालत द्वारा दिए गए निर्णय को दीवानी न्यायालय की डिक्री माना जाता है और यह सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होता है तथा किसी न्यायालय के समक्ष इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। उच्चतम न्यायालय से लेकर तालुक न्यायालयों तक के सभी न्यायालयों में मामलों (वादपूर्व और वाद के बाद) का निपटान करने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत भी आयोजित की जाती है। सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबन्धित विवादों को हाथ में लेने और उनका निपटान करने के लिए अधिकतर राज्यों में स्थायी लोक अदालतें भी स्थापित की गई हैं।

2014—15, 2015—16, 2016—17 और 2017—18 के दौरान आयोजित इन लोक अदालतों में निपटाए गए मामलों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:

(लाख में)

क्रम संख्या.	वर्ष	लोक अदालत		राष्ट्रीय लोक अदालत
		देश में आयोजित की गई लोक अदालतों की संख्या	वाद से पहले के और वाद के बाद के मामलों की संख्या	देखे गए कुल मामलों की संख्या
1	2014—15	1.81	275.05	500.63
2	2015—16	1.68	152.99	196.78
3	2016—17	1.19	17.24	77.56
4	2017—18	0.56	9.59	*54.05
	कुल	**5.24**	**454.87**	**829.02**

टिप्पणी: निपटाए गए मामलों में वाद से पहले के और वाद के बाद के मामले शामिल हैं। *(दिसंबर, 2017 तक)

इसके अलावा, अप्रैल से सितंबर, 2017 तक स्थायी लोक अदालतों की 11571 बैठकें हुई थीं और 60043 मामलों को निपटाया गया था और निपटाए गए मामलों का कुल मूल्य 105.8 करोड़ बैठता है।

3. विधिक जागरूकता कार्यक्रमः

निवारक और कार्यनीतिक विधिक सहायता के भाग के रूप में नालसा, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से विधिक साक्षरता कार्यक्रम आयोजित करता है। कुछ राज्यों में ग्रामीण साक्षरता शिविरों के साथ–साथ सामान्य रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रति वर्ष विधिक साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

4. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए) की 15वीं अखिल भारतीय बैठक

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने 18 और 19 मार्च, 2017 को प्रवासी भारतीय केंद्र, चाणक्य पुरी, नई दिल्ली में राज्य विधिक सेवाओं के अधिकारियों की 15वीं अखिल भारतीय बैठक का आयोजन किया। इस बैठक को आयोजित करने का उद्देश्य पूरे भारत में विधिक सेवाओं के संस्थानों में अधिक जीवंतता के लिए रणनीतियों की जांच करना था। बैठक में न्याय तक पहुँच बनाने और जरूरतमंदों को उनके अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाने के तरीकों पर भी चर्चा हुई।

उक्त बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रस्तावों को पारित किया गयाः

- एसएलएसए सभी मैजिस्ट्रेटियल न्यायालयों और सत्र न्यायालयों में रिमांड एडवोकेट्स की नियुक्ति के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे।
- लोक न्यायालय में मामलों के निपटान में एक तीन आयामी दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। (i) मामलों की पहचान करना, (ii) पार्टियों के वकीलों को संबद्ध करना, (iii) लोक अदालतों से पहले की समझौताकारी बैठकें करना।
- पैनल वकीलों की जेल क्लीनिकों के दौरों की न्यूनतम संख्या एक सप्ताह में कम से कम चार दिन होनी चाहिए।
- सभी एसएलएसए, विचाराधीन कैदियों/अपराधियों को विधिक सहायता प्रदान करने के लिए जेलों में अपराधियों को पैरा लीगल वालेंटियर्स (पीएलवी) के रूप में नियुक्ति करेंगे।
- निशुल्क विधिक सेवाओं के बारे में जेल में प्रचार करने के लिए स्थायी साइन बोर्डों और होर्डिंगों को सहज गोचर होने वाले स्थान पर रखा जाना चाहिए।
- सभी एसएलएस, कानूनी सेवाओं के क्लीनिक चलाने के लिए सभी जेलों में अलग स्थान प्राप्त करने के प्रयास करेंगे।
- प्रत्येक एसएलएस/संघ शासित प्रदेश तीन महीने के भीतर स्थायी लोक न्यायालयों का गठन करने के लिए कदम उठाएंगे। यह भी यह निर्णय लिया गया कि राज्य न्यायिक अकादमियों के माध्यम से स्थायी लोक न्यायालय में अध्यक्षों और सदस्यों को प्रशिक्षण भी दिया जाए।

5. वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण पर संगोष्ठीः मुद्दे, चुनौतियां और आगे का रास्ता

15 अप्रैल, 2017 को फरीदाबाद में हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा "वरिष्ठ नागरिकों का कल्याणः समस्याएं, चुनौतियां और आगे का रास्ता" पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया था। संगोष्ठी का विषय वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा और उनसे अप्रिय व्यवहार से संबंधित मुद्दों और संबंधित वरिष्ठ नागरिकों से संबन्धित कानून, कार्यक्रमों और नीतियों पर चर्चा करना था। वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अभियान "आप अकेले नहीं हैं" भी शुरू किया गया था।

6. पैरा लीगल स्वयंसेवकों की राष्ट्रीय बैठक

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) ने नई दिल्ली में 29 और 30 अप्रैल, 2017 को पैरा लीगल स्वयंसेवकों की राष्ट्रीय बैठक का आयोजन किया। केंद्रीय विधि मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने समाज के दुर्बल वर्गों की न्याय तक त्वरित पहुंच के लिए डिजिटल डिलिवरी सिस्टम की आवश्यकता पर जोर दिया।

7. कानूनी सहायता प्रतिष्ठान

कानूनी सेवाओं के संबंध में जानकारी तक आसान पहुंच की सुविधा के लिए, कार्यकारी अध्यक्ष, एनएएलएसए ने 17 मई, 2017 को दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में पहली कानूनी सहायता स्थापना का उद्घाटन किया। दिल्ली एसएलएसए ने इसे 'न्याय संयोग' नाम दिया है।

अब तक 25 कानूनी सहायता प्रतिष्ठान केंद्र स्थापित किए गए हैं। बाकी पर कार्य चल रहा है। ये विधिक सहायता प्रतिष्ठान, लाभार्थियों को किसी भी जिले में लंबित अपने मामले की स्थिति, कानूनी सहायता तथा सलाह तथा नालसा, केन्द्रीय/राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी के संबंध में त्वरित सूचना प्रदान करते हैं।

8. राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों का क्षेत्रीय सम्मेलन

पहली बार, कार्यकारी अध्यक्ष, नालसा ने क्षेत्रीय स्तर पर एसएलएसए के सम्मेलन का आयोजन किया है। उत्तर–पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों के क्षेत्रीय सम्मेलन क्रमशः शिलांग, चंडीगढ़, अहमदाबाद और बेंगलुरु में आयोजित किए गए थे। पूर्वी क्षेत्र के अगले सम्मेलन का आयोजन कोलकाता में निर्धारित किया गया है। पहली बार, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने स्थानीय स्तरों पर समन्वय में सुधार करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय सम्मेलनों में भाग लिया है। इन बैठकों का व्यापक उद्देश्य "कानूनी सहायता, राष्ट्रीय लोक अदालतों और नालसा की योजनाओं के कार्यान्वयन पर एसएलएसए के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन और समीक्षा" पर चर्चा करना और नालसा योजनाओं के तहत एसएलएसए की गतिविधियों के विस्तार के लिए क्षेत्रों की पहचान करना था।

9. "लॉ स्कूल आधारित लीगल सर्विसेज क्लिनिक्स" का राष्ट्रीय सेमिनार

30 जुलाई, 2017 को 'लॉ स्कूल आधारित लीगल सर्विसेज क्लिनिक' के एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया था।

10. विधिक सेवा दिवस मनाना–2017

नालसा ने 9 नवंबर, 2017 को नई दिल्ली में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ मिलकर विधिक सेवा दिवस' मनाया। माननीय श्री न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, भारत के मुख्य न्यायाधीश और मुख्य संरक्षक, नालसा मुख्य अतिथि थे। सर्वश्रेष्ठ कार्यनिष्पादन करने वाले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और पीएलवी की सराहना की गई। उपर्युक्त के अलावा, माननीय मुख्य अतिथि ने पीएलवी के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल भी जारी किया और पूरे भारत के लिए 10 दिनों का एक कार्यक्रम 'कनेक्टिंग टू सर्व' (सेवा के लिए संपर्क करना) भी शुरू किया गया।

****

माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी, भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और माननीय विधि और न्याय मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद, संविधान दिवस पर विज्ञान भवन में।

माननीय विधि और न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद, माननीय विधि और न्याय राज्य मंत्री श्री पी.पी. चौधरी के साथ 15 जून, 2017 को जैसलमेर हाउस में विधि और न्याय मंत्रालय की तीन वर्षों की उपलब्धियों के बारे में प्रेस को संबोधित करते हुए।

माननीय विधि और न्याय मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा 20 अप्रैल, 2017 को जैसलमेर हाउस में प्रो–बोनो लीगल सर्विसेज का शुभारंभ।

2 दिसंबर, 2017 को साकेत कोर्ट परिसर में ई–कोर्ट्स सेंट्रल प्रोजेक्ट कॉ–ऑर्डिनेटर (सीपीसी) सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए भारत के उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति श्री एम.बी. लोकुर, और सचिव (न्याय) डॉ. आलोक श्रीवास्तव।

माननीय विधि और न्याय मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद, माननीय विधि और न्याय राज्य मंत्री, श्री पी.पी. चौधरी और श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव, सचिव (न्याय) 15 जून, 2017 को जैसलमेर हाउस में विधि और न्याय मंत्रालय की तीन वर्ष की उपलब्धियों के बारे में पुस्तिका को जारी करते हुए।

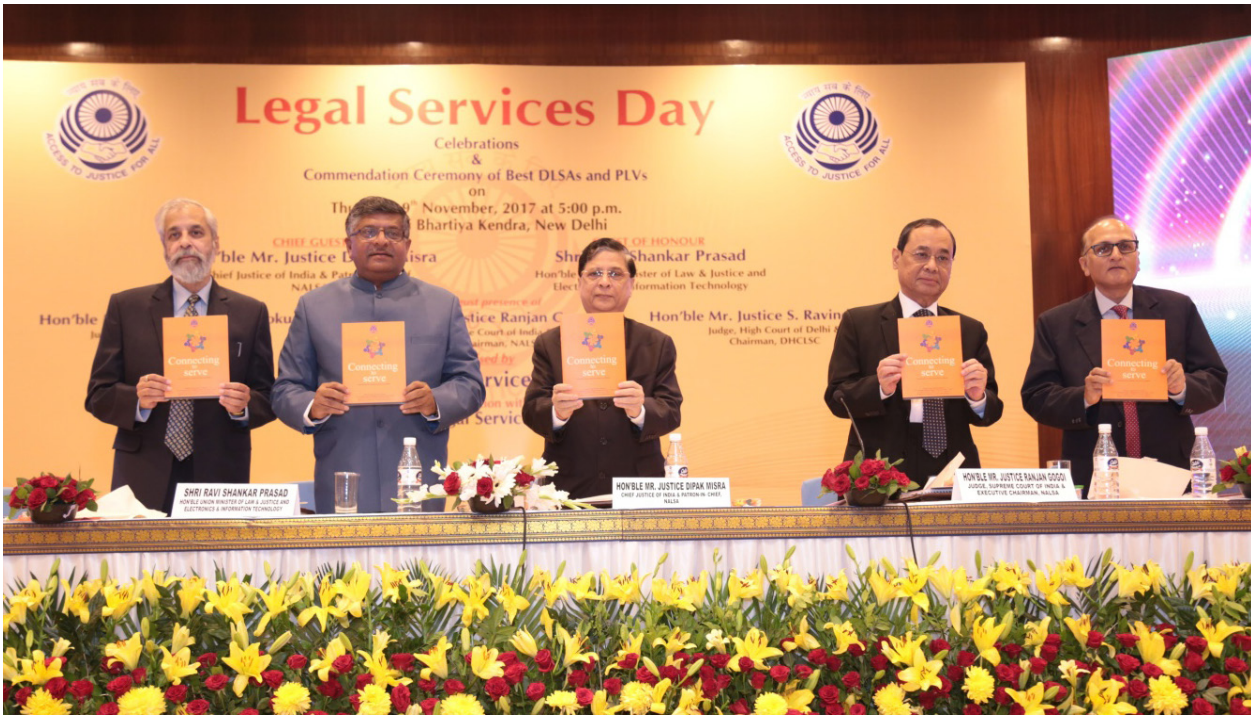

9 नवंबर, 2017 को नई दिल्ली में 'लीगल सर्विसेज डे' समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश और नालसा के मुख्य संरक्षक माननीय श्री दीपक मिश्रा, माननीय विधि और न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद।

29 और 30 अप्रैल, 2017 को नई दिल्ली में पैरा लीगल वालेंटियर्स की राष्ट्रीय बैठक में माननीय विधि और न्याय मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद और भारत के मुख्य न्यायाधीश, माननीय श्री न्यायमूर्ति जे.एस. खेहर।

अनुलग्नक–I

(देखें अध्याय–I पैरा–2)

विधि कार्य विभाग का संगठन चार्ट

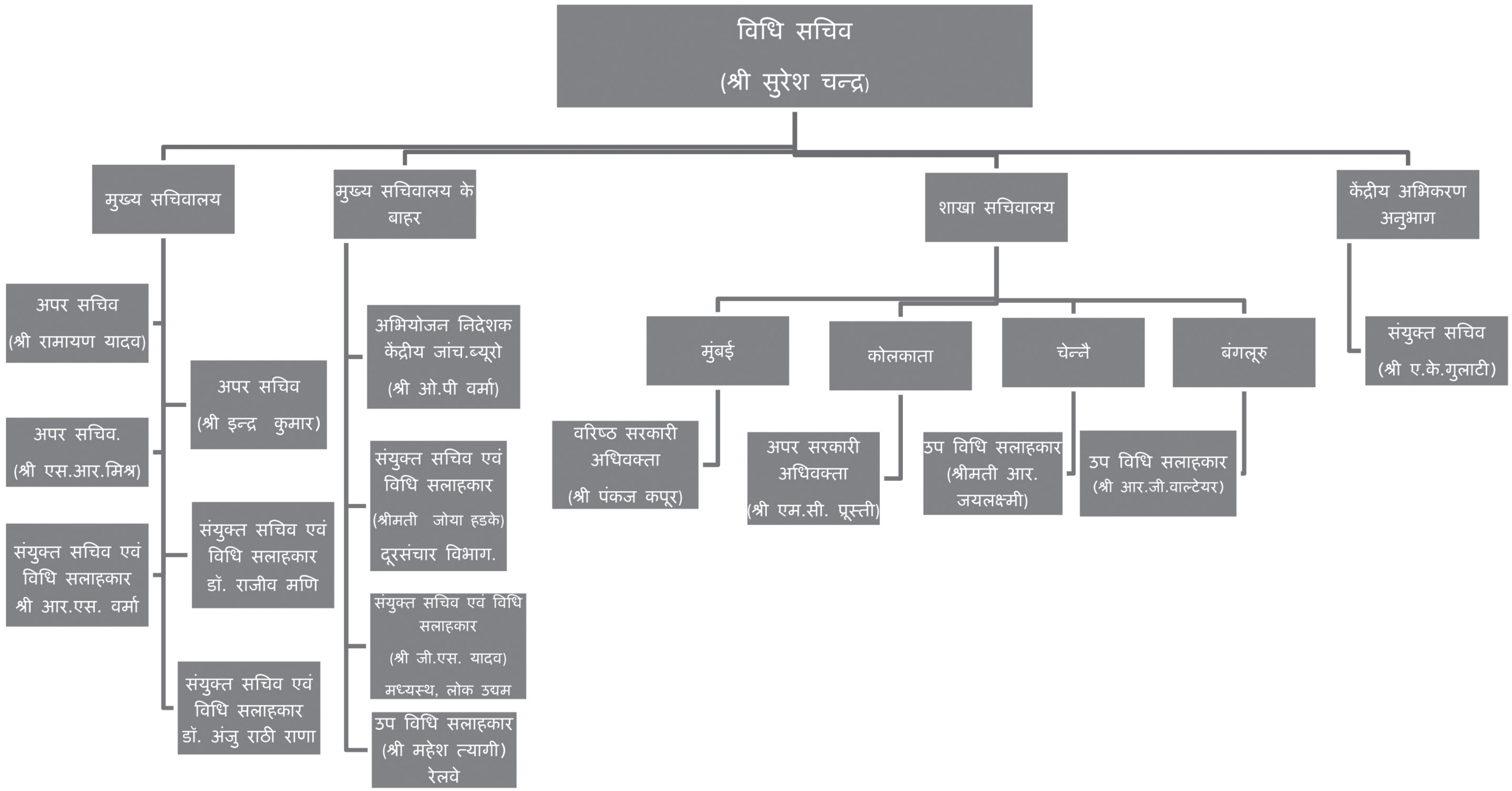

अनुलग्नक–II

देखें अध्याय–I पैरा 13(ख)

उपाबंध–III

(देखें अध्याय–I पैरा–13 (ग))

हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत 31.12.2017 की स्थिति को दर्शाते हुए प्रशिक्षित अधिकारियों/कर्मचारियों का ब्यौरा

	1	2	3
	कुल अधिकारी एवं कार्यरत कर्मचारी	हिन्दी जानने वाले तथा हिन्दी में प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या	जिन्हें हिन्दी का प्रशिक्षण दिया जाना है।
विधि कार्य विभाग	454	425	29
	4	5	6
विधि कार्य विभाग	कुल टंकक (कोर्ट क्लर्क/ अवर श्रेणी लिपिक)	हिंदी टंकण में प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या	जिन्हें हिन्दी टंकण में प्रशिक्षण दिया जाना है।
	74	10	64
	7	8	9
विधि कार्य विभाग	आशुलिपिकों की संख्या	हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या	जिन्हें हिन्दी का प्रशिक्षण दिया जाना है।
	90	33	57

उपाबंध–IV

(देखें अध्याय–I पैरा–13 (ग))

दिनांक 1 जनवरी, 2017 से 31 दिसंबर, 2017 तक की अवधि के दौरान हिंदी शिक्षण योजना सहित हिन्दी के प्रगामी प्रयोग का ब्यौरा

	1	2	3	4	5	6
	हिंदी में प्राप्त पत्र	पत्र जिनके उत्तर अंग्रेजी में दिए गए	पत्र जिनके उत्तर हिंदी में दिए गए	भेजे गए मूल पत्रों की कुल संख्या	हिंदी में भेजे गए पत्र	अंग्रेजी में भेजे गए पत्र
विधि कार्य विभाग	5569	किसी भी पत्र का उत्तर अंग्रेजी में नहीं दिया गया।	4622	22006	14048	7958

	7	8	9	10	11	12
	तारों की कुल संख्या	हिंदी में जारी किए गए	अंग्रेजी में जारी किए गए	हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए गए दस्तावेजों की संख्या	हिंदी में जारी किए गए दस्तावेजों की संख्या	अंग्रेजी में जारी किए गए दस्तावेजों की संख्या
विधि कार्य विभाग	––	––	––	3227	–	–

	13	14	15	16		17		18		19	
	कम्प्यूटरों की कुल संख्या	देवनागरी / द्विभाषी कम्प्यूटरों की संख्या	अंग्रेजी कम्प्यूटरों की संख्या	कर्मचारिवृन्द की कुल संख्या		हिन्दी में प्रवीण कर्मचारिवृन्द की संख्या		रबड़ की मुहरें		नाम – पट्टिकाएं	
				राज पत्रित	अराज पत्रित	राज पत्रित	अराज पत्रित	द्विभाषिक	अंग्रेजी में	द्विभाषिक	अंग्रेजी में
विधि कार्य विभाग	300	300′	–––	141	313	79	98	400	––	60	––

* सभी कम्प्यूटरों पर हिंदी और अंग्रेजी में कार्य करने की सुविधा है।

उपाबंध–V

(देखें अध्याय–I पैरा–23 (18))

आयकर अपीलीय अधिकरण में दिनांक 31.12.2017 को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक विकलांग सहित कर्मचारियों की कुल संख्या

समूह क	कर्मचारियों कीसंख्या	सा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	भू.सै.	शा.वि.
अध्यक्ष	1	1	–	–	–	–	–
उपाध्यक्ष	3	3	–	–	–	–	–
लेखा सदस्य	49	25	5	3	15	–	1(ओ. एच.)
न्यायिक सदस्य	43	24	7	2	10	–	–
रजिस्ट्रार	1	1	–	–	–	–	–
उप रजिस्ट्रार	–	–	–	–	–	–	–
सहायक रजिस्ट्रार	8	4	–	1	3	–	–
हिंदी अधिकारी	–	–	–	–	–	–	–
कुल	105	58	12	6	28	0	1

समूह ख	कर्मचारियों की संख्या	सा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	भू.सै.				शा.वि.			
						अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	सा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	सा.
						–	–	–	–	–	–	–	–
वरिष्ठ निजी सचिव	94	54	14	1	25	–	–	–	–	–	–	–	–
निजी सचिव	22	7	4	1	10	–	–	–	–	–	–	–	–
अधीक्षक	5	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कार्यालय अधीक्षक	10	8	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
हिन्दी अनुवादक	6	3	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
प्रधान लिपिक	49	31	7	3	7	–	–	–	–	–	1	–	–
वरिष्ठ लेखाकार	0	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
पुस्तकालयाध्यक्ष	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
सहायक	8	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल	196	115	29	6	45	0	0	0	0	0	1	0	0

समूह ग	कर्मचारियों की संख्या	सा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	भू.सै.				शा.वि.			
						अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	सा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	सा.
उच्च श्रेणी लिपिक	76	34	10	5	27	–	–	3	–	–		–	2
स्टेनो ग्रेड 'डी'	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
अवर श्रेणी लिपिक	116	59	25	8	24	–	–	1	–	–	–	2	–
स्टाफ कार चालक	32	8	10	2	12	1	1	8	5	–	–	–	–
कुल	225	102	45	15	63	1	1	12	5	0	0	2	2

	कर्मचारियों की संख्या	सा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	भू.सै.				शा.वि.			
						अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	सा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	सा.
मल्टी–टास्किंग स्टाफ	196	91	44	19	42	0	3	8	11	1	0	3	3
कुल	196	91	44	19	42	0	3	8	11	1	0	3	3

उपाबंध–VI

(देखें अध्याय I, पैरा 25)

दिनांक 1 जनवरी,2018 को सरकारी सेवकों की कुल संख्या और उनमें अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति,अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों,भूतपूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

विधि कार्य विभाग

समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति	कुल कर्मचारियों का %	अनुसूचित जनजाति	कुल कर्मचारियों का %	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल कर्मचारियों का %	भूतपूर्व सैनिक	कुल कर्मचारियों का %	शारीरिक रूप से विकलांग	कुल कर्मचारियों का %
समूह 'क'	101	19	18.81	5	4.95	12	11.88	–	–	3	2.97
समूह 'ख'	237	37	15.61	5	2.10	21	8.86	3	1.26	6	2.53
समूह 'ग'	145	29	20.00	8	5.51	12	8.27	–	–	2	1.37
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	153	46	30.06	9	5.88	24	15.68	1	.65	2	1.30
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी)	8	8	100	–	–	–	–	–	–	–	–
योग	644	139	21.58	27	4.19	69	10.71	4	.62	13	2.01

* उपर्युक्त विवरण में विधायी विभाग ,विधि आयोग और केंद्रीय अभिकरण अनुभाग के उन वर्तमान पदों की सूचना भी शामिल है, जिनका संवर्ग नियंत्रण इस विभाग द्वारा किया जा रहा है।

* उपर्युक्त विवरण में आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी) के पदों के बारे में सूचना शामिल नहीं है।

(देखें अध्याय I, पैरा 25)

वर्ष 2017 के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों में से भरे गए आरक्षित रिक्त पदों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

विधि कार्य विभाग

अनुसूचित जाति

पदों का समूह	रिक्त पदों की कुल संख्या	रिक्त पदों की कुल संख्या	आरक्षित रिक्त पदों की कुल संख्या	आरक्षित रिक्त पदों की कुल संख्या	नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की संख्या	कमी	अग्रनीत किए जाने के तीसरे वर्ष में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रिक्त पदों पर नियुक्त किए गए अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की संख्या	अगले वर्ष में अग्रनीत किए गए अनुसूचित जाति के रिक्त पदों की संख्या	तीन वर्ष तक अग्रनीत किए जाने के बाद व्यपगत हुए आरक्षणों की संख्या	वर्ष 1980 से समीक्षाधीन वर्ष के पूर्व वर्ष तक व्यपगत हुए आरक्षणों की संख्या	व्यपगत आरक्षण का आनुक्रमिक योग (स्तंभ 10+11)
	अधिसूचित*	भरे गए	स्तंभ 2 में से	स्तंभ 3 में से							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
निम्नतम पंक्ति से भिन्न समूह 'क' तथा समूह "क" की निम्नतम पंक्ति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
समूह ख'	4	4	1	1	2	–	–	–	–	–	–
समूह 'ग'	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
समूह'घ' (सफाई कर्मचारी को छोड़ कर)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
समूह'घ' (सफाई कर्मचारी)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

* सीएसएस और सीएसएसएस के संवर्गों के विभिन्न पदों की रिक्तियां कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा परिकलित की जाती हैं। इस विभाग द्वारा सीएससीएस संवर्ग के केवल समूह 'ग'के पदों की रिक्तियों का परिकलन किया जाता है, जिन्हें अभी अधिसूचित किया जाना बाकी है।

अनुसूचित जनजाति

पदों का समूह	आरक्षित रिक्त पदों की कुल संख्या	आरक्षित रिक्त पदों की कुल संख्या	नियुक्त किए गए अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की संख्या	कमी	अग्रनीत किए जाने के तीसरे वर्ष में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्त पदों पर नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की संख्या	अगले वर्ष में अग्रनीत किए गए अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों की संख्या	तीन वर्ष तक अग्रनीत किए जाने के बाद व्यपगत हुए आरक्षणों की संख्या	वर्ष 1980 से समीक्षाधीन वर्ष के पूर्व वर्ष तक व्यपगत हुए आरक्षणों की संख्या	व्यपगत आरक्षण का आनुक्रमिक योग (स्तंभ 1920)
	स्तंभ 2 में से	स्तंभ 3 में से							
	13	14	15	16	17	18	19	20	21
निम्नतम पंक्ति से भिन्न समूह 'क' तथा समूह 'क' की निम्नतम पंक्ति	–	–	–	––	–	–	–	–	–
समूह ख'	–	–	–	–	–	–	–	–	–
समूह 'ग'	–	–	–	–	–	–	–	–	–
समूह'घ' (सफाई कर्मचारी को छोड़ कर)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी)	–	–	–	–	–	–	–	–	–

* भाग ।। प्रोन्नति द्वारा भरे गए पद (ज्येष्ठता–सह–उपयुक्तता के आधार पर)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
समूह 'क'	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(i) निम्नतम पंक्ति से भिन्न समूह "क"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) समूह "क" की निम्नतम पंक्ति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
समूह'ख'	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
समूह 'ग'	–	6	–	1	2	–	–	–	–	–	–
समूह'घ' (सफाई कर्मचारी को छोड़ कर)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

	13	14	15	16	17	18	19	20	21
'क'	—	—	—	—	—	—	—	—	—
'ख'	—	—	—	—	—	—	—	—	—
'ग'	—	—	—	—	—	—	—	—	—
'घ'	—	—	—	—	—	—	—	—	—
'घ". (सफाई कर्मचारी)	—	—	—	—	—	—	—	—	—

भाग III प्रोन्नति द्वारा (चयन द्वारा) भरे गए पद

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
समूह"क"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(i) निम्नतम पंक्ति से भिन्न	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(ii) समूह "क" की निम्नतम पंक्ति	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
समूह"ख'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
समूह 'ग'	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
समूह'घ' (सफाई कर्मचारी को छोड़ कर)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

	13	14	15	16	17	18	19	20	21
समूह 'क' की निम्नतम पंक्ति	—	—	—	—	—	—	—	—	—
'ख'	—	—	—	—	—	—	—	—	—
'ग'	—	—	—	—	—	—	—	—	—
'घ'	—	—	—	—	—	—	—	—	—
'घ' (सफाई कर्मचारी)	—	—	—	—	—	—	—	—	—

उपाबंध–VII

(देखें अध्याय I, पैरा 25)

महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व

समूह	विधि कार्य विभाग (विधायी विभाग सहित)		आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	
	कर्मचारियों की कुल संख्या	महिला कर्मचारियों की संख्या	कर्मचारियों की कुल संख्या	महिला कर्मचारियों की संख्या
समूह क	101	18	105	6
समूह ख	237	80	196	62
समूह ग	145	4	225	56
समूह घ	161	15	196	11
कुल	644	117	722	135

अनुलग्नक–VIII

(देखें अध्याय–I पैरा 26)

अनुलग्नक–IX

(देखें अध्याय–I पैरा 27)

अनुलग्नक–X

विधायी विभाग (मुख्य) का संगठनात्मक चार्ट (01.01.2018 के अनुसार)

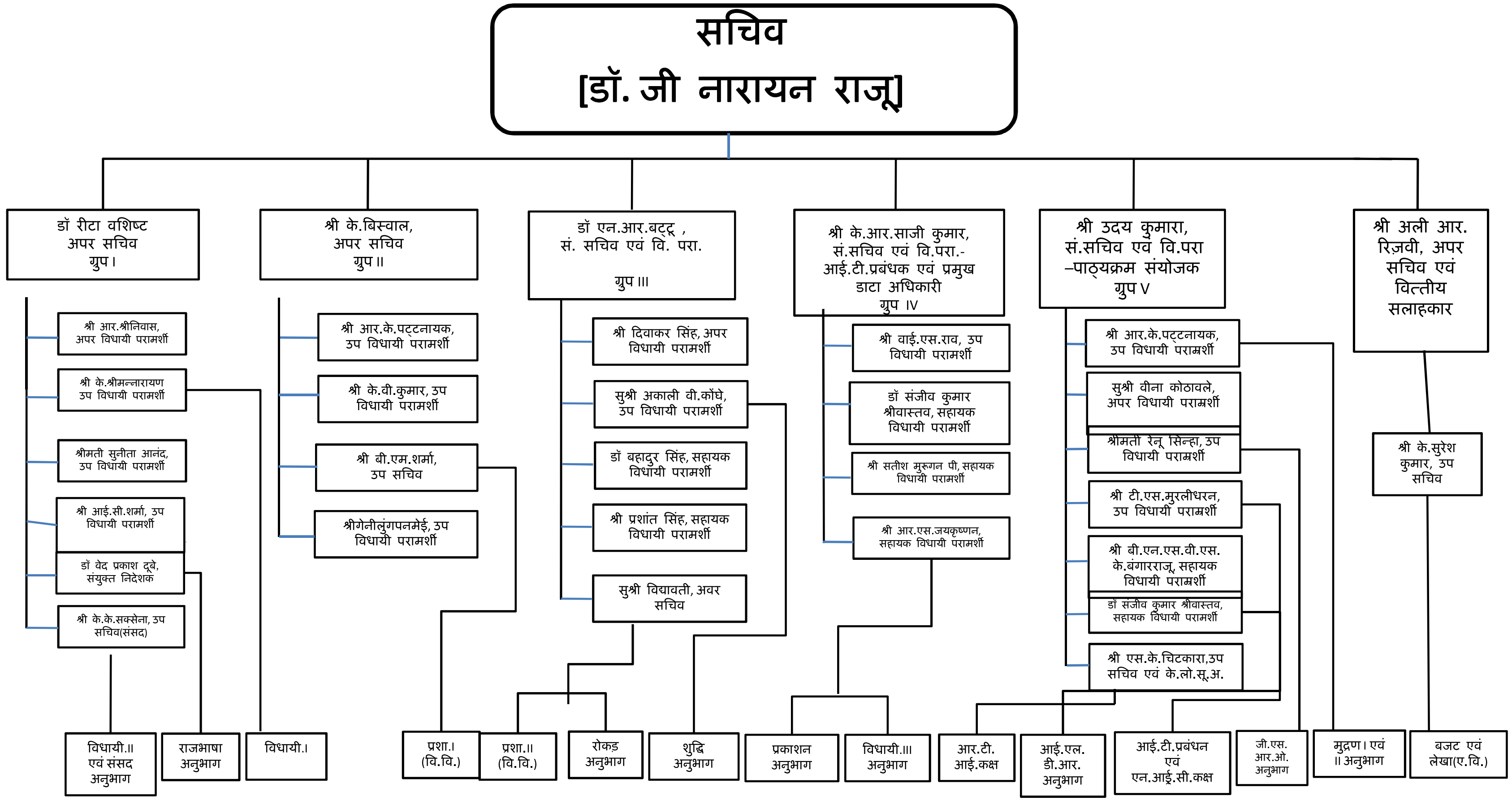

उपाबंध–XI

(अध्याय–II, पैरा–43 देखें)

1 जनवरी, 2018 तक की स्थिति के अनुसार सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या तथा उनके बीच अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों तथा निःशक्त जनों की संख्या दर्शाने हेतु सारणी (पैरा 18 देखें)

श्रेणी	कर्मचारियों की संख्या	अनु–जाति	%	अनु–जनजाति	%	अन्य पिछड़ा वर्ग	%	भूतपूर्व सैनिक	%	निःशक्त जन	%
ए	73	9	12.4	4	5.4	13	17.2	–	–	2	2.7
बी	105	19	18.1	2	1.9	15	14.3	–	–	3	2.9
सी	116	36	31.0	8	6.9	14	12.1	–	–	–	–
कुल	294	64	21.8	14	4.8	42	14.3	–	–	5	1.7

उपाबंध–XII

(अध्याय–।।, पैरा–43 देखें)

01–01–2018 तक की स्थिति के अनुसार विधायी विभाग में महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्वः

श्रेणी	कर्मचारियों की कुल संख्या	महिला कर्मचारियों की कुल संख्या	प्रतिशत
श्रेणी 'ए'	73	14	19.2
श्रेणी 'बी'	105	39	37.1
श्रेणी 'सी'	116	13	11.2
कुल	294	66	22.4

अनुबंध–XIII

(देखें अध्यालय–III पैरा–1)

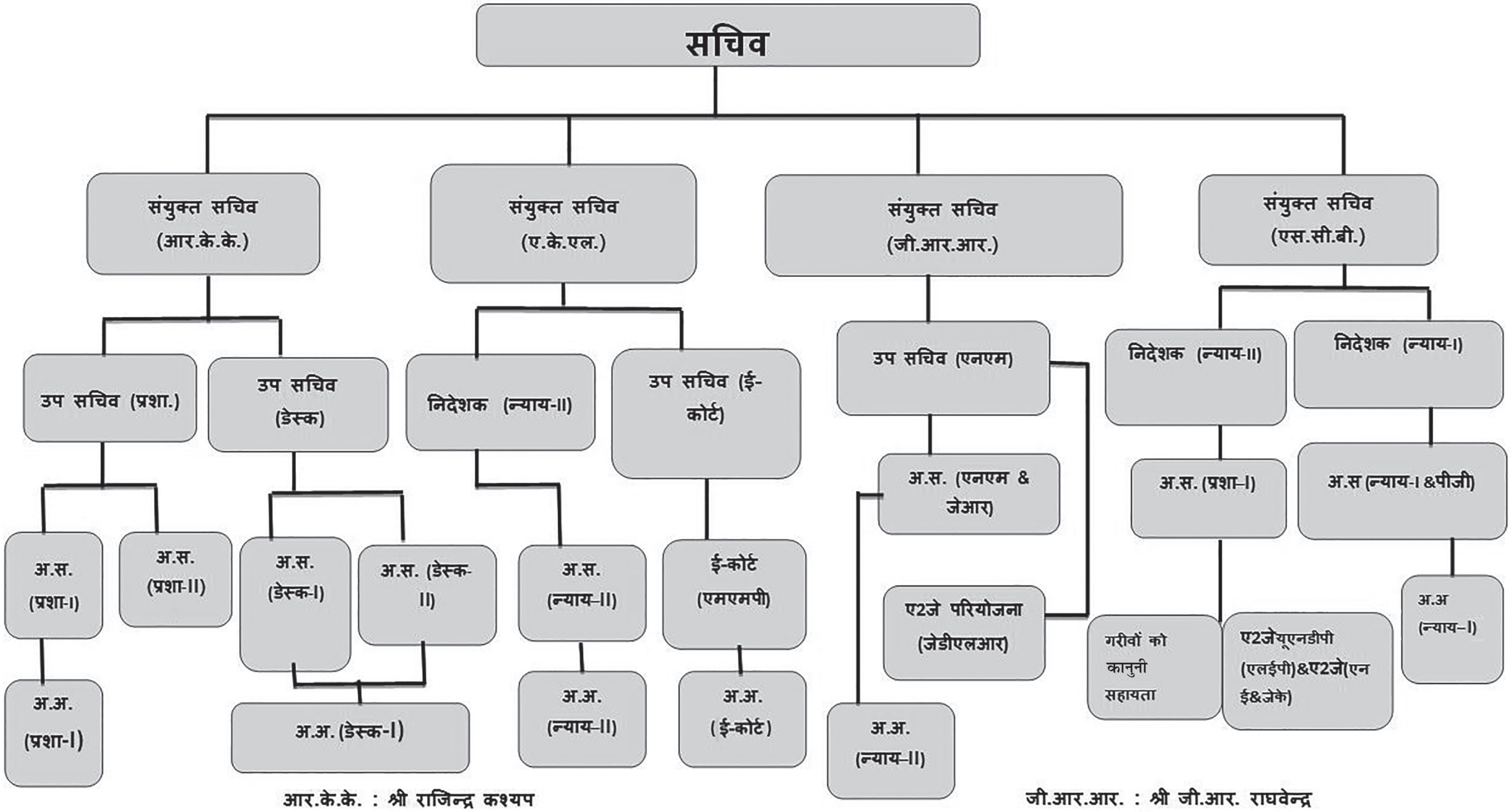

आर.के.के. : श्री राजिन्द्र कश्यप
ए.के.एल. : श्री अजय कुमार लाल

जी.आर.आर. : श्री जी.आर. राघवेन्द्र
एस.सी.बी. : श्री सुभाष चन्द्र बर्मा